भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

52 वाँ वार्षिक विवरण 2021-22 -

आकाश अस्त्र–प्रणाली

प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली

काँकूर्स-एम

हल्के भार वाला टॉरपीडो

समर्पण. प्रतिबद्धता. दृढ़ता.

सशस्त्र सना बल की सवा म

भारत डायनामिक्स लिमिटड अपनी स्थापना से लेकर आतरिक अनसधान एव विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तातरण क माध्यम से सचलित प्रक्षेपास्त्र और सबद्ध उपकरणों का विनिर्माण करता आ रहा ह। आज बी डी एल, भारतीय सशस्त्र सेनाओ सहित मित्र दशों को नवीनतम टक्नोलॉजी यक्त मिसाइल व सबद्ध उपकरण का एक अग्रणी विनिर्माता एव आपर्तिकर्ताओ म से एक ह।

अनक्रमणिका

परिदृश्य

हमारा परिचय	01
निगम सबधी सचना	02
निदशक मडल	03
अध्यक्ष की कलम से	05
हमार उत्पाद	10
वित्तीय विशषताए	12
दस वर्षों पर दृष्टिपात	13

अभिशासन

निदशक मडल की रिपोट	14
प्रबधन चर्चा एव विश्लषण	50
नैगमिक अभिशासन पर रिपोट	60
सव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोट	81

वित्तीय विवरणिकाए

स्वतत्र लेखापरीक्षकों की रिपोट	89
नियत्रक एव महालेखापरीक्षक की रिपोट	113
तलन-पत्र	117
लाभ-हानि लेखा	118
ईक्विटी म परिवर्तन का विवरण	119
नक़द प्रवाह विवरण	120
लेखा नीतियाँ	121
वित्तीय विवरणिकाओ की अगभत टिप्पणियाँ	134
वाषिक आमसभा की सचना	167

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 52वाँ वार्षिक विवरण 2021-22
लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

Bharat Dynamics Limited, 52nd Annual Report 2021-22
Papers to be laid on the table of lok Sabha / Rajya Sabha

AUTHENTICATED

RAKSHA RAJYA MANTRI

हमारा परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल), वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक ऐसा उद्यम है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), टॉरपीडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण बनाता है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ - तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और संगारेड्डी के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित हैं। बी डी एल, महाराष्ट्र के अमरावती, इब्राहीमपट्टणम, तेलंगाना और झाँसी (उत्तर प्रदेश) में अपनी सुविधाओं के विनिर्माण की योजना बना रहा है। पिछले चंद वर्षों में कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2022 तक कुल 2674 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 2817 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ।

उद्देश्य

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्वेल अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।

भविष्य-दृष्टि

रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना।

मिशन

वायुरिक्ष तथा अंतर्वेल अस्त्र प्रणाली उद्योग में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की रक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बनकर उभरना।

निगम संबंधी सूचना

निदेशक मंडल

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री चंद्रकर भारती, आई ए एस, संयुक्त निदेशक (एयरो)
सरकारी निदेशक
श्री एम एस आर प्रसाद, महानिदेशक (एम एस एस) एवं विशिष्ट वैज्ञानिक
सरकारी निदेशक (दि. 24 अगस्त, 2021 तक)
डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति, महानिदेशक (एम एस एस) एवं विशिष्ट वैज्ञानिक
सरकारी निदेशक (दि. 24 अगस्त, 2021 तक)
श्री एन पी दिवाकर
निदेशक (तकनीकी)
श्री पी राधाकृष्ण
निदेशक (उत्पादन)
श्री एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ
श्री सुनील चिंतामन मोने
स्वतंत्र निदेशक (दि. 24 दिसंबर, 2021 से)
श्री नंदकुमार सुब्बुरामन
स्वतंत्र निदेशक (दि. 24 दिसंबर, 2021 से)
डॉ. पवन स्थापक
स्वतंत्र निदेशक (दि. 24 दिसंबर, 2021 से)
प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा
स्वतंत्र निदेशक (दि. 27 दिसंबर, 2021 से)
श्री राजेंद्र कुमार शेखावत
स्वतंत्र निदेशक (दि. 28 दिसंबर, 2021 से)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. उपेंदर वेन्नम, आई पी ओ एस

कंपनी सचिव

श्री एन नागराजा

प्रधान कार्यपालक

(दि. 31 मार्च, 2022 तक)
कमोडोर त्रिलोक नाथ कौल (से.नि.)
अधिशासी निदेशक (विपणन)
कमोडोर ए माधव राव (से.नि.)
अधिशासी निदेशक (प्रधान – कंचनबाग इकाई एवं पीएसजी)
कमोडोर गिरीश रघुनाथ प्रधान (से.नि.)
अधिशासी निदेशक (विशाखापट्टणम इकाई)
श्रीमती वी लता
महाप्रबंधक (ओ पी जी एवं डी अण्ड ई)
श्री सी एच रमेश बाबू
महाप्रबंधक (भानूर इकाई)
श्री एस वी कामेश्वर
महाप्रबंधक (विशाखापट्टणम इकाई)
श्री पी वी राजाराम
महाप्रबंधक (सैम)
श्री एस मुरली मोहन
महाप्रबंधक (पुनर्सज्जीकरण एवं टी एस डी)
श्री एम श्रीधर राव
महाप्रबंधक (नयी परियोजनाएँ)
श्री एल किशन
महाप्रबंधक (के एम अण्ड सी पी)
श्री एम रवि
महाप्रबंधक (सं.वि. एवं विपणन)

लेखापरीक्षक

मेसर्स जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, हैदराबाद

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स ए वी रत्नम अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
मेसर्स राजू अण्ड प्रसाद
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
मेसर्स ए आर सुलेखे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
मेसर्स वैथसावरन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स नरसिम्ह मूर्ति अण्ड अण्ड कंपनी
लागत लेखाकार

कर परामर्शदाता

बंसल अण्ड दवे,
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

विधि सलाहकार

श्रीमती वी उमा देवी
श्री डी रवि शंकर राव
श्रीमती डी राधिका

बैंकर्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्रा बैंक)
भारतीय स्टेट बैंक
ऐक्सिस बैंक
आई सी आई सी आई बैंक
एच डी एफ सी बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग डाक
हैदराबाद-500058
तेलंगाना, भारत
ई पी ए बी एक्स : 040-24587466 & 040-24587777
फैक्स : 040-24340464
ई-मेल : bdlitd@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निगम कार्यालय

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
(आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास)
गच्ची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
हैदराबाद-500032.
दूरभाष : 040-23456145
फैक्स : 040-23456107
ई-मेल : investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निदेशक मंडल

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने दि. 01 मार्च, 2019 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया। कमोडोर मिश्र वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रिकल ब्रैंच में कमीशन हुए थे। सितंबर, 2016 में नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अनुसूची 'ए' के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम ई सी आई एल, हैदराबाद में महाप्रबंधक (रक्षा) के रूप में अपनी सेवाएँ दीं।

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक, डिफेंस स्टडीज में एम एस सी और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस की उपाधि प्राप्त हैं। ये प्रतिष्ठित नौसेना अकादमी और नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोणावाला के पूर्व छात्र भी हैं।

अपने 33 साल के विशिष्ट सेवाकाल के दौरान कमोडोर मिश्र ने विभिन्न परिचालनीय व स्टॉफ संबंधी जिम्मेदारियों के साथ-साथ ई सी आई एल में चार प्रमुख समूहों के प्रधान की जिम्मेदारी भी निभायी।

नौसेना मुख्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी शामिल करने और इसके प्रबंधन कार्य के अलावा नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन कार्यों के साथ-साथ इन्होंने नौसेना की कोर समिति के सदस्य के रूप में एयर क्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करने संबंधी कार्य में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।

नेवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टणम में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने पोत और पनडुब्बियों को पुन:कार्यक्षम बनाकर आधुनिक बनाने के कार्य की देखभाल का जिम्मा सँभाला। इन कार्यों के अलावा इन्होंने डॉकयार्ड के निर्बाध संचालन / रखरखाव / परिसंपत्ति प्रबंधन / अवसंरचना विकास और संसाधन नियोजन के नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य भी किया।

ई सी आई एल के शीर्ष प्रबंधन के एक सदस्य के रूप में इन्होंने रक्षा व अन्य क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जिससे देश को बहुत लाभ हुआ।

डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति

डॉ. श्री बी एच वी एस नारायण मूर्ति, महानिदेशक (एम एस एस) एवं विशिष्ट वैज्ञानिक को हमारी कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये एक प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक हैं और भारत में रक्षा और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उन्नत एवियॉनिक्स प्रौद्योगिकियों के देशी डिजाइन और विकास में अपने अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। निदेशक और कार्यक्रम निदेशक के रूप में इन्होंने अनुसंधान केंद्र इमारत (आर सी आई) का नेतृत्व किया जो डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक एवियॉनिक्स प्रयोगशाला है तथा एवियॉनिक्स के डिजाइन, विकास और सुपुर्दगी और मिसाइल तथा निर्देशित अस्त्र प्रणालियों की विस्तृत शृंखला का संचालन करती है। इन्होंने वरंगल के आर ई सी से इलेक्ट्रॉनिक्स अण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक और हैदराबाद, जे एन टी यू से एम-टेक, हैदराबाद आई आई आई टी से कंप्यूटर साइंस में पी.एच.डी की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। इन्होंने वर्ष 1986 में डी आर डी ओ में कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. मूर्ति मिसाइल सिस्टम और अन्य रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एडवांस्ड ऑनबोर्ड कंप्यूटर (ओ बी सी) प्रौद्योगिकियों के चीफ आर्किटेक्ट हैं। पिछले तीन दशकों में इनका निरंतर योगदान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व भारत को एडवांस्ड रियल टाइम एंबेडेड कंप्यूटर्स, मशीन कंप्यूटिंग सिस्टम और अन्य एवियॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवर्तनकारी रहा है। इन्होंने 'मिशन शक्ति', भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट (ए-सैट) और लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि-5 के एडवांस एवियॉनिक्स के डिजाइन और विकास का नेतृत्व किया तथा भारत को चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। परियोजना निदेशक के रूप में इन्होंने स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (एस ए ए डब्ल्यू) की अवधारणा,डिजाइन और विकास का नेतृत्व किया और सटीक प्रहार क्षमताओं के साथ लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली स्मार्ट गाइडेड प्रणाली की नींव रखी। इनके अनुसंधान एवं विकासपरक योगदान का महत्वपूर्ण एयरोस्पेस और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के देशीकरण पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इनके विशिष्ट योगदान के लिए, इन्हें कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया तथा इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग (आई एन ए आई) और इंडियन सोसाइटी ऑफ सिस्टम्स फॉर साइंस अण्ड इंजीनियरिंग के फेलो के रूप में चुना गया। डॉ. मूर्ति को प्रदान किये गये अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा रॉकेट अण्ड रिलेटेड टेक्नोलॉजी अवार्ड, आत्मनिर्भरता में उत्कृष्टता के लिए अग्नि अवार्ड, डी आर डी ओ साइंटिस्ट ऑफ द इयर अवार्ड, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च / आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड और डी आर डी ओ परफॉर्मेंस एक्सलेंस अवार्ड शामिल हैं।

श्री चंद्रकर भारती

श्री चंद्रकर भारती ने दि. 02 फरवरी, 2021 से हमारी कंपनी के निदेशक-मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री चंद्रकर भारती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त हैं। सितंबर, 1996 में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए जी एम यू टी) में कार्यभार ग्रहण किया। इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ एकोनॉमिक्स अण्ड पोलिटिकल साइंस, यू के से 'पब्लिक मैनेजमेंट अण्ड पॉलसी में एम एस सी की उपाधि प्राप्त की है।

इन्हें सिविल सेवा में 22 वर्ष से भी अधिक वर्षों का कार्य अनुभव प्राप्त है। इनकी अब तक की सेवाओं में अपर आयुक्त, बिक्री कर विभाग, एन सी टी, नई दिल्ली; निदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार सहित पांडिचेरी केंद्र शासित प्रांत के कृषि, वित्त और योजना, उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न विभागों में विकास आयुक्त जैसे कार्य शामिल हैं। साथ ही, इन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली एन सी टी (National Capital Territory) के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पर्यावरण एवं वन विभागों में सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री चंद्रकर भारती ने अप्रैल, 2017 में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यहाँ इन्हें एयरोस्पेस प्रभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। साथ ही, ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी सरकारी निदेशक (अंशकालिक सरकारी निदेशक) हैं।

श्री सुनील चिंतमन मोने

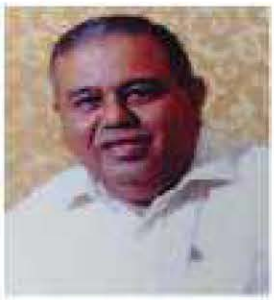

श्री सुनील चिंतमन मोने मुंबई के पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टेंट हैं। कॉमर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने वर्ष 1981 में सी ए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान में ये एशियन डेवेलपमेंट बैंक में परियोजनाओं के लिए सीनियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के रूप में स्टॉफ परामर्शदाता हैं। इसके साथ-साथ ये ग्रांट थोर्नटन परियोजना में वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ भी हैं। इससे पहले इन्हें प्राइवेट सेक्टर ऑडिट, टैक्सेशन और इंडस्ट्रीस लोन असेसमेंट में एस बी आई के साथ कार्य करने का गहन अनुभव प्राप्त है। इन्हें सरकारी क्षेत्र में 22 वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त है और ये सी एस एस योजना, पी एम जी एस वाई,एमजीएनआरईजीएस, आई डब्ल्यू एम पी, इरिगेशन कॉर्पो., यूएलबी, पीएफएमएस, टूरीसम इत्यादि क्षेत्रों में वितीय सलाहकार / लेखापरीक्षक / नियंत्रक के रूप में वित्तीय मामलों में अधिक सक्रिय रहे। श्री मोने सी अण्ड ए जी में आईसीएआई और यशोदा में अतिथि संकाय भी हैं। इन्होंने समाज के विकास के लिए भी अपना योगदान दिया है तथा ये अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा अन्य स्थानीय एन जी ओ के साथ भी काम कर चुके हैं।

श्री राजेंद्र सिंह शेखावत

श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने बी एस सी (साइंस स्नातक) और एल एल बी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और ये अपर पुलिस अधीक्षक (राजस्थान पुलिस) के रूप में सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने राजस्थान पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त और ए सी बी में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम के करकमलों से राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त किया जो पुलिस विभाग में विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है।

श्री नंद कुमार सुब्बुरामन

नंद कुमार सुब्बुरामन (नंदू), मेसर्स पर्फिट हेल्थकेयर (प्रा.) लिमिटेड, चेन्नई, भारत के संस्थापक सी ई ओ और पर्फिट हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन, यू एस ए के अध्यक्ष हैं। पर्फिट भारत की पहली चिकित्सा रोबोटिक्स कंपनी है। पर्फिट का पेटेंट प्राप्त पुरस्कार टेक्नोलॉजी यू एस एफ डी ए तथा सी द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसने विश्व भर में 100 उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की है।

पर्फिट की स्थापना करने से पहले नंद कुमार ने काग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स (सी टी एस एच - एन ए एस डी ए क्यू) के प्रॉसेस एक्सलेंस में निदेशक, एंबिट कॉर्पोरेट फाइनेंस के सी ओ ओ, उपाध्यक्ष – वित्त, विप्रो, जी ई मेडिकल सिस्टम्स और प्रबंधक - वित्त, जी ई मेडिकल सिस्टम, साउथ एशिया के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ, भारत और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुनेलवेली, भारत के पूर्व छात्र हैं।

डॉ पवन स्थापक

डॉ पवन स्थापक एम बी बी एस, डीओएमएस और एम एस उपाधि प्राप्त हैं। ये जनज्योति सूपर स्पेशालिटी नेत्र अस्पताल और दादा वीरेंद्र पुरी जी नेत्र संस्थान के निदेशक रहे। ये कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान (सीएएमबीए) के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान, (एनआईईपीवीडी), भारत सरकार के कार्यपालक परिषद के सदस्य हैं। इनकी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए वर्ष 2009 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

प्रो. (डॉ) संघमित्रा मिश्रा

प्रो. (डॉ) संघमित्रा मिश्रा, अति विशिष्टता डी एम /एम एसी एच प्रोग्राम की अपर संकाय हैं और शिखा 'ओ' अनुसंधान (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित) में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स अण्ड सम अस्पताल के क्रिटिकल केयर मेडिसिन की विभागाध्यक्षा हैं। अनेस्थेसियोलॉजी में एम डी की नियमित उपाधि के साथ-साथ इन्हें इंडियन कॉलेज ऑफ क्रिटिकल केयर (क्रिटिकल केयर मेडिसिन में इंडियन डिप्लोमा) से स्नातक की उपाधि, नारायण हृदयालय, बेगलूरू से कॉर्डियाक अनेस्थेशिया में अधि-सदस्यता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च यूनिवर्सिटी, गाँधीनगर से रिसर्च मेथडॉलजी में सर्टिफिकेट कोर्स और 2D ECHO कार्डियोग्रॉफी (मेडवर्सिटी) में अधि-सदस्यता प्राप्त है। इन्हें एम के सी जी मेडिकल कॉलेज, बेरहामपुर, एस सी बी मेडिकल कॉलेज, कटक, कलिंगा अस्पताल, भुवनेश्वर, नारायण हृदयालय, बेंगलूरू, सर गंगाराम अस्पताल, नयी दिल्ली और आई एम एस अण्ड एस यू एम अस्पताल, भुवनेश्वर जैसे निजी और सार्वजनिक / सरकारी दोनों क्षेत्र में 22 वर्ष का क्लिनिकल और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है।

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय शेयरधारक,

अपने संबोधन के आरंभ में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि भी बी एल को आपकी ओर से निरंतर समर्थन और निवेश मिल रहा है। आपका यह सतत समर्थन और इस पर आपका विश्वास हमें सफलता की नयी ऊँचाइयाँ हासिल करने के लिए प्रेरित करता है।

मुझे आपके साथ कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए खुशी हो रही है जिसका उत्कृष्ट निष्पादन पिछले पाँच साल से भी अधिक समय से उत्कर्षमान और अवसरप्रदायी कुशाग्र कार्मिकों ने किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महामारी के कारण परिचालन और आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों के बावजूद आपकी कंपनी की वृद्धि निश्चित रूप से प्रभावशाली बनी रही और इस दौरान कंपनी ने कुशे सभी हितधारकों द्वारा की गई अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

रक्षा उत्पादनों के क्षेत्र में देश को विश्व स्तरीय विनिर्माण केंद्र बनाने की भारत सरकार की पहल के परिणामस्वरूप आपकी कंपनी को स्वदेशी और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए कुशीली भरे वातावरण से सूचना मिल रहा है। आपकी कंपनी ऐसी कुशीलियों का सक्षम करने और उनके निराकरण के अवसरों में बदलने में उत्कृष्ट प्रयास में लगी है।

मैं इस अवसर पर आपकी कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय कार्यनिष्पादन और इसकी भविष्य-दृष्टि पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

वर्ष के दौरान वित्तीय और कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ।

आपकी कंपनी ने वर्ष परिचालन और तकनीकी कुशीलियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष कि ₹1914 करोड़ के राजस्व के मुकाबले ₹2817 करोड़ का राजस्व दर्शित किया है जिसमें लगभग 47.18% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष कि ₹258 करोड़ लाभ की तुलना में इस वर्ष ₹500 करोड़ का करोत्तर पश्चात लाभ (PAT) कमाया है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक सामान्य पुनर्वास करने का ट्रैक रिकॉर्ड बनाये रखा है। आपके निदेशक मंडल ने ₹10/- मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 1.00 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसकी कुल राशि ₹18.33 करोड़ है। मुझे यह बताने में भी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपकी कंपनी ने मार्च 2022 में प्रति शेयर ₹7.50 के हिसाब से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी द्वारा घोषित कुल लाभांश ₹8.50 प्रति शेयर है (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10)।

अनुबंध प्राप्त प्रवेश के संबंध में कार्यनिष्पादन।

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुए अनुबंध प्राप्त प्रवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी को पुरस्कृत किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यह मूल्यांकन जारी है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

1) **मुख्य विशेषताएँ :**

आजादी का अमृत महोत्सव :

- भी बी एल ने आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत दि. 13 से 19 दिसंबर, 2021 तक गोलघाट (असम), हैदराबाद, तेलंगाना और विशाखापट्टनम (आं.प्र.) में भी बी एल उत्कर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया।

आत्मनिर्भर भारत :

- रक्षा क्षेत्र में आत्मानिभरता का मार्ग प्रशस्त करते हुए बी डी एल ने कंपनी में बनायी जाने वाली विभिन्न मिसाइलों की प्रणोदन प्रणाली निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए यू पी ई आई डी ए (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- बी डी एल ने झाँसी, उत्तर प्रदेश में में ईडीबी प्रणोदन सुविधा की स्थापना संबंधी परामर्श सेवाओं के लिए एच ई एम आर एल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त नए कार्य-आदेश :

वर्ष के दौरान, बी डी एल ने ₹ 5198.10 (सकल) करोड़ के नये कार्य-आदेश प्राप्त करते हुए अपने मौजूदा ऑर्डर बुक स्थिति को और मजबूत किया है। वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण कार्य-आदेशों में शामिल हैं - कॉंकर्स-एम एटीजीएम, 'अस्त्र' हथियार प्रणाली, 'आकाश' मिसाइल – भारतीय वायु सेना आदेश, एम आर सैम (भारतीय नौसेना), इग्ला-1 एम और पी डी वी / ए ए डी, सी एम डी एस के निर्यात आदेश।

- भारतीय थल सेना, रक्षा मंत्रालय से ₹471.41 करोड़ मूल्य की इग्ला-एम मिसाइलों के पुनर्सज्जीकरण के लिए आपूर्ति आदेश प्राप्त।
- एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय से ₹3131.82 करोड़ मूल्य की कॉंकूर्स-एम ए टी जी एम मिसाइलों की आपूर्ति के लिए कार्य-आदेश प्राप्त।
- एयरबस, स्पेन से प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली (सी एम डी एस) के निर्यात के लिए ₹173 करोड़ मूल्य का आपूर्ति आदेश प्राप्त।
- भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय से सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल (एम आर सैम) की आपूर्ति के लिए ₹278.63 करोड़ मूल्य का आपूर्ति आदेश प्राप्त।
- भारतीय वायु सेना, रक्षा मंत्रालय से ₹282 करोड़ मूल्य के 'अस्त्र' मार्क-I मिसाइल, लॉंचर और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए कार्य-आदेश प्राप्त।
- भारतीय वायु सेना से ₹ 502.81 करोड़ मूल्य की 'आकाश' मिसाइलों के लिए आपूर्ति आदेश प्राप्त।

2) प्रत्याशित आदेश :

- 'आकाश' के तीसरी और चौथी रेजिमेंट के अंतर्गत 'आकाश' अस्त्र-प्रणाली का उन्नत संस्करण 'आकाश' प्राइम की आपूर्ति आदेश जिनका कार्य रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध किये जाने के स्तर पर पहुँच चुका है और मंत्रालय द्वारा इसके शीघ्र पूरा करने की उम्मीद है।
- बी डी एल ने ऊर्ध्व रूप से प्रमोचित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (वी एल एस आर सैम) के लिए डी आर डी ओ के साथ 'विकास-सह-उत्पादन' भागीदार के रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वी एल एस आर सैम भारतीय नौसेना के लिए बना है औ बी डी एल इस प्रणाली के लिए एकमात्र उत्पादन एजेंसी है।
- भारतीय नौसेना से एम आर सैम की और आपूर्ति के लिए 'आर एफ पी' प्राप्त हुआ है और इसकी प्रक्रिया पूरी की जानी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस अनुबंध के अंतिम रूप लेने की उम्मीद है।
- बी डी एल डी आर डी ओ के साथ मिलकर एस ए ए डब्ल्यू (SAAW) के उत्पादन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके कार्य-आदेश भी मिलने की उम्मीद है।
- बी डी एल को भारतीय नौसेना से 5" मोबाइल टारगेट एम्युलेटर के विकास और निर्माण के लिए एक परियोजना स्वीकृति आदेश भी प्राप्त हुआ है। कंपनी द्वारा इसका प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसका मूल्यांकन किये जाने की उम्मीद है।

3) प्रौद्योगिकी उन्नयन की खोज में नये भागीदार :

वैश्विक रक्षा क्षेत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्नयन करना आपकी कंपनी की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने विभिन्न विदेशी संस्थाओं के साथ समझौते ज्ञापन / टीमिंग करार पर हस्ताक्षर किये हैं। जैसे :

- मेसर्स तवाज़ुन होल्डिंग कंपनी, यू ए ई के साथ विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना और निश्चित समझौतों के माध्यम से ऐसे व्यावसायिक अवसरों को संयुक्त रूप से लागू करना।
- मेसर्स न्यूजस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु के साथ मिलिटरी अप्लीकशन के लिए बी डी एल पे-लोड को एन आर टी प्लाटफॉर्म पर एकीकरण, तकनीकी सहयोग, शस्त्र सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ-साथ उत्पाद विकसित करना।
- बी डी एल कई नई मिसाइलों के लिए भारत में विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने विदेशी ओ ई एम के साथ चर्चा कर रहा है। बी डी एल और थेल्स ने लेजर बीम राइडिंग मिसाइल के विनिर्माण के लिए 'टीमिंग एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर कर भारतीय थल सेना को अपना प्रस्ताव भी दिया है। इस परियोजना का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चरणबद्ध तरीके से अधिकतम देशी सामग्री के आमेलन से पूरा करने की योजना है।
- बी डी एल और एम बी डी ए फ्रॉंस / यू के ने ए एस आर ए ए एम और मिस्त्रल मिसाइल के अंतिम संयोजन, एकीकरण तथा परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए ऑफसेट समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- बी डी एल और रॉक्सेल, मिसाइल और रॉकेट के लिए भारत में ई डी बी प्रणोदन प्रणाली के विनिर्माण के लिए एक संयुक्त वेंचर बनाने की चर्चा कर रहे हैं।
- बीडीएल और रैफेल ने मेक-II के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो रोधी डिकॉय प्रणाली के विकास और विनिर्माण के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किये हैं और टीमिंग करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4) नयी अवसंरचना :

आपकी कंपनी ने नयी अवसंरचना सुविधाएँ स्थापित करने की कई कदम उठाये हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वारहेड निर्माण सुविधा और आर एफ सीकर सुविधा स्थापित करने की पहल की है। एस एम डी लाइन तथा उच्च संगणन सुविधाएँ जैसी नई सुविधाएँ भी स्थापित की गई हैं।

5) प्रमुख उपलब्धियाँ :

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। इनमें शामिल हैं :

- भारतीय वायु सेना को सुपुर्द की जाने वाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली पहली मिसाइल (एम आर सैम) को महानिदेशक (मिसाइल एवं स्ट्रेटजिक सिस्टम्स) ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
- एम पी ए टी जी एम (मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल) का निर्देशित उड़ान परीक्षण इसकी महत्वपूर्ण उप प्रणालियों यानी सीकर, ओबीपीपी (ऑन बोर्ड पावर पैक) और सी ए एस (कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम) सहित डी आर डी एल द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। बी डी एल के दल ने इन मिसाइलों के एकीकरण और परीक्षण में सक्रिय रूप से योगदान दिया।
- आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) के दूसरे नियंत्रण उड़ान का परीक्षण इसके कार्य-निष्पादन की पुनरावृत्ति ज्ञात करने के उद्देश्य से और देशी आरएफ सीकर के साथ पहली बार निर्देशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बी डी एल की टीम आकाश एन जी के स्थापित सुविधा स्थल पर सुविधा के एकीकरण, परीक्षण और जाँच में सक्रिय रूप से शामिल रही।
- आकाश मिसाइल के नये संस्करण - 'आकाश प्राइम' का एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर), ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल ने दुश्मन के विमानों की नकल करने वाले एक मानव रहित हवाई लक्ष्य की पहचान कर इसे नष्ट कर दिया। बीडीएल की टीम इस मिसाइल के एकीकरण और परीक्षण में सक्रिय रूप से शामिल रही।
- डी आर डी ओ ने ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से सतह से सतह पर मार करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आई सी बी एम) अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बी डी एल की टीम इसके रॉकेट मोटर्स के एकीकरण, विस्फोटक, अंतिम एकीकरण, परीक्षण, मिसाइल के कनस्तरीकरण और ए5 प्रणाली के चेकआउट आदि कार्यों में शामिल रही।
- सेना की अस्त्र-प्रणाली एम आर सैम – मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित करते हुए इसकी दो मिसाइलों ने एकीकृत परीक्षण रेंज, चाँदीपुर, ओडिशा से उड़ान उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को सामने से सीधे हिट कर सफलता हासिल की।
- वरुणास्त्र' का पहला युद्धरूपी परीक्षण इसकी बैटरियों की अधिकतम जलगमनीय कार्यशीलता (20 कि.मी. की पूर्ण युद्धक स्थिति के लिए) की जाँच के उद्देश्य से किया गया और इसने मिशन की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा तीन नियमित रूपी अभ्यासगत फायरिंग भी सफलतापूर्वक की गई।

6) गुणता प्रणाली :

'सिंगल शॉट' उत्पाद बनाने वाली मिसाइल निर्माण कंपनी होने के नाते, इन उत्पाद की गुणता सर्वोपरि होती है और आपके उत्पादों को 'पहली बार' और 'हर बार' इस बात पर खरा उतरना होता है। अत: इन उत्पादों के लिए कड़े गुणता मानक और उच्च स्तरीय विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक होती है। इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपकी कंपनी हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता मानकों को प्राप्त करने प्रयासरत रहती है। आपको विदित ही है कि उद्यम की कंचनबाग और भानूर इकाई के उत्पादन प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय वांतरिक्ष गुणता प्रबंधन मानक ए एस 9100डी से प्रमाणित हैं।

- आपकी कंपनी ने भानूर इकाई में बनाये जाने वाले काँकूर्स लाँचर के कल-पुर्जों के लिए ग्रीन चैनल प्रमाणन प्राप्त किया है।
- बी डी एल कंचनबाग इकाई के डिज़ाइन अण्ड इंजीनियरिंग प्रभाग और घटक उत्पादन प्रभागों ने वांतरिक्ष गुणता मानक ए एस 9100डी सहित आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणन निकाय मेसर्स एन वी टी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु से इसका पुन:प्रमाणन प्राप्त किया है।
- बी डी एल कंचनबाग और भानूर इकाई की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आई एस एम एस) को प्रमाणन निकाय मेसर्स ए क्यू सी मध्य पूर्व एल एल सी, नोएडा द्वारा आई एस ओ / आई ई सी 27001:2013 दिनांक 06 अप्रैल, 2021 से प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए वैध रहेगा।
- कंचनबाग इकाई के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग को वांतरिक्ष मानक (ए एस 9 1 0 0 डी) से पुन: प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन निकाय मेसर्स एन वी टी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु द्वारा 10 नवंबर, 2021 को किया गया और यह प्रमाण-पत्र तीन साल के लिए वैध रहेगा।
- बी डी एल की भानूर इकाई के वांतरिक्ष गुणता मानक ए एस 91000 डी को आई एस ओ 9001 : 2015 सहित पुन:प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन निकाय मेसर्स एन वी टी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु द्वारा किया गया और यह प्रमाण पत्र वर्ष 2024 तक वैध रहेगा।

7) नई पहल :

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई पहल की हैं :

- भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दि. 19.11.2021 को उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडार, झाँसी में बी डी एल की नई विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस नई इकाई में कंपनी निर्मित सभी टैंकरोधी मिसाइल (ए टी जी एम) और भविष्य की मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणालियाँ बनायी जाएँगी।

- दि. 02 जुलाई, 2021 को बी डी एल विशाखापट्टणम इकाई में पूर्वी नौसेना कमान प्रमुख ने पर्यावरण परीक्षण सुविधा स्थापित करने आधारशिला रखी जो देश में अपने तरह की पहली परीक्षण सुविधा होगी।

8) अनुसंधान और विकास (आर अण्ड डी) :

आपकी कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये उत्पाद के विकास और वर्तमान उत्पादों के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में आपकी कंपनी का अभिकल्पन एवं अभियांत्रिकी विभाग निम्न परियोजनाओं पर ध्यान दिये हुए हैं :

- **अमोघ-III :**
  - बीडीएल, मेक II श्रेणी के अंतर्गत भारतीय सेना की ओर से जारी परियोजना स्वीकृति आदेश के तहत तीसरी पीढ़ी का व्यक्तिवाह्य टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र अमोघ-III अभिकल्पित और विकसित कर रहा है।
  - इसकी सभी उप-प्रणालियों के प्रोटोटाइप विकसित कर लिये गये हैं। उप-प्रणालियों का संयोजन / एकीकरण और प्रयोगशाला परीक्षण किये जा चुके हैं।
  - दि. 30 सितंबर, 2019 से 28 फरवरी, 2022 के दौरान इस मिसाइल विकास के विभिन्न चरणों में फील्ड फायरिंग परीक्षण भी किया गया।
- **C 295 विमान के लिए प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली (सी एम डी एस) :**

  बी डी एल C 295 विमान के लिए सी एम डी एस विकसित कर रहा है। बी डी एल ने विमान निर्माता मेसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन के साथ इस सी एम डी एस के लिए निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।
- **काँकूर्स लाँचर परीक्षण उपकरण (के एल टी ई) संस्करण II और काँकूर्स मिसाइल परीक्षण उपकरण (के एम टी ई) संस्करण II :**

  बी डी एल द्वारा विकसित काँकूर्स लाँचर परीक्षण उपकरण और काँकूर्स मिसाइल परीक्षण उपकरण का उत्पादन भारतीय सेना से प्राप्त ₹86 करोड़ के कार्य-आदेश के तहत इस साल से शुरू किया गया।

9) नैगमिक अभिशासन :

आपकी कंपनी में कंपनी के प्रबंधन, निदेशक मंडल और इसके शेयरधारक सहित अन्य हितधारकों के बीच संबंध बनाये रखने की सुदृढ़ व्यवस्था है। कंपनी के सुव्यवस्थित सिद्धांत, नीतियों, पद्धतियों व स्पष्ट निर्धारित दायित्व तथा जवाबदेही के रूप में आपकी कंपनी के पास कार्यनिष्पादन उद्देश्य-प्राप्ति व इस पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं।

आपकी कंपनी उच्चतम नैतिक मानदण्डों के साथ व्यवसाय संचालित करती है और संगठन की किसी भी इकाई में सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को प्रतिबंधित करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया।

आपकी कंपनी की गतिविधियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) जैसी बाह्य एजेंसियों द्वारा नज़र रखी जाती है।

सूचित करना चाहूँगा कि आपकी कंपनी को नैगमिक अभिशासन श्रेणी में रक्षा मंत्रालय की ओर से लगातार 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हो रही है। यह सुव्यवस्थित पद्धति, संबंध, विनियम और प्रक्रियाओं के अधीन कार्यरत आपकी कंपनी के लिए एक शंसा पत्र है।

10) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता विकास :

बी डी एल, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को लेकर जागरूक है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल लाभ की 2% राशि अपनी सी एस आर गतिविधियों पर खर्च करती आ रही है। सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिक आहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं स्वच्छता आदि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बी डी एल ने डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आकांक्षी / अल्प विकसित जिलों में अपनी सी एस आर संबंधी गतिविधियाँ संचालित करना भी आरंभ कर दिया है।

बी डी एल की कुछ प्रमुख सी एस आर परियोजनाएँ :

- रु. 80 लाख के व्यय से शिक्षा का प्रचार प्रसार (तेलंगाना राज्य के आकांक्षी जिले भद्राद्री कोत्तागुड़ेम के सरकारी स्कूल के लिए केंद्रीय कारागार के माध्यम से दो खाने वाले डेस्क का वितरण)।
- रु. 100 लाख के व्यय से तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण।
- रु. 140 लाख के व्यय से आंध्र प्रदेश के एक आकांक्षी जिले विजयनगरम में आदिवासी महिलाओं के लिए कपड़ा उद्योग में रोज़गारउन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- रु. 10.64 लाख के व्यय से मेसर्स नेशनल हैंडीकैप फाइनेंशियल डिप्लोयमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिव्यांगों के लिए टूल किट का वितरण।

- देश में कोविड महामारी की स्थितियों को देखते हुए बी डी एल ने कोविड से संबंधित परियोजनाओं में भी सहयोग दिया है :
  - लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल के लिए रु. 200 लाख का वित्तीय सहयोग।
  - नेवल अस्पताल में कोविड संबंधी चिकित्सा उपकरणों की खरीद में रु. 300 लाख का वित्तीय सहयोग।
  - तेलंगाना के चार सरकारी अस्पतालों में रु. 400 लाख के अनुमानित व्यय से ऑक्सीजन जनरेशन सयंत्र का संस्थापन।
  - ई एस आई चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद में कोविड मरीजों के लिए रु. 170 लाख से आइसोलेशन की सुविधाओं में सहयोग।

भविष्य-दृष्टि :

आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में ऊर्ध्वगामी विकास की साक्षी बनेगी। आपकी कंपनी के पास लगभग रु. 13140 करोड़ (सकल) के कार्य-आदेश हैं। ऑर्डर बुक की स्थिति बेहतर होती जा रही है और हम अपनी कार्य-आदेश की स्थिति को और भी मज़बूत बनाने में लगे हैं जो निर्णय पाने के विभिन्न चरणों में हैं। हम अगले 2 वर्षों में रु. 25000 करोड़ तक के कार्य-आदेशों की उम्मीद करते हैं।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में आयात की नकारात्मक सूची पर लगाए गए प्रतिबंधों ने आगामी वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों से इन उत्पादों के लिए निरंतर कार्य-आदेश प्राप्त करने के अवसर बढ़ा दिये हैं जिससे बीडीएल ऑर्डर बुक को बनाए रखने के साथ-साथ इससे कंपनी की वृद्धि में भी मदद मिलेगी।

निर्यात के क्षेत्र में 'आकाश' अस्त्र प्रणाली जैसे बी डी एल के उत्पाद के प्रति विदेशी खरीददार रुचि दिखाने लगे हैं। हमें प्राप्त लीड को हम कार्य-आदेश में तबदील करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक को और मजबूत बनाने के लिए बी डी एल द्वारा निर्यात ऑर्डर को साकार करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है और कंपनी पूरी सक्रियता से इस कार्य के पीछे लगी है।

कंपनी को सरकार की नीतिगत पहल और देश में व्यापारिक सरलता के लिए उठाये गये कदमों से मिलने वाले लाभ पर पूरा भरोसा है।

बी डी एल विभिन्न विकासात्मक व उत्पादन कार्यक्रमों में आंतरिक डी अण्ड ई के साथ-साथ डी आर डी ओ के साथ संयुक्त गतिविधियों में भी निवेश कर रहा है। साथ ही, बी डी एल भारत में विनिर्माण के साथ-साथ संयुक्त विकास कार्यक्रमों के लिए भी विदेशी ओ ई एम के साथ विभिन्न समझौते कर रहा है।

आभार प्रदर्शन :

मैं पूरे बीडीएल परिवार की ओर से, निवेशक और शेयरधारकों के प्रति हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कंपनी में अपना भरोसा क़ायम रखा है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान सभी प्रयासों में हमारा साथ दिया है। मैं आने वाले वर्षों के लिए भी निवेशकों से इसी तरह के सहयोग की आशा करता हूँ।

मैं रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डी आई पी ए एम, राज्य सरकार, ग्राहक, निरीक्षण एजेंसियाँ, हमारे विक्रेता और इस कंपनी के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी एजेंसियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं निदेशक मंडल सदस्यों को कंपनी के कामकाज में उनके बहुमूल्य और उत्साहवर्द्धक सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अंत में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी कंपनी सफलता व कामकाज की और ऊँचाइयाँ हासिल करने प्रतिबद्ध है और बी डी एल का पूरा परिवार वांछित परिणाम प्राप्त करने और निवेशकों की अपेक्षाओं से अधिक प्राप्ति का प्रयास करेगा।

पिछले वर्षों में हमने मिलकर जो कुछ भी हासिल किया है उस पर मुझे गर्व है और मैं आने वाले अवसरों के प्रति और भी अधिक आशावादी हूँ।

जय हिन्द !!!

तारीख : 26 मई, 2022
स्थान : हैदराबाद

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

हमारे उत्पाद

बी डी एल, संचलित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विनिर्माण करने वाला भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है। कंपनी की उत्पाद-सूची में सप्ताह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), अंतर्जल-अस्त्र, लाँचर, प्रतिमारक तथा परीक्षण उपकरण शामिल हैं। कंपनी मिसाइल के कार्य-काल का विस्तार और इनके पुनर्सज्जीकरण का कार्य भी करती है। बी डी एल, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए सैम (एस ए एम) व ए टी जी एम आपूर्त करने वाला अकेला आपूर्तिकर्ता है।

आकाश सैम (एस ए एम)

सतह से हवा में मार करने वाली आकाश अस्त्र–प्रणाली (सैम) हर तरह के मौसमी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली है जो एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को साध सकती है। यह हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मानव रहित वायु वाहनों को लक्ष्य बना सकती है। हम 'आकाश' - एस ए एम के अतिरिक्त इसके लिए आवश्यक भू-आधार प्रणाली और निर्माण संरचनात्मक सुविधाएँ भी अपने ग्राहकों को मुहैया कराते हैं।

लंबी दूरी की सैम (एल आर सैम) और मध्यम दूरी की सैम (एम आर सैम)

यह उच्च और त्वरित प्रतिक्रियावादी लंब रूप प्रमोचित सुपरसॉनिक मिसाइल है जो शत्रु के हवाई खतरे जैसे मिसाइल, वायुयान, संचलित बम और हेलिकॉप्टर आदि को ध्वस्त करती है।

'अस्त्र' हथियार प्रणाली

'अस्त्र' हथियार प्रणाली, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली देश में विकसित एक मिसाइल है जिसमें 'अस्त्र' मिसाइल और लाँचर शामिल हैं।

कॉंकूर्स-एम ए टी जी एम

कॉंकूर्स-एम दूसरी पीढ़ी की अर्द्ध-स्वचालित ट्यूब प्रमोचित प्रकाशिकीय नियंत्रित टैंकभेदी मिसाइल है जो चल एवं अचल कवचित लक्ष्य भेदने तैयार की गई है। इसे वाहन और लाँचर दोनों से चलाया जा सकता है।

इनवार (3 यू बी के 20) ए टी जी एम :

इनवार (3यूबीके 20) ए टी जी एम मेकनाइज्ड इंफैण्ट्री द्वारा प्रयुक्त दूसरी पीढ़ी से आगे का अस्त्र है जिसे टी-90 टैंक गन बैरल से फायर कर कवचित वाहनों को ध्वस्त करने बनाया गया है।

मिलान 2टी ए टी जी एम

मिलान 2 टी दूसरी पीढ़ी की द्वि-युद्धास्त्र युक्त एक व्यक्तिवाह्य टैंकभेदी मिसाइल है जो चल और अचल दोनों तरह के लक्ष्य भेद सकती है।

सी एम डी एस

सी एम डी एस एक माइक्रो कंट्रोलर शाफ़ और फ्लेएर आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। इसे पायलेट या फिर वायुयान के राडार चेतावनी रिसीवर से सक्रिय किया जा सकता है। सी एम डी एस हीट सीकिंग व राडार संचलित मिसाइल से वायुयान को शाफ़ और फ्लेएर, पे-लोड अवसर्जित कर सुरक्षा प्रदान करता है।

टॉरपीडो रोधी डिकॉय प्रक्षेपण प्रणाली ('टॉरपीडो रोधी प्रणाली')

टॉरपीडो रोधी प्रणाली किसी सक्रिय और / या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपीडो से पनडुब्बी को होने वाले खतरे से बचाने के लिए तैयार की गई है।

हल्के भार वाला टॉरपीडो

यह हल्के भार वाला टॉरपीडो युद्धपोत हेलिकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी को खत्म करने किया जाता है।

भारी टॉरपीडो

भारी टॉरपीडो युद्धपोत से छोड़े जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रणोदित और उन्नत स्वयंचलन प्रणाली युक्त एक अंतर्जलास्त्र है। यह अस्त्र-प्रणाली लक्ष्य का पीछा करने में अस्त्र युक्त बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है।

कौंकूर्स एम और मिलान 2टी ए टी जी एम के लिए लौंचर

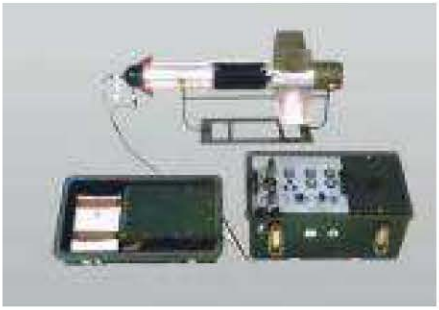

मिसाइल तथा लौंचर परीक्षण उपकरण

वित्तीय विशेषताएँ

टर्नओवर

(करोड़ रुपये में)

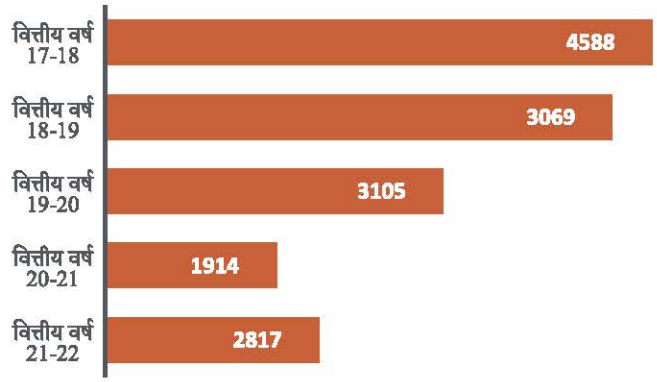

कर पूर्व लाभ

(करोड़ रुपये में)

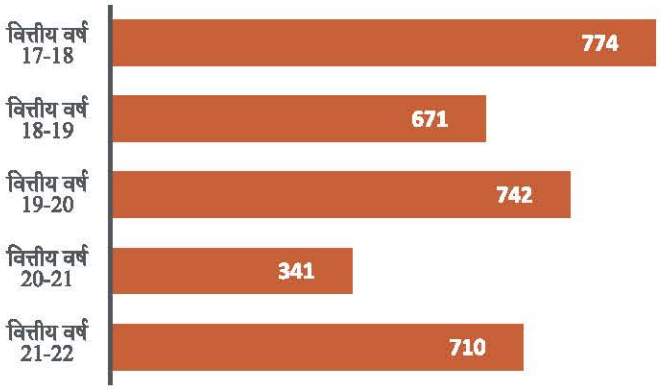

कराधान के बाद लाभ

(करोड़ रुपये में)

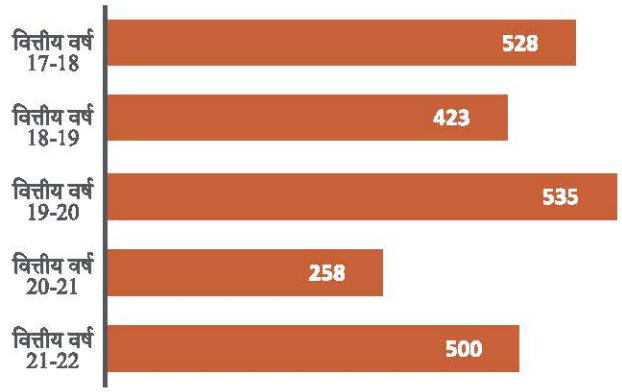

निवल मालियत

(करोड़ रुपये में)

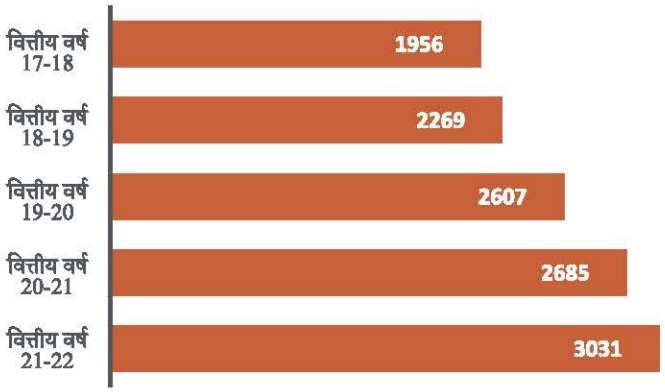

उत्पादन मूल्य

(करोड़ रुपये में)

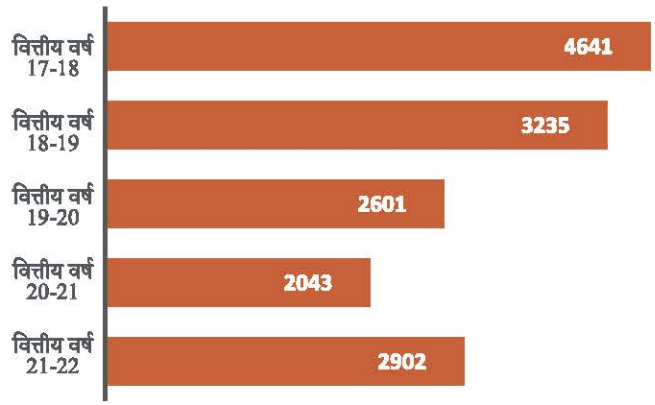

ईक्विटी

(करोड़ रुपये में)

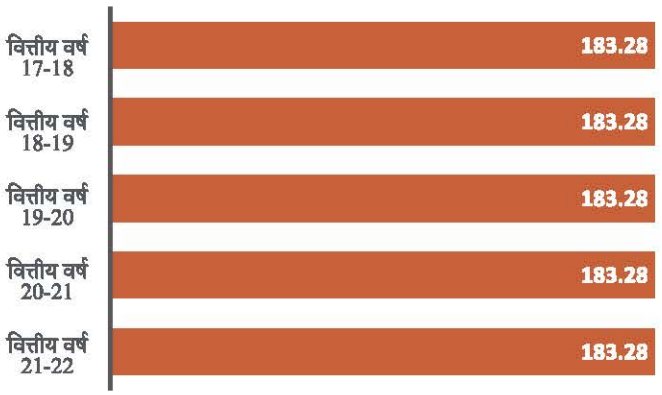

दस वर्षों पर दृष्टिपात

विवरण	यूनिट	2021-22*	2020-21*	2019-20*	2018-19*	2017-18*	2016-17*	2015-16*	2014-15	2013-14	2012-13
बिक्री (सकल)	रु. करोड़	2817.40	1913.76	3104.87~	3069.35[&]	4587.60	4886.62	4159.97	2799.68	1779.89	1074.71
निर्माणाधीन कार्य / संव्यवहाराधीन कार्य में परिवर्तन	रु. करोड़	84.36	128.91	(503.66)	165.87	53.70	124.38	137.86	(29.63)	24.60	100.81
उत्पादन मूल्य	रु. करोड़	2901.76	2042.67	2601.21~	3235.22	4641.30	5011.00	4297.83	2770.05	1804.49	1175.52
सामग्री की खपत	रु. करोड़	1263.37	970.08	1014.09~	1818.97	2907.59	3125.23	2620.30	1855.10	1226.01	779.57
परिवर्द्धित मूल्य	रु. करोड़	1638.39	1072.59	1587.12~	1416.25	1733.71	1885.77	1677.53	914.95	578.48	395.95
कर पूर्व लाभ	रु. करोड़	709.91	340.88	742.45	671.36	773.82	802.81	847.31	614.19	508.59	419.06
कराधान के बाद लाभ	रु. करोड़	499.92	257.77	534.90	422.59	528.15	524.06	564.88	418.57	345.51	288.40
ईक्विटी	रु. करोड़	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	122.19	97.75	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	रु. करोड़	2847.28	2501.47	2423.55	2085.26	1773.10	2072.79	1702.27	1418.58	1102.97	838.30
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि. का. छोड़ कर)	रु. करोड़	1451.08	1368.51	1291.36	1219.61	1048.62	869.66	746.38	940.04	834.56	711.55
सामग्री-सूची	रु. करोड़	1654.45	1397.01	856.52	1664.53	1925.87	2240.42	2057.66	1480.12	1382.51	1006.53
प्राह्य व्यापार	रु. करोड़	1495.36	1475.20	2676.19~	1844.53	2208.13	1735.36	1478.22	865.72	398.81	281.55
कार्यगत पूँजी	रु. करोड़	2942.18	2378.03	2259.40	1390.38	1085.68	1569.75	2052.30	2740.34[^]	812.68[$]	614.58[$]
नियोजित पूँजी	रु. करोड़	2973.45[@]	2637.01[@]	3191.76	2347.34	1954.05	2326.87	2745.18	3134.20[^]	1172.29[$]	892.59[$]
निवल मालियत	रु. करोड़	3030.56	2684.75	2606.83	2268.55	1956.38	2194.98	1800.02	1533.37	1217.75	935.08
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	2674	2812	2950	3034	3095	3182	3132	3183	3266	3300
कर्मचारियों पर लागत	रु. करोड़	570.66	501.09	534.03	534.21	529.34	448.39	326.23	313.07	307.28	258.99
पारिश्रमिक प्रति रु. पर परिवर्द्धित मूल्य	रु.	2.87	2.14	2.97~	2.65	3.28	4.21	5.14	2.92	1.88	1.53
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी	रु. लाख	61.27	38.14	53.80~	46.68	56.02	59.26	53.56	28.74	17.71	12.00
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस)	रु.	27.28	14.06	29.18	23.06	26.65	24.51[!]	42.73[!]	36.40[!]	30.04[!]	25.08[!]

~ वर्ष 2019-20 की कुछ मदों के वर्ष 2020-21 में पुन:समूहन के कारण पुन:समायोजित।

& भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार वर्ष 2018-19 से बिक्री की गणना परिसमापन क्षतियों की कटौती के बाद की जाती है।

* वर्ष 2015-16 की राशियाँ भारतीय लेखा-मानक के अनुरूप दर्शायी गईं।

@ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नियोजित पूँजी की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III पर आई सी ए आई द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनुसार की गई है। तदुनसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी नियोजित पूँजी रु. 3239.01 से रु. 2637.01 हुई। लेकिन इससे कोई कमी नहीं आती है।

$ वर्ष 2013-14 की चालू अस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2014-15 में पुन:समायोजन किया गया।

^ वर्ष 2014-15 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2015-16 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया।

! वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 1000/- मूल्यू के शेयर को रु. 10/- में विभाजित करना और तदनुरूप ई पी एस को रु. 10/- के अंकित मूल्य के लिए पिछले वर्ष में पुन:समायोजित।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकगण की ओर से प्रस्तुत है दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 52वें वार्षिक विवरण सहित कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे।

1. परिचालन के मुख्य अंश :

- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 2817.40 करोड़ का बिक्री कारोबार करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 47.18% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है।
- आपकी कंपनी झाँसी, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में अपनी नई उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रही है। दि. 19 नवंबर, 2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने डिजिटल रूप में इसका शिलान्यास किया। इस नई इकाई में सभी प्रकार के टैंकरोधी संचलित मिसाइल और कंपनी द्वारा भविष्य में बनायी जाने वाली मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणालियाँ बनायी जाएँगी।

- वर्ष के दौरान, कॉंकूर्स-एम, टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र के कार्य-आदेश पूरा कर लिये गये। साथ ही, आपकी कंपनी ने लगभग ₹ 3131.82 करोड़ मूल्य की कॉंकूर्स-एम मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय सेना के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए। इस आदेश को अगले तीन वर्षों में निष्पादित किया जाना है।
- आपकी कंपनी ने भारतीय सेना से लगभग ₹ 471.41 करोड़ का पहला पुनर्सज्जीकरण आदेश प्राप्त किया। पुनर्सज्जीकरण के बाद, मिसाइल का कार्य-काल दस साल तक बढ़ जाएगा।
- दि. 27 सितंबर, 2021 को आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल ने दुश्मन के विमान की नकल करने वाले एक मानव रहित हवाई लक्ष्य की पहचान कर नष्ट कर दिया। आपकी कंपनी इस मिसाइल के एकीकरण और परीक्षण में शामिल रही।
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय, भारत सरकार ने आपकी कंपनी को कॉंकूर्स-एम लॉंचर पुर्जों के लिए "ग्रीन चैनल प्रमाणन" प्रदान किया है, जिससे "मेक इन इंडिया" के तहत स्व-प्रमाणन पर अधिक जोर दिया गया है।

2. वित्तीय परिणाम और कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ :

2.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है :

विवरण	₹ करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2021-22	2020-21	
परिचालन से बिक्री / राजस्व	2817	1914	47.18
उत्पादन मूल्य	2902	2043	42.00
i) आयात सामग्री की खपत	271	277	(2.16)
ii) देशी सामग्री की खपत	992	693	43.19
खपत की गई कुल सामग्री	1263	970	30.23
परिवर्धित मूल्य	1639	1073	52.66
कर पूर्व लाभ	710	341	108.21
कराधान बाद लाभ	500	258	93.80
प्रति शेयर आय # (रुपये में)	27.28	14.06	94.03
# ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की गई है। * आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुन:समूहन किया गया है।			

2.2 निम्नलिखित डाटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	₹ करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2021-22	2020-21	
सकल ब्लॉक (निर्माणाधीन कार्य में परिवर्तन को छोड़ कर)	1451	1369	5.99
संचित मूल्यह्रास	577	454	27.09
निवल ब्लॉक	874	915	(4.49)
कार्यगत पूँजी	2942	2378	23.72
नियोजित पूँजी	2973	2637	12.76
निवल मालियत	3031	2685	12.89

2.3 **कोविड-19 :** कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली दो तिमाहियों और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन और बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। प्रतिबंधों में ढील और आवागमन में सुधार और टीकाकरण अभियान के गति पकड़ने के बाद आपकी कंपनी की विनिर्माण गतिविधियाँ सामान्य हो पायी हैं। आपूर्ति वापस पटरी पर आ गई है और आवश्यक इनपुट सामग्री भी समय पर प्राप्त हो रही है। वित्तीय वर्ष 2022 कोविड-19 महामारी का दूसरा वर्ष है, कंपनी ने संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों को लिया है जिससे कि कोविड-19 महामारी का ट्रेड और बिल न की गई प्राप्य राशि, निवेश, गुडविल और अमूर्त आस्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी इन आस्तियों की वसूली पर आश्वस्त है।

2.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 1914 के राजस्व के मुकाबले ₹ 2817 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। आपकी कंपनी ने कोविड महामारी के बाद अच्छी तरह से अपने आपको उबारते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 47.18% की वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि कुछ तकनीकी दिक्कतें रहीं पर एक-एक कर इन्हें हल करते हुए 2817 करोड़ रुपये का कारोबार और 2902 करोड़ रुपये का उत्पादन किया। यह पिछले साल की तुलना में एक अच्छी वृद्धि है और हम उम्मीद करते हैं कि यह विकास गति चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 341 करोड़ की तुलना में ₹710 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया है, जो कोविड के बाद उल्लेखनीय उपलब्धि है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 258 करोड़ की तुलना में रु. 500 करोड़ का कराधान बाद लाभ प्राप्त किया है। प्रभावी परिचालन, विनिर्माण संबंधी गतिविधियाँ और उत्पादों में विविधता ने भी यह लाभ प्राप्त करने में मदद की है।

रशिया-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव :

वर्ष के दौरान रशिया-यूक्रेन युद्ध का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं रहा और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भी कंपनी पर इसके कोई विशेष प्रभाव की संभावना नहीं दिखायी देती।

हानि-ग्रस्त : अवलोकन पत्र :

आपकी कंपनी ने अपनी एक परियोजना के लिए गढ़ा पर अकबरपुर में 553 एकड़ 34 गुंटा भूमि का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण की एक शर्त यह थी कि यदि कार्य आवंटन की तिथि से 60 माह के भीतर फैक्टरी भवन एवं निर्माण पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो पट्टे की अवधि नहीं बढ़ाये जाने पर यह पट्टा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इसके कंपनी को बिना किसी मुआवजे का भुगतान किये सभी निर्माण सहित पट्टेधर यह भूमि पर कब्जा कर सकता है। अंतिम रूप से यह अवधि दि. 5 अप्रैल, 2019 तक बढ़ाई गई थी। चूंकि जिस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, वह परियोजना अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, आपकी कंपनी यहां समझौते में परिकल्पित गतिविधियों को पूरा नहीं कर सकी, जिसके फलस्वरूप समझौते का अनुपालन नहीं हुआ। इस बीच, आपकी कंपनी को एक नोटिस जारी हुआ जिसमें बताया गया कि यहां समझौते में प्रावधान की गई शर्तों(शर्तों को न मानी जाए) अनुपालित स्थितियों का विवरण देते हुए आपकी कंपनी ने राज्य सरकार को पेश और समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन किया है। समय अवधि के विस्तार पर पहली आस अभी शेष है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 3358.57 लाख की हानि का प्रावधान किया है।

2.1 वर्ष के दौरान एटीपीएल, आगरा-दौर, चमड़ा और एस आर सेज उत्पादों के वर्ष-आदेश निष्पादित किये गये। आपकी कंपनी के पास दि. 01 अप्रैल 2022 तक लगभग 10170 करोड़ रुपये के वर्ष-आदेश हैं।

3. सचेतन से सावधि जमा :

कंपनी ने वर्ष के दौरान चलता से किसी भी प्रकार की सावधि जमा राशि स्वीकार नहीं की है और न ही वर्ष के मुताबार / अंत तक कोई जमा राशि शेष रही। अतः ऐसे किसी जमा / ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की।

4. लाभांश और सामान्य आरक्षण में अंतरण :

आपकी कंपनी की ओर से लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए रु.10/- प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 1/- के हिसाब से रु. 18.53 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। साथ ही, आपकी कंपनी ने मार्च, 2022 में प्रति शेयर पर रु.7.30/- रुपये के हिसाब से रु. 133.80 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान भी किया है। वर्ष 2021-22 के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि लाभांश वापसी में अंतरित की जानी है।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश में भारत सरकार की हिस्सेदारी के संबंधित 100.3476 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश चेक प्रदान करते हुए कार्यकारी निदेशक (सी.ई.), श्री एस.पी.सिंघल, इस अवसर पर रक्षा सचिव श्री अजय कुमार (रक्षा मंत्रालय) श्री संजय मित्तू, संयुक्त सचिव (वित्त) और एस श्री एस.बालमुरुगन, संयुक्त सचिव (नियंत्रक) कार्यकारी निदेशक (वित्त) श्री राजेश कुमार सिंह (सी.ई.) उपस्थित थे।

5. पूंजीगत व्यवस्था :

दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 183.18 करोड़ रही (10/- रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 18,32,81,250 इक्विटी शेयर)। दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपये (10/- रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 20,00,00,000 इक्विटी शेयर) रही।

31 मार्च 2022 तक, कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 74.93% है (प्रत्येक पर 10/- के 137,325,927 इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व)।

6. समझौता ज्ञापन के प्रति वर्ष-निष्पादन :

आपकी कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ एक वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का एमओयू रेटिंग पूरा रहा और वर्ष 2021-22 का मूल्यांकन चल रहा है।

7. आधुनिकीकरण, उन्नयन और देशीकरण

7.1 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पूँजीगत व्यय कार्यक्रम के तहत सयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना विकास के लिए रु. 103 करोड़ की राशि खर्च की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वारहेड सुविधा, आर एफ सीकर सुविधा, उच्च तापमान कार्बन कांपोजिट विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना, इंडस्ट्री 4.0 लागू करना, एस एम डी लाइन और उच्च संगणन सुविधाएँ जैसी नई सुविधाएँ भी स्थापित कीं।

7.2 आपकी कंपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयात में कमी लाने के उद्देश्य से एटीजीएम, सैम और टॉरपीडो के विनिर्माण में देशी सामग्री का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कॉर्कूर्स-एम, इनवार, मिलान-2टी, 'आकाश', टॉल-एक्सपी और वरुणास्त्र जैसे उत्पादों में देशीकरण क्रमशः 96.3%, 87.9%, 71%, 96%, 91% और 86% तक हासिल कर लिया गया है।

8. अनुसंधान एवं विकास

8.1 आपकी कंपनी इस बात को समझती है कि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपकी कंपनी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादों की पहचान की है। वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी आपकी कंपनी की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

सी-295 विमान के लिए प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली (सी एम डी एस)

आपकी कंपनी ने मेसर्स एयरबस डिफेंस एण्ड स्पेस, स्पेन के साथ सी-295 विमान के लिए सीएमडीएस बनाकर आपूर्त करने दि. 17 नवंबर, 2021 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएमडीएस एक वायु रक्षा प्रणाली है जो राडार-निर्देशित या ऊष्मासाधक मिसाइलों को पथ-भ्रमित करने शॉफ और फ्लेयर वितरित कर विमान को शत्रु-अस्त्र से बचाती है। इसके पहले दो जहाजों के लिए सीएमडीएस दिसंबर 2022 तक विकसित और वितरित कर दिये जाएँगे।

8.2 निम्नलिखित तालिका आंतरिक स्तर पर आर अण्ड डी व्यय की हालिया प्रवृत्ति दर्शाती है :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20
बिक्री कारोबार (सकल)	2817.40	1913.76	3104.87
अनुसंधान एवं विकास व्यय	48.14	42.95	73.87
बिक्री कारोबार के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	1.71%	2.24%	2.38%
कर पूर्व लाभ	709.91	340.88	742.45
कर पूर्व लाभ के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	6.78%	12.60%	9.95%

9. एम एस एम ई से खरीद :

9.1 भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप आपकी कंपनी ने एमएसएमई से अनिवार्य 25% से अधिक की खरीद की है। वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी ने रु. 1759.52 करोड़ मूल्य की कुल खरीद में से रु. 522.99 करोड़ की वस्तु एवं सेवाएँ अर्थात् 29.72% की खरीद एम एस एम ई से की है जिससे एम एस एम ई से खरीद का 25% का अनिवार्य लक्ष्य हासिल किया गया।

9.2 विक्रेता विकास :

आपकी कंपनी विशेष अभियान चलाकर और कुछ अवसरों में नि:शुल्क पंजीकरण सुविधा प्रदान करके विक्रेता आधार बढ़ाने का प्रयास करती है। नये विक्रेताओं की सुविधा के लिए विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल आठ (08) विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किये गये। आज की तारीख में आपकी कंपनी के पास 1000 से अधिक पंजीकृत विक्रेता हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने दि. 25 जनवरी, 2022 को जारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नवीनतम परिपत्र के निर्देशों के अनुसार अद्यतन सत्यनिष्ठा समझौता भी लागू कर रखा है और उसमें निहित मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) का पालन किया जा रहा है।

9.3 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (GeM):

आपकी कंपनी क्रेता और विक्रेता के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पर पंजीकृत है। सभी सामान्य वस्तुओं/सेवाओं की खरीद GeM के माध्यम से की जा रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने लगभग रु. 92 करोड़ मूल्य का सामान्य सामान / सेवाओं की खरीद GeM के माध्यम से की है।

18. प्रदर्शनियाँ :

वर्ष 2021-22 के दौरान वरिष्ठ अधिकारी और निवेशकों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया।

दि. 14 से 18 नवंबर, 2021 के दौरान आयोजित दि पुणे एक्सपो

दि. 29 नवंबर से 02 दिसंबर, 2021 तक ईजिप्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र, न्यू केयरो, ईजिप्ट में आयोजित ई डी ई एक्स-2021 (ईजिप्ट डिफेंस एक्सपो 2021) प्रदर्शनी

एम बी डी ए, फ्रांस के पदाधिकारियों का बी डी एल दौरा

11. निर्यात

11.1 आपकी कंपनी अस्त्र-प्रणालियों के निर्यात पर अधिक जोर दे रही है। मंत्रालय ने निर्यात के बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं और नतीजतन आपकी कंपनी को एक निजी चैनल मार्गदर्शक के माध्यम से एक मित्र देश को छोटे मार वाले टॉरपीडो के निर्यात के लिए पाँच निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं। इन पाँच में से चार निर्यात आदेश पहले ही पूरे किये जा चुके हैं और पाँचवाँ आदेश निष्पादन के अधीन है और इसे भी अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। आपकी कंपनी ने एयरबस, स्पेन को सीएमडीएस की आपूर्ति के लिए एक और निर्यात आदेश भी प्राप्त किया है। फिलहाल, लगभग ₹.349 करोड़ रुपये के निर्यात आदेश निष्पादन अधीन हैं। कंपनी आगे आने वाले निर्यात को देखते हुए आधुनिकीकरण कर क्षमताओं की वृद्धि पर विचार कर रही है।

11.2 आपकी कंपनी अपने निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विदेशी ग्राहकों के साथ लगातार जुड़ कर रही है। इस प्रकार आपकी कंपनी ऑफसेट से आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए यूरोप और रूस में एयरो-स्पेस और रक्षा प्रमुखों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है। हाल ही में, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने भी नौ देशों को 'आकाश' अस्त्र-प्रणाली के निर्यात के लिए मंजूरी दी है। आपकी कंपनी को मित्र देशों को 'आकाश' अस्त्र-प्रणाली के निर्यात के लिए लीड प्राप्त हुई है, जिसके एक-दो वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। आपकी कंपनी 'मेक इन इंडिया' के तहत भारी टॉरपीडो, सीएमडीएस, एटीबीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें जैसे कार्यक्रम निष्पादित कर रहा है जो भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अलावा निर्यात बाजार की आवश्यकताएँ भी पूरा करते हैं।

12. आत्मनिर्भर भारत और देशीकरण:

12.1 आपकी कंपनी, अनुसंधान पर आधारित बनने वाले दिन से ही आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी के देशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बी डी एल, डी आर डी ओ और विदेशी मूल विनिर्माताओं से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के निकायों का विनिर्माण करता है। विदेशी मूल विनिर्माताओं द्वारा विकसित किये गये उत्पादों के मामले में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केवल 60% था। तीन वर्ष की अवधि में कंपनी ने अपने देशीकरण प्रयास के माध्यम से अधिकतर उत्पादों में इस देशीकरण स्तर को 80% से 90% तक बढ़ाया है। डी आर डी ओ की द्वारा विकसित अधिकतम उत्पादों में 90% से भी अधिक का देशीकरण स्तर प्राप्त कर लिया गया है। बी डी एल अपने सभी उत्पादों में देशीकरण का स्तर अधिकतम रखने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। साथ के वर्षों में, आपकी कंपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं और तनिमाण प्रणाली एसेंबलिंग को जोड़कर अपनी सभी परियोजनाओं में 60% तक आत्मनिर्भरता कर रही है।

12.2 आपकी कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अगले पाँच साल के लिए देशीकरण की एक योजना बनायी है जिसमें 166 वस्तुओं के देशीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 के वार्षिक इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी 53 वस्तुओं का देशीकरण कर लिया गया और इससे आयात किये जाने वाले मूल्य में काफी हद तक कमी आयी।

12.3 आजादी का अमृत महोत्सव:

आपकी कंपनी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे स्वातंत्र्य का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दि. 13 से 19 दिसंबर, 2021 तक कंपनीपरिसर हैदराबाद और विशाखापट्टणम इकाई, आंध्र प्रदेश में एक अनोखा प्रभातफेरी का आयोजन किया है।

फार्म-स्तर पर देशीकरण की विभिन्न पहल करने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी में
दि. 01 अप्रैल, 2021, दि. 23 जून, 2021 और दि. 15 सितंबर, 2021 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' विषयक
विभिन्न चालकता / प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

13. समान-प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति / जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण:

13.1 कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति / अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का अनुपालन कर रही है।

13.2 दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या चार कार्यकारी निदेशकों को मिलाकर 2674 थी। कुल कर्मियों में से 87 भूतपूर्व सैनिक, 529 अनुसूचित जाति वर्ग के; 205 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के तथा 781 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत क्रमशः 19.78% और 7.78% है।

13.3 दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या							
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
ग्रुप-ए	755	794	145	151	81	82	158	160
ग्रुप-बी	65	71	16	16	4	4	22	22
ग्रुप-सी	1649	1682	316	316	109	107	527	514
ग्रुप-डी	189	225	48	61	14	16	72	84
अस्थायी	12	36	4	6	0	2	2	9
कुल	**2670***	**2808***	**529**	**550**	**208**	**211**	**781**	**789**

* चार कार्यकारी निदेशक छोड़कर।

13.4 दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और ई डब्ल्यू एस श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती का विवरण इस प्रकार है :

पदों का वर्गीकरण	कुल जारी रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण (कॉलम 2 में से)				वर्ष 2021-22 के दौरान की गई भर्ती			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)			
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.चि.व.	ईडब्ल्यू	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.चि.व.	ईडब्ल्यू
ग्रुप-ए	4		1	0	1	0	0	0	0	0
ग्रुप-बी	0		0	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप-सी	0		0	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप-डी	0		0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**4**		**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. महिला नियोजन :

14.1 रक्षा मंत्रालय की दि. 27 अगस्त, 1999 की पत्र संख्या 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) में उद्धृत निर्देशानुसार महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2022 तक महिला नियोजन की स्थिति निम्न प्रकार है :

I. कार्यपालक

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
I	65	10	15.38
II	84	9	10.71
III	146	24	16.44
IV	223	34	15.25
V	91	7	7.69
VI	165	14	8.48
VII	35	1	2.86
VIII	8	1	12.50
IX	3	-	-
कार्यकारी निदेशक	3	-	-
सी एम डी	1	-	-
कुल	**824***	**100**	**12.14**

* इस रिपोर्ट में मुख्य सतर्कता अधिकारी शामिल नहीं किये गये हैं।

II. कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
वेज ग्रुप-0	-	-	-
वेज ग्रुप-1	3	-	-
वेज ग्रुप-2	68	13	19.12
वेज ग्रुप-3	91	13	14.29
वेज ग्रुप-4	210	23	10.95
वेज ग्रुप-5	274	18	6.57
वेज ग्रुप-6	177	37	20.90
वेज ग्रुप-7	189	28	14.81
वेज ग्रुप-8	55	7	12.73
वेज ग्रुप-9	47	4	8.51
वेज ग्रुप-10	84	2	2.38
वेज ग्रुप-11	23	-	-
वेज ग्रुप-12	617	46	7.46
कुल	**1838**	**191**	**10.39**

14.2 दि. 31 मार्च, 2022 तक दिव्यांग कर्मचारी (पी डब्ल्यू डी) :

दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी में कुल 99 दिव्यांग कार्मिक कार्यरत रहे और दिव्यांग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.70% रहा।

	एच आई	एल डी	वी आई	कुल
ग्रुप-ए	6	13	5	24
ग्रुप-बी	0	0	0	0
ग्रुप-सी	18	40	8	66
ग्रुप-डी	2	4	3	9
कुल	**26**	**57**	**16**	**99**

एच आई – बधिर, एल डी – अपंग, वी आई – दृष्टिबाधित

15. मानव संसाधन विकास:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 416 अधिकारी और 273 कर्मचारियों के लिए ज्ञानाधारित, विकासोन्मुख तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। ये कार्यक्रम कंपनी परिसर में आयोजित किये गये तथा कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यक्रम बाह्य एजेंसियों के परिसर में भी आयोजित किये गये।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं:

i) मिड-कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमसीडीपी) – प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, उप महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालकों के लिए 'अभ्युदय' नाम से दो सप्ताह का मिड केरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इन वर्गों के ऐसे प्रतिभागी शामिल रहे जिन्होंने कंपनी में 15 वर्ष का सेवाकाल पूरा किया हो और सेवानिवृत्ति के लिए अभी कम से कम एक वर्ष की अवधि शेष हो।

ii) यह कार्यक्रम अधिकारियों को ऑपरेशनल प्रबंधकों से 'टेक्टिकल प्रबंधकों' में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

iii) केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार इस प्रशिक्षण में दो दिन के लिए निवारक सतर्कता मॉड्यूल को शामिल किया गया।

iv) साथ ही, मिसाइल प्रौद्योगिकी, उद्योग 4.0 पर सत्र आयोजित किए गए। टाटा एयरोस्पेस लिमिटेड का उद्योग दौरा कराया गया। उद्योग 4.0 को लागू करने की प्रक्रिया में है।

v) स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित शरीर और मस्तिष्क को बनाए रखने के लिए तथा अपनी दैनिक जीवन-शैली के हिस्से के रूप में 'योग' का अभ्यास करने प्रोत्साहित करने "तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली और "योग" पर सत्र आयोजित किए गए।

vi) वर्ष 2021-22 के दौरान दो बैचों में एमसीडीपी में कुल 70 मिड-लेवल के कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया।

vii) अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 2021 के अवसर पर बीडीएल के सभी दिव्यांग जनों के लिए 03 दिसंबर, 2021 को "उड़ान – अंतर्निहित शक्ति की जागृति' विषय पर एक दिवसीय आंतरिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वयं दिव्यांग हैं और अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। कार्यशाला ने दिव्यांग कर्मचारियों को प्रेरित करने के साथ-साथ अपने कामकाज को और भी बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा दी।

viii) वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 88 कर्मचारियों (53 महिलाएँ और 35 पुरुष) को "पी ओ एस एच अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम" पर प्रशिक्षण दिया गया।

16. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (प्रबंधन कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया। साथ ही, दि. 5 जून, 2015 की निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इस पर बने नियमों से छूट प्राप्त है।

17. विदेश यात्राएँ :

आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संव्यवहार यात्रा तथा कार्मिकों के ऑन-जॉब प्रशिक्षण के संबंध में विदेश यात्राओं पर लगभग रु. 1.72 करोड़ खर्च किये।

18. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण :

18.1 आपकी कंपनी ने सभी वर्ग के कर्मचारी अर्थात् पंजीकृत ट्रेड यूनियन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अधिकारी संघ जैसे विभिन्न एसोसिएशन के साथ लगातार समता व मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखे हैं। सभी अनिवार्य वर्ग की समितियों जैसे कार्यकारी समिति, संरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति और कल्याण समिति सहित अन्य प्रतिभागी फोरम ने कार्य-स्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दिया है।

18.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन बारीकी से किया जा रहा है। कंपनी अपने कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान बीडीएल चिकित्सा नियमावली के अनुसार रख रही है। इसके अलावा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ संबंधी योजना बनाकर लागू की है।

18.3 वर्तमान महामारी की स्थिति में, मान्यता प्राप्त यूनियन और संघ कोविड प्रोटोकॉल का सख़्ती से पालन करते हुए उत्पादन गतिविधियों को बनाए रखने में प्रबंधन का पूरा सहयोग दे रहे हैं।

19. सुरक्षा :

19.1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाई में सुरक्षा तथा अग्नि-शमन सेवाएँ प्रदान कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सी आई एस एफ ने बी डी एल की संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। सी आई एस एफ ने अति संवेदनशील संगठन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकी व प्रौद्योगिकी के सहयोग से महामारी की स्थिति में भी कड़े सुरक्षा उपाय अपनाये रखे हैं।

19.2 आई बी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए सयंत्र सुरक्षा परिषद बनाए रखी गयी है। कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है।

19.3 सुरक्षा उपायों के अंतर्गत और सांविधिक शासी निकायों के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी कम्प्यूटरीकृत फोटो पहचान पत्र के अलावा मौजूदा कोविड -19 महामारी स्थिति से बचाव के लिए उपयुक्त संपर्क रहित चेहरा पहचान प्रणाली के साथ मौजूदा एक्सेस बायोमेट्रिक नियंत्रण प्रणाली के उन्नयन की प्रक्रिया में है ताकि किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए कंप्यूटरीकृत फोटो पहचान कार्ड के अतिरिक्त बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। कंपनी के अधिकाधिक परिसर क्षेत्र को सी सी टी वी निगरानी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से फैक्टरी परिसर में सी सी टी वी कैमेरा लगाये गये हैं। साथ ही, डोर फ्रेम डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है। सैनिक सुरक्षा मानदण्डों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बैरिकेड, बूम बैरियर तथा मोर्चों को भी लगाया गया है।

19.4 आपकी कंपनी, सुरक्षा सप्ताह / अग्नि सप्ताह कार्यक्रम के अतिरिक्त सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे, आपातकालीन व अग्नि दुर्घटना संबंधी सावधानियों से परिचित करवाया जाता है।

20. संरक्षा :

20.1 आपकी कंपनी कर्मचारियों की संरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और संरक्षा का निरंतर ध्यान रखने के लिए निगम स्तर पर बनायी गयी दो समितियाँ – औद्योगिक संरक्षा समिति और विस्फोटक संरक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। औद्योगिक कामकाज फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप किया जाता है और सी एफ ई ई एस, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये एस टी ई सी (विस्फोटक भण्डारण एवं परिवहन समिति) विनियमों के अधीन विस्फोटक संरक्षा का कड़ा अनुपालन किया जाता है। अधिशासी निदेशक एवं इकाई प्रधान द्वारा संरक्षा से संबंधित मुद्दों का नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है। अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), नई दिल्ली द्वारा विस्फोटक सुरक्षा ऑडिट की जाती है और इस ऑडिट टीम की टिप्पणियों का अनुपालन किया गया है। साथ ही, अग्निशमन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है।

20.2 दि. 04 मार्च, 2022 को 51वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बैनर प्रदर्शित किए गए और सभी कर्मचारियों ने अपने-अपने-कार्य स्थलों पर सुरक्षा शपथ ली। 51वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी एक वेबिनार आयोजित किया।

20.3 नये परियोजना इंजीनियर और परियोजना अधिकारियों के परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षा विभाग ने औद्योगिक और विस्फोटक दोनों तरह की संरक्षा पर एक सत्र का आयोजन किया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा जाँच की जाती है। योग्य चिकित्सा दल द्वारा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की समय-समय पर चिकित्सा जाँच भी की जाती है।

20.4 सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग फैक्टरी निरीक्षक, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TSPCB) और अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ उनके अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए लगातार संपर्क बनाये रखता है।

21. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण :

21.1 बी डी एल की सभी इकाइयाँ – कंचनबाग इकाई, भानूर इकाई और विशाखापट्टणम इकाई आई एस ओ 14001 : 2015 (ई एम एस) से पुन:अधिप्रमाणित हैं। आई एस ओ 14001_2015 (ईएमएस) के एक हिस्से के रूप में ध्वनि स्तर दर्ज किए गए थे और इसे दि. 3 से 5 मार्च ईएमएस-निगरानी लेखा परीक्षा-2022) के दौरान ई एम एस-कोर टीम और साथ ही, बाहरी लेखापरीक्षकों को भी प्रस्तुत किया गया था। आपकी कंपनी ने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए परिपत्र जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से ई-अपशिष्ट और हानिकारक व्यर्थ का निपटान किया जा रहा है। भारत सरकार का उपक्रम मेसर्स एम एस टी सी के माध्यम से फेरस और अलौह धातु जैसे ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है, परिसर में उचित हाउसकीपिंग का रखरखाव बनाये रखा गया है। बायोमेडिकल अपशिष्ट का निस्तारण भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है।

21.2 आपकी कंपनी ने शून्य रिसाव प्रणाली लागू की है। मल-जल शुद्धीकरण सयंत्र के माध्यम से कुल उपचारित पानी को फिर से आर ओ में शुद्ध किया जाता है। आर ओ से शुद्ध किया पानी डी एम (डिमिनरलाइज्ड वाटर) सयंत्र को भी डी एम वाटर तैयार करने के लिए भेजा जाता है। इस पानी का उपयोग आपकी कंपनी की वर्कशॉप में इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप, सी एन सी मशीन और फ्लो फॉर्मिंग मशीनों में किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साफ किये गये पूरे पानी का उपयोग परिसर के अंदर बागवानी के लिए भी किया जाता है।

21.3 सभी इकाइयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है और अंतराल अनुसार प्रमाणन निकाय द्वारा निगरानी ऑडिट भी किया जाता है। ठोस और हानिकारक व्यर्थ का निपटान प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है तथा परिवेशी वायु गुणता, डीजी सेट्स / वेंचुरी स्क्रबर्स की स्टैक गुणता, मल-जल शुद्धीकरण सयंत्र एवं अशुद्ध जल शुद्धीकरण सयंत्र के पर्यावरणीय मानकों का परीक्षण निर्धारित अंतराल के अनुसार किया जाता है। अलग से पानी के मीटर लगाकर अपशिष्ट जल की मात्रा की निगरानी की जा रही है और सहमति की शर्तों के अनुसार बिजली की खपत की भी निगरानी की जा रही है।

21.4 विश्व पर्यावरण दिवस 2021 :

बी डी एल की सभी इकाइयों में विश्व पर्यावरण दिवस 2021 बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दि. 4 जून, 2021 को सभी इकाइयों में भौतिक दूरी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए।

इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय पुन:स्थापन पर जोर देना है जो पर्यावरण के साथ मानव के दखल से पर्यावरण में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र और प्राणियों को पुनर्स्थापित करना है। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करना और अपनी धरती माँ को बचाना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर कंचनबाग इकाई में अशोक के पेड़, 130 एंजियोस्पर्म प्रजातियों का रोपण किया गया। एंजियोस्पर्म वे पौधे हैं जो फूल देते हैं और तितलियों को आकर्षित करने के लिए अपने बीज धारण करते हैं। कुछ लेमन ग्रास के पौधे भी लगाए गए थे जो खरगोशों के लिए मुख्य फीडर के रूप में काम करते हैं। इस पहल से बीडीएल कंचनबाग परिसर के अंदर जीवों की रक्षा की जा रही है। थीम के अनुसार, इकाई ने

जैसी प्रजातियों को पुन: रोपा गया जो पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करती हैं, गैर-देशी प्रजातियों जैसे लैंटाना को हटाने, सूखी जलों से कचरा साफ करने और प्लास्टिक कचरे को हटाने।

निदेशक (उत्पादन) ने 'पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली' और 'पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व' पर सभी को संबोधित किया। भारत हेवी प्लेट्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल

एम / 2 प्राप्त किया है। बी डी एल आई एस ओ / आई ई सी 27001 : 2013 (आई एस एम एस) से प्रमाणित है। सभी आई एस ओ / ए एस अधिप्रमाणित प्रभागों की आंतरिक लेखापरीक्षक खुद के लेखापरीक्षकों द्वारा और निगरानी लेखापरीक्षा प्रमाणन अभिकरणों द्वारा की जाती है।

22.2 सभी प्रभागों द्वारा विनिर्मित प्रमुख उत्पादों की ग्राहक संतुष्टि का आकलन किया जाता है। बी डी एल ग्राहकों के साथ बैठकें, प्रयोगकर्ताओं से संपर्क और गुणता समीक्षा बैठक आदि के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

23. राजभाषा कार्यान्वयन :

23.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। सी एम डी एवं निदेशकगण की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं।

23.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रपति आदेशों के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात, कंपनी का वार्षिक विवरण, रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और विभिन्न प्रतिनिधि मंडल तथा संसदीय समितियों के लिए प्रस्तुति, कंपनी का परिचय आदि द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किये गये।

23.3 दि. 01 से 14 सितंबर तक निगम कार्यालय सहित सभी इकाइयों में हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर निगम कार्यालय, कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम इकाइयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बी डी एल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। बी डी एल द्वारा किये जा रहे समिति के कामकाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' (प्रथम स्थान) प्रदान किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर दि. 14 सितंबर, 2021 को राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अत: उद्यम में दि. 17 सितंबर को सी एम डी की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीकृत रूप में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निदेशकगण, सभी इकाइयों के इकाई प्रधान और नई दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय के प्रधान सहित सभी उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नक़द पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

23.4 बी डी एल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का कामकाज किया जा रहा है। इसके कुल 48 सदस्य कार्यालय हैं। समिति को वर्ष 2019-20 के लिए 'ग' क्षेत्र में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दि. 14 सितंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सी एम डी एवं अध्यक्ष, नराकास (उ) ने भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह क करकमलों से पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्राप्त किया जबकि श्री होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (मा.सं.-रा.भा.) बी डी एल एवं सदस्य सचिव को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया। यह चौथी बार है कि नगरद्वय के उपक्रमों में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद रॉय, श्री अजय कुमार मिश्र, श्री नितीश प्रामाणिक, डॉ. सुमित जैरथ, आईएएस, सचिव, डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव सहित भारत सरकार के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 'ग' क्षेत्र में नगरद्वय के उपक्रमों में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से 'राजभाषा कीर्ति' - प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.),सी एम डी, बी डी एल एवं अध्यक्ष, नराकास (उ)

23.5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) को वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए 'ग' क्षेत्र में 'दक्षिण क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया। दि. 04 दिसंबर, 2021 को हैदराबाद में आयोजित समारोह में सी एम डी एवं अध्यक्ष, नराकास (उ) की ओर से श्री एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त) ने पुरस्कार के रूप में शील्ड और उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए श्री होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (मा.सं.-रा.भा.) ने प्रशस्ति-पत्र प्राप्त किया।

23.6 बी डी एल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। समिति के कुल 48 सदस्य कार्यालय हैं। समिति की अर्द्धवार्षिक बैठकें क्रमश: मई और अक्तूबर महीने में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष की पहली अर्द्धवार्षिक बैठक दि. 25 मई, 2021 को ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई। दूसरी बैठक दि. 25 अक्तूबर, 2021को आयोजित की गई। बैठक के दौरान वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा शील्ड, ट्रॉफी, कप और उत्तम पत्र-पत्रिका पुरस्कार प्रदान किये गये। सी एम डी, बी डी एल और अध्यक्ष, नराकास कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने दोनों बैठकों की अध्यक्षता की।

23.7 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत दि. 13 से 19 दिसंबर के दौरान 'बी डी एल उत्पाद प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बैनर तथा प्रचार-प्रसार संबंधी अन्य सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार कर उपलब्ध करायी गयी।

23.8 उद्यम के 21 अधिकारी-कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा दि. 18 नवंबर, 2021 को आयोजित 'पारंगत' की परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुए।

23.9 वर्ष के दौरान मिड केरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम – 'अभ्युदय' कार्यक्रम के अंतर्गत 'राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधान' विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (मा.सं.-रा.भा.) ने उक्त विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में कुल 72 अधिकारियों भाग लिया।

23.10 दि. 21 जनवरी, 2022 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के छोटे सदस्य कार्यालयों के लिए एक ऑनलाइन संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

23.11 दि. 04 फरवरी, 2022 को नराकास के तत्वावधान में समिति के सदस्य कार्यालयों के नव-नियुक्त कार्यालय प्रधान / राजभाषा अधिकारी / अनुवादक / नोडल हिंदी अधिकारी और राजभाषा कर्मियों के लिए 'राजभाषा अभिमुखीकरण' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

23.12 गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि अवसरों पर उद्यम के सी एम डी ने सभी को हिंदी में संबोधित किया। इसके अलावा विभिन्न टी वी चैनल को दिये गये साक्षात्कार में सी एम डी ने हिंदी में अपने विचार रखे। इसी प्रकार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा और संविधान दिवस के अवसर पर भी शपथ हिंदी-अंग्रेज़ी में दिलायी गयी।

23.13 भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कंपनी की वेबसाइट हिंदी में तैयार की गई है और समय-समय पर इसका अद्यतन किया जाता है। उद्यम के अधिकारी और कर्मचारियों ने नराकास (उपक्रम) के तत्वावधान में आयोजित अंतर-उपक्रम प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और कुल पाँच पुरस्कार प्राप्त किये।

23.14 हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देते हुए उद्यम के अधिकारी-कर्मचारियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से (1) हिंदी मिलाप (2) स्वतंत्र वार्ता (3) डेली शुभ-लाभ (4) अनुवाद (5) साहित्य अमृत (6) आविष्कार (7) योजना (8) हिंदी रोज़गार समाचार (9) प्रतियोगिता दर्पण (10) मेरी सहेली (11) गोलकोण्डा दर्पण (12) हंस आदि पत्र-पत्रिकाएँ और समाचार-पत्र नियमित रूप से मँगाये जाते हैं। इनके अलावा, इसी उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार हर वर्ष सभी विषयों से संबंधित हिंदी पुस्तकें भी खरीदी जाती हैं।

24 सतर्कता :

24.1 सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य निदानात्मक / पूर्व सक्रिय सतर्कता अपनाना है। सतर्कता विभाग द्वारा ई-रिवर्स ऑक्शन, भर्ती, विभागीय पदोन्नतियाँ, आरक्षण, संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का रोटेशन, सिविल कार्य और सेवा संविदा जैसे विषयों के संबंध में कुल 21 प्रणालीगत सुधार संबंधी सुझाव दिये गये और वर्ष के दौरान प्रबंधन ने इनमें से कई मदों पर कार्यान्वयन भी किया। इन प्रणाली परक सुझावों का संक्षिप्त विवरण कंपनी वेबसाइट http://bdl-india.in पर अपलोड किया गया है।

24.2 अपने निवारक सतर्कता दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में, उपक्रमों में निवारक सतर्कता मॉड्यूल के संस्थागतकरण के लिए माननीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के निर्देशानुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के प्रशिक्षण कैलंडर में मध्य प्रबंधन स्तर के कार्यपालकों के लिए आयोजित तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 दिन का 'मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम' शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारियों के दो बैच (प्रत्येक बैच में 40 अधिकारी) को निवारक सतर्कता, वित्तीय प्रबंधन, सामरिक प्रबंधन, मानव संसाधन, नेगोसिएशन कौशल, डाटा विश्लेषण, निवारक सतर्कता और 'आउटबाउंड मॉडल विलेज' का दौरा आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

24.3 केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का एक अंग होने के नाते विभाग ने आयोग को विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत कीं (उदा : मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक एवं सी टी ई टाइप)। साथ ही, रक्षा मंत्रालय एवं कंपनी के निदेशक मंडल को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इनके अतिरिक्त विभाग ने भर्ती, पदोन्नति, आमेलन, स्थायीकरण, विदेशी दौरे, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती इत्यादि मामलों में कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किये गये। विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की शिकायत निपटान नीति के अनुसार शिकायतों के निपटान को भी वरीयता दी है।

24.4 सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह का आयोजन करना सतर्कता विभाग का एक अविभाज्य कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव के अनुसार दि. 26 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2021 तक 'स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' थीम के साथ उद्यम की सभी इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 की शुरुआत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) द्वारा दि. 26 अक्तूबर, 2021 को कंचनबाग इकाई में 'नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' दिलाने से हुई। इसके बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी और अन्य निदेशकों द्वारा भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मुख्य सतर्कता आयुक्त के संदेशों का वाचन किया गया। इस कार्यक्रम का कंपनी की सभी इकाइयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रसारण किया गया। साथ ही, कर्मचारियों के लाभ के लिए 'नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' कंपनी इंट्रानेट पर भी दी गयी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान बीडीएल के कुल 2725 कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा शपथ ली।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 का बैनर

24.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान दैनिक जीवन में सतर्कता और इसके महत्व के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कर्मचारी, उनकी संतान और उनके पति / पत्नी के लिए भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर निबंध लेखन, भाषण, स्लोगन लेखन, पोस्टर / कोलॉज मेकिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गईं।

24.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021 के अंतर्गत, कंपनी की सभी इकाइयों में दि. 26 और 29 अक्तूबर, 2021 को कर्मचारियों के लिए पी आई डी पी आई संकल्प, केंद्रीय सतर्कता आयोग की शिकायत नीति, अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया आदि से संबंधित मामलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस वर्ष का मुख्य विषय 'स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' पर कंपनी की इकाइयों में प्रमुख जगहों पर बैनर प्रदर्शित किये गए मुख्य सतर्कता आयोग की 'ई-अखण्डता प्रतिज्ञा' लेने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने बीडीएल वेबसाइट पर मुख्य सकर्तता आयोग का एक लिंक दिया गया। सभी कर्मचारियों को छोटा-सा टेलीफोन संदेश भी भेजा गया कि http://pledge.cvc.nic.in लिंक पर क्लिक कर सत्यनिष्ठा शपथ लेते हुए 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 में भाग लें। संगठन की इकाइयों में 'पी आई डी पी आई (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर्स) के तहत शिकायतें' पर अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में दो पोस्टर प्रदर्शित किए गए। पी आई डी पी आई के तहत प्रावधानों पर एक लघु वीडियो बनाया गया था और बीडीएल वेबसाइट और कंपनी के इंट्रानेट पर होस्ट किया गया।

मुख्य सतर्कता आयोग के सुझावानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान
निगम कार्यालय, गच्चीबाउली में प्रदर्शित पी आई डी पी आई के दो बैनर

24.7 समाज पर भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम और जीवन में आत्मनिर्भरता और अखंडता के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के एक प्रयास के रूप में दि. 28 अक्तूबर, 2021 को भानूर गाँव, संगारेड्डी जिला, तेलंगाना में एक 'ग्राम सभा' आयोजित की गई जिसमें मनरेगा एम जी एन आर ई जी ए के कार्मिक, महिलाएँ, किसान और हाई स्कूल के छात्र सहित कुल 200 से अधिक नागरिक शामिल हुए। डॉ. उपेंद्र वेन्नम, आईपीओएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बी डी एल ने उपस्थितों को तेलुगु में 'नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' दिलाई और नागरिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही पहल के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए डॉ. पी. श्रीनिवास यादव, सरपंच, भानूर ग्राम, श्री सी एच रमेश बाबू, इकाई प्रधान- भानूर इकाई, श्री एल किशन, महाप्रबंधक (भा.इ.) और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों ने ग्रामीणों को ईमानदारी से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तेलुगु में पी आई डी पी आई पर पोस्टर नागरिकों में वितरित किए गए। इस अवसर पर भ्रष्टाचार के विरोध में संदेश देने वाले एक छोटे-से नाटक का मंचन भी किया गया।

24.8 दि. 29 अक्तूबर, 2021 को ऑनलाइन माध्यम से एक विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देश भर से 60 से भी अधि विक्रेताओं ने भाग लिया। बैठक का उद्घाटन निदेशक (उत्पादन) श्री पी राधा कृष्ण ने किया। इस अवसर पर विक्रेताओं को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के बाद, मुख्य सकर्तता अधिकारी डॉ. उपेंदर वेन्नम ने अपने विचार रखते हुए कहा कि व्यवसाय को पारदर्शी तरीके से और उच्चतम निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्भरता को कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बहु विक्रेता विकास पर भी जोर दिया। इस विक्रेता मिलाप कार्यक्रम के दौरान श्री जी एन सुदर्शन रेड्डी, अपर महाप्रबंधक (निगम वाणिज्यिक) ने सभी का स्वागत करते हुए बी डी एल द्वारा की जा रही विक्रेता विकास संबंधी पहल की जानकारी दी। तदुपरांत, 'एकता समझौता' और 'स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक' (आई ई एम) की भूमिका' पर ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया। सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने पी आई डी पी आई संकल्प के प्रावधानों पर विक्रेताओं के लिए एक प्रस्तुति दी।

24.9 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस) के साथ मिलकर आए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के क्रम में, दि. 30 अक्तूबर, 2021 को भानूर इकाई, संगारेड्डी जिला, विशाखापट्टणम इकाई, आंध्र प्रदेश और कंचनबाग, हैदराबाद में 'वॉकथॉन' आयोजित किए गए। इस अवसर पर मानव श्रृंखला के रूप में जुलूस निकाला गया और जनता को अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अवैध संतुष्टि के लिए 'नहीं' कहने की आवश्यकता से अवगत कराया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के समापन समारोह के दौरान वार्षिक सतर्कता न्यूज लेटर 'चेतना' का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) एस रामचंद्रम, कुलपति, अनुराग विश्वविद्यालय और पूर्व कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय।

24.10 दि. 01 नवंबर, 2021 को कंपनी की कंचनबाग इकाई में आयोजित समापन समारोह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन समाप्त हुआ। प्रो. (डॉ.) एस रामचंद्रम, कुलपति अनुराग विश्वविद्यालय और पूर्व कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय को इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में और 'उभरती प्रौद्योगिकी और डॉटा सुरक्षा' विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सी एम डी, निदेशकगण और मुख्य सतर्कता अधिकारी ने भाग लिया। गणमान्य व्यक्तियों ने कर्मचारियों को हर समय नैतिक व्यवहार बनाये रखने के लिए प्रेरित किया और आत्मनिर्भर बनने में ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया। सी एम डी द्वारा 'पी आई डी पी आई संकल्प, 2004 पर जागरूकता' पर एक पुस्तिका का और मुख्य अतिथि द्वारा वार्षिक सतर्कता न्यूज लेटर 'चेतना' के दूसरे अंक का विमोचन किया गया। यह न्यूज़ लेटर कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट पर और नागरिकों के लाभ के लिए बी डी एल वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

25. रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति

25.1 आपकी कंपनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। आपकी कंपनी सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है। कंपनी, अपनी इस नीति को सरकारी अधिकारी या निजी व्यक्ति या कंपनी तक इसे सीमित नहीं रखती है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से।

25.2 आपकी कंपनी उच्चतम नैतिक मानकों के साथ व्यवसाय करती है और संगठन की सभी इकाइयों में सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को प्रतिबंधित करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए।

25.3 आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार संगठन के बाहर से एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की नियुक्ति करती है, जो सामान्यत: सिविल सेवाओं से होते हैं। ये मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी में कार्यकारी निदेशक रैंक के होते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के सतर्कता विभाग के प्रधान होते हैं और कंपनी की आचार संहिता के अनुसार भ्रष्ट आचरण और अन्य कदाचार का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही, ये कंपनी में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और इस तरह के अन्य कदाचार को रोकने निवारक उपायों के लिए भी जिम्मेदार होते है। ये संगठन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत और सुझाव के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी से निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है :

डॉ. उपेंद्र वेन्नम, आई पी ओ एस
मुख्य सतर्कता अधिकारी
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
निगम कार्यालय: प्लॉट नंबर 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032
फोन नंबर: 040-23456106
ईमेल: cvobdl@bdl-india.in
टोल फ्री नंबर : 1800-42552259

25.4 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति और जोख़िम प्रबंधन समिति समय-समय पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, विजिल ब्लोअर मेकानिज़्म के कामकाज और जोख़िम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा करती है जिसमें धोखाधड़ी, अनियमितताएँ, रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम शामिल होते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रत्येक तिमाही सतर्कता गतिविधियों की समग्रता में समीक्षा कर एक विस्तृत रिपोर्ट निदेशक मंडल को भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें निवारक उपाय, पता लगाये गये कदाचार, प्राप्त शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई और सतर्कता संबंधी मामलों की प्रगति आदि शामिल होते हैं।

25.5 आपकी कंपनी आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने और हमारी नीतियों या लागू कानूनों के संभावित उल्लंघनों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सटीक बही-खाता और रिकॉर्ड रखती है। आपकी कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित नियंत्रण हैं कि परिश्रम किया जाता है, लेन-देन उचित रूप से स्वीकृत होते हैं, खर्चों का समर्थन करने के लिए प्राप्त दस्तावेज, और हमारी नीतियों द्वारा आवश्यक बातचीत को नियंत्रित किया जाता है। आपकी कंपनी अनुपालन की और निगरानी करने और बढ़ाने संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सक्रिय समीक्षाओं, लेखापरीक्षा और आंतरिक जाँच का भी उपयोग करेगी। सीमा-पार लेनदेन के मामले में आपकी कंपनी सरकारी अधिकारी के गृह देश के स्थानीय कानूनों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

25.6 सतर्कता विभाग समय-समय पर कंपनी की सभी इकाइयों के कर्मचारियों के लिए रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। यह नीति कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।

26. निदेशक मंडल :

26.1 कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, नामित सरकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों की कार्य-अवधि और पारिश्रमिक भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड / सर्च कमेटी द्वारा तय किए जाते हैं। इस सरकारी सूचना में इन नियुक्तियों के विस्तृत नियम और शर्तों को भी इंगित किया जाता है जिसमें संबंधित कंपनी के नियमों की प्रयोज्यता का प्रावधान भी शामिल रहता है।

26.2 सरकारी निदेशक किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। जबकि, स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क के हकदार होते हैं जो निदेशक मंडल द्वारा सरकार के निर्देशों, सांविधिक अधिनियम, नियम और विनियम पर विचार कर अनुमोदित किया जाता है।

26.3 **<u>स्वतंत्र निदेशक (अर्थात गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक)</u>**

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दि. 24 दिसंबर, 2021 और 3 जनवरी, 2022 की अपनी पत्र संख्या डीडीपी-एम0001(11)/1/2018-डी(बीडीएल) के तहत पाँच नए स्वतंत्र निदेशक - श्री सुनील चिंतामन मोने, प्रो. (डॉ) संघमित्रा मिश्रा, श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, श्री नंदकुमार सुब्बुरामन और डॉ. पवन स्थापक को दिसंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

<u>स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा पर कथन :</u>

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत घोषणा की है कि वे इस अधिनियम की धारा 149 (6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

26.4 वर्ष के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दि. 25 अगस्त, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.डीडीपी.एम-0001 (11)/3/2018-डी (बीडीएल) के तहत श्री एम एस आर प्रसाद के स्थान पर डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति, विशिष्ट वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (एम एस एस) / डी आर डी ओ को आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया है। निदेशक मंडल श्री एम एस आर प्रसाद के कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा कंपनी को दिये गये योगदान को अभिलिखित करता है।

अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के तहत श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन) आनेवाली वार्षिक आम सभा में चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होकर खुद की पुनःनियुकित के लिए अहर्य होंगे।

26.5 **<u>निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :</u>**

वर्ष 2021-22 के दौरान दि. 21 जून, 2021; दि. 13 अगस्त, 2021; दि. 11 नवंबर, 2021; दि. 21 दिसंबर, 2021 और दि. 14 फरवरी, 2022 को निदेशक मंडल की कुल पाँच (05) बैठकें आयोजित की गई।

26.6 **<u>निष्पादन मूल्यांकन</u>**

बोर्ड / निदेशकों के मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को इसमें आवश्यक छूट प्राप्त है। इसके अलावा, दिनांक 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं.एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/ डीआईएल1/ ओडब्ल्यू/ पी/2018/1679/1 के तहत आपकी कंपनी को इसी तरह की छूट 'सेबी' के प्रावधान भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ{एलओडीआर}) विनियम, 2015 से भी प्राप्त है।

27. निदेशक उत्तरदायित्व संबंधी कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की यथासंशोधित धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि -

i. वार्षिक लेखा-नीति तैयार करने में सामग्री भेजने संबंधी स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

ii. वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के मामलों में तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष संबंधी कंपनी के लाभ-हानि सत्य व स्पष्ट परिलक्षित हो सकें इस दृष्टि से चुनिंदा लेखा-नीति निरंतर बनाये रखी गई है तथा बनाये जाने वाले प्राक्कलन भी उचित व सही हैं।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार लेखा-अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गई है ताकि कंपनी की आस्तियों को धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके।

iv. वार्षिक लेखा वर्तमान और भविष्य संबंधी धारणाओं के हालात और आधार पर किये गये हैं।

v. कंपनी ने उचित वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ बनायी हैं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी हैं। और

vi. कि कंपनी ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और वे भी पर्याप्त और प्रभावी हैं।

28. महत्वपूर्ण और विशेष आदेश:

भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और विशेष आदेश नियामक या अदालत या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया।

29. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ :

31 मार्च, 2022 से लेकर इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं से संबंधित रिपोर्ट – शून्य।

30. लेखापरीक्षा समिति :

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा समिति वर्ष के दौरान कुछ आंशिक काल तक के लिए ही मौजूद रही। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी पत्र संख्या डीडीपी-एम0001(11)/1/2018-डी(बीडीएल) दिनांक 24 दिसंबर 2021 और 03 जनवरी 2022 द्वारा आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में पाँच नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप, नए स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों तथा और उनकी पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान दो बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें लेखापरीक्षा कार्य भी शामिल किये गये। गठन का विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये हैं।

31. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास :

31.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान और निगम मामले एवं डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार जारी विभिन्न स्पष्टीकरण / संशोधन के साथ पठनीय कंपनी नियमावली, 2014 के क्रम में सी एस आर नीति के अनुसार कंपनी ने विभिन्न कार्यकलाप किये हैं। ये कार्यक्रम / गतिविधियाँ / परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप किये जाते हैं और इसे विधिवत रूप से सी एस आर नीति में शामिल किया गया है जो हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक नियम भी हैं। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के मुताबिक बोर्ड स्तर की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति का गठन किया है (नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट का संदर्भ लें)। गठित समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली सी एस आर गतिविधियों / परियोजनाओं की जानकारी देते हुए निदेशक मंडल को सी एस आर नीति की सिफारिश की है।

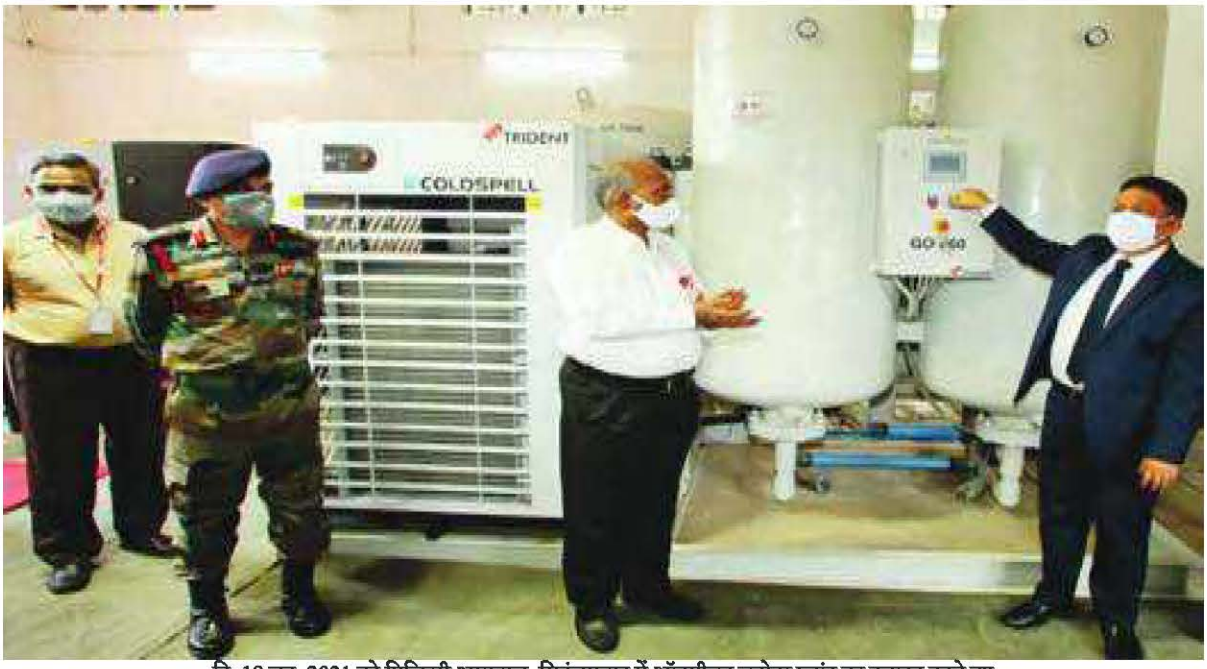

दि. 18 जून, 2021 को मिलिटरी अस्पताल, सिकंदराबाद में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन करते हुए कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सी एम डी, बी डी एल और लेफ्टिनेंट जनरलए अरुण, जी ओ सी, दक्षिण भारत एरिया। साथ में हैं, मेजर जनरल आर के सिंह, जी ओ सी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एरिया और श्री एन श्रीनिवासुलु, निदेशक (वित्त), बी डी एल

31.2 सी एस आर एवं एस डी की गतिविधियों का अनुवीक्षण आवधिक तौर पर समिति द्वारा किया जाता है और सी एस आर एवं एस डी गतिविधि संबंधी वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-I में संलग्न है।

31.3 आपकी कंपनी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। साथ ही, आपकी कंपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ चला रही है। आपकी कंपनी दान / प्रायोजन सहित अपनी सी एस आर गतिविधियों / निधियों का उपयोग किसी घूसखोरी या भ्रष्टाचार के रूप में नहीं करती है।

31.4 सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिक आहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा – स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

31.5 वर्ष 2021-22 के दौरान सी एस आर अण्ड एस डी व्यय का लक्ष्य रु. 1169.80 लाख रहा। लक्ष्य के मुताबिक आपकी कंपनी ने सी एस आर गतिविधियों पर 1812.61 लाख रुपये खर्च किये और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक100 % लक्ष्य हासिल किया। कंपनी द्वारा संचालित सी एस आर गतिविधियों की जानकारी कंपनी वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर दी गई है।

32. जोख़िम प्रबंधन :

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोख़िम प्रबंधन नीति लागू है। इस नीति का उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के जोख़िमों की पहचान कर विश्लेषण के माध्यम से उस आपदा को मिटाना या कम करना। साथ ही, जोख़िम को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई की सुविधा उपलब्ध कराना। नीति में परिकल्पना की गई है कि सभी कार्यक्रम, परियोजना समीक्षाएँ शमन योजनाओं को बंद करने और हस्ताक्षर करने तक जोख़िम शमन योजनाओं की प्रगति को उजागर करेंगी।

निदेशक मंडल में नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के क्रम में कंपनी ने एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के तहत जोख़िम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के विवरण और समिति के विचारार्थ विषय, जोख़िम प्रबंधन नीति इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं।

33. वार्षिक विवरणिका

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष की वार्षिक विवरणिका कंपनी की वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर उपलब्ध है।

34. संबंधित पार्टी लेन-देन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं पाया गया जिससे कंपनी को किसी प्रकार की हित बाधा पहुँचती हो। अत: फॉर्म एओसी -2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। सदस्य संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण के लिए लेखा संबंधी टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं। संबंधित पार्टी लेन-देन संबंधी नीति कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर अपलोड की गई है।

35. ऋण, गारंटी या निवेश संबंधी विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ऋण, गारंटी और निवेश संबंधी विवरण, वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिये गये हैं।

36. राजनीतिक पार्टियों को योगदान :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के तहत निषिद्ध है।

37. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

वित्तीय औचित्य के मानदंड़ों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा हर प्रकार के आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित कर इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाह्य लेखापरीक्षक फर्म की भी नियुक्ति की गई है। आंतिरक लेखापरीक्षा फर्म तथा आपकी कंपनी के आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग की विश्लेषण रिपोर्टें समीक्षा व सुझाव के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की समीक्षा कर तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। टिप्पणियों व लेखाओं में आवश्यक प्रकटीकरण किये गये हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के लिए सरकारी लेखापरीक्षा भी आवश्यक है।

38. लेखापरीक्षक :

सांविधिक लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स जी नटेशन अण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद को वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) की टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षक :

आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स नरसिम्ह मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक, हैदराबाद को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। कंपनी अपनी विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड रखती है।

साचिविक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधान तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स नरेंदर अण्ड असोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, (पीसीएस पंजीकरण संख्या 5024) को नियुक्त किया है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न है।

39. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन:

सेक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस ई बी आई) लिस्टिंग विनियम तथा डी पी ई दिशा-निर्देशों की आवश्यकता अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसे लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

40. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग :

वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षक और न ही साचिविक लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (2) के तहत कंपनी के खिलाफ अपने अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का ऐसा किसी मामले की सूचना लेखापरीक्षा समिति को नहीं दी है जिसका उल्लेख निदेशक मंडल की रिपोर्ट में करना आवश्यकता है।

41. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सी पी एस ई) के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न की गई है।

42. नैगमिक अभिशासन :

42.1 नैगमिक अभिशासन उत्तम प्रबंधन के निर्वहन, कानून के अनुपालन और नैतिक मूल्यों के पालन से जुड़ा है। ताकि, कंपनी के भागीदारों की मान वृद्धि हो और सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके।

42.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था क़ायम है।

42.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में दि. 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8) /2005-जीएम के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के तहत, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर इसकी शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है।

42.4 नैगमिक अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में 'सेबी', रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं। आपकी कंपनी ने डी पी ई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय से नैगमिक अभिशासन के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त किया है।

43. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के क्रम में कंपनी ने 'यौन उत्पीड़न विरोधी नीति' लागू कर रखी है। वर्ष 2021-22 के दौरान किसी प्रकार की कोई यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

44. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली जानकारी की सूचना कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है। इसमें कंपनी का सामान्य परिचय, क्रियाकलाप, अधिकारी / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम-विनियम, कंपनी द्वारा रखे जाने वाले मैनुअल और रिकॉर्ड, कंपनी के अधिकारियों की सूची, अधिकारी / कर्मचारियों के वेतनमान, सूचना प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया आदि शामिल है। प्रश्न और अपील देखने के लिए कंपनी ने वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को नियुक्त किया है। आगे, वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने कुल 175 आवेदन / प्रश्न प्राप्त किये गये जिनमें से 172 का निपटारा कर दिया गया और 03 (तीन) प्रक्रियाधीन हैं। आगे, 17 अपील प्राप्त हुए जिनका अंतिम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा निपटारा किया गया।

45. विजिल मेकानिज़्म / विजिल ब्लोअर नीति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के साथ पठनीय कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 तथा सी पी एस ई के लिए डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में निदेशक मंडल द्वारा विजिल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति) / विजिल मेकानिज़्म का अनुमोदन दिया गया था जिसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है। इस नीति में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधा संपर्क करने की सुविधा भी दी गई है।

कर्मचारियों को अपनी किसी भी चिंता को विजिल के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति के सामने रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका नहीं गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विजिल ब्लोअर का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

46. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआर रिपोर्ट") को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।

आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के उपरांत, व्यापार और प्रशासन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बी आर रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीति का रूप तैयार किया है जिसमें रक्षा उपक्रम के रूप में बीडीएल कार्यरत है। वर्ष के लिए कंपनी की बी आर रिपोर्ट **अनुलग्नक V** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

इसके अलावा, राजपत्र में घोषित अधिसूचना संख्या एस ई बी आई / एल ए डी – एन आर ओ/जी एन /2021/22, दि. 05 मई, 2021 के एल ओ डी आर विनियम के विनियम 34 (2) (एफ) के संशोधन के तहत ई एस जी मापदंडों पर नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया गया है जिसे व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सातत्यता रिपोर्ट (BRSR) कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से शीर्ष 1000 कंपनियों (बाजार पूँजीकरण के आधर पर) के लिए यह रिपोर्ट अनिवार्य होगी। आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसका अनुपालन करेगी।

47. लाभांश वितरण नीति

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अनुसार, लाभांश वितरण नीति अपनायी गयी ताकि शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने और / या लाभ को संव्यवहार में लगाने के लिए मानदंड व परिस्थितियों का निर्धारण करने पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जा सके। यह नीति बीडीएल की वेबसाइट https://bdl-india.in/sites/default/files/2020-01/Dividend%20Distribution%20Policy_0.pdf पर उपलब्ध है।

48. आभार-प्रदर्शन :

48.1 आपके निदेशकगण सभी सरकारी एजेंसी, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणियाँ, रक्षा उत्पादन विभाग, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, केंद्रीय सरकार के विभाग, आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार, भारत सरकार की गुणता आश्वासन एजेंसियाँ तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

48.2 कंपनी, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखापरीक्षक, बैंक तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये सहयोग तथा सुझाव के लिए निदेशक मंडल कंपनी-अभिलेखों में अभिलिखित करता है।

48.3 निदेशकगण, अपनी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी को प्रगति-पथ पर ले जाने तथा इस विकास को आने वाले वर्षों में बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 26 मई, 2022

अनुलग्नक-I

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों का वार्षिक विवरण

1. **कंपनी की सी एस आर नीति का संक्षिप्त परिचय**

बी डी एल, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को लेकर बहुत जागरूक है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ की 2% की राशि खर्च करता आ रहा है। सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिक आहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं स्वच्छता आदि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बी डी एल ने डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आकांक्षी जिले / पिछड़े क्षेत्रों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ संचालित करना आरंभ कर दिया है।

देश में कोविड महामारी के फैलती स्थितियों को देखते हुए बी डी एल ने कोविड से संबंधित परियोजनाओं में भी सहयोग दिया है :

- लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल के लिए सहयोग।
- नेवल अस्पताल में कोविड संबंधी चिकित्सा उपकरणों की खरीद में सहयोग।
- तेलंगाना के तीन सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन सयंत्र का संस्थापन।
- ई एस आई चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद में कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन की सुविधाओं में सहयोग।

सी एस आर के तहत बी डी एल की कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं :

- शिक्षा का प्रचार-प्रसार (तेलंगाना का एक आकांक्षी जिला भद्राद्री कोत्तगुड़ेम के सरकारी स्कूल में दो खाने वाले डेस्क का वितरण)
- तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण
- आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिला विजयानगरम की महिलाओं के लिए कपड़ा उद्योग में रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- मेसर्स नेशनल हैंडीकैप फाइनेंशियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिव्यांगों को टूल किट वितरण

2. **दि. 31 मार्च, 2022 तक सी एस आर समिति की संरचना :**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान संपन्न सी एस आर बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान कुल सी एस आर बैठकों में प्रतिभाग
1	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत	समिति के अध्यक्ष / स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री सुनील चिंतामन मोने	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	1	1
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्र	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री नंद कुमार सुब्बुरामन	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	1	1
5	डॉ. पवन स्थापक	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	1	1
6	श्री पी राधाकृष्ण	समिति के सदस्य / निदेशक (उत्पादन)	1	1

टिप्पणी : रक्षा मंत्रालय की दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं. डीडीपी एम-0001 (11)/2018-डी(बीडीएल) के तहत बी डी एल के निदेशक मंडल में नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कंपनी ने दि. 3 जनवरी, 2022 से उक्त सी एस आर समिति का पुनर्गठन किया है।

3. **वेब लिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सी एस आर समिति की संरचना, सी एस आर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर परियोजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है :** website : http:/bdl-india.in/csr

4. **कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम8 के उप नियम (3) के अनुसरण में की गई सी एस आर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें।)**

वित्तीय वर्ष 2017-18 की सी एस आर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन पूरा कर लिया गया और तत्संबंधी रिपोर्ट कंपनी वेबसाइट http:/bdl-india.in/csr पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित सी एस आर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कार्य प्रक्रियाधीन है।

5. **कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि का विवरण दें, यदि कोई हो :**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपय लाख में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए ने आवश्यक राशि, यदि कोई हो तो (रुपय लाख में)
1	2021-22	7.274	1.524

धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : रु. 584, 89, 98,691

7. (ए) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% : रु. 1169.7997 लाख

(बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : रु. 644.334 लाख

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन राशि, यदि हो तो : रु. 7.274 लाख

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सी एस आर देयता (7ए+7बी-7सी): रु. 1806.8597 लाख

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिएए खर्च की गई / नहीं की गई सी एस आर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी कुल राशि (रुपये में)	खर्च नहीं की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार खर्च नहीं की गई सी एस आर लेखा में अंतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत किसी निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
रु. 1812.61133 लाख	शून्य				

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चालू सी एस आर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से मद सं.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का क्षेत्र		परियोजना की समयावधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपये लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गयी राशि(रुपये लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना से संबंधित खर्च नहीं की गई सी एस आर लेखा में अंतरित राशि (रुपये में)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – सीधे (हाँ / नहीं)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी एस आर पंजीकरण संख्या
1.	ड्रेन शुद्धीकरण सयंत्र(1.5 एम एस डी एस टी पी) का संस्थापन	मद सं. (iv)	हाँ	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश		2 वर्ष	200	20	शून्य	नहीं	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसड टेक्नोलॉजी (आई जी आई ए टी)	-
2.	विजयानगरम (समाज कल्याण छात्रावास भवन) में विकासात्मक गतिविधियाँ	मद सं. (ii)	हाँ	विजयानगरम, आंध्र प्रदेश		2 वर्ष	200	20	शून्य	नहीं	जिलाधीश, विजयानगरम	-
3	राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण	मद सं. (i) और (ii)	हाँ	राजन्ना सिरिसिल्ला गॉव		2 वर्ष	200	100	शून्य	नहीं	जिलाधीश, राजन्ना सिरिसिल्ला जिला	-
4	नारायणपुर, जनगाँव और पीपलपहाड़ गाँवों में 3 आर ओ जल सयंत्रों का अनुरक्षण	मद सं. (i)	नहीं	नलगोंड़ा, तेलंगाना		8 वर्ष	18.85	16.20	शून्य	नहीं	नांदी फाउण्डेशन	-
5	टेक्स्टाइल के क्षेत्र में महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	मद सं. (ii)	नहीं	विजयानगरम, आंध्र प्रदेश		2 वर्ष	240	140	शून्य	नहीं	जिलाधीश, विजयानगरम	-
6	सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम (डिजिटल लर्निंग)	मद सं. (ii)	हाँ	विजयानगरम, आंध्र प्रदेश		2 वर्ष	200	80	शून्य	नहीं	जिलाधीश, विजयानगरम	-
7	स्कूल भवन का निर्माण	मद सं. (ii)	हाँ	भानूर,मेदक जिला, तेलंगाना		3 वर्ष	268	153.19036	शून्य	हाँ	सीधे	-
8	सरकारी स्कूलों को दो खाने वाले डेस्क का वितरण	मद सं. (ii)	नहीं	तेलंगाना के सरकारी स्कूल		2 वर्ष	200	79.78	शून्य	नहीं	केंद्रीय कारावास विभाग, चंचलगुड़ा, तेलंगाना	-
9	डी आई टी आई, पुणे को अनुसंधान के लिए सहयोग	मद सं. (ix)	नहीं	पुणे, महाराष्ट्र		3 वर्ष	93	30	शून्य	नहीं	डी आई टी आई, पुणे को अनुसंधान के लिए सहयोग	-
10	सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण	मद सं. (ii)	नहीं	महबूबनगर, तेलंगाना		3 वर्ष	50	9.18818	शून्य	नहीं	जिलाधीश, महबूबनगर	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से मद सं.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का क्षेत्र		परियोजना की समयावधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपये लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गयी राशि(रुपये लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना से संबंधित खर्च नहीं की गई सी एस आर लेखा में अंतरित राशि (रुपये में)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – सीधे (हाँ / नहीं)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी एस आर पंजीकरण संख्या
11	470 दि.यंजो के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	मद सं. (ii)	हाँ	तेलंगाना के हैदराबाद,महबूबनगर, वरंगल जिले		3 वर्ष	100	10.6436	शून्य	नहीं	नेशनल हैंडीकैपड फाइनेंस अण्ड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एप एच एफ डी सी), हैदराबाद	-
12	एरिया अस्पताल, विकाराबाद और प्राथमिक उपचार केंद्र, चेवेल्ला में अवसंरचनात्मक सुविधाएँ	मद सं. (i)	हाँ	विकाराबाद, तेलंगाना		2 वर्ष	99.50	75	शून्य	हाँ	प्रबंध निदेशक, तेलंगाना राज्य चिकित्सा सेवाएँ तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम	-
कुल								734.2011				

(सी) वित्तीय वर्ष के लिये चालू परियोजनाओंसे इतर गतिविधियों पर खर्च की गयी सी एस आर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से मद सं.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियजाना का क्षेत्र		परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपय लाख में)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम –सीधे (हाँ/नहीं)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सी एस आर रियोजना संख्या
1.	कोविड विशेष अस्पताल का निर्माण	मद सं. (i)	नहीं	लखनऊ		200	नहीं	डी आर डी ओ	-
2.	तेलंगाना के तीन सरकारी अस्पताल – मिलिटरी अस्पताल, ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, एरिया अस्पताल, विकाराबाद में ऑक्सीजन जेनरेशन सयंत्रों का संस्थापन	मद सं. (i)	हाँ	हैदराबाद और विकाराबाद		283.20	नहीं	ट्रेडेंट न्यूमेटिक्स प्रा. लि. कोयंबत्तूर	-
3.	कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी उपकरण की खरीद	मद सं. (i)	हाँ	हैदराबाद, तेलंगाना राज्य		44.99684	नहीं	आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइन्स	-
4	तेलंगाना के मेदक और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोज	मद सं. (ii)	नहीं	मेदक, तेलंगाना और विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश		9.96705	नहीं	दि अक्षय पात्रा फाउण्डेशन	CSR00000286
5	नेवल अस्पताल के लिए कोविड संबंधी उपकरणों की खरीद	मद सं. (i)	नहीं	-		300	नहीं	इंडियन नेवल बेनेवलेंट असोसिएशन	-
6	ई एस आई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड सुरक्षा संबंधी सुविधाओं की स्थापना	मद सं. (i)	हाँ	हैदराबाद, तेलंगाना राज्य		170	नहीं	डीन, ई एस आई मेडिकल कॉलेज अस्पताल	-
7	विशाखापट्टणम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस (वी आई एम एस), सरकारी ई एन टी अपताल आर ई एस, आर सी डी अस्पताल, विशाखापट्टणम के लिए एक महीने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति	मद सं. (i)	नहीं	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश		25	नहीं	जिलाधीश, विशाखापट्टणम	-
कुल						1033.16399			

(डी) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : रु. 45.2462 लाख

(ई) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो तो : लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्चकी गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) : रु. 1812.61133 लाख

(जी) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि हो तो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	1169.80 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी कुल राशि	1812.61 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	642.81 लाख
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष यदि कोई हो तो	637.06 लाख
(v)	आने वाले वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	5.75 लाख

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च न की गयी सी एस आर राशि :

क्र.सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत खर्च नहीं की गयी सी एस आर राशि में अंतरित राशि (रुपय में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गयी राशि (रुपय में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निर्दिष्ट निधिमें अंतरित राशि, यदि कोई हो तो			आने वाले वर्षों में खर्च करने के लिए शेष राशि (रुपय में)
				निधि का नाम	राशि (रुपय में)	अंतरण की तिथि	
शून्य							

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सी एस आर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आई डी	परियोजना का नाम	परियोजना आरंभ होने का वित्तीय वर्ष	परियोजना की समयावधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपय लाख में)	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में इस परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपय लाख में)	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक खर्च की गई संचित राशि (रुपय लाख में)	परियोजना की स्थिति * पूर्ण / चालू
1	सी एस आर / बीडीएल/002	नेवल बेस, विशाखापट्टणम में ड्रेन शुद्धीकरण सयंत्र (1.5 एम एल डी एस टी पी) का संस्थापन	2020-21	2 वर्ष	200	20	200	पूर्ण
2	सी एस आर / बीडीएल/001	विजयानगरम (समाज कल्याण छात्रावास भवन) में विकासात्मक गतिविधियाँ	2019-20	3 वर्ष	200	20	200	पूर्ण
3	सी एस आर / बीडीएल/004	राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण	2020-21	2 वर्ष	100	100	200	जारी
4	सी एस आर / बीडीएल/008	केंद्रीय कारावास के माध्यम से भद्राद्री कोत्तागुड़ेम के सरकारी स्कूल में दो खाने वाले डेस्क का वितरण	2020-21	2 वर्ष	200	79.98	180	जारी
5	सी एस आर / बीडीएल/007	स्मार्ट क्लास रूम (डिजिटल लर्निंग), विजयानगरम	2020-21	2 वर्ष	200	80	180	जारी
6	सी एस आर / बीडीएल/003	भानूर में स्कूल भवन का निर्माण	2019-20	3 वर्ष	268	153.19036	2,51,55,111	पूर्ण
7	सी एस आर / बीडीएल/011	नेशनल हैंडीकैपड फाइनेंस अण्ड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एप एच एफ डी सी), हैदराबाद के माध्यम से 470 अपंगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन	2019-20	3 वर्ष	100	10.6436	90,63,560	पूर्ण
8	सी एस आर / बीडीएल/009	डी आई टी आई, पुणे को अनुसंधान के लिए सहयोग	2020-21	3 वर्ष	93	30	63	जारी
9	सी एस आर / बीडीएल/012	महबूबनगर जिला, तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण	2019-20	2 वर्ष	50	9.18818	49,19,000	पूर्ण
कुल						503.00214		

10. पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सी एस आर राशि के बनाई या अर्जित संपत्ति का विवरण दें :

राशि (रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पूँजीगत संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण की तिथि	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान की गई राशि (रुपय लाख में)	पूँजीगत संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण पर खर्च की गयी सी एस आर राशि (रुपय लाख में)	जिस इकाई या सामाजिक प्राधिकरण या लाभार्थी के नाम पूँजीगत संपत्ति का पंजीकरण किया गया हो, इसका विवरण, पता आदि	निर्मित / अधिगृहीत पूँजीगत संपत्ति का विवरण	पूँजीगत संपत्ति का पता और स्थान
1	कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी उपकरण की खरीद	13.09.2021	44.99684	44.99684	आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइन्सेस, गाबीलालपेट, मेन रोड, राजीव स्वगृह अभिमान परियोजना, सिकंदराबाद-500083 तेलंगाना	कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी उपकरण की खरीद	आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइन्सेस, गाबीलालपेट, मेन रोड, राजीव स्वगृह अभिमान परियोजना, सिकंदराबाद-500083
2	तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन सयंत्र का संस्थापन	18.06.2021	94.40	94.40	मिलिटरी अस्पताल, सिकंदराबाद, तेलंगाना	ऑक्सीजन जेनरेशन सयंत्र (प्रति मिनट 960 लीटर की क्षमता वाले)	मिलिटरी अस्पताल, सिकंदराबाद, तेलंगाना
3	तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन सयंत्र का संस्थापन	20.09.2021	94.40	94.40	ई एस आई मेडिकल कॉलेज अस्पताल सनतनगर हैदराबाद तेलंगाना	ऑक्सीजन जेनरेशन सयंत्र (प्रति मिनट 960 लीटर की क्षमता वाले)	ई एस आई मेडिकल कॉलेज अस्पताल सनतनगर हैदराबाद तेलंगाना
4	तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन सयंत्र का संस्थापन	31.03.2022	94.40	94.40	एरिया अस्पताल विकाराबाद तेलंगाना	ऑक्सीजन जेनरेशन सयंत्र (प्रति मिनट 960 लीटर की क्षमता वाले)	एरिया अस्पताल विकाराबाद तेलंगाना

11. धारा 135 (5) के अनुसार दि कंपनी औसत निवल लाभ की दो प्रतिशत राशि खर्च करने में विफल रही है, तो इसके कारण बताएँ : लागू नहीं।

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

राजेंद्र सिंह शेखावत
अध्यक्ष, सी एस आर समिति
डी आई एन : 09449860

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

अनुलग्नक-II

NARENDER & ASSOCIATES
Company Secretaries
403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

फॉर्म संख्या एमआर -3
साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट *
दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियमावली (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और मेसर्स **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** (आगे कंपनी नाम से अभिहित) द्वारा अच्छे नैगमिक परिपाटी के अनुपालन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरह से की गई कि हमें नैगमिक परिपाटियाँ / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियाँ, कागज़ात, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाएँ, फार्म, फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की मेरे द्वारा की गई जाँच और साचिविक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हम अभिलिखित करते हैं कि हमारी राय में **दि. 31 मार्च, 2022** को समाप्त वितीय वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्यत: नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में आवश्यकतानुरूप निदेशक मंडल की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन पद्धति उचित तरीके से तथा रिपोर्टिंग के अधीन किए गए अनुसार मौजूद है :

हमने, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही, कागज़ात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, फाइल किये गये रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की परीक्षा की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बने नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बने नियम;

* अनूदित पाठ

(iii) निक्षेपागार (डिपॉजिटरीज) अधिनियम, 1996 और विनियमन तथा इसके अंतर्गत बने उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत बने नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1992 (एस ई बी आई अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश : -

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का ठोस अधिग्रहण और टेकओवर);

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना); समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999 [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।)

(जी) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से चर्चा से संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जारी करने रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993.

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (ईक्विटी शेयर की डी-लिस्टिंग); [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]

(आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूतियों की वापस-खरीद);[समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]

* अनूदित पाठ

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 में जारी नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

(i) निदेशक मंडल और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचविक मानदंड।

(ii) कंपनी द्वारा बी एस ई लिमिटेड (बी एस ई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) के साथ किये गये और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2015 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ पढ़े जाने वाले लिस्टिंग करार।

(iii) हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में कंपनी के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह कार्य सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन आता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधान, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि का अनुपालन किया है।

हम, आगे अभिलिखित करते हैं कि

(i) कंपनी ने निम्न विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़ कर उक्त अधिनियमों के सभी प्रावधान, विनियम और इसके तहत जारी परिपत्र / दिशानिर्देश का अनुपालन किया है :

क्र.सं.	अनुपालन आवश्यकता (निर्दिष्ट उपबंध सहित विनियम / परिपत्र / दिशानिर्देश)	विचलन	पेशेवर कंपनी सचिव की टिप्पणी / अभ्युक्ति यदि कोई हो तो
1	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 17 (1) और अधिनियम की धारा 149 : महिला निदेशक की नियुक्ति में विफलता सहित निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करना।	कंपनी ने दि. 23 दिसंबर, 2022 तक निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होने सहित स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।	* 31 मार्च, 2022 तक कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) और (बी) और अधिनियम की धारा 149 का अनुपालन किया है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 से निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच

* अनूदित पाठ

			स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। हालाँकि कंपनी दिसंबर, 2021 तक निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुपालन करने में विफल रही है।
2	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 17 (2ए) : निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करना।	कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जहाँ कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की प्रतिभागिता आवश्यक होती है।	* दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (2ए) के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 से निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। हालाँकि कंपनी ने दिसंबर, 2021 तक कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जहाँ कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की प्रतिभागिता आवश्यक होती है।
3	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 18 (1) और अधिनियम की धारा 177 : लेखापरीक्षा समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।	कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण लेखापरीक्षा समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) और अधिनियम की धारा 177 का अनुपालन किया है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 से निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है।

* अनूदित पाठ

			हालाँकि लेखापरीक्षा समिति के गठन से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है जिसमें अधिकतम (यानी, कम से कम दो तिहाई) सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। भारत सरकार की ओर से नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप दि. 03 जनवरी, 2022 से लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।
4	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 19 (1) / 19 (2) और अधिनियम की धारा 178 (1) : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।	दि. 23 सितंबर, 2021 तक कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (1) /19 (2) और अधिनियम की धारा 178 (1) के तहत आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रही है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 से निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। हालाँकि दिसंबर, 2021 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है जिसमें कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे। भारत सरकार की ओर से स्वतंत्र नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप दि. 03 जनवरी, 2022 से नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति का पुनर्गठन किया गया।
5	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 20 (2) / 20 (2ए) और अधिनियम की धारा 178 (5) :	दि. 23 सितंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण हितधारक संबंध समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. मार्च, 2022 को कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20(2) / 20 (2ए) और अधिनियम की धारा 178 (5) के तहत आवश्यकता का अनुपालन

* अनूदित पाठ

	हितधारक संबंध समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।		करने में विफल रही है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 से निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। हालाँकि कंपनी ने दिसंबर, 2021 तक हितधारक संबंध समिति के गठन से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है जहाँ कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सदस्य होंगे। भारत सरकार की ओर से स्वतंत्र नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप दि. 03 जनवरी, 2022 से हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया।
6	अधिनियम की धारा 135 : नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।	दि. 23 सितंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी ने अधिनियम की धारा 1 3 5 के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 से निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। हालाँकि कंपनी ने दिसंबर, 2021 तक नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है जहाँ कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्य होंगे। भारत सरकार की ओर से स्वतंत्र नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के

* अनूदित पाठ

			परिणामस्वरूप दि. 03 जनवरी, 2022 से नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया गया।
7	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 और अधिनियम की धारा 134 जोख़िम प्रबंधन समिति के गठन का अननुपालन।	दि. 23 सितंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण जोख़िम प्रबंधन समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी ने सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 21 और अधिनियम की धारा 134 के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 से निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। हालाँकि कंपनी ने दिसंबर, 2021 तक जोख़िम प्रबंधन के गठन से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है जहाँ कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक समिति के सदस्य होंगे। भारत सरकार की ओर से स्वतंत्र नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप दि. 03 जनवरी, 2022 से जोख़िम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया।

*** टिप्पणी :** कंपनी भारत सरकार का उद्यम होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति का अधिकार और पारिश्रमिक, मूल्यांकन आदि सहित ऐसी नियुक्तियों के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं।

ii. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों के लिए उचित सूचनाएँ अग्रिम रूप से दी गई थीं; ऐसी सूचनाएँ कार्य-सूची की मदों पर विस्तृत नोट्स और संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त के मसौदा के साथ थीं; कंपनी ने एक योजनाबद्ध प्रणाली अपना रखी है कि बैठक से पूर्व निदेशकगण कार्य-सूची की मदों से संबंधी आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें और बैठक में उनकी प्रतिभागिता सार्थक हो सके।

* अनूदित पाठ

iii. निर्णय अधिकतर बहुमत से लिये जाते हैं और किसी सदस्य की कोई असहमति हो तो कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चयन के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

कृते – नरेंदर अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिव

जी नरेंदर
प्रोप्राइटर
एफ सी एस 4898; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 19.05.2022
यू डी आई एन : F004898D000348054

यह रिपोर्ट अनुलग्न-ए के रूप में संलग्न किये गये इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

* अनूदित पाठ

अनुलग्नक-'ए'

* सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

इस पत्र को इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए :

1. साचिविक रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकॉर्ड व अनुपालन पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो साचिविक रिकॉर्ड की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए यह जाँच परीक्षा आधार पर सत्यापन किया गया था कि साचिविक रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनायी गयीं प्रक्रियाओं और प्रथाओं ने अपनी राय देने के लिए हमें उचित आधार प्रदान किया।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा-बहियों की सटीकता व उचितता की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमने कानून, नियम और विनियम तथा घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व माँगा है।

5. नैगमिक एवं अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानदंडों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी यह जाँच परीक्षा आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

6. पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानून, श्रम कानून तथा अन्य कानून संबंधी प्रावधान, नियम, विनियम तथा मानकों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रबंधन ने उपर्युक्त सभी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।

7. यह साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के मामलों के प्रति प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के प्रति कोई आश्वासन है।

कृते – नरेंदर अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिव

जी नरेंदर
प्रोप्राइटर
एफ सी एस नं. 4898; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 19.05.2022

* अनूदित पाठ

अनुलग्नक- III

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

दूरंदेशी कथन :

इस प्रबंधन चर्चा में, कंपनी की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण और प्रचालन परिणामों के संबंध में कही गई बातें कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षाएँ या भविष्यवाणी, प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के तहत दूरंदेशी प्रतीत हो सकती हैं। दूरंदेशी कथन कुछ पूर्वानुमान और संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि ये पूर्वानुमान और संभावनाएँ सटीक और वास्तविकता में बदलेंगे। साथ ही, कंपनी इन दूरंदेशी कथनों की जानकारी, घटनाओं और किसी आधार पर इनमें होने वाले परिवर्तन में सार्वजनिक रूप से संशोधन, आशोधन या परिशोधन का उत्तरदायित्व नहीं रखती। वास्तविक परिणाम वस्तुगत रूप से इन कथनों में व्यक्त परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालन को प्रभावित करने वाले कारकों में सरकार की रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण संबंधी नीति, सरकारी विनियमों में बदलाव, कर-कानून, देश के भीतर होने वाले आर्थिक विकास और कुछ ऐसे वैश्विक परिवर्तनकारी कारक शामिल हैं।

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड : परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) की स्थापना दि. 16 जुलाई, 1970 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गयी थी। बी डी एल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

समय के गुजरने के साथ-साथ बी डी एल ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जलास्त्र, वायुवाहित उपकरण और संबद्ध रक्षा उपकरण बनाकर सुपुर्द करने वाले विश्व के कुछ चुनिंदा उद्यमों में अपनी जगह बनायी है। साथ ही, बी डी एल अपने द्वारा सुपुर्द उपकरणों के कार्य-काल विस्तार के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं के पास उपलब्ध पुरानी मिसाइलों के पुनर्सज्जीकरण / कार्य-काल विस्तार का कार्य भी करता है। संचलित अस्त्र–प्रणाली विनिर्माता की अपनी मूलभूत भूमिका अदा करते हुए ही बी डी एल ने आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमताएँ भी विकसित की हैं जिनमें प्रमुखत: डिजाइन और इंजीनियरिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' निर्माण के लिए किए गए आह्वान के अनुसरण में बी डी एल रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान देने अथक प्रयास कर रहा है। कंपनी 'मेक इन इंडिया' अभियान को और आगे ले जाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन के लिए प्रयासरत है। नयी मिसाइलें और अंतर्जलास्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी के सक्षम हस्तांतरण के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओ ई एम) के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर बल दिया जा रहा है।

बी डी एल ने अपने कुछ उत्पाद मित्र देशों को निर्यात कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश कर लिया है। बीडीएल ने टॉरपीडो के लिए प्राप्त निर्यात आदेश को कार्यान्वित कर दिया है और अन्य निर्यात योग्य उत्पादों के लिए कार्य-आदेश प्राप्त करने प्रयास जारी हैं।

1.1 भारतीय रक्षा उद्योग

भारतीय रक्षा उद्योग सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो प्राथमिक रूप से भारत की युद्ध कौशल क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। भारतीय रक्षा उद्योग का उद्देश्य है - सेना के लिए अत्याधुनिक सेंसर, अस्त्र प्रणाली और प्लेटफॉर्म और संबंधित उपकरणों का अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण करना।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नई नीतियों के फलस्वरूप भारतीय रक्षा बाजार बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। भारत सरकार ने रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ऐसी पहल है जिसका लक्ष्य देशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और देश को इस क्षेत्र में सक्षम निर्यातक बनाना। पिछले तीन दशकों में, कई नागरिक प्रौद्योगिकियों में तेजी से हो रहे नवीकरण ने सेना प्रौद्योगिकियों को अगले स्तर पर पहुँचा दिया है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उद्योगों में उप-घटक स्तर पर ये साध्य हुआ है। भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने, आयात को कम करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर विचार कर रहा है। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के उत्पादन का कुल मूल्य वर्ष 2019-20 में रु. 79071 करोड़ रहा जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 84643 करोड़ हो गया है, जिससे लगभग 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के रक्षा निर्यात में भारी वृद्धि हुई है - 2014-15 में रु. 1,940.64 करोड़ रहा जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 8,434.84 करोड़ हो गया।

एक रक्षा निर्यात रणनीति तैयार की गई है ताकि सार्वजनिक रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) और निजी रक्षा संचालकों को विदेशों में व्यापार के अवसर खोजने में सहायता मिले सके।

भारत ने 2025 तक 35,000 करोड़ रुपये (5 बिलियन डॉलर) के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत ने रक्षा निर्यात में भी तेजी से प्रगति की है। एस आई पी आर आई द्वारा वर्ष 2020 में भारत को वैश्विक अस्त्र निर्यातक के रूप में 23 वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था। पहली बार भारत ने इस सूची में जगह बनाई। इसका उद्देश्य है 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना।

निर्यात बढ़ाने और देशी रक्षा उद्योग के निर्माण के उद्देश्य के साथ-साथ इस नई नीति का यह भी लक्ष्य है कि आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा उत्पाद व सेवाओं में रु. 35000 करोड़ (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निर्यात सहित रु. 1,75,000 करोड़ (25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का कारोबार करना है। इस नीति का लक्ष्य यह भी है कि भारतीय उद्योग से घरेलू खरीद को दोगुना किया जाए। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आयात प्रतिबंध सूची में शामिल करने के लिए 2851 वस्तुओं की एक सूची भी जारी की है जिससे सालाना 3,000 करोड़ रुपये का बचत होगा।

वर्ष 2021-22 के लिए भारत का रक्षा बजट 478196 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल रक्षा बजट 525166 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित बजट से रु. 46970 करोड़ (9.82%) अधिक हुई है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती हुई बजटीय सहायता के माध्यम से, सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा योजना का मुख्य अंश बनाया है। वर्ष 2013-14 में रक्षा सेवाओं के पूँजीगत परिव्यय के तहत कुल आवंटन रु. 86,740 करोड़ रहा जो कि वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर रु. 1.52 लाख करोड़ हुआ है। नौ वर्षों की अवधि में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आगे, इस अवधि के दौरान, रक्षा पेंशन सहित कुल रक्षा बजट में 107.29% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में रु. 2.53 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में रु. 5.25 लाख करोड़ हो गया है। बजट-2022 ने रक्षा क्षेत्र में आत्मानिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किये हैं। उद्योग और शिक्षा क्षेत्र की भागीदारी के साथ रक्षा प्रणालियों के अभिकल्पन और विकास का एकीकृत दृष्टिकोण रक्षा पारिस्थितिकी पुनर्वीकरण करेगा। प्रमुख रक्षा उपकरणों के अभिकल्पन, विकास और उत्पादन के लिए विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) के गठन का प्रावधान समवर्ती इंजीनियरिंग और उत्पादन को गतिमान दुनिया में सक्षम बनाएगा।

केंद्रीय बजट 2022-23 में, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और विकास से संबंधित पूँजी आवंटन को काफी बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में रु. 17,308 करोड़ (12.82%) की वृद्धि दर्शाता है। आगे, 2019-20 से पूँजीगत बजट में संचयी वृद्धि रु. 48,975 करोड़ (47.37%) रही है।

समग्र पूँजी बजट में बढ़ोत्तरी, आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सतत वृद्धि और 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के संकल्प को दर्शाती है। आगे, आयुध निर्माणियों में स्वायत्तता प्रदान करने, दक्षता बढ़ाने और नई विकास क्षमता को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने सभी स्टेकहोल्डर हितों की रक्षा करते हुए आयुध निर्माणी बोर्ड को (ओएफबी) 07 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में निगमित किया है। नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम 1 अक्तूबर, 2021 से चालू हो गए हैं।

भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र पिछले 4-5 वर्षों के दौरान लगभग 3.9% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त किया है. राष्ट्रीय सुरक्षा की बढ़ती सरोकार से निकट भविष्य में इसकी माँग की तेजी से वृद्धि होगी।

भारत सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी घरेलू उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसने देशी पूँजी खरीदी का शेयर बढ़ाया है, जो कि वर्ष 2021-22 में 64% था जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा सेवाओं के लिए निर्धारित पूँजीगत अधिग्रहण बजट का 68% है जिसका मूल्य लगभग रु. 84,598 करोड होगा। 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी घरेलू उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए तथा रूस-यूक्रेन युद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त 68% का शेयर आगामी वर्षों में और भी बढ़ने संभावना है। दशकों के अनुभव से बीडीएल प्राप्त अवसरों के सदुपयोग में बहुत ही सक्षम है और आने वाले वर्षों में चुनौतियों का सामने करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

(स्रोत : www.mod.gov.in; प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो तथा अन्य दस्तावेज)

1.2 देशीकरण

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत कई नीतिगत पहल की हैं और देश में रक्षा उपकरणों के देशी अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार लाए हैं, जिससे रक्षा उपकरणों के आयात में कमी आई है। इस पहल में अन्य बातों के साथ-साथ, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) -2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूँजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देना; उद्योग आधारित अभिकल्पन एवं विकास के लिए 18 प्रमुख प्लैटफार्म की घोषणा ; सेवा संबंधी 310 मदों की तीन 'सकारात्मक देशीकरण सूचियाँ' और 2841 मद और रक्षा सार्वजनिक उपक्रम के 107 लाइन रीप्लेसेबल इकाई संबंधी दो 'सकारात्मक देशीकरण सूचियाँ' शामिल है, जिससे निर्धारित समय-सीमा के बाद इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध होगा; औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; स्वचालित 74% एफडीआई के लिए अनुमति देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; स्टार्ट अप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवोन्मेष योजना चालू करना; 'सृजन' नाम से देशीकरण पोर्टल चालू करना ताकि एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग के देशीकरण के लिए सुविधा हो; निवेश को आकर्षित करने पर जोर देने के साथ-साथ

ऑफसेट नीति में सुधार और उच्च गुणक प्रदान करके रक्षा निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण; उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक रक्षाऔद्योगिक कॉरीडार की स्थापना करना शामिल हैं।

'आत्मनिर्भर भारत' निर्माण में बी डी एल के योगदान के अंतर्गत किसी भी संविदा पर हस्ताक्षर करते समय उस टेक्नोलॉजी के आत्मसातीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। बी डी एल, डी आर डी ओ और विदेशी मूल विनिर्माणकर्ताओं से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से मिसाइलों का विनिर्माण करता है। विदेशी मूल विनिर्माताओं द्वारा डिजाइन किये गये उत्पादों के मामले में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केवल 60% रहा लेकिन बी डी एल ने अपने देशीकरण पहल के माध्यम से अधिकतर उत्पादों में इस देशीकरण स्तर को 80% से 90% तक हासिल किया। डी आर डी ओ के सहयोग से विकिसत अधिकतम उत्पादों में 90% से भी अधिक का देशीकरण का स्तर हासिल किया गया। बी डी एल अपने सभी उत्पादों में देशीकरण का स्तर अधिकतम रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।

'मेक इन इंडिया' एक सतत प्रकिया है जिसके तहत भारत सरकार / रक्षा मंत्रालय द्वारा कई पहल की जा रही हैं। इस योजना के तहत रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए बी डी एल ने कई पहल की हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :

ए) **बीडीएल में मेक-II प्रक्रिया का कार्यान्वयन :** आयुध निर्माणी और सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में मेक-II प्रक्रिया लागू करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 11 फरवरी, 2019 को रूपरेखा जारी की गई है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ ओएफबी और डीपीएसयू की खरीदी मैनुअल में मेक-II प्रक्रिया को शामिल करना ताकि नियमित रूप से आयात किए जाने वाले वस्तुओं के देशीकरण की परियोजना को अपनाए जाने में सशक्त बनाया जा सके। तदनुसार बीडीएल ने अपने उत्पाद संबंधी घटक और पुर्जों की देशीकरण और प्रक्रिया को शामिल करते हुए एकीकृत सामग्री प्रबंधन मैनुअल को संशोधित किया है।

बी) **'सृजन' पोर्टल :** रक्षा मंत्रालय का देशीकरण पोर्टल 'सृजन' एक 'वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेता को देशीकरण के लिए घटक चयनित करने का अवसर प्रदान करता है। इस पोर्टल में अब तक बीडीएल ने 603 मद अपलोड किए हैं। इन 603 मदों में बीडीएल द्वारा आयात की गई सभी वस्तुएँ, आयात मूल्य सहित शामिल हैं। 603 वस्तुओं में से विक्रेताओं ने 288 वस्तुओं के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है और 36 मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं।

सी) **आत्मनिर्भर भारत (देशीकरण योजना) :** बीडीएल ने पाँच वर्ष (2020-21 से 2024-25) के लिए देशीकरण योजना बनाई है। वर्ष 2020-21 के दौरान बीडीएल ने वस्तुओं 72 के देशीकरण का लक्ष्य पार करते हुए 79 वस्तुओं का देशीकरण पूरा किया है। आगे, पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 53 वस्तुओं का देशीकरण किया है।

डी) **मेक -II के तहत विकसित उत्पाद :** बीडीएल, अमोघा-III नाम से एटीजीएम का अभिकल्पन एवं विकास कर रहा है। इसका विकास रक्षा खरीदी प्रकिया के तहत देशी रूप से अभिकल्पित , विकसित और विनिर्मित भारतीय श्रेणी के अंतर्गत थलसेना द्वारा मेक-II परियोजना के रूप में मंजूर परियोजना आदेश के प्रति किया जा रहा है।

ई) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने पहली सकारात्मक देशीकरण सूची के अनुलग्नक बी में 351 उत्पादों की सूची घोषित की है। खरीदी सूची में निर्धारित समय-सीमा के बाद इनकी खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। बीडीएल के 50 मद इस सूची में शामिल है। जिस माह और वर्ष से इन मदों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है उसके विवरण निम्न अनुसार है। :

सामग्री / उपकरणों की संख्या	..... से आयात बंद
24	दिसंबर, 2022
07	दिसंबर, 2023
19	दिसंबर, 2024

एफ) बीडीएल ने डीडीपी, रक्षा मंत्रालय की दूसरी सकारात्मक दशीकरण सूची में 04 प्रमुख लाइन रीपलेसमेंट इकाइयों को प्रस्तावित किया है। ये चार कॉंकूर्स-एस मिसाइल और 'अस्त्र' मिसाइल की जटिल सामग्री हैं।

जी) **ऑफसेट नीति :** विदेशी रक्षा ओईएम के साथ पूँजी खरीद अनुबंधों में ऑफसेट नीति, रक्षा अनुबंधों के लिए न्यूनतम 30% की अनिवार्य ऑफसेट आवश्यकता को निर्धारित करती है। न्यूनतम अनुबंध मूल्य जिसके लिए ऑफसेट अनिवार्य हैं, अब इसे 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऑफसेट दिशा-निर्देशों को भारतीय ऑफसेट भागीदार (IOPs) और ऑफसेट घटकों में बदलाव की अनुमति देकर लचीला बनाया गया है, यहाँ तक कि हस्ताक्षरित अनुबंधों में भी। ऑफसेट नीति के अंतर्गत बीडीएल और एमबीडीए फ्रांस/यूके ने भारत में ए एस आर ए ए एम और मिस्रल मिसाइल के अंतिम संयोजन एकीकरण और परीक्षण की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन के बाद एक ऑफसेट समझौता भी किया है। भारतीय वायुसेना को इन मिसाइलों की आवश्यकता है। भारत में इस सुविधा की स्थापना के परिणामस्वरूप देश में इन दो मिसाइलों की एकीकरण क्षमता होगी जिसका उपयोग एम बी डी ए और बीडीएल द्वारा भारतीय वायुसेना को मिसाइलें सुपुर्द करने के साथ-साथ भविष्य में एम बी डी ए की वैश्विक आपूर्ति आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।

2. बी डी एल के संव्यवहार / कारोबार की समीक्षा :

कंपनी एक ऐसे वातावरण में काम कर रही है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में बढ़ती जटिलता और भारत व विश्व स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतियाँ दोनों शामिल हैं। इस वातावरण में बीडीएल के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण आयाम है कार्य संपादन, स्तर और बेहतर गुणता के साथ भारतीय सेना को उत्पाद की सुपुर्दगी की पूर्वानुमेयता पर ध्यान केंद्रित करना। बी डी एल ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखा है और अपने कर्मचारियों पर भी ताकि कंपनी के पास अपनी क्षमता को सीमित किए बिना सफल होने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल हो।

2.1 बी डी एल के उत्पाद

एस ए एम (सैम) / हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल	ए टी जी एम	टॉरपीडो	लाँचर	प्रतिमारक	परीक्षण उपकरण
आकाश अस्त्र प्रणाली मध्यम दूरी के सैम 'अस्त्र' हथियार प्रणाली	मिलान-2टी, कॉंकूर्स-एम इनवार	हल्के भार वाले टॉरपीडो भारी टॉरपीडो	कॉंकूर्स-एम और मिलान-2टी ए टी जी एम के लिए लाँचर	प्रतिमारक अवसर्जन प्रणालियाँ और अंतर्जलास्त्र डिकॉय	ए टी जी एम और सैम की कार्यकारिता की देखभाल के लिए उपकरण

2.2 विनिर्माण सुविधाएँ

कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयाँ हैदराबाद, भानूर और विशाखपट्टणम में स्थित हैं। सभी विनिर्माण सुविधाएँ आई एस ओ 14001 : 2005 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) प्रमाणन प्राप्त हैं। सभी उत्पादन प्रभाग वांतरिक्ष गुणता प्रबंधन प्रणाली के लिए ए एस 9100 डी प्रमाणन प्राप्त हैं। हैदराबाद स्थित निगम कार्यालय आई एस ओ 9011: 2015 (गुणता प्रबंधन प्रणाली) से अधिप्रमाणित है। कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग वांतरिक्ष गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए) की ओर से ए एफ क्यू एम एस (फर्म तथा इसकी गुणता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन) से अधिप्रमाणित है जबकि मिलान प्रभाग की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला और भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए बी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त है।

बीडीएल की कंचनबाग इकाई और भानूर इकाईयों के सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को प्रमाणन निकाय मेसर्स एक्यूसी मिडिल ईस्ट एलआईसी द्वारा आई एस ओ /आई ई सी 270001:2013 दि 06. अप्रैल 2021 से पुनः प्रमाणित किया गया है।

कंपनी इब्राहिमपट्टणम (हैदराबाद के पास) में और महाराष्ट्र के अमरावती में अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने जा रही है। विभिन्न एटीजीएम के लिए प्रणोदकों के विनिर्माण के हेतु कंपनी की छठीं और उत्तर भारत में पहली विनिर्माण इकाई की स्थापना झांसी, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। निगम कार्यालय - फाइनेंशियल जिला, गच्छीबाउली, हैदराबाद में स्थित है।

2.3 कार्य आदेश

01 अप्रैल 2022 तक हमारे पास रु. 10170 करोड़ के कार्य-आदेश हैं।

2.4 वित्तीय निष्पादन

i) **वित्तीय रूप में कंपनी के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :**

(रुपये करोड़ में)

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2021-22	2020-21	
बिक्री / परिचालन से प्राप्त राजस्व	2817	1914	47.18
उत्पादन मूल्य	2902	2043	42.00
i) निर्यात सामग्री की खपत	271	277	(2.16)
ii) देशी सामग्री की खपत	992	693	43.19
खपत की गई कुल सामग्री	1263	970	30.23
मूल्यवर्द्धक	1639	1073	52.66
कर पूर्व लाभ	710	341	108.21
कराधान के बाद लाभ	500	258	93.80
प्रति शेयर अर्जन # (रुपये में)	27.28	14.06	94.03

ई पी एस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है।
* आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्समूहन किया गया है।

ii) **निम्नलिखित डॉटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :**

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2021-22	2020-21	
सकल निरुद्ध (पी पी ई)	1451	1369	5.99
संचित मूल्यह्रास	577	454	27.09
निवल निरुद्ध	874	915	(4.49)
कार्यगत पूँजी	2942	2378	23.72
नियोजित पूँजी	2973	2637	12.76
निवल मालियत	3031	2685	12.89

iii) **प्रमुख वित्तीय अनुपात :**

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी को विस्तृत विवरण के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक परिवर्तन) का विवरण देना भी आवश्यक है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19	परिवर्तन (%में)	25% या उससे अधिक के परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
देनदार टर्नओवर अनुपात (गुना)	8.99	5.79	54.40	बिक्री में बढ़ोत्तरी और परियोजनाओं के रियलाइजेशन की वजह से सुधार आया है
सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात (गुना)	1.85	1.70	8.82	-
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	350.71	136.27	111.2	उच्च कारोबार और वित्तीय लागत की कमी से प्राप्त अधिक लाभ से सुधार आया है
चालू अनुपात (गुना)	2.14	1.94	10.31	-
ऋण ईक्विटी अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	शून्य	-
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	21.25	12.87	65.11	परिचालन क्षमता और विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि और उत्पादों में विविधता की वजह से
निवल लाभ मार्जिन (%)	17.74	13.47	33.63	न्यून निश्चित ओवरहेड और वापस प्राप्त परिसमापन क्षतियों की तुलना में अधिकतर टर्नओवर के चलते बेहतर कराधान बाद लाभ के कारण
निवल मालियत पर रिटर्न (%)	17.49	9.74	79.57	टर्नओवर और कराधान बाद लाभ में वृद्धि के कारण

iv) संव्यवहार की प्रकृति और प्रकटीकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेगमेंट रिपोर्टिंग से संबंधित भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है। हालाँकि, इस तरह के गैर-प्रकटीकरण का कंपनी लेखा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

2.5 कंपनी के उद्देश्य :

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।
- विश्व बाजार में एक मुख्य प्रतिस्पर्द्धी बनना और मित्र देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करना।

2.6 अवसर और खतरे

अवसर

- रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में कई वर्षों की बीडीएल की विशेषज्ञता और प्रोन्नत सुविधाएँ इसे भारत और विदेशी बाजार में कंपनी के विस्तार की संभावना प्रदान करती है।
- बीडीएल का अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग है जिसे रक्षा उपकरण विनिर्माण में कई वर्षों का विस्तृत अनुभव प्राप्त है।
- "मेक इन इंडिया" नीति के तहत रक्षा देशीकरण के बढ़ावे से बीडीएल को और अधिक अवसर प्राप्ति की संभावना बढ़ी।
- बी डी एल के पास तकनीकी रूप से योग्य विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता उपलब्ध हैं जो समय पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
- प्राथमिकत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बी डी एल का ग्राहक है। भारत सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए और अधिक बजट आबंटित कर रहा है।
- निर्यात बाजार के खुल जाने और भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र पाने में सुगमता से कंपनी ने हाल ही में निर्यात आदेशों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है और अन्य देशों से और भी अधिक माँग की पूछताछ की जा रही है।

खतरे

- आर्थिक गतिविधियों में मंदी और भारत सरकार के रक्षा बजट में कमी बी डी एल के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय पर अधिक निर्भरता।
- आदेश रद्द किये जाने से कार्यादेश एवं भविष्य के राजस्व में कमी आ सकती है।

2.7 प्रमुख कार्यनीतियाँ :

बीडीएल की कार्यनीति के तहत क्षमताओं का विस्तार कर कंपनी की बाजार में स्थिति दृढ़ करना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसरों का लाभ उठाना और देशीकरण पर अधिक बल देते हुए कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि करना है।

अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा :

2.7.1 इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखेगी। झाँसी, इब्राहीमपट्टणम और अमरावती में बन रही विनिर्माण सुविधाएँ हमारे ग्राहकों की बढ़ती माँग को पूरा करने में कंपनी को सक्षम बनाएँगी। इन दो विनिर्माण सुविधाओं में क्रमशः सैम (नई पीढ़ी के सैम सहित) और अन्य पीढ़ी की मिसाइलों का विनिर्माण किया जाएगा। साथ ही बी डी एल अपनी मौजूदा इकाइयों में सीकर निर्मिति केंद्र और वारहेड उत्पादन सुविधा भी स्थापित करने जा रहा है।

2.7.2 स्वचालीकरण (ऑटोमेशन) : बीडीएल, इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स संचालित कार्यशालाएँ, नवीनतम सतहधारी प्रतिष्ठापन उपकरण संयोजन लाइनें जैसी उत्कृष्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकी व प्रक्रियाओं का लगातार उन्नयन करता आ रहा है और ए एस 9100, 'जीरो डिफेक्ट' जैसे उच्चतम गुणता आश्वासन पद्धतियाँ अपनाकर अपने उत्पादों में उच्च गुणता मानक बनाये रखता आ रहा है। इन प्रयासों के चलते उत्पादन लागत में कमी, उत्पादकता मानदंडों के बेंचमार्किंग और प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण और आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में कमी जैसे परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रयास यही है कि जहाँ भी उत्पादकता बढ़ाने की संभावना हो, अपनी उत्पादन प्रणालियों को स्वचालित किया जाए।

2.7.3 अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना : कंपनी का मानना है कि परिवर्तित सरकारी नीति के तहत रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति देने से हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाते हुए हम अपने ग्राहकों के लिए नवोन्मेषी उत्पाद विकसित करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बी डी एल के अनुसंधान एवं विकास व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कंपनी का यह भी मानना है कि नए उत्पादों के विकास से हम विविध प्रकार के उत्पाद दे पायेंगे जिससे सीमित उत्पाद पर निर्भरता में कमी आएगी। कंपनी ने मिसाइल विकास समूह (एम डी जी) की भी स्थापना की है ताकि नयी मिसाइल का अभिकल्पन और विकास किया जा सके। बी डी एल कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। अनुभव और उद्योग संबंधी ज्ञान के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए उद्योग एवं अकादमिक प्रतिभा के बीच सामंजस्य बनाये रखा जा रहा है।

2.7.4 **प्रक्रियाओं में सुधार :** हम अपने परिचालन की उत्पादकता और क्षमता में सुधार एवं मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियागत सुधार पर भी ध्यान दे रहे हैं।

2.7.5 **नई पीढ़ी के अस्त्र :** बी डी एल अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए नई पीढ़ी के सैम, एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और भारी टॉरपीडो जैसे नए उत्पाद विकसित करना चाहता है जिससे कि हमारे राजस्व में और वृद्धि आएगी। बी डी एल, डी आर डी ओ के साथ अगली पीढ़ी के एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और सैम विकसित करने में संयुक्त विकास भागीदार-सह-उत्पादन एजेंसी भी है। बी डी एल ने नये उत्पादों के विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ कई अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और गैर प्रकटीकरण समझौते भी किये हैं।

2.7.6 **निर्यात:** बी डी एल प्रमुखत भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से बीडीएल सक्रिय रूप से निर्यात की संभावनाएँ तलाशने में लगा है। आगे, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा दी गई अनापत्ति से बी डी एल नौ देशों को 'आकाश' अस्त्र प्रणाली के निर्यात के लिए तैयार है। बी डी एल को पहले ही कुछ देशों से 'आकाश' के लिए निर्यात लीड मिल चुकी है। इसलिए बी डी एल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार है। बी डी एल के पास अपने उत्पादों की घरेलू और निर्यात माँग पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सुविधाएँ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कारोबार के विस्तार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बीडीएल अपने उत्पादों के निर्यात के लिए संभावित विदेशी ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क कर रहा है।

3. जोख़िम और चिंताएँ :

विभिन्न किस्म के जोख़िम और इनसे निपटान की योजना में शामिल है उद्योग से संबंधित जोखिम, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विपणन के लिए समय, बाजार खंडों में गिरावट या मंदी और उत्पाद एवं उत्पाद आगत कीमत, लागत नियंत्रण की निवेश कीमत, लागत नियंत्रण और परिवर्तित माँग का जोखिम। साथ ही, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आईटी, आर अण्ड डी, बौद्धिक संपदा और डिजिटलीकरण / स्मार्ट उद्योग जैसी नई तकनीकी माँगों से संबंधित जोखिमों पर भी ध्यान देते हुए उचित सुधार के साथ सक्रिय रूप से इनका निपटान और प्रबंधन किया गया तथा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

3.1 **संव्यवहार जोखिम:** कंपनी मुख्य रूप से एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बल पर निर्भर है। भारतीय रक्षा बजट में गिरावट या पुनर्वितरण, उनके कार्य-आदेश में घटाव, संविदाओं की समाप्ति या निविदा परियोजनाओं में विफलता और भविष्य में रक्षा मंत्रालय या भारतीय सशस्त्र बलों की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों में विचलन से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, विकास संभावनाओं और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम सम स्तरीय अवसर प्रदत्त निजी क्षेत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारे व्यापार और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मुश्किल होती है।

निपटना : अपनी व्यवसाय अर्जित समृद्ध विशेषज्ञता के आधार पर कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक आधार के विस्तार के लिए बीडीएल, भारत सरकार के प्रोत्साहन से सक्रिय रूप से निर्यात बाजारों में प्रवेश के अवसर तलाश रहा है।

3.2 **नीति जोखिम:** कंपनी रक्षा मंत्रालय के कई खरीदी नियम एवं विनियम तथा सरकारी नियम और अन्य नियम एवं विनियमों से आबद्ध है। यदि हम लागू नियमों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो हमारे व्यवसाय और हमारी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे उत्पादों के वर्तमान और भविष्य के निर्यात पर प्रतिबंध हमारे व्यापार, संचालन के परिणाम और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

निपटान : कंपनी, भारत सरकार की नीतियों के अनुसार सभी नियम और विनियमों का पालन कर रही है और साथ ही नियमावली में होने वाले संभावित परिवर्तनों के बारे में भी समय रहते हुए आवश्यक सावधानियाँ बरत रही है।

3.3 **परिचालन और श्रम जोखिम:** कंपनी का प्रचालन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित तीन इकाइयों पर आधारित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हमारी किसी भी इकाई में प्रचालन में हानि या बंद होने से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर दृष्टव्य / भौतिकत: वस्तुगत रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कुछ कार्यबल का प्रतिनिधित्व श्रमिक यूनियन करती है, अतः लंबे समय तक कार्य रुकने की स्थिति में हमारे व्यापार को नुकसान पहुँच सकता है।

निपटान : कंपनी हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखती है और इस तरह से इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं है।

3.4 **आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता जोख़िम:** कंपनी उप संयोजन / घटक, एकल स्रोत आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के लिए कई प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भर है। इनमें से किसी के कार्यनिष्पादन की विफलता से हमारा प्रचालन वस्तुगत रूप से प्रभावित हो सकता है।

निपटान : कंपनी लगातार अपने विक्रेता आधार का विस्तार कर रही है और किसी के विफल कार्यनिष्पादन पर परिसमापन क्षति (एल डी) उपबंध के तहत पर्याप्त सुरक्षा बरती गई है। बी डी एल जहाँ अपने कार्यक्रमों में एकल विक्रेता हैं, वहाँ बहु-विक्रेता आधार विकसित कर रहा है ताकि विक्रेताओं पर निर्भरता कम हो और अपने कार्यक्रम निरंतर चल सकें।

3.5 **प्रौद्योगिकी जोखिम:** हम उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का विनिर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं। नए उत्पाद और प्रौद्योगिकी के प्रवेश में जोखिम शामिल होता है तथा प्राथमिक रूप से अनुमानित लाभ का स्तर या इसकी समय पर वसूली नहीं की जा सकती।

निपटान : कंपनी ने अपना खुद का अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित कर लिया है और प्रौद्योगिकी जोखिमों का सामना करने के लिए आर अण्ड डी में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कई परियोजनाओं के विकास में डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रही है।

4. भविष्य दृष्टि :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रक्षा बजट, एक मजबूत घरेलू औद्योगिक सुविधा पर केंद्रित है जिससे कि भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके। इसे सिद्ध करने में बीडीएल , भारतीय सशस्त्र सेना के लिए कई उत्पादों के विनिर्माण में नोडल एजेंसी रहते हुए भारतीय सशस्त्र सेना को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने में अपने योगदान रूप में विनिर्माण प्रक्रियाओं से स्वावलंबी बनने पर बल दे रहा है।

आधुनिक युग की युद्धकला को संज्ञान में लेते हुए, सशस्त्र सेना के लिए भविष्य के अस्त्र विकसित करने हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना ही कंपनी का लक्ष्य है। ऐसा करने के लिए बीडीएल अपनी विनिर्माण सुविधाओं के स्वचालन, महत्वपूर्ण मदों का देशीकरण और मानव संसाधन को उन्नत कौशल से लैस करने पर बल दे रहा है ताकि सशस्त्र सेना के लिए उन्नत अस्त्रों का देशी रूप से अभिकल्पन और विनिर्मित करने के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकियों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

संप्रति बीडीएल के पास 01 अप्रैल 2022 तक ₹ 10170 करोड़ की अच्छी ऑर्डर बुक स्थिति है। जो आनेवाले वर्षों में उत्पादन श्रृंखला को चालू रखेगी।

बीडीएल के उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए कंपनी वैश्विक बाजार में अपने प्रवेश को सुदृढ़ करना चाहती है। बीडीएल ने हल्के भार वाले टारपिडो को विदेशी मित्र देशों को निर्यात कर निर्यात बाजार में पदार्पण कर लिया है। सरकार द्वारा शुरू किए गए 'सुगम व्यापार' ने कंपनी के लिए अपने निर्यात योग्य उत्पादों को मित्र देशों में निर्यात करने के लिए ढ़ेर सारे अवसर प्रदान किए हैं। बीडीएल को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए मित्र देशों से अनेक अवसर प्राप्त हो चुके।

बढ़ती हुई माँग की पूर्ति और सशस्त्र सेना के लिए उत्कृष्ट अस्त्र उपलब्ध कराने के लिए बीडीएल अपनी अवसंरचना के विकास के लिए संसाधनों को सुदृढ़ बना रही है और आधुनिकीकरण आवश्यकताओं में बेहतर निवेश पर बल दे रहा है।

बीडीएल और एमबीडीए, यू के ने प्रोन्नत लघु दूरी वाली हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के अंतिम संयोजन, एकीकरण और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और अनुज्ञप्ति करार पर हस्ताक्षर किए हैं। बीडीएल में नई सुविधा की स्थापना होगी। अनुज्ञप्ति करार के तहत सुविधा की स्थापना के लिए एमबीडीए बीडीएल को उपकरण और ज्ञान का हस्तांतरण करेगी। अपने विभिन्न मिसाइल कार्यक्रम के लिए बीडीएल द्वारा एमबीडीए के साथ की गई सहभागिता और सुदृढ़ बनेगी।

कंपनी , उत्तर प्रदेश के रक्षा कॉरीडॉर में झाँसी में अपनी छठी विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। झाँसी इकाई में प्रणोदन प्रणाली का विनिर्माण किया जाएगा जिसका प्रयोग सभी टैंक रोधी संचलित मिसाइल और कंपनी द्वारा भविष्य में बनायी जाने वाली मिसाइलों के लिए किया जाएगा। ग्राहकों को विश्व स्तरीय अस्त्र प्रणाली सुपुर्द करने की क्षमता और अधिक सुदृढ करने में पूर्व एकीकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

बीडीएल अपने देशीकरण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। जिस विदेशी सहभागिता कार्यक्रमों से जुड़ी है, उसमें मूल उपकरण विनिर्मिताओं के सहयोग से अनुबंधित देशीकरण सामग्री प्रतिशतता से परे मदों के देशीकरण में बी डी एल ने सफलता प्राप्त की है। बीडीएल में देशीकरण का अवसतन प्रतिशत 80-90 प्रतिशत के बीच में है। कंपनी की इस सोच ने आयात लागत को कम किया है और भारतीय सशस्त्र सेना के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर उत्पाद उपलब्ध कराया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हैं। चूँकि सशस्त्र सेनाओं को बीडीएल से उत्पाद के आश्वस्त कार्यकाल सहयोग के साथ नवीनतम उत्पाद मिल रहे हैं। भारत सरकार की पारीस्थतिक आत्मनिर्भर भारत पहल के क्रम में बीडीएल ने एमएसएमई सहित कई विक्रेताओं को शामिल करते हुए देशीकरण प्रक्रियाओं को बढ़ाया है। ये विक्रेता सरकार के सृजन पोर्टल से ये घटकों का देशीकरण करते हैं। बीडीएल के पास मजबूत विक्रेता पारिस्थितिक प्रणाली है और देश भर में सशक्त आपूर्ति श्रृंखला मौजूद है।

आंतरिक रूप से विकसित उत्पादों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अनुभव और उद्योग संबंधी ज्ञान के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए उद्योग एवं अकादमिक प्रतिभा के बीच सामंजस्य बनाये रखा जा रहा है। बी डी एल, प्रक्रिया और सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियाँ भी पहचान रहा है। अमोघ-III, क्यू आर सैम, नाग, एम पी ए टी जी एम, आकाश (एन जी),स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, दिशानी, गरुड़ास्त्र कुछ ऐसे प्रमुख नये उत्पाद हैं जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

बी डी एल ने विभिन्न विदेशी मूल विनिर्माताओं के साथ एम ओ यू / करार पर हस्ताक्षर कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए कई पहल की हैं। कंपनी न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए बल्कि अपने 'मेक इन इंडिया' उत्पाद मित्र देशों को निर्यात करने और एक पुनरुज्जीवित आत्मनिर्भर भारत क निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ तथा उनकी पर्याप्तता :

आपकी कंपनी ने अपने आकार व संव्यवहार-प्रकृति को देखते हुए वित्तीय औचित्य के सभी मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रण तथा प्रणालियों की व्यवस्था की है। व्यावसायिक व पेशेवर कार्मिकों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य है – लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल के समक्ष संगठन के आपदा प्रबंधन, नियंत्रण तथा अभिशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता व प्रभाविता संबंधी स्वतंत्र, सोद्देश्य व उचित भाव सहित प्रस्तुत करना। आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र को निदेशक मंडल के लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति बनी हुई है। ये लेखापरीक्षा फर्म, आंतरिक रूप से सहयोग देने वाले लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं। आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।

ए) **लागत में कमी की पहल :** रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लागत की समीक्षा / कमी कार्यक्रम के तहत प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, दर एवं कर, फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत, जल प्रभार आदि के माध्यम से रु. 4 करोड़ की राशि बचायी गयी है।

बी) **मितव्ययता :** व्यय प्रबंधन, मितव्ययता तथा व्यय के युक्तीकरण संबंधी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान यात्रा व्यय, विज्ञापन तथा प्रचार-व्यय, नये वाहनों की खरीद संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन, मनोरंजन कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में राजकोषीय विवेक तथा मितव्ययता नीति अपनायी है। कच्चा माल, निर्माणाधीन तथा अतिरिक्त पुर्जों की सामग्री-सूची उत्तम स्तर पर रखी जाती है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है।

6. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित कर्मचारियों का साक्षी विकास :

6.1 दि. 31 मार्च, 2022 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है :

	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	अस्थायी	कुल
पुरुष	1647	724	7	2378
स्त्री	191	100	5	296
कुल	**1838**	**824**	**12**	**2674**
पिछले वर्ष	1907	869	36	2808

बी डी एल में कार्यपालक एवं कार्यपालेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक सुयोजित प्रशिक्षण व विकासात्मक कार्यक्रम मौजूद हैं। कंपनी पीसीएमएम (पीपल कैपबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल) स्तर 2 रेटिंग से प्रमाणित की गई है।

आपकी कंपनी ने 'गैप एनालिसिस' के माध्यम से कंपनी की उत्तराधिकार योजना नीति व अन्य मानदंड अनुसार उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है, प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान की पहचान व प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान के लिए 'की बेंच स्ट्रेंथ' की पहचान करने, कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर उत्तराधिकारियों की तैयारी सूचकांक बनायी है। उत्तराधिकारियों को बनाते समय मूल्यांकन विकास केंद्र द्वारा दी गयी जानकारी को भी ध्यान में रखा गया। उत्तराधिकार योजना के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पदों की रिक्तियों को आंतरिक प्रतिभा 'पूल' के साथ नियमित रूप से भरा जाता है और यदि आंतरिक प्रतिभा 'पूल' में उपलब्ध न हो तो बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।

6.2 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारी यथा – मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के संघ तथा अधिकारी संघ का लगातार सहयोग व समर्थन बना हुआ है। कार्य समिति, संरक्षा समिति, कल्याण समिति जैसी सांविधिक व गैर-सांविधिक समितियाँ सभी स्तरों पर कार्य-स्थल पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दे रही हैं।

7. पर्यावरणीय उपाय

बीडीएल क्लीनर टेक्नोलॉजी तथा पुन:चक्रण, पुन:प्रयोग और कमी लाने की अवधारणाओं के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा बना कर उत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती आ रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने का सयंत्र, मल-जल शुद्धीकरण सयंत्र का परिचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियाँ जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक व्यर्थ और धातु स्क्रैप का निपटान, पौधे लगाना और लैंडस्केपिंग, उपचारित अपशिष्ट जल और घरेलू जल का उपयोग करना। कंपनी नियमित अंतराल पर आईएसओ 14001 कोर समिति की बैठक, आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा बैठक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति की समीक्षा कर रही है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सभी तीनों इकाइयों में वार्षिक निगरानी ऑडिट किए जा रहे हैं।

8. विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी अंतिम रूपी उत्पादों के संयोजन में देशी सामग्री को बढ़ाकर मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) से घटक और उप-प्रणालियों के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

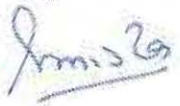

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन नं. 08367035

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

अनुलग्नक-IV

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है कि अपने सभी कार्यों में ईमानदारी सुनिश्चित की जाए, उचित बातों का प्रकटीकरण किया जाए, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वाधिकारों के हितों का ध्यान रखा जाए।

कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत् पालन कर रही है।

कंपनी की गतिविधियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा नज़र रखी जाती है।

आपकी कंपनी एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (आगे से 'लिस्टिंग विनियम' के रूप में संदर्भित) तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (आग से 'डी पी ई दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन मानदंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

2. निदेशक मंडल :

ए) निदेशकों का गठन और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। दि. 31 मार्च, 2022 तक इसकी कुल प्रदत्त पूँजी का 74.93% भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में निदेशक मंडल सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के कामकाज की देखरेख करता है। शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निदेशक मंडल दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक सोच प्रदान करता है।

दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) और पाँच अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति / कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निदेशक एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं हैं।

बी) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नवत है –

ए)	कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)	पदनाम
1)	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	श्री एन पी दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)
3)	श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)
4)	श्री एन श्रीनिवासुलू	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
बी)	**अंशकालिक सरकारी निदेशक (कार्यपालकेतर अस्वतंत्र)**	
1)	श्री चंद्रकर भारती, आई ए एस, संयुक्त सचिव (एयरो)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2)	श्री एम एस आर प्रसाद #, महानिदेशक (एम एस एस) एवं विशिष्ट वैज्ञानिक	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3)	डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति # महानिदेशक (एम एस एस) एवं विशिष्ट वैज्ञानिक	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सी)	**अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र)**	
1)	श्री सुनील चिंतामन मोने *	स्वतंत्र निदेशक
2)	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन *	स्वतंत्र निदेशक
3)	डॉ. पवन स्थापक *	स्वतंत्र निदेशक
4)	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा @	स्वतंत्र निदेशक
5)	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ^	स्वतंत्र निदेशक

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय की दि.25.08.2022 की कार्यालय ज्ञापन सं. डीडीपी.एम-0001 (11)/3/20158-डी (बीडीएल) के तहत श्री एम एस आर प्रसाद के स्थान पर डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति, विशिष्ट वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (एम एस एस) / डी आर डी ओ को दि. 25 अगस्त, 2021 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

* दि. 03.01.2021 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. डीडीपी-एम0001 (11)/1/2018-डी (बीडीएल) के तहत दि. 24 दिसंबर, 2021 से नियुक्त।

@ दि. 03.01.2021 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. डीडीपी-एम0001 (11)/1/2018-डी (बीडीएल) के तहत दि. 27 दिसंबर, 2021 से नियुक्त।

^ दि. 03.01.2021 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. डीडीपी-एम0001 (11)/1/2018-डी (बीडीएल) के तहत दि. 28 दिसंबर, 2021 से नियुक्त।

टिप्पणी : दि. 31 मार्च 2022 तक एक स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। सभी रिक्तियों के बारे में सरकार को समय पर अधिसूचित कर दिया गया। इस रिक्ति को भरने का मामला प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार में विचाराधीन है।

सी) निदेशक मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक मंडल सदस्य अथवा अध्यक्ष हों।

वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की कुल पाँच (05) बैठकें हुईं इन बैठकों के दौरान सेबी विनियम और कंपनी अधिनियम के अनुसार किन्हीं दो बैठकों के बीच समय-सीमा के अधिकतम अंतर का अनुपालन किया गया है। निदेशक मंडल की बैठकें – दि. 21 जून, 2021; 13 अगस्त, 2021; दि. 11 नवंबर, 2021; दि. 21 दिसंबर, 2021 और 14 फरवरी, 2022 को संपन्न हुईं निदेशक मंडल की हर तीन महीने में कम से कम एक बैठक होती है और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक है। निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक सदस्यता / समिति सदस्यता का विवरण इस प्रकार है –

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक		दि. 27 सितंबर, 2021 को हुई विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशकत्व में हुई बैठकें	ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों के नाम जहाँ निदेशक बोर्ड-सदस्य हैं		सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्यकाल में हुई निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)								
कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष	-	-
श्री एन पी दिवाकर निदेशक (तकनीकी)	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-
श्री पी राधाकृष्ण निदेशक (उत्पादन)	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-
श्री एन श्रीनिवासुलु निदेशक (वित्त) और सीएफओ	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ	-	1
अंशकालिक सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र)								
श्री चंद्रकर भारती	5	4	नहीं	4	भारत डायनामिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि.	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
श्री एम एस आर प्रसाद (दि. 25 अगस्त, 2021 को कार्यकाल समाप्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्त (दि. 25 अगस्त, 2021 से नियुक्त)	3	3	नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक)								
श्री सुनील चिंतामन मोने (दि. 24 दिसंबर, 2021 से नियुक्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा (दि. 27 दिसंबर, 2021 से नियुक्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	-	2
श्री राजेंद्र सिंह शेखावत (दि. 28 दिसंबर, 2021 से नियुक्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	-	2
श्री नंदकुमार सुब्बुरामन (दि. 24 दिसंबर, 2021 से नियुक्त)	1	1	लागू नहीं	2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड पीवीपी वेंचर्स लि. पिक्चर हाऊस मीडिया लि.	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
डॉ. पवन स्थापक (दि. 24 दिसंबर, 2021 से नियुक्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	-	2

टिप्पणी :

(1) कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ किसी प्रकार के आर्थिक लेन-देन का संबंध नहीं रहा। निदेशक मंडल के सदस्य न एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखते हैं और न ही एक दूसरे से संबंधित हैं।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों के निदेशक के रूप में सदस्यता को छोड़ कर।

(3) एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 26 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता / सदस्यता और शेयरधारकों के संबंध में समिति की सभी कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए माना जाता है। कोई भी निदेशक कार्यरत सभी कंपनियों को मिलाकर दस से अधिक समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है और कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है। कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंध निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।

(4) कंपनी के कोई भी निदेशक, कंपनी में शेयर और / या कन्वर्टबल इंस्ट्रूमेंट (परिवर्तनीय साधन) नहीं रखते हैं।

(5) आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के अनुसार दि. 31 मार्च, 2022 तक सभी स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता के संबंध में घोषणाएँ प्राप्त की हैं और स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) नियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्याग पत्र नहीं दिया है।

डी) निदेशक मंडल कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता :

केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, दक्षताएँ, कार्य-काल और पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित किये जाते हैं। कंपनी से संबंधित व्यवसाय (व्यवसायों) और क्षेत्र (क्षेत्रों) के संदर्भ में आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन सरकार की अपनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। पदधारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, परिचालन, तकनीकी, मानव संसाधन और विपणन की आवश्यकता के अनुसार है। कार्यकारी निदेशकों की भर्ती के समय, उम्मीदवारों का जॉब डिस्क्रिप्शन, वांछित योग्यताएँ और अनुभव, रिक्तियों की घोषणा और उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजा जाता है।

वैसे निदेशक मंडल में संव्यवहार क्षेत्र में प्रभावी कार्य के लिए आवश्यक पर्याप्त कौशल / विशेषज्ञताएँ / दक्षताएँ उपलब्ध हैं।

ई) कानून के अनुपालन की समीक्षा :

कंपनी में सभी उचित प्रणालियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा बनायी गयी और साथ ही गैर-अनुपालन संबंधी घटनाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम पर कंपनी में लागू सभी कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समयवार समीक्षा की जा सके। निदेशक मंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी पर लागू कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की। अनुपालन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल ने कंपनी की वर्तमान स्थिति या भविष्य के परिचालन संबंधी चिंतनीय किसी प्रकार का प्रमुख या भौतिक आदेश पारित नहीं किया।

एफ) एक स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) को निदेशक मंडल में शामिल करते समय, कंपनी अधिनियम के तहत उनसे अपेक्षित अनुपालनों के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियम और अन्य लागू विनियम के तहत निदेशक के रूप में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों के विवरण के साथ स्वागत पत्र निदेशक (कों) को संबोधित किया जाता है। कंपनी का प्रबंधन नवनियुक्त निदेशक (निदेशकों) को कंपनी, उसके संचालन, कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं, कंपनी के विभिन्न प्रभागों और उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और कंपनी के बारे में अन्य प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराता है। साथ ही, निदेशकों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल से संबंधित प्रथाओं और अभिविन्यास कार्यक्रम आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर देख सकते हैं।

जी) पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र

मेसर्स पुट्टपर्ती जगन्नाथम एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव ने लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें पुष्टि की गई है कि दि. 31 मार्च, 2022 तक सेबी / निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

3. निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियाँ :

ए) लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 177, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 12 सितंबर, 2020 से दि. 02 जनवरी, 2022 तक लेखापरीक्षा समिति को निलंबित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर दि. 03 जनवरी, 2022 से लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

वर्ष के दौरान दि. 14 फरवरी, 2022 और 21 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षा समिति की दो (02) बैठकें हुईं। उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री सुनील चिंतामन मोने *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
2	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
3	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
5	डॉ. पवन स्थापक *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2

* दि. 03 जनवरी, 2022 से नियुक्त।

कार्यकारी निदेशकों (सी एम डी के अलावा) को स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाता है और सांविधिक लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य करने वाली बाहरी सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि निमंत्रण प्राप्त होने पर भाग ले सकते हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उक्त कारण से लेखापरीक्षा समिति के निलंबित कर दिये जाने के कारण लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष का पद खाली है। अत: इन्होंने दि. 27 सितंबर 2021 को आयोजित कंपनी की 51वीं वार्षिक आम सभा में भाग नहीं लिया।

विचारार्थ विषय :

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (सरकारी कंपनियों को प्राप्त छूट छोड़ कर), सूचीबद्ध विनियम (सेबी द्वारा कंपनी को प्राप्त छूट छोड़ कर), डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के तहत उल्लिखित विचारार्थ विषय का अनुपालन करती है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होने वाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
- लेखापरीक्षकों के मानदेय के निर्धारण के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम 2015 की अनुसूची II भाग 'सी' में उल्लिखित विशेष संदर्भ के साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्यनिष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावधर्मिता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना।
- अनुमोदन या संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन।
- अंतर-निगमीय ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहाँ आवश्यकता हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण करना।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति / निष्कासन और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ परामर्श कर लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभागीय प्रमुख की वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों से प्राप्त किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा कर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या वस्तुगत प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के संबंध में आंतरिक जाँच की समीक्षा कर तत्संबंधी जानकारी निदेशक मंडल को देना।
- सांविधिक, आंतरिक और सरकारी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समीक्षा कर उनके आधार पर सिफारिशें प्रदान करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना अथवा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा करना।
- जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, शेयरधारकों (घोषित लाभांश और लेनदारों के भुगतान के मामले में) के भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की पड़ताल करना।
- विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म के काम-काज की समीक्षा करना।
- संसद के सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

- एकल स्रोत से खरीद के मामलों की समीक्षा करना।
- रु. 100 करोड़ की सबसिडरी या संपत्ति के आकार के 10% से अधिक के कंपनी निवेश पर/से प्राप्त ऋण/अग्रिम की उपयोगिता की समीक्षा करना।

बी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 178(1) (सरकारी कंपनियों को प्राप्त छूट छोड़ कर), लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 (सेबी द्वारा कंपनी को प्राप्त छूट छोड़ कर) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 12 सितंबर, 2020 से दि. 02 जनवरी, 2022 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को निलंबित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर दि. 03 जनवरी, 2022 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

वर्ष के दौरान दि. 14 फरवरी, 2022 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा * अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री सुनील चिंतामन मोने * सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
3	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत * सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन * सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
5	डॉ. पवन स्थापक * सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
* दि. 03 जनवरी, 2022 से नियुक्त। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।				

विचारार्थ विषय :

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

- उपलब्ध मानदंडों के अनुसार जिन व्यक्तियों को उच्च प्रबंधक (अर्थात् अधिशासी निदेशक) पद पर नियुक्त किया जा सकता है, उनकी पहचान कर निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति या निष्कासन की सिफारिश करना।

  प्रबंधन को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।
- वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल के सदस्य न होने की स्थिति में सी ई ओ/प्रबंधक सहित सी ई ओ/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से एक स्तर नीचे के प्रबंधन सदस्य) को देय सभी प्रकार के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- वार्षिक बोनस/कार्यनिष्पादन वेतन/परवर्ती वेतन पूल का निर्धारण कर, सभी कार्यपालकों में इसके वितरण संबंधी नीति निर्धारित करना।
- कार्यपालकों के लिए अनुलाभ और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएँ बनाना और इनका संशोधन।
- कार्यपालक अथवा कार्यपालकेतर वर्ग संबंधी जिनके लिए भी हो, प्रतिपूर्ति संबंधी नई योजना बनाना।
- सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किसी भी अन्य कानून और उनके संशोधन के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपी गई भूमिका अदा करना।

पारिश्रमिक नीति/सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :

i) केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इन्हें देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा जारी पत्र में उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल,

मूल वेतन, वेतनमान, महँगाई भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति / पारिश्रामिक व अन्य विषय बीडीएल भर्ती नियमावली अनुरुप और निदेशक मंडल द्वारा जारी दिशा निदेश व नीतियों के अनुरुप होंगे। इनके वेतन इत्यादि प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति निर्देशक के अनुसार होंगे।

ii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या इनमें से पहले आने वाली अवधि तक की जाती है।

iii) अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी निदेशक) सामान्यत: प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक होता है। इनको किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक / शुल्क देय नहीं होगा।

iv) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आरंभत: 3 वर्ष तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक होता है। सरकारी निदेशक / सांविधिक नियम-विनियम के अनुपालन में निर्धारित अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है। निदेशक मंडल ने दि. 21 जून, 2021 को संपन्न अपनी बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 25,000/- और बोर्ड स्तर की समितियों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 15,000/- कर दिया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को देय प्रतिभागिता शुल्क की समीक्षा की है और यह दि. 16 दिसंबर, 2019 की डी पी ई की कार्यालय ज्ञापन सं. 9 (23)/2014-एम जी एम टी के अनुपालन में है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (रु)
श्री नंदकिशोर सुब्बुरामन	1,15,000
श्री सुनील चिंतामन मोने	1,15,000
प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा	1,15,000
श्री राजेंद्र सिंह शेखावत	1,15,000
डॉ. पवन स्थापक	1,15,000

v) वर्ष 2020-21 के दौरान सी एम डी और कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	प्रावकाश नक़दीकरण	भविष्य निधि और इंक्रिमेंटल ग्रैच्युटी / अवकाश/ पेंशन – कार्यपालक योजना / पी एस एम बी –II में कंपनी का योगदान	प्रोत्साहन राशी	कुल
कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)	सी एम डी	4137184	907520	-	912405	1905201	7862310
श्री एन पी दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)	3310374	726228	209945	1118979	1551240	6916766
श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)	3127516	685934	-	845109	1439983	6098542
श्री एन श्रीनिवासुलू	निदेशक (वित्त)	2954301	647856	-	782904	996589	5381650

vi) स्टॉक विकल्प :- कंपनी में निदेशक मंडल / शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार की स्टॉक विकल्प योजनाएँ / स्कीम मौजूद नहीं हैं।

vii) कंपनी अपने निदेशकों को किसी भी प्रकार के कमीशन का भुगतान नहीं करती है। वर्ष 2021-22 के दौरान बैठकों में भाग लेने का पारिश्रमिक और अपने काम-काज के निर्वहन के दौरान हुए खर्च के पुनर्भुगतान के अतिरिक्त किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक ने किसी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखा और लेन-देन नहीं की।

viii) निदेशक मंडल के सदस्यों के मूल्यांकन संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) और लिस्टिंग विनियम 17 एवं 19 के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि इस संबंध में सभी सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है। आगे, दि. 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं. एस ई बी आई/एच ओ/सी एफ डी / डी आई एल 1/ ओ डब्ल्यू / पी/2018/1679/1 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एल ओ डी आर)] के प्रावधानों के तहत आपकी कंपनी को इसी प्रकार की छूट मंजूर की गई है। निगम मामले मंत्रालय ने भी सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति तैयार करने से छूट दी है।

सी) हितधारक संबंध समिति :

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और लिस्टिंग विनियम 20 तथा डी पी ई दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 12 सितंबर, 2020 से दि. 02 जनवरी, 2022 तक हितधारक संबंध समिति को निलंबित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर दि. 03 जनवरी, 2022 से हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया।

वर्ष के दौरान दि. 21 मार्च, 2022 को हितधारक संबंध समिति की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशक की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री नंदकिशोर सुब्बुरामन अध्यक्ष *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री सुनील चिंतामन मोने सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
5	डॉ. पवन स्थापक सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
6	श्री एन श्रीनिवासुलू सदस्य *	कार्यपालक निदेशक	1	1

* दि. 03 जनवरी, 2022 से नियुक्त।
कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

विचारार्थ विषय

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार कर इनका समाधान करना। इनमें शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना और घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नये / प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र जारी करना, आम बैठक आदि शामिल है।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
- दावा न किये गये लाभांश को कम करने के लिए कंपनी द्वारा की गई पहल की समीक्षा करना और
- कंपनी की ओर से शेयरधारकों को लाभांश वॉरेंट / वार्षिक विवरण / सूचनाएँ समय पर प्राप्त हों, इसका सुनिश्चयन कर इसकी समीक्षा करना।

कंपनी ने कंपनी सचिव को कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इनका संपर्क-सूत्र है :

श्री एन नागराजा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
च्ची बाउली, हैदराबाद-500032.
दूरभाष : 040-23456145
ई-मेल : investors@bdl-india.in

कंपनी तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर शिकायतों का जवाब देने का प्रयास करती है। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 (2) (जे अण्ड के) के अनुसार उक्त ई-मेल आई डी तथा अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दिये गये हैं। आगे, एस ई बी आई शिकायत निवारण प्रणाली (एस सी ओ आर ई एस) पर दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लि. प्राधिकृत है।

सूचीबद्ध विनियम 13 (4) के अनुसार, बी एस ई और एन एस ई को दिये गये निवेशक शिकायतों पर त्रैमासिक विवरण निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निवेशक शिकायतें और उनके निवारण की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के आरंभ में लंबित कुल शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	12
वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतों की संख्या	12
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0

डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति :

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 12 सितंबर 2020 से दि. 02 जनवरी, 2022 तक सी एस आर एवं सतत् विकास समिति को निलंबित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर दि. 03 जनवरी, 2022 से सी एस आर एवं सत्त विकास समिति का पुनर्गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान दि. 21 मार्च, 2022 को सी एस आर एवं सतत् विकास समिति की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशक की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री नंदकिशोर सुब्बुरामन अध्यक्ष *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री सुनील चिंतामन मोने सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
5	डॉ. पवन स्थापक सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
6	श्री पी राधाकृष्ण सदस्य *	कार्यपालक निदेशक	1	1
* दि. 03 जनवरी, 2022 से नियुक्त। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।				

विचारार्थ विषय :

- निदेशक मंडल को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास संबंधी नीति की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास के लिए कार्य-योजना की सिफारिश करना तथा शीघ्र, मध्यम और दीर्घावधि में आरंभ की जाने वाली परियोजनाएँ तय करना।
- वार्षिक सी एस आर एवं सतत् विकास योजना तथा बजट की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास नीति, योजना तथा बजट की आवधिक समीक्षा करना।

ई) जोख़िम प्रबंधन समिति :

सेबी (एस ओ डी आर) विनियमों में संशोधनों के आधार पर निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और सूची विनियमों के विनियमन 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 05 मई, 2021 से दि. 02 जनवरी, 2022 तक जोख़िम प्रबंधन समिति को निलंबित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर दि. 03 जनवरी, 2022 से हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान दि. 21 मार्च, 2022 को जोख़िम प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशक की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. पवन स्थापक अध्यक्ष *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री सुनील चिंतामन मोने सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
5	श्री नंदकिशोर सुब्बुरामन सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
6	श्री एन पी दिवाकर सदस्य *	कार्यपालक निदेशक	1	1
* दि. 03 जनवरी, 2022 से नियुक्त। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।				

विचारार्थ विषय :

- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की गुणवत्ता, अखंडता और प्रभावशीलता की समीक्षा और आकलन करने के लिए विशेष रूप से कंपनी द्वारा उठाए गए साइबर सुरक्षा उपाय और यह सुनिश्चित करना कि जोखिम नीतियों और रणनीतियों को प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी चालू और नई व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और रिवार्ड के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उचित उपाय कर रही है।
- जोखिम रणनीतियों, नीतियों, रूपरेखा, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति, भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार की समीक्षा व मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी ने जोखिम की पहचान करने के लिए तथा मान्यताओं के एक बोर्ड सेट के खिलाफ संभावित प्रभाव को मापने के लिए एक प्रभावी चालू प्रक्रिया को लागू किया है और फिर इन जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए व इन जोख़िमों का सामना करने की कंपनी की क्षमता व सहिष्णुता का निर्धारण करने के लिए।
- अतिरिक्त जोखिमों की पहचान करने के लिए, यदि कोई हो और जोखिम स्वीकृति सहित जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ तय करें।

4) निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ :

निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ इस प्रकार हैं :

ए) खरीद समिति

खरीद समिति निम्नलिखित सीमाओं के भीतर क्रय आदेश देने / संविदा करने की मंजूरी / समीक्षा का अधिकार रखती है–

आधार	पूँजी की प्रकृति	राजस्व की प्रकृति
एकल निविदा / नामांकन एवं उचित संदर्भ	रु. 30 करोड़ तक	रु. 30 करोड़ तक
एकल निविदा मामलों से अलग	रु. 60 करोड़ तक	रु. 60 करोड़ तक
एकल निविदा से अलग (वर्क्स)	रु. 100 करोड़ तक	रु. 100 करोड़ तक

कंपनी ने इस समिति का पुनर्गठन किया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं। वर्ष के दौरान दि. 12 मई, 202; दि. 18 जून, 2021; दि. 28 जून, 2021; दि. 16 अगस्त, 2021; दि. 23 सितंबर, 2021; 27 सितंबर, 2021; 09 नवंबर, 2021; दि. 17 दिसंबर, 2021; 13 जनवरी, 2021; 15 फरवरी, 2022 और दि. 10 मार्च, 2022 को इस समिति की ग्यारह (11) बैठकें हुईं।

बी) शेयर प्रमाणपत्र समिति

प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करने, रीमैटेरियलाइजेशन और डीमैट अनुरोधों पर शेयर प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार कर अनुमोदन करने के लिए पदेन सदस्यों के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अध्यक्ष के रूप में और निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (उत्पादन) को सदस्य के रूप शामिल करते हुए शेयर प्रमाण-पत्र समिति का गठन किया गया है।

सी) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और लिसूटिंग विनियम के विनियम 25 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के आदान-प्रदान की गुणता, मात्रा और समय-सीमाओं की समीक्षा की जो अपने काम-काज के निर्वहन के लिए निदेशक मंडल के लिए आवश्यक है। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहे। इस बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया गया।

5. आम सभाएँ :

i) कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुईं। विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार है –

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	लिये गये कुल मुख्य संकल्प
51	2020-21	27 सितंबर, 2021	15:00 बजे	निगम कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से	शून्य
50	2019-20	28 सितंबर, 2020	15:00 बजे	निगम कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से	शून्य
49	2018-19	27 सितंबर, 2019	15:00 बजे	होटल शेरटन, नानकरामगुड़ा	2

ii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मत पत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का विशेष संकल्प प्राप्त नहीं हुआ।

iii) पोस्टल बैलट का काम करने वाला व्यक्ति : लागू नहीं।

iv) पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

v) पोस्टल बैलट की पद्धति : लागू नहीं।

6) संप्रेषण के माध्यम :

अपने शेयरधारक, निदेशक तथा अन्य भागीदारों के साथ कंपनी संप्रेषण के सभी माध्यम अपनाती है जिसमें पत्राचार और कंपनी की वेबसाइट (www.bdl-india.in) के साथ-साथ अन्य माध्यम शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। इसमें कंपनी के उत्पाद, प्रबंधन की भविष्य-दृष्टि, मिशन, मानव संसाधन, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता, निविदाओं का विवरण, ई-खरीद, सतर्कता, आरटीआई और अन्य अद्यतन जानकारी सहित समाचार शामिल रहे हैं। 'निवेशक' शीर्षक के अंतर्गत, शेयरधारक / निवेशकों की निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली, निवेशक / विश्लेषक को दी गई प्रस्तुतियाँ, कंपनी के कोड एवं नीतियाँ, वित्तीय परिणाम, शेयर ट्रांसफर एजेंट के संपर्क विवरण सहित शेयरहोल्डिंग पैटर्न और कंपनी से संबंधित अन्य गतिविधियाँ व सूचनाएँ दी जाती हैं।

कंपनी, सूचीकरण विनियमों की अनुसूची III के भाग 'ए' के साथ पठित विनियम 30 के तहत प्रकटन करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटित करती है। इसमें कंपनी के प्रदर्शन / संचालन या अन्य मूल्य संवेदनशील जानकारी को प्रभावित करने वाली सामग्री संबंधी जानकारी शामिल है। आधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ और संस्थागत निवेशकों / विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं।

सूचीयन विनियम के अनुसार, कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद एन एस ई और बी एस ई को ऑनलाइन प्लैटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। साथ ही, कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर भी दे दिये जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम पूरे भारत में या लगभग पूरे भारत से प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेज़ी समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के रूप में तेलुगु समाचार पत्र और राजभाषा के नाते हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं।

7) सामान्य शेयरधारक संबंधी जानकारी

ए. वर्ष 2021-22 के लिए 52वीं आम सभा 26 सितंबर, 2022 को दोपहर 15.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंस / ओ ए वी एम के माध्यम से होगी।

बी. कंपनी का वित्तीय वर्ष दि. 01 अप्रैल से आरंभ होता है और दि. 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 संबंधी परिणाम की घोषणा का अस्थाई कैलंडर इस प्रकार है :

30.06.2022 को समाप्त तिमाही के लिए	14.08.2022 या उससे पहले
30.09.2022 को समाप्त तिमाही के लिए	14.11.2022 या उससे पहले
31.12.2022 को समाप्त तिमाही के लिए	14.02.2023 या उससे पहले
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	30.05.2023 या उससे पहले
53वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2023 या उससे पहले

सी. सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका दि. 20 से 26 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

डी. लाभांश का भुगतान, घोषणा के 30 दिन के भीतर किया जाएगा।

ई. कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

दि बी एस ई लिमिटेड ('बीएसई') पी जे टावर्स, 26वाँ तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई')** एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए दोनों शेयर बाजारों को सूची शुल्क का भुगतान कर दिया है।

एफ. संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के ईक्विटी शेयरों का आबंटित स्टॉक कोड और कंपनी के ईक्विटी शेयर व्यापार के लिए जमाकर्ताओं द्वारा दी गई आईएस आई एन नंबर का विवरण इस प्रकार है :

शेयर एक्सचेंज	स्टॉक कोड
बी एस ई	541143
एन एस ई	बीडीएल
आई आई आई एन	INE171Z01018
एम सी ए सी आई एन	L24292TG1970GOI001353

जी. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान

कंपनी नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज (इंडिया) लि. (सी डी एस एल) के साथ निवेशित पूँजी, कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूँजी का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान प्राप्त करती है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / भुगतान पूँजी भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के उपलब्ध डीमटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट बीएसई और एनएसई को अग्रेषित की जाती है जहाँ ये शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी छ: माह के अंतराल पर पेशेवर कंपनी सचिव से एक अनुपालन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करती है जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि हस्तांतरण संबंधी अनुरोध हर तरह से संसाधित किये गये हैं और हस्तांतरण पृष्ठांकन सहित शेयर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर कंपनी द्वारा जारी कर दिये गये हैं। अनुपालन संबंधी यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को अग्रेषित किया जाता है जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दोनों जमाकर्ता यथा – एन एस डी एल और सी डी एस एल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

एच. बाजार मूल्य डॉटा

बी एस ई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) में कंपनी के शेयर के उच्च / न्यून बाजार मूल्य इस प्रकार हैं :

1) वर्ष 2021-22 के दौरान के दौरान बी एस ई सेंसेक्स की तुलना में बी एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

महीना	बीएसई सेंसेक्स बंद	एस अण्ड पी बी एस ई पूँजीगत माल (सेक्टोरल इंडेक्स)	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्च	न्यूनतम	बंद		
			₹	₹	₹		
अप्रैल, 2021	48782.36	20252.38	352.20	321.50	336.90	199045	669.52
मई, 2021	51937.44	22498.27	375.90	326.25	360.95	346123	1222.34
जून, 2021	52482.71	22948.98	377.25	341.00	357.70	387668	1404.79
जुलाई, 2021	52586.84	23671.73	426.25	359.80	419.90	813086	3163.55
अगस्त, 2021	57552.39	24973.86	428.90	367.10	392.95	755196	2965.92
सितंबर, 2021	59126.36	25966.72	413.20	376.00	383.05	343540	1358.84
अक्तूबर, 2021	59306.93	26673.33	455.00	368.10	404.70	753532	3132.03
नवंबर, 2021	57064.87	26892.79	450.00	370.05	414.60	438323	1854.53
दिसंबर, 2021	58253.82	28750.72	440.00	376.70	390.80	474573	1892.36
जनवरी, 2022	58014.17	29158.30	511.00	386.95	497.80	793464	3583.04
फरवरी, 2022	56247.28	27658.04	535.70	407.70	449.05	1099380	5223.45
मार्च, 2022	58568.51	27506.04	611.45	438.55	546.60	1351871	7215.49
दि 31 मार्च, 2022 तक कंपनी का बाजार पूँजीकरण रु.10018.15 करोड़ है।							

वर्ष 2021-22 के दौरान बी एस ई सेंसेक्स बंद होने की स्थिति के साथ बी एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत की गयी है :

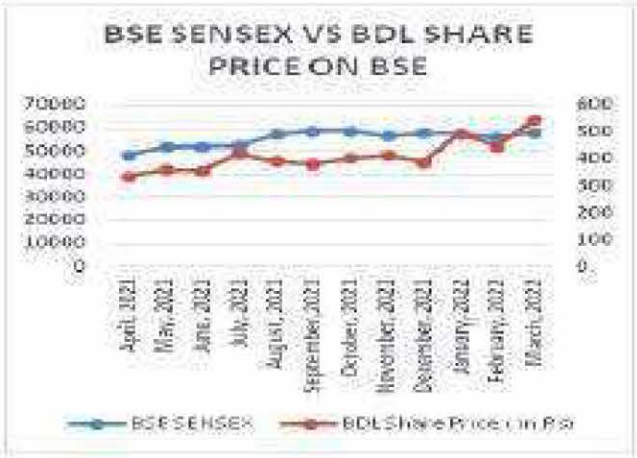

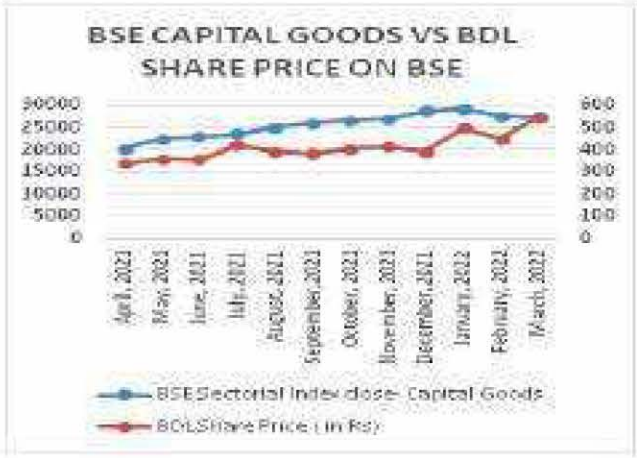

2) वर्ष 2021-22 के दौरान के दौरान एन एस ई सेंसेक्स की तुलना में एन एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

महीना	बीएसई सेंसेक्स बंद	एस अण्ड पी बी एस ई पूँजीगत माल (सेक्टोरल इंडेक्स)	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्च	न्यूनतम	बंद		
			₹	₹	₹		
अप्रैल, 2021	14631.10	4053.10	351.90	321.10	336.85	2485498	8375.15
मई, 2021	15582.80	4327.90	375.00	326.00	361.70	5194581	18515.30
जून, 2021	15721.50	4339.25	377.60	345.25	357.95	5910556	21368.51
जुलाई, 2021	15763.05	4432.30	426.60	359.25	420.05	14206879	55254.14
अगस्त, 2021	17132.20	4709.85	429.20	367.00	393.10	7446965	29286.88
सितंबर, 2021	17618.15	5025.35	412.90	376.20	382.95	4481516	17664.05
अक्तूबर, 2021	17671.65	5045.10	449.95	368.15	405.45	10538533	43715.56
नवंबर, 2021	16983.20	4959.35	451.00	370.00	414.45	6225601	26336.46
दिसंबर, 2021	17354.05	4949.90	439.00	377.20	389.55	3253549	13129.90
जनवरी, 2022	17339.85	5056.75	511.75	385.65	497.90	11207925	51331.62
फरवरी, 2022	16793.90	4798.75	536.30	406.50	448.15	13225738	63519.91
मार्च, 2022	17464.75	5018.55	612.00	438.65	549.30	19980677	107219.22
दि 31 मार्च, 2022 तक कंपनी का बाजार पूँजीकरण रु.10067.64 करोड़ है।							

वर्ष 2021-22 के दौरान एन एस ई निफ्टी बंद होने की स्थिति के साथ एन एस ई निफ्टी और निफ्टी-पी एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है :

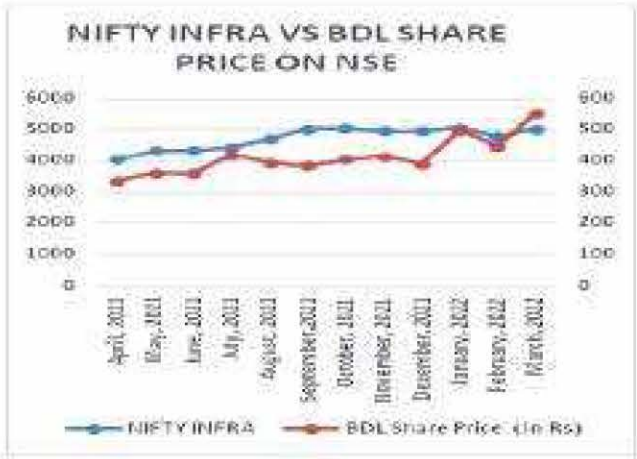

आई. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

एस ई बी आई के साथ पंजीकृत श्रेणी 1 के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, दिल्ली हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं। लाभांश संबंधी सभी समस्याएँ, शिकायत सहित डीमेटीरियलाइजेशन / रीमेटीरियलाइजेशन अनुरोध और तत्संबंधी मामलों सहित शेयर हस्तांतरण / ट्रांसमिशन / स्प्लिट / समेकन / प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी करने / पते में परिवर्तन संबंधी अनुरोध भेजने के लिए आर टी ए का पता इस प्रकार है :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
सेबी पंजीकरण सं. INR000002532
4ई/2 झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
दूरभाष : +91 11 42541234; फेकस्माइल : +91 11 41543474
ई-मेल : rta@alankit.com वेबसाइट : www.alankit.com

जे. शेयर ट्रांसफर प्रणाली

इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में, ब्रोकर द्वारा खरीद / बिक्री के लेन-देन की पुष्टि के बाद, शेयरधारक को इस लेन-देन संबंधी लेखा के विकलन / जमा का अनुरोध करते हुए अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (डी पी) से सपंर्क करना चाहिए। कंपनी या एस टी ए के साथ अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

यशासंशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 (1) के अनुसार, प्रतिभूतियों को दि. 01 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के संचरण या अंतरण के लिए प्राप्त अनुरोध न होने तक केवल अभौतिकीकृत रूप में ही अंतरित किया जा सकता है। हालाँकि, शेयरधारकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से रोक नहीं है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को डीमेटीरियलाइज्ड फार्म में बदलें।

के. दि. 31 मार्च, 2022 तक शेयरधारण का वितरण

श्रेणी	कुल शेयरधारक	%	कुल शेयर	%	भौतिक रूप में		डीमैट	
					कुल शेयरधारक	कुल शेयर	कुल शेयरधारक	कुल शेयर
1 - 500	110604	98.18	6252203	3.41	1	10	110603	6252193
501-1000	1203	1.07	905922	0.49	0	0	1203	905922
1001-2000	411	0.36	610582	0.34	0	0	411	610582
2001-3000	141	0.13	355234	0.19	0	0	141	355234
3001-4000	55	0.05	197848	0.11	0	0	55	197848
4001-5000	43	0.04	201560	0.11	0	0	43	201560
5001-10000	84	0.07	598687	0.33	0	0	84	598687
10001 & above	107	0.10	174159214	95.02	0	0	107	174159214
कुल	**112648**	**100.00**	**183281250**	**100.00**	**1**	**10**	**112647**	**183281240**

एल. शेयर का डीमेटीरियलाइजेशन और परिसमापन

कंपनी के शेयर दोनों ही डिपाजिटरियों यथा – नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) में दिये गये हैं। दि. 31 मार्च, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	कुल शेयर	%
1	एन एस डी एल	178179788	97.22
2	सी डी एस एल	5101452	2.78
3	भौतिक रूप में	10	0
	कुल	**183281250**	**100.00**

कंपनी के शेयर बहुत चलनिधि गत हैं और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सक्रिय रूप से इसका कारोबार हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टर्नओवर का डाटा इस प्रकार है:

विवरण	बी एस ई	एन एस ई	कुल
कारोबार किये गये शेयर	7755801	104158018	**111913819**
मूल्य (रुपये लाख में)	33685.87	455716.70	**489402.57**

एम. बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंट

कोई भी बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंटी या अन्य परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।

एन. पण्य मूल्य / विदेशी विनिमय जोख़िम तथा हेड्जिंग गतिविधियाँ :

इस संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रकटन वित्तीय विवरण टिप्पणियों में किया गया है।

ओ. सयंत्र के स्थान

भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंचनबाग, हैदराबाद-500058 दूरभाष : (040)-24587002; फैक्स : (040)-24347513	
भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भानूर पटानचेरु मंडल, संगारेड्डी जिला हैदराबाद-502305 दूरभाष: (040)-23469551; फैक्स : (040)-23469552	भारत डायनामिक्स लिमिटेड "जी" ब्लॉक, ए पी आई आई सी – आई ए एल ए वी एस ई जेड पोस्ट, विशाखापट्टणम-530049 दूरभाष : (0891)- 2821500 फैक्स : (0891)- 2821502

पी. पत्राचार का पता / निगम कार्यालय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
सी आई एन : L24292TG1970GOI001353
निगम कार्यालय, प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500 032
दूरभाष : (040) 23456123 फैक्स : (040) 23456110
ई-मेल : investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

क्यू. क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए रु.600 करोड़ की राशि के लिए लघु अवधि बैंक सुविधाओं के लिए मेसर्स सी आर आई एस आई एल से 'A1+' (पुन:अभिपुष्ट) रेटिंग प्राप्त की है।

8. अन्य प्रकटीकरण :

ए. दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त या सहयोगी कंपनी नहीं है। सार नीति कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/policies-codes पर उपलब्ध है।

बी. वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जिससे मोटे तौर पर कंपनी के हित से टकराव की आशंका हो। निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तु, धन संबंध या लेन-देन नहीं रखते हैं जिससे निदेशक मंडल में निदेशकों द्वारा फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रभावित हो।

सी. कंपनी ने किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है जिससे बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है। यद्यपि, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में लेखे की टिप्पणी संख्या 38 (8) में किया गया है। कंपनी ने लिस्टिंग की विनियम सं. 46 (2) (जी) के अनुसार कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच होने वाले लेन-देन को नियमित करने के लिए 'पार्टी संबंधी लेन-देन नीति' तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है।

डी. वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल में पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया। इसके अलावा 12 सितंबर, 2020 से 23 दिसंबर, 2021 तक बी डी एल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारण कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम (विनियम 18 ए) संबंधी प्रावधान, लेखापरीक्षा समिति (विनियम 18) से संबंधित प्रावधान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (विनियम 19) से संबंधित प्रावधान, हितधारक संबंध समिति (विनियम 20) से संबंधित प्रावधान और जोख़िम प्रबंधन समिति (विनियम (21) से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। तदनुसार, दि. 22 जनवरी, 2020 की 'सेबी' की परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/12 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज (यानी बीएसई और एनएसई) ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। निदेशक मंडल ने सुझाव दिया कि सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से स्टॉक एक्सचेंजों को अवगत कराया जाना चाहिए। तदनुसार, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) को नियुक्त करने की शक्ति और उनका पारिश्रमिक, मूल्यांकन आदि सहित उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं। अत: इस तरह उन्हें जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आज तक कोई जुर्माना नहीं दिया गया।

ई. विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म / विजिल मेकानिज़्म

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का अनुपालन किया गया है। कंपनी की विज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर उपलब्ध है।

एफ. संव्यवहार की प्रकृति एवं प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा मानदंडों का अनुपालन किया गया है। तथापि ऐसी अनुप्रयोज्यता का प्रकटीकरण न करने पर कंपनी के लेखाओं पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन किया जा रहा है।

जी. वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशक मंडल ने अपनी अनिवार्यता गत बनायी गयी समितियों की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

एच. व्यय की ऐसी कोई भी मद लेखा-बही के खर्चे में नहीं दिखायी गयी जो संव्यवहार संबंधी नहीं थी।

आई. निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया है।

जे. प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण वित्तीय व्यय के सदृश्य कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं:

(₹ in Crore)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	1006.11	826.32
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	7.09	9.93
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	0.70%	1.20%

आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्समूहन किया गया है।

के. राष्ट्रपति के आदेश और दिशानिर्देश

कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जारी राष्ट्रपति के निर्देश तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन करती आ रही है। इस विषय से जुड़े अधिकारियों को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

बी डी एल ने दि. 01 जनवरी, 2017 से अधिकारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में जारी राष्ट्रपति निर्देश लागू किये हैं।

एल. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक और नेटवर्क फर्म नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर सभी सेवाओं के लिए भुगतान की गई कुल शुल्क का विवरण इस प्रकार है :

राशि (रुपये लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
लेखापरीक्षा शुल्क	10.00	10.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.25	1.25
अन्य सेवाएँ	5.25	4.50
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.19	-
कुल	**16.69**	**15.75**

एम. इसके व्यवसाय से संबंधित प्रत्यक्षत: किये गये उसके आनुषंगिक व्यय, जो कर्मचारी / पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत किये गये खर्च के अलावा अन्य कोई मद खाते की पुस्तकों में डेबिट नहीं किए गए।

एन. भुगतान नहीं किये गये और दावा दावा नहीं किए गए लाभांश विवरण : कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पढ़ा गया विवरण, भुगतान नहीं किये गये और दावा नहीं किये गये लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का पिछले सात साल की जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/ पर उपलब्ध है। इसके अलावा, पिछले वर्षों से कोई दावा न किया गया लाभांश दि. 31 मार्च, 2022 तक IEPF में अंतरित नहीं किया जाना है। दि. 31 मार्च, 2022 को दावा न किए गए लाभांश का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	शेयरधारकों की कुल संख्या	राशि (रुपये में)
अंतिम लाभांश 2017-18	922	331724.16
अंतरिम लाभांश 2018-19	854	223865.25
अंतिम लाभांश 2018-19	846	76808.31
अंतरिम लाभांश 2019-20	1334	417856.25
अंतिम लाभांश 2019-20	957	125323.40
अंतरिम लाभांश 2020-21	893	294629.60
अंतिम लाभांश 2020-21	921	32055.00
अंतरिम लाभांश 2021-22	1448	643049.10
कुल	**8175**	**2145311.07**

ओ. डीमैट उचंत खाते / दावा न किए गए उचंत खाते संबंधी विवरण : दि. 31 मार्च, 2022 तक डीमैट उचंत खाते/दावा न किए गए उचंत खाते में कोई शेयर बकाया नहीं है।

पी. कंपनी ने सूचीकरण विनियमों के विनियम 32(7ए) में निर्दिष्ट के अनुसार अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

क्यू. उन फर्मों/कंपनियों को, जिनमें निदेशकों की रुचि है, ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम-शून्य।

9. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

वर्ष के आरंभ में कुल शिकायतें	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	शून्य
वर्ष के दौरान निपटान की गयी शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

10. अन-अनुपालन का विवरण :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल में पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया। इसके अलावा 12 सितंबर, 2020 से 23 दिसंबर, 2021 तक बी डी एल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारण कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम (विनियम 18 ए) संबंधी प्रावधान, लेखापरीक्षा समिति (विनियम 18) से संबंधित प्रावधान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (विनियम 19) से संबंधित प्रावधान, हितधारक संबंध समिति (विनियम 20) से संबंधित प्रावधान और जोखिम प्रबंधन समिति(विनियम (21) से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। यह सूचित किया जाता है कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और चयन प्रक्रिया तथा नियुक्ति, जिसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं और कैबिनेट समिति (एसीसी) के अनुमोदन से किया जाता है जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। सभी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार को तुरंत अधिसूचित किया जा रहा है।

11. अधिदेशी प्रावधानों का अनुपालन :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 में गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

- कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) का पद है और कोई कार्यपालकेतर अध्यक्ष नहीं हैं।
- कंपनी के वित्तीय विवरण का प्रकटन, लेखा राय में बिना किसी परिवर्तन के किया गया है।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण की प्रभावी प्रक्रिया मौजूद है। इसकी पद्धति 'संप्रेषण के माध्यम' शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट की गयी है।
- अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) प्रशासनिक तौर पर निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ को रिपोर्ट करते हैं और ये लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किये जाते हैं।

12. इनसाइडर ट्रेडिंग (अंदरूनी कारोबार) रोकने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता :

एस ई बी आई (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने कंपनी सुरक्षा संबंधी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा पारदर्शी / योजनाबद्ध प्रकटीकरण / निवेशक / जनता को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए आचरण संहिता तथा प्रकटीकरण पद्धति अपनायी है। इस संहिता के अंतर्गत परिभाषित संबंधित व्यक्ति को ट्रेडिंग विंडो के दौरान निर्धारित सीमाओं से आगे सुरक्षा संबंधी डील करते समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है। इस संहिता के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आवधिक प्रकटीकरण भी ज़रूरी है। आचरण संहिता और उचित प्रकटीकरण पद्धति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दी गई है। नीति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि अंदरूनी सूत्र कंपनी की ऐसी मूल्य संवेदनशील जानकारी जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, प्रकट कर कोई लाभ प्राप्त न करें या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य की सहायता न करें।

13. अनुपालन

कंपनी ने निदेशक मंडल के लिए कोरम सहित निदेशक मंडल की संरचना, विभिन्न समितियों की बैठकें और गठन को छोड़कर लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है। कंपनी नैगमिक अभिशासन पर स्टॉक एक्सचेंजों और सरकार को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती रही है। जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक है, कंपनी द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन में लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 (8) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के सुझाव तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) के अधीन कंपनी ने अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपना रखी है। यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2021-22 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत है :

16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल सदस्य औरर वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए,

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र, (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 26 मई, 2022

PUTTAPARTHI JAGANNATHAM & CO.
COMPANY SECRETARIES

नैगमिक अभिशासन संबंधी प्रमाण-पत्र *

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा दि. 31 मार्च, 2022 को समापूत वर्ष के लिए नैगमिक अभिशासन के अनुपालन का परीक्षण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्ध विनियम) के संबंधित प्रावधान, सूचीबद्ध विनियम के विनियम 15 (2) में संदर्भित अनुसार एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश के अनुसार किया है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा यह परीक्षण नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो कंपनी की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी विचाराभिव्यक्ति।

हमारी राय व हमें प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि :

- कंपनी ने वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति तक एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के पचास प्रतिशत की आवश्यकता संबंधी विनियम 17 छोड़कर उपर्युक्त लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित नैगमिक अभिशासन संबंधी सभी नियमों का अनुपालन किया है। विनियम 25 (6) के तहत वर्ष की तीसरी तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाने के कारण वर्ष की तीसरी तिमाही तक विनियम17 (2ए) के तहत निदेशक मंडल का कोरम और बैठकें, विनियम 18 के तहत लेखापरीक्षा समिति का गठन, विनियम 19 के तहत नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन, विनियम 20 के तहत हितधारक संबंध समिति का गठन का अनुपालन नहीं किया गया।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में विलंब का कारण है कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति, उनका कार्य-काल और ऐसी नियुक्तियों की शर्तें एवं विनियम भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

* अनूदित पाठ

315, Bhanu Enclave, Sundar Nagar, ESI, Hyderabad - 500 038, Telangana.
Tel : 040-23701964/ 23701374/ Mobile: 99852 82222
Email: pjandcoterm@gmail.com, csnavjyothi@gmail.com, Website: www.pjandco.info

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार बात कर रही है। तदनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय ने दि. 3 जनवरी, 2022 की अपनी पत्र सं. डीडीपी-एम0001 (11)/1/2018-डी (बीडीएल) के तहत दिसंबर, 2022 से एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) में विचाराधीन है।

- निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कंपनी ने दि. 3 जनवरी, 2022 से सभी समितियों का पुनर्गठन किया है और निदेशक मंडल गठन संबंधी विनियम 17 को छोड़कर नैगमिक अभिशासन संबंधी सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 18 मई, 2022

कृते – पुट्टपर्ति जगन्नाथम अण्ड कंपनी
सी एस नवज्योत पुट्टपर्ति

भागीदार
एफ सी एस नं. 9896, सी पी नं. 16061
पीर रिव्यू सर्टिफिकेट नं. 1158/2021
यू डी आई एन : F009896D000338785

* अनूदित पाठ

PUTTAPARTHI JAGANNATHAM & CO.
COMPANY SECRETARIES

निदेशकों की गैर-निरर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र*

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और
अनुसूची V पैरा 'सी' उपबंध (10) (i) के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

हमने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के सूची V के पैरा C के उप खण्ड 10 (i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुपालन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, CIN L24292TG1970GOI001353, और जिसका पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है और जिसका निगम कार्यालय प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित (आगे से 'कंपनी' के नाम से अभिहित किया जाएगा) के निदेशकों से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिये गये संबंधित पंजियाँ, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और रजिस्टर, रिकॉर्ड और प्रकटीकरण की जाँच की है।

हमारी राय और हमें प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा यथावश्यक कंपनी रिकॉर्ड [www.mca.gov.in पोर्टल में दिये गये डायरेक्टर्स आईडेंटिफिकेशन नंबर (डी आई एन) सहित] की जाँच और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के निदेशक मंडल के किसी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड /निगम मामले मंत्रालय या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अपनी नियुक्ति या कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या निरर्ह नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / इनके बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जाँच के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही कंपनी मामलों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 18 मई, 2022

कृते – पुट्टपर्ति जगन्नाथम अण्ड कंपनी

सी एस नवज्योत पुट्टपर्ति
भागीदार
एफ सी एस नं. 9896, सी पी नं. 16061
पीर रिव्यू सर्टिफिकेट नं. 1158/2021
यू डी आई एन : F009896D000338785
यू डी आई एन : F009896c000422968

* अनूदित पाठ

315, Bhanu Enclave, Sundar Nagar, ESI, Hyderabad - 500 038, Telangana.
Tel : 040-23701964/ 23701374/ Mobile: 99852 82222
Email: pjandcofirm@gmail.com, csnavjyoth@gmail.com, Website: www.pjandco.info

अनुपालना प्रमाण पत्र *

[सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17(8) के तहत]

ए. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन कथनों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं:

(ii) ये विवरण थ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानक, लागू कानून और विनियमों के अनुपालन में हैं।

बी. हमारी अन्यतम जानारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कोई भी लेनदेन कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, संचालन में कमियों का खुलासा किया है और यदि कोई हो, जिसके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है।

डी. हमने कंपनी के लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को संकेत दिया है कि :

(i) इस अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं और इसका खुलासा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है। और

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी प्रबंधन या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में मुझे पता चला है और उसमें शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं है।

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

* अनूदित पाठ

अनुलग्नक-VI

संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड 'ए' : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की नैगमिक पहचान संख्या (सी आई एन)	L24292TG1970GOI001353
2	कंपनी का नाम	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	कंचनबाग, हैदराबाद-500058.
	ए) निगम कार्यालय	प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डंग, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032.
	बी) पंजीकृत कार्यालय	कंचनबाग, हैदराबाद-500058.
4	वेबसाइट	www.bdl-india.in
5	ई-मेल आईडी	investors@bdl-india.in
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2021-22
7	क्षेत्र जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	अस्त्र प्रणाली का विनिर्माण (25200)
8	तीन प्रमुख उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी बनाती / प्रदान करती है (तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार)	मिसाइल और संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण
9	कुल स्थान जहाँ कंपनी का संव्यवहार कार्य होता हो	4
	ए. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों के विवरण दें)	शून्य
	बी. देश में स्थानों की संख्या	4
10	कंपनी द्वारा संचालित बाजार - स्थानीय / राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

खण्ड 'बी' : कंपनी के वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूँजी (भारतीय रुपये)	1832812500
2	कुल टर्नओवर (भारतीय रुपय)	2817 करोड़
3	कुल कराधान बाद लाभ (भारतीय रुपये)	500 करोड़
4	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर कुल व्यय (भारतीय रुपये)	18.13 करोड़
5	उपर्युक्त मद सं. 4 के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर व्यय किया गया हो, उसकी सूची	बी डी एल की सी एस आर गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में संपन्न की जाती हैं: • शिक्षा और कौशल विकास • ग्रामीण विकास • खेल-कूद और स्वच्छ भारत परियोजनाएँ • पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी पहल

खण्ड 'सी' : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियाँ हैं?	नहीं
2	सहायक कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व की पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या बताएँ।	लागू नहीं
3	क्या कोई ऐसी इकाई / इकाइयाँ (उदाहरण : आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) हैं जिनके साथ कंपनी संव्यवहार करती हो और वे संस्था / संस्थाएँ कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ तो ऐसी इकाई / इकाइयों का प्रतिशत बताएँ। [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	नहीं

खण्ड 'डी' : संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी जानकारी

1	संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता संबंधी संव्यवहार उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण निदेशक मंडल की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति द्वारा किया जाता है। सी एस आर अण्ड एस डी समिति के गठन का विवरण नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी के सर्वांगीण संव्यवहार का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का है जो संबंधित समूह प्रधान द्वारा इनका कार्यान्वयन करवाते हैं :
	(ए) संव्यवहार उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण	
	डी आई एन नंबर	
	नाम	
	पदनाम	बी डी एल के सी एम डी का विवरण इस प्रकार है :
	(बी) संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान के विवरण	डी आई एन : 08367035
	डी आई एन नंबर (यदि लागू हो तो)	नाम : कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
	नाम	पदनाम : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	पदनाम	दूरभाष : 040-23456123
	दूरभाष सं.	ई-मेल : cmdbdl@bdl-india.in
	ई-मेल आई डी	निदेशक मंडल द्वारा किसी भी निदेशक को संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान की जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई हैं।

2. सिद्धान्तवार (एन वी जी अनुसार) संव्यवहार विकास नीति / नीतियाँ

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (एन वी जी) में दर्शाये गये नौ (9) सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :

सिद्धान्त-1	संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।
सिद्धान्त-2	संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने प्रयोग-काल में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।
सिद्धान्त-3	संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
सिद्धान्त-4	व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित समूह के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
सिद्धान्त-5	संव्यवहार में मानवाधिकारों का सम्मान और इसका बढ़ावा होना चाहिए।
सिद्धान्त-6	संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसके पुन:स्थापन के प्रयास होना चाहिए।
सिद्धान्त-7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।
सिद्धान्त-8	समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।
सिद्धान्त-9	संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।

ए) अनुपालन का विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर दें।)

सं.	प्रश्न	पी-1	पी-2	पी-3	पी-4	पी-5	पी-6	पी-7	पी-8	पी-9
1	क्या आपकी कंपनी में संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए कोई नीति / नीतियाँ लागू हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है?	हाँ। आंतरिक तौर पर गहन परामर्श कर, कंपनी के सभी प्रकार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए नीति तैयार की गयी है। कंपनी संबंधी विभिन्न नीतियाँ सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों / संचालन के क्षेत्र में बतायी गयी सभी कार्य-पद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुपालन करती है।								
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुरूप है ?	हाँ। बी डी एल में विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न लागू कानून / दिशा-निर्देश / नियमों आदि के अनुरूप हैं और समय-समय पर इनका अद्यतन किया जाता है। नीतियाँ तैयार करते समय उद्योग प्रथाओं, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों का ध्यान रखा जाता है।								
4	क्या निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अनुमोदन प्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या प्रबंध निदेशक / मालिक / सी ई ओ / बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	विभिन्न लागू कानून / विधियों / नियमों / दिशा-निर्देशों आदि के तहत सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।								

5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल / निदेशक / अधिकारी की कोई निर्दिष्ट समिति है?	वार्षिक विवरण का अंग नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये अनुसार विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।
6	नीति ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएँ।	नीतियाँ कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर उपलब्ध हैं।
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित की गई है?	हाँ। कंपनी की नीतियाँ और परिचालन प्रणाली कंपनी की वेबसाइट और इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। गुणता, स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण नीतियाँ कंपनी परिसर में सभी प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित की गयी हैं।
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था मौजूद है?	हाँ। कंपनी के माल और सेवाओं को सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित आंतरिक बुनियादी ढाँचे, मानव-शक्ति समूह, दस्तावेजीकृत मानक परिचालन पद्धति तथा अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी स्थापित है।
9	क्या नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए कंपनी में नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ।
10	क्या कंपनी ने इस नीति की कार्यात्मकता का आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया है?	कंपनी, नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखाकार लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, साचिविक लेखापरीक्षा, गुणता लेखापरीक्षा, संरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अधीन है। ये लेखापरीक्षाएँ विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

(बी) यदि क्र.सं. 1 के प्रश्न का उत्तर किसी सिद्धांत के प्रति 'नहीं' हो तो इसका कारण बताएँ : लागू नहीं।

3. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी अभिशासन

	(ए) कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या सी ई ओ की बारंबारिता बताएँ।	कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन दैनिक आधार पर संव्यवहार उत्तरदायित्व कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। इसके द्वारा गठित बोर्ड / समितियाँ वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा करती हैं।
	(बी) क्या कंपनी संव्यवहार उत्तरदायित्व या सातत्यता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? यह लिंक देखने के लिए कौन-सा हाइपरलिंक है? कितने अंतराल से यह प्रकाशित किया जाता है?	हाँ। कंपनी, अपने वार्षिक विवरण के अंग के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट http://www.bdl-india.in/ investors पर देखी जा सकती है।

खण्ड-ई :सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।		
1	क्या नैतिक मूल्य, घूसखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी तक सीमित है? हाँ / नहीं। क्या यह ग्रुप / संयुक्त / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी लागू है?	हाँ। कंपनी में 'एकता समझौता' लागू है जिस पर बिडर द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं ताकि समय-समय पर जारी होने वाली रु. 2 करोड़ के ऊपर के उच्च मूल्य वाली निविदाओं के संबंध में कोई सवाल हो तो उठाये जा सकें। इस 'एकता समझौता' के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए उच्च प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस समझौते में विशेषत: संभावित विक्रेताओं / बोली लगाने वाले और बी डी एल, दोनों पक्षों के कार्मिक / अधिकारियों के बीच संविदा के किसी भी पहलू / चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथा न अपनाए इस दृष्टि से एकता समझौते में विचार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर बोली लगाने वालों को अयोग्य कर दिया जाता है और भावी व्यापार लेन-देन से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा इनमें से कितनों का संतोषजनक रूप से हल निकाला गया?	कंपनी में ग्राहक संतुष्टि के स्तर में वृद्धि लाने निरंतर प्रयास जारी हैं। तदनुसार, उत्पाद सहयोग संबंधी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कई पहल की गई हैं। इसके लिए कंपनी की सभी इकाइयों में उत्पाद सहयोग अनुवीक्षण समूह बनाये गये हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 से कंपनी के पास 05 ग्राहक शिकायतें लंबित हैं। आगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 19 नई शिकायतें प्राप्त हुईं कुल 27 में से 17 शिकायतों (70.83%) का संतोषजनक रूप से हल कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक 07 शिकायतें (29.17%) लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को और एस ई बी आई स्कोर्स प्लेटफार्म, एन एस ई, ई एस ई तथा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का प्राथमिकता आधार पर निपटान कर दिया गया।
सिद्धांत 2 : संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने प्रयोग-काल में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।		
1	आपके ऐसे तीन उत्पाद या सेवाओं की सूची दें जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता, जोख़िम होता हो।	कंपनी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मिसाइल व संबद्ध रक्षा उपकरण बनाने के संव्यवहार में लगी हुई है।
2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) :	कंपनी सातत्यता पद्धतियों के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत है। इसे उचित टेक्नोलॉजी अपनाने, खरीद व आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और सातत्य विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से हासिल करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने ग्रिड युक्त सौर ऊर्जा सयंत्र, पारंपरिक डिसचार्ज लैंप के स्थान पर एल ई डी से बिजली जैसे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण मानकों का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भानूर इकाई में 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो सितंबर, 2017 से परिचालन में आ गया है। इसी तरह कंपनी ने इब्राहीमपट्टणम इकाई में मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक और 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो अप्रैल, 2019 से चालू हो गया है। बी डी एल ने वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण के तहत निम्नलिखित पहल की हैं : -सोलार प्लांट के चलते 1.82 करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत हुई ए) 0.98 बिजली फैक्टर बनाये रखा जा रहा है। बी) एनर्जी एफिशिएंट वाल-माउंटेड फेन (72 संख्या में) लगाये गये।
3	क्या कंपनी में संवहनीय स्रोतीकरण (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं?	कंपनी टिकाऊ सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन संबंधी अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणित विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेताएँ, विनिर्माता के विभिन्न प्राधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने की क्षमता तथा अन्य आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। निर्धारित समय के भीतर सामग्री की आपूर्ति, किसी विक्रेता को दिये गये कार्य आदेशों के वार्षिक मूल्यांकन से औसत कार्यनिष्पादन का निर्धारण कार्य किया जाता है।

4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपासी क्षेत्र भी शामिल हों?	रक्षा क्षेत्र का उद्यम होने के नाते माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम से खरीद-नीति लागू नहीं है। यद्यपि कंपनी स्थानीय और लघु उत्पादक और सेवा प्रदाताओं से खरीदने / सेवाएँ लेने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसरण में आपकी कंपनी ने एम एस एम ई से 25% की अनिवार्य खरीद प्रतिशत पार किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी ने एम एस एम ई से 29.72% प्रतिशत की खरीद की है। आपकी कंपनी विशेष अभियान के आयोजन तथा कुछ मामले और संदर्भों में नि:शुल्क पंजीकरण से अपना विक्रेता-समूह को बढ़ाना चाहती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कुल आठ (08) विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किये गये। आज की तारीख तक आपकी कंपनी के पास 1000 से अधिक पंजीकृत विक्रेता मौजूद हैं।
5	क्या कंपनी में उत्पाद / अपशिष्ट के पुन:चक्रण के लिए कोई मेकानिज़्म है?	बी डी एल में अपशिष्ट को प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से पुन:चक्रण के लिए भेजने की व्यवस्था मौजूद है : ए) मेटल स्क्रैप, वुडेन स्क्रैप, खराब हो चुके बैरल, डीजल जेनेरेटर सेट, यू पी एस, एअर कंप्रेसर, स्प्लिट ए सी जैसे मेटल स्क्रैप को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रॉसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है। बी) अपशिष्ट ऑयल, आर ओ रिजेक्ट, पुराने हो गये रासायन तथा अन्य पदार्थ का निपटान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। सी) ई-अपशिष्ट को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रॉसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है। डी) लेड एसिड बैटरियों को आवश्यकतानुरूप वापस-खरीद के आधार पर प्राधिकृत पुन:चक्रक / डीलर को दे दिया जाता है। ई) मेर्क्यूरी ट्यूब लाइटों को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रॉसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है।

सिद्धांत 3 : संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

1	दि. 31.03.2022 तक कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या	2662
2	अस्थाई / संविदागत / कैजुअल आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या	166
3	स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या	291
4	स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या	99
5	कर्मचारी (असोसिएशन) संघ	बी डी एल में प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त नौ (09) संघ हैं।
6	आपके स्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारी मान्यता प्राप्त असोसिएशन के सदस्य हैं?	97%
7	वित्तीय वर्ष के अंत में बाल श्रम, मजदूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	शून्य
8	पिछले वर्ष के दौरान संरक्षा और कौशल उन्नयन विषयों पर कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार विवरण)

विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	कुल
जे ओ टी एन ए	महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया।				
जे ओ टी एन ए से इतर	124	44	237	284	689

सिद्धांत 4 : व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।		
1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक / बाह्य हितधारकों को जोड़ा है? हाँ / नहीं	हाँ
2	उपर्युक्त में से कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित हितधारकों की पहचान की है?	बी डी एल की सी एस आर परियोजनाओं का उद्देश्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित समुदायों को लाभ पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त बी डी एल में सुनिश्चित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन हो। बी डी एल, यह भी प्रयास करता है कि परियोजनाएँ जिन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। कंपनी ने रोजगार की दृष्टि से (i) अ.जा / अ.ज.जा (ii) दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान वंचित, कमजोर और हाशिये के व्यक्तियों के रूप में की है।
3	क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है?	बी डी एल ने अपनी सी एस आर योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएँ कार्यान्वित करने पर बल दिया है जिनसे प्रमुखत: वंचित, कमजोर और हाशिये के हितधारकों को लाभ मिलता है। इसमें शिक्षा, स्वच्छता और कौशल विकास, स्वास्थ्य संरक्षण पहल, पेयजल आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कंपनी, अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.व. तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है।
सिद्धांत 5 : संव्यवहार मानवाधिकारों का सम्मान और इसको बढ़ावा दें।		
1	क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी तक सीमित है या फिर समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य भी इसके दायरे में आते हैं?	कंपनी की कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह इत्यादि नहीं है। कंपनी की मानव संसाधन संबंधी नीतियों में कर्मचारी और अपने संव्यवहार के परिचालन से संबद्ध अन्य सभी के मानवाधिकार संबंधी सभी बातें शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मानवाधिकार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी, महिला कर्मचारियों का आदर करने और इनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और ऐसी शिकायतों के निवारण व समाधान के लिए एक नीति क़ायम की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया?	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
सिद्धांत 6 : संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसके पुन:स्थापन के प्रयास होने चाहिए।		
1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी तक व्याप्त है या इसके समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी है?	कंपनी के रूप में यह पूरी तरह से व्याप्त है। बी डी एल का कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह आदि नहीं है।
2	जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए क्या कंपनी की कोई रणनीति / पहल है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज इत्यादि का हाइपरलिंक दें।	बी डी एल की तीनों इकाइयाँ – कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम आई एस ओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निदान बी डी एल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा, बाह्य लेखापरीक्षा तथा कोर समिति की बैठकें और प्रबंधन समीक्षा बैठक जैसे विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोख़िम की पहचान कर इनका मूल्यांकन करती है? हाँ / नहीं।	हाँ

4	क्या कंपनी की क्लीन डेवेलपमेंट मेकानिज़्म से संबंधित कोई परियोजना है? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में तत्संबंधी जानकारी दें। साथ ही, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई?	बी डी एल द्वारा क्लीन डेवलेपमेंट मेकानिज्म से संबंधित किसी परियोजना को अपनाया नहीं गया है। लेकिन, इस मानदंड के अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में वेंट्यूरी स्क्रबर का इस्तेमाल कर उत्सर्जन कम किया जा रहा है। बी डी एल ने सी पी सी बी प्रतिमानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में डीजल जनरेटर लगवाये हैं। साथ ही, बी डी एल में मल-जल शुद्धीकरण सयंत्र और बहि:स्राव शुद्धीकरण सयंत्र लगाकर शुद्ध किये गये जल का कंपनी परिसर में उपयोग किया जा रहा है।
5	क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा प्रभाविता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के संबंध में कोई अन्य पहल की है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज आदि से संबंधित हाइपरलिंक दें।	सी एन सी मशीन, फ्लोफार्मिंग मशीन, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन, इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग और वेव सोल्डरिंग मशीन लगवाकर साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी लागू की गयी है। बी डी एल ने ऊर्जा संरक्षण के तहत निम्नलिखित पहल की हैं : - 0.98 बिजली फैक्टर बनाये रखा जा रहा है। - एनर्जी एफिशिएंट वाल-माउंटेड फेन (72 संख्या में) लगाये गये।
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा होने वाले उत्सर्जन / अपशिष्ट सी पी सी बी / एस पी सी बी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर हैं?	हाँ
7	सी पी सी बी / एस पी सी बी से प्राप्त 'कारण बताओ' / कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित (यानी संतुष्टि की सीमा तक हल नहीं किये गये) हैं।	शून्य
सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।		
1	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ, केवल उन प्रमुख संघों का नाम दें जिनके साथ आपका व्यवसायी संबंध हैं :	ए) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) बी) सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट्स (सॉडेट) सी) हैदराबाद प्रबंधन असोसिएशन डी) स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़
2	क्या आपने सार्वजनिक उन्नयन या सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से वकालत / दलबंदी की है?	नहीं।
सिद्धांत 8 : समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।		
1	क्या सिद्धांत 8 संबंधी नीति के अनुसरण में कंपनी के कोई निर्धारित कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएँ हैं?	जैसा कि उपर्युक्त खण्डों में बताया गया है कि बी डी एल की विभिन्न सी एस आर परियोजनाएँ उन राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास में लगी हैं जहाँ कंपनी की इकाइयाँ स्थित हैं। इसके अलावा बी डी एल के विक्रेता विकास कार्यक्रम समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।
2	क्या ये कार्यक्रम / परियोजनाएँ आंतरिक टीम / स्वयं के फाउण्डेशन / बाहरी एन जी ओ / सरकारी संरचना / किसी अन्य संगठन द्वारा संपन्न किये जाते हैं?	क्या ये कार्यक्रम / परियोजनाएँ आंतरिक टीम / स्वयं के फाउण्डेशन / बाहरी एन जी ओ / सरकारी संरचना / किसी अन्य संगठन द्वारा संपन्न किये जाते हैं। बीडीएल मौजूदा परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न एन जी ओ, फाउण्डेशन, सरकारी एजेंसियाँ तथा अन्य व्यावसायिक एजेंसियों के साथ सहयोग से काम करता है।
3	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का कितना प्रत्यक्ष योगदान है?	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर रु.18.13 करोड़ की राशि खर्च की है। कंपनी द्वारा की जा रही सी एस आर गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए कृपया इस वार्षिक विवरण के अनुलग्नक-II के रूप में प्रस्तुत की गई सी एस आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट देखें।
4	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये जिनसे कि आपकी यह सामुदायिक विकास पहल समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनायी गयी है।	हाँ। बी डी एल, अपनी अधिकतम परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन करता है।

सिद्धांत 9 : संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।		
1	वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत कितना लंबित है?	पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 से कंपनी के पास 05 ग्राहक शिकायतें लंबित हैं। आगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 19 नई शिकायतें प्राप्त हुई। कुल 24 में से 17 शिकायतों (70.83%) का संतोषजनक रूप से हल कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक 7 शिकायतें (29.17%) लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को और एस ई बी आई स्कोर्स प्लेटफार्म, एन एस ई, ई एस ई तथा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का प्राथमिकत आधार पर निपटान कर दिया गया।
2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार और उससे परे उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है?	कंपनी अस्त्र प्रणाली विनिर्माण के संव्यवहार से जुड़ी है। अत: यह लागू नहीं। उत्पाद संबंधी जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। अत: उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती है।
3	क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा मामला दर्ज किया गया है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है?	नहीं।
4	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान कार्यक्रम किया है?	नहीं। यद्यपि बी डी एल हमेशा नियमित अंतराल से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कर ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
No. 7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट *

सेवा में,
सदस्य-गण,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड,

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

निम्न कारणों से हमारे द्वारा जारी की जा रही यह संशोधित रिपोर्ट दिनांक 26.5.2022 की हमारी रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

ए. कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट विभिन्न मामलों पर हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में खंड 1 (सी), 7 (ए) और 7 (बी) के तहत तालिकाओं में मूल्यों की माप की इकाई बताते हुए :

बी. कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक के नियम) 2014 के नियम 11 के खंड (जी) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता पर स्पष्टीकरण। यह संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत वाणिज्यिक लेखा के प्रधान निदेशक द्वारा जारी अनंतिम टिप्पणियों के अनुपालन में किया गया है।

राय

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत दि. 31 मार्च, 2022 तक के तुलन-पत्र, लाभ हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित), इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नक़द-प्राप्ति विवरण तथा विवरणात्मक सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों (आगे से एकमेव भारतीय वित्तीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका कही जाएगी) के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ, 31 मार्च, 2022 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन, उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति के विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट दिखाई देती हैं।

** अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Kochi, Trichy, Tanjore, Bangalore, Hyderabad, Salem, Odisha & Ranipet

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (ऑडिट) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। आगे, लेखापरीक्षा मानदण्डों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का विवरण इस रिपोर्ट के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व वाले खण्ड में दिया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकमेव वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें

लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें (के ए एम) वे मदें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहे। इन मदों को एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मदों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मदें	लेखापरीक्षा से निकाला गया हल
संपत्ति, सयंत्र और उपकरण तथा प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य की पहचान ए) संपत्ति के पूँजीकरण में कार्यादेश जारी करना, प्राप्ति, निरीक्षण, साईट को तैयार करना, ट्रयल रन, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर निर्णय इत्यादि कई चरण होते हैं। कुछ संदर्भों में एक संपूर्ण संपत्ति के लिए घटक खरीदे जाते हैं तो खरीदी की समयावधि में अंतर हो सकता है। बी) भवनों के संदर्भ में कार्य पूरा होने के प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण और ठेकेदारों के चालू बिल के अनुमोदन की प्रक्रिया शामिल होती है, कुछ	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** ❖ क्रयादेश / कार्यादेश प्रस्तुत करना अनुमोदन प्राप्त करना और जारी करने की प्रक्रिया को समझना। ❖ लेखा सॉफ्टवेयर और अचल संपत्ति मॉड्यूल के माध्यम से पूँजीकरण के लिए संबंद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत की गणना के लिए अपनी गई पद्धति। ❖ पूँजीकरण की तिथि और प्रयोक्ता विभाग से संप्रेषण/प्रमाणपत्र के साथ परियोजना / संपत्ति /घटक के कार्यकाल की गणना के लिए अपनाई गई प्रक्रिया।

** अनूदित पाठ*

मामलों में संपत्ति की लागत का आकलन एक बारगी में सटीक रूप से नहीं हो सकता क्योंकि निरीक्षण और बिलों का अनुमोदन सीओडी के बाद किया जाता है। सी) उपर्युक्त (ए) और (बी) की प्रक्रियाओं की प्रविष्टि बही खाते में उचित ढंग से किया जाना है। संपत्ति के सही वर्गीकरण के तहत सही तिथि पर सही लागत (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लागत सहित) का पूँजीकरण सुनिश्चित किया जाना है। डी) कुछ संदर्भों में जहाँ संपत्ति की खरीद / परियोजना एक से अधिक वित्तीय वर्ष के लिए व्याप्त होती है तो उचित लागत के साथ पूँजी प्रक्रियाधीन कार्य को पहचाना जाना जरूरी है। समय, लागत, वर्गीकरण और मूल्यह्रास दर जैसे पूँजीकरण संबंधी विभिन्न का सत्यापन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गलत बयान होने के लिए अधिक जोखिम होती हैं। अतः इसे लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद माना जाता है। टिप्पणी सं. 1, 2, 4 एवं 5 और लेखा नीति – II का संदर्भ लें।	❖ वर्ष के दौरान पूँजीगत परियोजना/ संपत्ति/घटक का विस्तृत परीक्षण किया गया है। ❖ भारती लेखा मानक के अनुसार उचित प्रकटीकरण सुनिश्चित किया गया है। कंपनी ने पीपीई के रु. 3,131.55 लाख अमूर्त संपत्ति के रु. 99.85 लाख और पट्टेदार भूमि के रूप में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के लिए र. 5,122.58 लाख का पूँजीकरण किया है। उपर्युक्त लेखा प्रक्रियाओं ने गलत पूँजीकरण या अपर्याप्त प्रकटीकरण नहीं दर्शाया है।
असाधारण मद : वर्ष के दौरान पहचानी गई हानि कंपनी ने पट्टे संपत्ति और उसमें बनायी गयी अवसंरचना के संबंध में हानि का मूल्यांकन किया है। वर्ष के दौरान हानि का कुल मूल्य रु. 3,358.57 लाख है। इस हानि को लाभ-हानि खाते में असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है।	हमने पट्टे की शर्तों - विशेषकर पारस्परिक संविदा की समीक्षा की है जो यह स्पष्ट करता है कि ए) प्रयोजन जिसके लिए पट्टा ली गई बी) समय सीमा जिसके अंदर कंपनी द्वारा भवन का प्लान प्रस्तुत किया जाना है। सी) समय सीमा जिसके अंदर कंपनी द्वारा निर्माण कार्य शुरू और समाप्त किया जाना चाहिए। डी) पट्टेदाता को देय प्रभार एवं आरोपित राशि की भुगतान शर्तें

** अनूदित पाठ*

ट्रिगर्स पर विचार, प्रतिकूल प्रभाव सहित महत्वपूर्ण की पहचान, अनुवर्ती हानि मूल्यांकन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं। हानि भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो लेखापरीक्षाधीन चालू अवधि के दौरान हुयी है। इसे लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद माना जाता है। कृपया टिप्पण सं. 38(1) और लेखा नीति 15 का संदर्भ लें।	ई) कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिसके तहत पट्टेदाता पट्टे संपती को वापस लेने का अधिकार रखता हो। हमने सेवा प्रभार लगाना, पट्टे के विस्तार का अनुरोध, संपत्ति को वापस लेने में पट्टेदाता का उद्देश्य इत्यादि विषयों से संबद्ध कंपनी और पट्टेदाता के बीच हुए पत्राचार की समीक्षा की है। हमने, दोनों पार्टियों से संबद्ध पट्टे प्रलेख में दिए गए कानूनी अधिकार और अनिवार्यताओं की समीक्षा की है। हमने परियोजना की स्थिति की समीक्षा की है जिसके लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त किया गया और तुलन पत्र की तारीख तक इससे जुड़े परिस्थितियों की भी समीक्षा की गई। हानि को पहचाने जाने के संबंध में निर्णय लेने पर प्रेरित करने वाली परिस्थितियों पर प्रबंधन के मूल्यांकन की भी हमने समीक्षा की है। हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा प्रक्रिया, हानि के मूल्यांकन में किसी भी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं दिया है।
<u>कराधान संबंधी विवाद के संबंध में प्रकट की गई आकस्मिक देयताएँ :</u> विभिन्न मामलों में कंपनी पर कर विभागों द्वारा अभियोग लगाए गए हैं। कुछ अनुरोध प्राप्त किए गए, आपत्ति जताए गए अनुरोधों का कुछ अंश जमा किया गया है और उचित फोरम में इन आदेशों के प्रति दावा किया गया। एक मामले में प्रथम अपीली प्राधिकारी ने कंपनी के विरोध में निर्णय लिया है। इसमें अलग-अलग समस्याएँ हैं। कंपनी ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जिसका कुल मूल्य रु. 30,951.31 लाख करोड़ है। ये सभी दावे आकस्मिक देयाताओं के रूप में लिए गए हैं।	आकस्मिक देयताओं के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं ने निम्न सहित कुछ कानूनी और कर मामलों का प्रकटीकरण किया है : • संबद्ध विधि और विनियम संबंधी अभियोग से जुड़े मुख्य नियंत्रणों के अभिकल्पन और परिचालन प्रभाविता को हमने समझा, मूल्यांकन किया और जाँच भी की। • हमने प्रबंधन के साथ मूर्त अभियोगों की स्थिति और हाल ही हुए परिवर्तन के संबंध में चर्चा की है। • हमने एक परीक्षण आधार पर एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट

** अनूदित पाठ*

इसे लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद माना जाता है क्योंकि इस संदर्भ में प्रबंधन के निर्णय और प्राक्कलन, विधि और विनियम की व्याख्या और संबद्ध न्यायिक उदाहरण को लेने की आवश्यकता है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या इसके लिए प्रावधान की आवश्यकता है या इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाए और वित्तीय विवरणिकाओं में संबद्ध प्रकटीकरण किया जाए। कृपया टिप्पण सं. 38 (6) और लेखा नीति 16 का संदर्भ लें।	किए गए आकस्मिक देयता / अन्य महत्वपूर्ण अभियोगों का मूल्यांकन किया है। • कर संबंधी विवाद को समझने और मूल्यांकन करने के लिए हमने अपने अनुभव का उपयोग किया है। • ऐसे मामलों में पूर्व उदाहरण को समझते हुए हमने प्रबंधन के निर्धारणों का मूल्यांकन किया है। • प्रबंधन के पिछले प्राक्कलन / औचित्य की प्रासंगकिता का मूल्यांकन किया है। • अप्रकटित मामले या आकस्मिक देयता न मानने वाले मामलों के संबंध में प्रबंधन के निर्धारणों का हमने मूल्यांकन किया है। क्योंकि वास्तविक निर्गम की संभव्यता को प्रबंधन परोक्ष समझता है और • हमने कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है। उपर्युक्त कार्य के आधार पर एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में आकस्मिक देयताएँ / अन्य महत्वपूर्ण अभियोग के संबंध में किए गए प्रकटीकरण और अभियोग के संबंध में हमारा मूल्यांकन सही है।
प्रावधान और लेखा प्राक्कलन : कंपनी विभिन्न प्रभार को प्रावधान के रूप में दर्शाता है। ये प्रभार कर्मचारी, विक्रेता और ग्राहक की अनिवार्यताओं से संबद्ध हैं।	• भारतीय लेखा मानक प्रसंविदा के परिमाणन के लिए प्रबंधन के निर्णय, ऐतिहासिक डाटा की उपयुक्तता के परीक्षण के लिए अपनाई गई लेखा परीक्षा पद्धतियाँ:

** अनूदित पाठ*

कानूनी अनिवार्यताएँ या व्यापार प्रथा आधारित या सरकारी निदेश या अपनी ही पुरानी प्रथा जो दूसरे पार्टियों से भी इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षाएँ पैदा करता हो ऐसी स्थितियों से प्रभार उत्पन्न होते हैं।

प्रभार एवं अनुवर्ती प्रावधानीकरण की आवश्यकता में प्रबंधन के निर्णय शामिल होते हैं और अधिक जोखिम की संभाव्यता भी है।

प्रभार के परिमाणन में उच्च स्तरीय प्राक्कलन शामिल है और यह सामान्यतः ऐतिहासिक डाटा या ट्रेड प्रथा पर आधारित होता है। इसमें परिमाणन के आधार के चयन पर प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है।

ऐसे निर्णय और प्राक्कलन का उचित परीक्षण किया जाना है और भारतीय लेखा मानक के अनुरूप होने चाहिए, अतः इसे लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद माना जाता है।

टि. 27 & 38 तथा लेखा नीति सं. 16 का संदर्भ लें।

- ट्रिगर्स जिसके आधार पर अनिवार्यताएँ उत्पन्न हुई हों, उनका संदर्भ लेते हुए विषय की समीक्षा।
- यथार्थ साक्ष्य के साथ पिछली प्रथाओं की समीक्षा कि कंपनी की पिछली कार्रवाई जिसकी वजह से बाजार में कंपनी के प्रति अपेक्षाएँ बढ़ गई हों जिससे तुलन पत्र की तारीख तक प्रलक्षित / कानूनी अनिवार्यताएँ उत्पन्न हुई हों।
- प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले संबद्ध दस्तावेजों की समीक्षा कि एक अनिवार्यता है जो कंपनी के आर्थिक संसाधनों के निर्गम को रोकता है।
- प्रावधान / लेखा प्राक्कलन का आधार बनने के लिए योग्य पिछली प्रथा, ट्रिगर्स और ऐतिहासिक डाटा का मूल्यांकन।
- सहायक दस्तवेजों के साथ साक्ष्यों की समीक्षा जो प्रावधान के प्राक्कलन की प्रक्रिया के मानक हैं।
- वर्तमान तथ्य के संदर्भ में प्रावधान के परिमाणन का मूल्यांकन।
- प्रकटीकरण की पर्याप्तता और भारतीय लेखा मानक प्रसंविदाओं के अनुपालन का मूल्यांकन।

कंपनी द्वारा बनाए गए प्रावधानों की हमारी समीक्षा से प्रावधानीकरण के साथ-साथ उसके परिमाणन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति का पता नही चलता है।

** अनूदित पाठ*

विषयों का महत्व

हम नीचे निर्दिष्ट एकमेव वित्तीय विवरणों की नोट संख्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

टिप्पणी सं 38(1) : लाभ हानि खाते में दर्शाए गए रु. 3,358.57 लाख का असाधारण मद, संपत्ति और उसके लिए निनिर्मित अवसंरचना के उपयोग के अधिकार-क्षति को दर्शाता है। भारत सरकार की विशेष परियोजना के संबंध में वर्ष 2014 में यह अधिकार प्राप्त किया गया। परियोजना अभी तय नहीं हुई है। कंपनी द्वारा समय-सीमा का पालन न किए जाने की वजह से अधिकार का विलयन हो गया। अननुपालन की वजह से पट्टेदाता ने संपत्ति के पुनः अधिग्रहण के विकल्प को लागू किया है। कंपनी समय-सीमा के विस्तार के संबंध में पट्टेदाता के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी ने इस लंबित विस्तार से हानि प्राप्त की है।

टिप्पणी सं. 38(7) : एक ग्राहक द्वारा आदेश रद्द किए जाने पर कंपनी के पास रु. 9,446 लाख की अप्रयुक्त सामग्री है। कंपनी के पास ग्राहक से प्राप्त रु. 36,234.42 लाख की अग्रिम राशि है। चालू संपत्ति के रूप में दर्शाई गई सामग्री सूची के प्रति किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। कंपनी का दृढ़तापूर्वक कहना है कि ग्राहक की अग्रिम राशि जो कंपनी के पास है वह सामग्री सूची के मूल्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अतः इस संदर्भ में कंपनी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है और किसी भी प्रकर के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है।

एकमेव वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी के वार्षिक विवरण में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं और इस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना कि क्या यह अन्य जानकारी एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है कि वास्तविक रूप से गलत प्रकट किया गया हो।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

** अनूदित पाठ*

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के विषयों के अनुपालन में भारत में स्वीकार्य लेखा मानदंड तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत संबद्ध नियमावली के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानदंड (भा.ले.मा.) के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और अन्य व्यापक आय सहित, कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाए।

इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों का परिरक्षण, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान कर उनका निवारण करने, उचित लेखा-नीतियों का चयन व अनुप्रयोग, उचित व विवेकशील निर्णय, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाले वास्तविक अकथनों से मुक्त तथा सही एवं पारदर्शी एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल होता है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कारोबार जारी रखने में कंपनी के चलने की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान स्थितियों में कंपनी के आगे बढ़ने से संबंधित लागू प्रकटीकरण करने और जब तक कंपनी को परिसमाप्त कर देने या परिचालन बंद कर देने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो, तब तक लेखांकन की यह चलायमान अपनाएँ। निदेशक मंडल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर ध्यान दें।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकमेव वित्तीय विवरण सर्वांगीण रूप में भौतिकत: गलतफहमी से मुक्त रहे भले ही धोखाधड़ी हुई हो या त्रुटि के कारण, एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा हमेशा किसी सामग्री की गलत मौजूदगी का पता लगाएगा। अकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवराना संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि :

** अनूदित पाठ*

- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की सामग्री के गलत विवरण की जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुई हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले अकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ताक पर रखना शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालनीय प्रभावशीलता है।

- इस्तेमाल की गई लेखा-नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।

- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी में लेखांकन की चालू व्यवसाय अवधारणा आधार पर प्रबंधन की प्रयुक्ति की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई सामग्री अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है जो चालू व्यवसाय अवधारणा के रूप में जारी रहता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इनकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें अपनी राय भी संशोधित करनी पड़ती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की चालू व्यवसाय की अवधारणा बनी रह सकती है।

- घोषणा सहित एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणिकाएँ अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं पर दृष्टिपात करना जिन्हें साफ-सुथरे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

भौतिकत्व एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में अशुद्ध विवरण बड़ा आधार होता है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। (i) हमारे लेखापरीक्षा-कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए अशुद्ध विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

** अनूदित पाठ*

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ अभिशासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

अभिशासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा के मद हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मदों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मद के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), 2016 (आदेश) की आवश्यकतानुसार, जहाँ तक लागू हो, परिच्छेद 3 तथा 4 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक-'ए' में संलग्न है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुरूप टिप्पणी इस प्रकार है कि –

   ए) हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ माँगी और प्राप्त की गई हैं।

   बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।

   सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   डी) हमारी राय में इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ अधिनियम की धारा 133 के लेखा मानक तथा इनके तहत बने नियमों के अनुरूप रखे गये हैं।

   ई) निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी दि. 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी एसआर 463(ई) के अधीन निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होगा।

** अनूदित पाठ*

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों पर परिचालनीय प्रभाविता के संबंध में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'बी' का अवलोकन करें।

जी) धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक-'सी' में प्रस्तुत करते हैं।

एच) कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुपालन में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषय के संबंध में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार–

(i) कंपनी के पास कराधान संबंधी मामलों को छोड़ कर कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार के मुकद्दमे लंबित नहीं हैं। कंपनी ने संलग्नक 'ए' के अनुच्छेद 7(सी) के तहत अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

(ii) कंपनी का ऐसा कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके लिए सामग्री नुकसान के लेखा मानक प्रावधान की आवश्यकता हो।

(iii) कंपनी द्वारा 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' में किसी भी प्रकार की राशि के अंतरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

iv) प्रबंधन ने अपनी अन्यतम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह बताया है कि विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई धन राशि नहीं दी गयी है कि मध्यस्थ, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

v) प्रबंधन ने अपनी अन्यतम जानकारी और विश्वास के अनुसार बताया है कि कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्थाएँ ('फंडिंग पार्टियाँ') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से टिप्पणियों में घोषित के अतिरिक्त कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

vi) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (iv) और (v) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

** अनूदित पाठ*

vii) कंपनी द्वारा घोषित / भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है।

viii) क्या कंपनी ने ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने की सुविधा है, इस पर रिपोर्टिंग आवश्यकता 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से लागू होती है। अतः रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए यह लागू नहीं होता है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.07.2022

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

C.P.Ranga.

सी एच पी रंगानाथन
भागीदार
सदस्यता सं. 239498
यू डी आई एन : 22239498AJQHQRTMC

* अनुवित मात

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
No. 7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 'ए'

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गयी हमारी रिपोर्ट "अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा-1 का संदर्भ लें।

हम यहाँ खंड 1 (सी), 7 (ए) और 7 (बी) के तहत तालिकाओं में मूल्यों के मापन की इकाई बताते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए यह संशोधित अनुबंध 'ए' जारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट हमारी पिछली रिपोर्ट दिनांक 25.05.2022 का अधिक्रमण करती है।

1. ए) (ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूरे विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति भी दर्शायी गयी है।
   (बी) कंपनी, अमूर्त आस्तियों से संबंधित संपूर्ण विवरण सहित उचित रिकार्ड का रखरखाव कर रही है।

   बी) कंपनी में नियमित रूप से परिसंपत्ति, सयंत्र और उपकरण के वास्तविक सत्यापन की विधि कायम है जिससे पाँच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सभी परिसंपत्ति, सयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परिसंपत्ति, सयंत्र और उपकरण का भौतिकतः सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई। हमारे विचार से यह आवधिक सत्यापन कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए ठीक है।

   सी) हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के अभिलेख देखने पर पाया गया कि स्थायी परिसंपत्तियों के अधिकार विलेख / आस्तियों के प्रयोग के अधिकार संबंधी पट्टा विलेख कंपनी के नाम से है जबकि निम्न संपत्तियों के संदर्भ में अधिकार विलेख / पट्टा विलेख प्राप्त होना शेष है :

(रुपये लाख में)

संपत्ति का विवरण	निवल वहन मूल्य	मालिक का नाम	प्रचारक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	अवधि – जहाँ भी उचित हो रेंज का उल्लेख करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
इब्राहिमपट्टणम स्थित जमीन (632 एकड़ 15.50 गुण्टा)	7965.16	टी एस आई आई सी	नहीं	16.02.2017	पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।
कंचनबाग स्थित जमीन (146 एकड़ 31 गुण्टा)	28.42	डी एम आर एल	नहीं	19.10.1972	राजस्व के रिकॉर्ड में शामिल करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।

* *अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Kochi, Trichy, Tanjore, Bangalore, Hyderabad, Salem, Odisha & Ranipet

कंचनबाग स्थित जमीन (5 एकड़ 1 गुण्टा)	0.97	डी एम आर एल	नहीं	19.10.1972	राजस्व के रिकॉर्ड में शामिल करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।

(डी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, सयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2. (ए) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उप-संविदाकार एवं तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री छोड़ कर सामग्री सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में ये सत्यापन पर्याप्त अंतराल में किये गये हैं। प्रबंधन द्वारा की गई व्याप्ति और जाँच के लिए अपनाई गई पद्धति उचित है। कंपनी ने सामग्री सूची का उचित रखरखाव किया है। ऐसे वास्तविक परीक्षण के दौरान भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक तथा अभिलेखों में उल्लिखित स्टॉक में पायी गयी विसंगतियों को लेखा बही में उचित रूप से दर्शाया गया है।

(बी) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रतिदेय कार्यगत पूँजी की सीमा का लाभ उठाया है जिसका मूल्य रु. 410 करोड़ है। जब बैंक द्वारा माँगा गया हो तब लेखापरीक्षित / सीमित समीक्षित लेका विवरणिका बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी विवरणिका लेखा बही के अनुसार हैं।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी कंपनी, फर्म, लिमिटेड देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत / अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है और न ही निवेश किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(iii) (a), (b) (c),(d), (e) और (f) कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

4. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 एवं 186 के प्रावधानों की व्याप्ति में आने वाले किसी भी का ऋण, निवेश तथा गारंटी व प्रतिभूति क्सिई को नहीं दिया है। तदुनसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

** अनूदित पाठ*

5. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। अतः निक्षेप स्वीकार किए जाने संबंधी कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा यथासंशोधित कंपनी नियमावली (निक्षेप स्वीकार करना), 2014 कंपनी पर लागू नहीं होंगी।

6. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण अनुसार केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना है। हमने संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारी राय में मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है।

7. निम्नलिखित छोड़ कर :

ए) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आय-कर, वस्तु एवं सेवा-कर, बिक्री-कर, सेवा-कर, , सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर , सेस' एवं अन्य सांविधिक समाग्री शुल्क सहित अविवादित सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिथि पर आयकर अधिनियम, 1961 के टीडीएस प्रावधान संबंधी माँग जो कि नीचे तालिका में दिए गए हैं, देय तारीख से लेकर छः महीने से अधिक अवधि तक का भुगतान के लिए शेष है :

संविधि का नाम	शुल्क की प्रकृति	राशि	देय राशि की समयावधि	बकाया तारीख	भुगतान की तारीख
आयकर अधिनियम, 1961	टी डी एस डीफाल्ट	1,14,105	2014-15	लागू नहीं	भुगतान नहीं किया गया।
आयकर अधिनियम, 1961	टी डी एस डीफाल्ट	3,760	2012-13	लागू नहीं	भुगतान नहीं किया गया।
आयकर अधिनियम, 1961	टी डी एस डीफाल्ट	7,220	2011-12	लागू नहीं	भुगतान नहीं किया गया।
आयकर अधिनियम, 1961	टी डी एस डीफाल्ट	73	2008-09	लागू नहीं	भुगतान नहीं किया गया।

बी) यदि उपबंध (ए) में संदर्भित संविधि का भुगतान किसी विवाद के चलते नहीं किया जाता है तो ऐसी राशि व फोर जहाँ विवाद लंबित है, का विवरण प्रस्तुत किया जाना है (संबंधित विभाग को दिया गया मात्र अभ्यावेदन विवाद नहीं माना जाएगा);

** अनूदित पाठ*

संविधि	शुल्क की प्रकृति	विवादित राशि (रुपये लाख में)	देय राशि की समयावधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,550.83	2011-12	तेलंगाना उच्च न्यायालय। सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,024.27	2012-13	
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4,266.81	2013-14	
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	6,468.12	2014-15	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2,355.51	2012-13 से 2014-15	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,883.80	2015-16 से 2017-18	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर एवं ब्याज	94.36	मू.व. 2018-19	नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, आयकर विभाग, दिल्ली
सीमा शुल्क	ब्याज	5,306.33	2015-16 से 2017-18	सी ई एस टी ए टी, हैदराबाद
कुल		**30,950.03**		

8. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत बही खाते में नहीं दर्शायी गयी लेनदेन को वर्ष के दौरान कर मूल्यांकन में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

9. (ए) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में कंपनी ने किसी बैंक को ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

** अनूदित पाठ*

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया।

सी) कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मियादी ऋण नहीं लिये हैं।

डी) लघु अवधि के लिए जुटाई गई निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया।

ई) कंपनी के कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त परियोजनाएँ नहीं हैं।

एफ) कंपनी के कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त कंपनियाँ नहीं हैं।

10 (ए) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से (ऋण इंस्ट्रुमेंट सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (x)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

(बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयर का अधिमान्य आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णत: व अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (x) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

11. (ए) हमारी अन्यतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखा-दडी नहीं पाई गई है।

बी) कंपनी नियमावली (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फार्म एडीटी – 4 में लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत किसी प्रकार की रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।

सी) हमारी राय में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान विजिल ब्लोअर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

12. ए) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 406 में निर्धारित अनुसार 'निधि' (एन आई डी एच आई) कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) (ए) (बी) एवं (सी) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कीये गये लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर हमारी राय है कि जहाँ लागू हो, संबंधित

** अनूदित पाठ*

पार्टियों से हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं तथा लागू लेखा-मानक के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं में सभी विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

14 ए) कंपनी की श्रेणी और संव्यवहार की प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उपलब्ध है।

बी) दिसंबर 2021 को समाप्त रिपोर्टाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सांविधिक लेखापरीक्षकों ने स्वीकार किया है।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक या संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नक़द लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16. ए) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुच्छेद 45-1ए के तहत कंपनी द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है।

बी) कंपनी ने गैर-बैंकिंग या गृह निर्माण संबंधी वित्तीय गतिविधियाँ नहीं की हैं।

सी) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम के तहत परिभाषित मूल निवेश कंपनियों में नहीं आती है।

डी) कंपनी किसी भी ग्रुप से संबंधित नहीं है।

17. कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं उठाया है।

18. सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्याग पत्र नहीं दिया है।

19. हमारी राय में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों के संग्रहण की अनुमानित तिथि और वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणिकाओं से संबंधित अन्य सूचना, निदेशक मंडल के बारे में हमारा ज्ञान और प्रबंधन की योजना के आधार पर हमारी राय है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक किसी भी प्रकार की स्थूल अनिश्चितता नहीं है और कंपनी तुलन पत्र की तिथि तक मौजूद देयताओं की पूर्ति कर सकती है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब कभी भी देय हो कंपनी इसकी पूर्ति करने में सक्षम है।

20.ए) हमारी राय में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास वर्ष की समाप्ति पर खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि नहीं है। अतः अनुसूची VII के तहत विनिर्दिष्ट निधि में किसी भी प्रकार की राशि का अंतरण नहीं किया गया है।

** अनूदित पाठ*

(बी) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार खर्च नहीं की गई कोई सीएसआर राशि उपलब्ध नहीं है।

21. कंपनी के सहायक, संयुक्त या संयुक्त परियोजनाएं नहीं है। अतः समेकित वित्तीय विवरणिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.07.2022

कृते – चीनटेपल्ली कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

C.P. Ranga.

सी एच पी रंगाराव
भागीदार
सदस्यता सं. 239498
यू डी आई एन : 22239498AJQHQE1MC

* अनुवादित पाठ

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
No. 7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गयी "अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा-2 (जी) का संदर्भ लें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारे द्वारा की गई कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा सहित हमने 31 मार्च, 2022 तक की भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी के प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तैयार कर इसे बनाए रखें। इन दायित्वों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा, कंपनी की नीतियों के अनुवर्तन के साथ-साथ संव्यवहार के व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" (निर्देश टिप्पणी) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। इस प्रकार की मानक एवं निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप करें तथा इसकी योजना एवं कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में इसकी प्रभाविता के उचित आश्वसन प्राप्त होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उसकी प्रभाविता से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना,

** अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Kochi, Trichy, Tanjore, Bangalore, Hyderabad, Salem, Odisha & Ranipet

वास्तविक कमियाँ होने की जोख़िम निर्धारित करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण एवं उसके अभिकल्पन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन करना शामिल है।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्रकट की जाने वाली लेखापरीक्षा राय के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा-साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा नियम के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए तैयार की गई वित्तीय विवरणिका तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वासन कायम रखने के लिए बनायी गयी है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित से संबंधित नीति एवं प्रक्रिया शामिल हैं 1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन-देन एवं प्रकृति का यथार्थ, उचित एवं विश्वसनीय विवरण दर्शाता है; 2) उचित आश्वसान देना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक लेन-देन रिकार्ड किए गए हैं तथा कंपनी के आय एवं व्यय प्रबंधन के प्राधिकरण एवं कंपनी के निर्देशानुसार किए गए हैं। 3) वित्तीय विवरणिकाओं को प्रभावित कर सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान का निवारण एवं समय पर जानकारी दे सकने वाले उचित आश्वासन।

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाएँ :

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाओं के कारण नियंत्रण के संबंध में बेईमानी या प्रबंधन द्वारा अधिकार दुरुपयोग के साथ-साथ धोखादड़ी या गलती के कारण वास्तविक अकथन हो सकते हैं और पता भी नहीं चलते हैं। भविष्य में वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन दर्शाने से यह जोख़िम हो सकती है कि परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाए या नीति एवं पद्धतियों के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय :

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक दृष्टि से कंपनी की वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटक को ध्यान में रखते

** अनूदित पाठ*

हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर दि. 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित थी।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.07.2022

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

C.P. Ranga.

सी पी के पी रंगानाथन
भागीदार
सदस्यता सं. 239498
यू डी आई एन : 22239498AJQHQRTMC

* अनुवादित मात्र

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
No. 7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-सी

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गयी "अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा-2 (एफ) का संदर्भ लें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उपखण्ड 5 के अंतर्गत निदेशों पर रिपोर्ट

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा 31.03.2022 को समाप्त भारत डायनामिक्स लिमिटेड की लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखाकार के निदेशों का रिपोर्ट इस प्रकार है :

निदेश	रिपोर्ट	प्रभाव
क्या कंपनी के पास लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि है तो, आई टी प्रणाली से इतर लेखा संबंधी लेखन के लेखा की अखण्डता पर प्रभाव और साथ ही वित्तीय खर्च की जानकारी दें।	हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरण तथा लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कंपनी में आवश्यक प्रणाली मौजूद है। वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय लेन-देन का लेखांकन आई टी प्रणाली से इतर प्रणाली के माध्यम से नहीं किया गया।	शून्य
कंपनी द्वारा पुन:भुगतान न किये जाने की स्थिति में क्या कोई मौजूदा उधार / ऋण / ब्याज की पद्धति में परिवर्तन किया गया या ऋणदाता द्वारा अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि है तो तत्संबंधी वित्तीय प्रभाव स्पष्ट करें।	लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के उधार / ऋण / ब्याज का कंपनी द्वारा पुन:भुगतान न किये जने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा इसकी पद्धति में परिवर्तन न किया गया और इसे अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का मामला सामने आया।	शून्य

** अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Kochi, Trichy, Tanjore, Bangalore, Hyderabad, Salem, Odisha & Ranipet

निर्धारित योजनाओं के लिए केंद्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इस्तेमाल किया गया / सेक्षित किया गया? विचलन के मामलों का विवरण दें?	कंपनी की लेखा-बही तथा रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने सरकारी एजेंसियों से निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ही किया है।	शून्य

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.07.2022

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

C.P.Ranga.

सी ए के पी रंगनाथन
भागीदार
सदस्यता सं. 239498
यू डी आई एन : 22239498AJQHQRTMC

* अनुपयोग शून्य

सत्यमेव जयते
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

स्पीड पोस्टद्वारा
गोपनीय

सं./No. नि./बी.डी.एल.लेखा2021-22/ 2022-23/151

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर - 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE 25 जुलाई 2022

सेवा में,
कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा (सेवानिवृत),
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक,मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस,प्लॉट सं. 38-39, टीएसएफसी बिल्डिंग,
फाइनैंसियल डिस्ट्रिक्ट,नानक्रमगुडा, हैदराबाद - 500032.
महोदय,

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के मेसर्स- भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक का "शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र" अग्रेषित करता हूँ|

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये|
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये|
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत वार्षिक सामान्य बैठक में रखा जाये।

भवदीय,

(अरुण कुमार वी.एम.)
निदेशक (रिपोर्ट्स)

संलग्नः यथोपरि

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर - 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bengaluru - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7648 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स /Fax : 080-2226 2491

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

By Speed Post
Confidential

ई./No. Insp/BDL Accs 2021-22/2022-23/151

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 25.07.2022

To
Cmde Siddharth Mishra (Retd),
Chairman and Managing Director,
Bharat Dynamics Limited,
Corporate Office, Plot No.38-39,
TSFC Building, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.

Sir,

Sub:Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2022.

I forward here with **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2022.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;
(ii) Placed next to the statutory auditors' report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index; and
(iii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Arun Kumar V.M.)
Director (Reports)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bengaluru - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स /Fax : 080-2226 2491

*** दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ :**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में दि. 31 मर्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय दें। यह उनके द्वारा 11 जुलाई, 2022 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप किया गया है जो दि. 26 मई, 2022 की उनकी पूर्व रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 143 (6) (ए) के अंतर्गत **भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई जो प्राथमिकत: सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा-अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है।

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम 143 (6) (बी) के अधीन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या पूरक लेखापरीक्षा पर और कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीखक की ओर से

(संतोष कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखापरीक्षा

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 25 जुलाई, 2022

* अनूदित पाठ

भारतीय वित्तीय मानक
वित्तीय विवरणिका - 31 मार्च, 2022

निगम संबंधी सूचना

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालयाधीन उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना सन् 1970 में हैदराबाद में की गई थी। मिसाइल तथा संबद्ध उपकरणों का विनिर्माण उद्यम का कार्य-क्षेत्र है। कंपनी द्वारा अपना अधिकतर माल तथा सेवाएँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा भारत सरकार को दी जाती हैं।

विषय-सूची :

भारतीय लेखा मानक विवरणिकाओं में शामिल हैं -

(ए) तुलन-पत्र

(बी) लाभ-हानि लेखा

(सी) ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(डी) नक़द-प्राप्ति का विवरण

(ई) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ तथा अन्य विवरणात्मक सूचना के सार-संक्षेप सहित टिप्पणियाँ

(एफ) पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी;

रिपोर्टिंग संस्था :

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) भारत में स्थापित व स्थित और शेयर द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध कंपनी है।

पंजीकृत कार्यालय :

कंचनबाग, हैदराबाद-500058.

निगम कार्यालय :

प्लॉट नं. 38-38, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद-500032.

31 मार्च, 2022 को समाप्त तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही
आस्तियां			
(1) गैर-चालू आस्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	1	70,425.44	74,279.11
(ख) निवेश संपत्तियां (यदि कोई हो)	2	4,079.18	2,348.86
(ग) गुडविल (यदि कोई)	3	0.87	0.87
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां एवं अमूर्त परिसंपत्ति प्रगति पर	4	5,682.82	8,975.04
(ङ) चालू आस्तियां	5	11,324.80	18,348.78
(च) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	6	-	482.28
(ii) ऋण	7	208.68	261.88
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	4,088.78	4,404.11
(छ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	29A	3,710.71	4,778.28
(ज) अन्य गैर-चालू आस्तियां	9	2,808.53	2,345.98
कुल गैर-चालू आस्तियां		104,089.58	166,276.58
(2) चालू आस्तियां			
(क) रसदी-सूची	10	165,445.13	139,701.60
(ख) वित्तीय आस्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	11	30,416.13	32,269.27
(ii) नकद एवं नकद तुल्य	12	26,504.37	45,593.67
(iii) उपखंड (ii) के अलावा बैंक शेषराशि	13	168,448.90	110,409.80
(iv) ऋण	14	189.74	186.87
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	15	139,152.91	133,584.91
(ग) चालू कर आस्तियां	29B	2,912.05	4,228.26
(घ) अन्य चालू आस्तियां	16	34,250.78	35,618.53
कुल चालू आस्तियां		557,328.83	488,699.71
कुल आस्तियां		884,388.83	884,976.81
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	18,528.12	18,528.12
(ख) अन्य इक्विटी	18	284,727.62	290,548.60
कुल इक्विटी		303,255.74	309,076.72
देयताएं			
(1) गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) पट्टा देयताएं	19	520.75	852.71
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	4,306.16	4,325.39
(ख) प्रावधान	21	4,455.64	2,906.82
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	86,139.85	67,718.87
कुल गैर-चालू देयताएं		95,228.88	75,809.78
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	23	-	-
(ii) पट्टा देयताएं	24		
(iii) देय लेनदारी		181.88	118.48
(I) माइक्रो तथा लघु उद्यमों को बकाया कुल राशि	25	3,998.87	2,987.85
(II) माइक्रो तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदार / देयता को बकाया राशि	25	81,250.81	71,822.42
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	26	16,486.59	14,417.85
(ख) अन्य चालू देयताएं	27	155,559.65	140,502.58
(ग) प्रावधान	28	30,990.80	21,998.08
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	29B	-	-
कुल चालू देयताएं		284,905.79	253,087.19
कुल देयताएं		553,133.26	527,709.89
कुल इक्विटी एवं देयताएं		884,388.83	884,976.81

अलग लेखा-नीतियों एवं संलग्न टिप्पणियों इस वित्तीय विवरणपत्रों के अंगभूत अंश हैं।
हमारी संलग्न की समान तिथि के अनुसार।
कृते श्री गोपाल कृष्ण धोपावकर
पार्टनर
सदस्यता सं. 035468

के श्री ईश्वरन
चेयरमैन
(डीआईएन सं. 2359408)

एस सीनिवासन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744683

कार्यपालक निदेशक (सी एंड एम)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन निदेशक
डीआईएन : 08567053

कृते धोपावकर एंड कंपनी
फर्म रजि. सं. 000346S

कृते और की ओर से बोर्ड

पैन : ABQFS2717G

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 25 मई, 2022

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
	आय			
I	परिचालन से प्राप्त राजस्व	30	281,740.28	191,375.95
II	अन्य आय	31	11,121.04	9,461.36
III	**कुल आय (I + II)**		**292,861.32**	**200,837.31**
IV	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत	32	126,336.55	97,008.31
	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन	33	(8,435.58)	(12,890.75)
	कर्मचारी लाभ पर व्यय	34	57,066.27	50,108.86
	वित्त लागत	35	342.43	391.28
	मूल्यह्रास एवं परिशोध व्यय	36	9,035.47	9,453.84
	अन्य व्यय	37	34,166.36	22,677.66
	कुल व्यय (IV)		**218,511.50**	**166,749.20**
V	असामान्य मदें तथा कर (III-IV) से पूर्व लाभ / (हानि)		74,349.82	34,088.11
VI	असामान्य मदें			
	क्षतिजन्य निराकरण	38(1)	(3,358.57)	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V + VI)**		**70,991.25**	**34,088.11**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	29सी	21,653.56	7,204.37
	(2) आस्थगित कर	29सी	(654.75)	1,107.22
	कुल कर व्यय		**20,998.81**	**8,311.59**
IX	**वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)**		**49,992.44**	**25,776.52**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	सामग्री जो बाद में लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी			
	(ए) निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना	38(3)	(1,123.26)	(1,809.83)
	(बी) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न होने वाले मदों से संबंधित आयकर	29सी	282.70	455.50
	कुल अन्य व्यापक आय		**(840.56)**	**(1,354.33)**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)**		**49,151.88**	**24,422.19**
XII	**प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन**			
	मूल तथा विलयित ई पी एस (रुपयों में)	38(2)	27.28	14.06

प्रमुख लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 002424S

के पी रंगनाथन
भागीदार
(सदस्यता सं. 239498)
यू डी आई एन : 22239498AJQHQR7176

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. ईक्विटी शेयर केपिटल

(₹ लाख में)

1 अप्रैल, 2021 तक का शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के चलते ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	1 अप्रैल, 2021 तक शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 तक शेष
18328.12	-	18328.12	-	18328.12

1 अप्रैल, 2020 तक का शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के चलते ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	1 अप्रैल, 2020 तक शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 तक शेष
18328.12	-	18328.12	-	18328.12

बी. अन्य ईक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि				
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना	कुल
1 अप्रैल, 2021 को शेष	248,135.54	-	7,243.10	(5,232.04)	**250,146.60**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	49,992.44	-	49,992.44
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(840.56)	(840.56)
अंतिम लाभांश	-	-	(1,191.33)	-	(1,191.33)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	40,000.00	-	-	-	40,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(40,000.00)	-	(40,000.00)
अवधि के दौरान वापस खरीद पर जोड़	-	-	-	-	-
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	(13,379.53)	-	(13,379.53)
31 मार्च, 2022 को शेष	**288,135.54**	**-**	**2,664.68**	**(6,072.60)**	**284,727.62**

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि				
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना	कुल
1 अप्रैल, 2020 को शेष	223,135.54	-	23,097.02	(3,877.71)	**242,354.85**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	25,776.52	-	25,776.52
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(1,354.33)	(1,354.33)
अंतिम लाभांश	-	-	(4,673.67)	-	(4,673.67)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	25,000.00	-	-	-	25,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(25,000.00)	-	(25,000.00)
अवधि के दौरान वापस खरीद पर जोड़	-	-	-	-	-
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-	-
सी एस आर प्रावधान का समायोजन	-	-	323.07	-	323.07
बोनस शेयर जारी करना					
अंतरिम लाभांश	-	-	(12,279.84)	-	(12,279.84)
31 मार्च, 2022 को शेष	**248,135.54**	**-**	**7,243.10**	**(5,232.04)**	**250,146.60**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 002424S

के पी रंगनाथन
भागीदार
(सदस्यता सं. 239498)
यू डी आई एन : 22239498AJQHQR7176

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
समायोजन से पहले कर पूर्व लाभ		34,845.62		34,089.11
समायोजन :				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	5,038.47		5,483.84	
ब्याज आय	342.43		391.28	
लाभ में व्यय	(6,375.16)		(5,628.89)	
अर्जितियों, प्रावधान एवं लाभराशि की निधियों पर ब्याज	0.90		(10.29)	
प्रयुक्त में समायोजन परिसंपत्तियों पर लाभराशि पर प्रावधान	(2,654.32)		(1,344.62)	
व्यवसाय विकास प्रावधान	10,494.95		1,085.00	
ऐसी वस्तुओं पर प्रावधान जो बिक्री योग्यताएँ / प्रावधानों पर नहीं पहले से प्रावधान	(1,355.08)		(821.25)	
प्रयुक्त पहले से प्रावधान से अधिक मूल्य पर बिक्री पर अधिक मूल्य का प्रावधान	217.58		(208.62)	
व्यवसाय पहले से प्रावधान से अधिक मूल्य पर बिक्री पर अर्जितियों पर लाभ की बिक्री पर ब्याज	-		-	
समायोजन पूर्व परिचालन से पूर्व परिचालन लाभ राशि		39,188.59		37,032.89
व्यवसाय पूंजी में परिवर्तन :				
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन				
व्यापार देय	1,883.16		1,867.38	
ऋण	61.40		66.48	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(6,985.89)		120,809.70	
परिसंपत्तियां	(26,141.20)		(34,408.66)	
अन्य परिसंपत्तियां	1,886.74		(10,884.06)	
परिचालन देयताओं में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन				
देयताएं	(19,013.13)		39,711.58	
अन्य वित्तीय देयताएं	2,889.95		(2,253.13)	
अन्य देयताएं	36,404.12		(8,893.63)	
प्रावधान	(285.96)		(8,286.44)	
परिचालनों से उत्पन्न नकद प्रवाह		79,998.25		114,589.54
दिया गया आयकर (शुद्ध)		(20,342.95)		(7,783.34)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद प्रवाह		52,855.30		106,801.98
असाधारण मदें		-		-
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त / (प्रयुक्त) निवल नकद (ए)		52,855.30		106,801.98
बी. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
अर्जितियों, प्लांट, मशीनरी एवं अमूर्त संपत्तियों पर खर्च	(10,204.42)		(8,880.81)	
बैंक खाता	(20,048.20)		(75,838.80)	
अर्जितियों, प्लांट, मशीनरी एवं अमूर्त संपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	0.48		11.21	
सहायकी संगठन में संयुक्त उद्यम या संबंधित कंपनियों में निवेश की बिक्री पर लाभ	-		-	
ब्याज प्राप्त	8,547.98		6,078.10	
निवेश गतिविधियों में से / (प्रयुक्त) निवल नकद (बी)		(37,303.36)		(78,878.30)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
इक्विटी शेयर की पेशकश से प्राप्ति	-		-	
लिया ऋण	(203.41)		(252.26)	
पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान	(118.48)		(106.10)	
शेयरों की वापसी खरीद	-		-	
प्रदत्त लाभांश	(14,530.06)		(16,995.72)	
वित्तीय गतिविधियों में से / (प्रयुक्त) निवल नकद (सी)		(14,851.95)		(17,354.08)
नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (ए+बी+सी)		(19,187.99)		16,198.88
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्य		43,881.87		27,682.99
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट सहित)		24,694.37		43,881.87
टिप्पणी (i)				
नकद एवं नकद तुल्य में शामिल हैं :				
नकदी में		8,888.17		888.88
बैंक खातों में		15,448.75		42,290.98
नकद राशि		0.42		2.08
बैंक ओवरड्राफ्ट		-		-
		24,694.37		43,881.87

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण
कृते सी नरेश एवम कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 003143S

सी वी रेड्डी
भागीदार
(सदस्यता सं. 239496)
यू डी आई एन : 22239496AJEB3L7175

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26 मई, 2022

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस वी सिंघ्वी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744692

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26 मई, 2022

मनोहर सिंह्वी सिंह (CS)
कम्पनी एवं अनुपालन निदेशक
डीआईएन : 08367035

एस वेंकटेश
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन :

वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानकों के सभी वस्तुगत पहलुओं का अनुपालन किया जाता है, जो समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) [कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

1.2 लागत की परम्परागत परिपाटी:

वित्तीय विवरण लागत की परम्परागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:

उचित मूल्य पर मापित कतिपय वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ (व्युत्पन्नी लिखतों सहित) तथा आकस्मिक प्रतिफल।

निर्धारित लाभ योजनाएँ – योजना आस्तियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.3 प्राक्कलनों का प्रयोग:

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्राक्कलन और आस्ति-देयताओं की सूचित राशियों को प्रभावित करने वाली धारणाओं, वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक आस्ति-देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान आय-व्यय की सूचित राशियों के लिए यथावश्यक प्रबन्धन अपेक्षित होता है। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और आधारभूत धारणाओं की समीक्षा अग्रगामी आधार पर की जाती है। लेखा प्राक्कलनों में संशोधनों को मान्यता उसी अवधि के लिए दी जाती है, जिस अवधि में प्राक्कलन का संशोधन किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा का मूल्यान्तरण

2.1 कामकाजी मुद्रा और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरण में सम्मिलित मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जिसमें कम्पनी का परिचालन किया जाता है ('कामकाजी मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय रुपया भारत डायनामिक्स की कामकाजी मुद्रा है और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा भी।

2.2 लेन-देन और शेष राशियाँ

i. विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का कामकाजी मुद्रा में मूल्यान्तरण लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। ऐसे लेन-देनों के निपटारे, मौद्रिक आस्तियों के मूल्यान्तरण और वर्ष के अन्त में मौजूद विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गांकित मौद्रिक आस्ति-देयताओं के मूल्यान्तरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की संप्राप्तियों और घाटों को लाभ-हानि की मान्यता दी जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित मौद्रिकेतर मदों का मूल्यान्तरण उचित मूल्य-निर्धारण की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य पर हासिल आस्ति-देयताओं सम्बन्धी मूल्यान्तरण के अन्तर को उचित मूल्य की धन-प्राप्ति या घाटे के रूप में सूचित किया जाता है।

iii. तत्कालीन सोवियत रूस से प्राप्त आपूर्तियों/सेवाओं पर ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों (और भारतीय सेना तथा आयुध निर्माणियों से प्राप्य राशियों) के लिए देयता, ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिसूचित विनिमय दर पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच नयाचार व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। विनिमय दर में कमोबेशी के कारण सम्भावित अन्तर का लेखा-जोखा राजस्व के हवाले किया जाता है।

3. राजस्व की मान्यता

ए. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

(i) कंपनी द्वारा जब (या जैसे) कार्यनिष्पादन पूरा करने पर राजस्व लिया जाता है।

(ii) समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि

ए) जहाँ समय के साथ माल या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण होता है, उस कार्यनिष्पादन दायित्व की पूर्णता की तुलना में प्रगति को मापकर निम्न मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर राजस्व को लिया जाता है :

- कंपनी का कार्यनिष्पादन ग्राहक को कंपनी के काम के साथ-साथ लाभ और उपभोग करने का अधिकार देता है।

- कंपनी का कार्यनिष्पादन कोई आस्ति बनाता है या उसमें वृद्धि करना है जिसे ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।
- कंपनी का कार्यनिष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिये कोई आस्ति नहीं तैयार करता है और कंपनी को किसी तारीख तक पूर्ण निष्पादन के लिए उचित लाभ सहित भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।

बी) एक कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि में हुई प्रगति का आकलन रिपोर्टिंग तिथि तक संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित लागत के मुकाबले किये गये खर्च की वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता है और जहाँ यह संभावना है कि लागतों की वसूली की जाएगी, तो किये गये खर्च को राजस्व के रूप में लिया जाता है।

सी) ए एम सी अनुबंधों के मामले में, जहाँ खर्च / बीते समय के आधार पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि देखी जाती है वहाँ आउटपुट विधि का उपयोग करके राजस्व लिया जाता है।

(iii) किसी एक समय में निष्पादन दायित्व की पूर्णता

ए) उन मामलों में जहाँ नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी उन मामलों में राजस्व की पहचान निष्पादन दायित्व पूरा होने वाले क्षण करती है।

बी) ग्राहक द्वारा आस्तियों का नियंत्रण प्राप्त करने पर निष्पादन दायित्व पूरा माना जाता है। नियंत्रण हस्तांतरण में निम्नलिखित सूचक होते हैं :

- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व को स्थानांतरित कर दिया हो।
- ग्राहक के पास आस्ति का कानूनी हक हो।
- ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया हो।
- जब कंपनी के पास आस्ति के भुगतान का वर्तमान में अधिकार हो।
- ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोख़िम और रिवार्ड हों। अनुबंधों में शामिल शर्तों के आधार पर इन महत्वपूर्ण जोख़िमों और रिवार्ड स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जाता है।

कार्यस्थलीय संविदा : कार्यस्थलीय संविदा की स्थिति में आय को मान्यता तब दी जाती है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनियोजन पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि अपेक्षित हो, बिना शर्त कर दिया जाए।

नि:शुल्क रेल संविदा: नि:शुल्क रेल संविदा की स्थिति में बिक्री को मान्यता तब दी जाती है, जब पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि संविदा में शर्त रखी गई हो, ग्राहक को पहुँचाने के लिए वस्तुएँ वाहक को सौंप दी जाएँ। नि:शुल्क रेल संविदा की स्थिति में गन्तव्य संविदा आय को मान्यता तब दी जाती है, जब वस्तुएँ लेखाअवधि के भीतर गन्तव्य पर पहुँच जाएँ।

बिल और होल्ड बिक्री:

बिल और होल्ड बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब निम्न सभी मानदंड पूरे होते हों :

- बिल और होल्ड बिक्री के काफी आधार मौजूद हों।
- जब उत्पाद को ग्राहक के उत्पाद रूप में अलग से पहचाना जाता हो।
- वर्तमान में जब उत्पाद ग्राहक को भौतिक रूप से हस्तांतरण के लिए तैयार हो।
- कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या इसे किसी अन्य ग्राहक को देने की क्षमता नहीं हो।

(iv) मापन

ए) राजस्व को उस लेनदेन मूल्य की राशि से पहचाना जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

लेन-देन की कीमत उस विचार की राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि और अनुमानित परिसमापन क्षति के निवल को छोड़कर किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

विनिमय दर में अंतर और किसी भी अन्य अतिरिक्त विचार को अनुबंध की शर्तों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

बी) मानक वारंटी शर्तों के तहत खराब / सामान को बदलने या मरम्मत करने के लिए दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है और लेन-देन की कीमत के तहत समायोजित नहीं किया जाता है क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से से खरीदने का विकल्प नहीं है।

सी) ऐसे मामलों में जहाँ अनुबंधों में कई निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, कंपनी प्रत्येक स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आबंटित करती है।

पुंज संविदा - जिस पुंज संविदा में संस्थापना और समादेशन या किसी अन्य पहचानने योग्य घटक के लिए शर्तें न रखी गई हों, उस स्थिति में कम्पनी लेन-देन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) के लिए मान्यता के मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

बहुविध घटक - जहाँ संस्थापन और समादेशन या अलग से पहचाने जाने वाले किसी अन्य घटक की शर्त रखी गयी हो तथा उसके मूल्य पर अलग से सहमति बन गई हो, उन मामलों में लेन-देन के अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) पर कंपनी मान्यता का मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग-अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

डी) अगर एकमेव बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है तो कंपनी, एकमेव बिक्री मूल्य का अनुमान लगाती है।

(v) महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य अनुबंधों के संबंध में, महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक की समीक्षा प्रत्येक मामले के लिए अलग से की जाती है।

(vi) ग्राहकों से वित्तपोषित आस्तियाँ:

ग्राहकों से मुफ्त में प्राप्त आस्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। उनके अनुरूपी आय को आस्ति की कालावधि पर मूल्यह्रास के अनुपात में मान्यता दी जाएगी।

बी. अन्य आय

अन्य आय की मान्यता इस प्रकार की जाती है :

i) ब्याज की आमदनी:

किसी भी वित्तीय आस्ति से ब्याज की आमदनी को मान्यता तब दी जाती है, जब यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और आमदनी की रकम का विश्वसनीय मापन किया जा सके। ब्याज की आमदनी अवधि के आधार पर बकाया मूलधन के सन्दर्भ में और लागू होने वाले ब्याज की प्रभावी दर से उपार्जित होती है। यह वह दर है, जो प्राक्कलित भावी नक़द प्राप्तियों में वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित जीवन-काल से लेकर उस आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता पर हासिल निवल राशि तक सटीक कटौती कर देती है।

ii) लाभांश:

लाभांश की आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

4. सरकारी अनुदान :

4.1 सरकारी अनुदानों को मान्यता उनके उचित मूल्य पर वहाँ दी जाती है, जहाँ युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और कम्पनी लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन करेगी।

4.2 आमदनी से सम्बन्धित सरकारी अनुदान आस्थगित रखे जाते हैं। उन अनुदानों से जिन लागतों की क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, उनसे मेल के लिए आवश्यक अवधि के बाद ही लाभ-हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आमदनी में प्रस्तुत किया जाता है।

4.3 ह्रासमान इतर आस्तियों से सम्बन्धित अनुदानों के लिए भी कतिपय बाध्यताएँ पूरी करनी अपेक्षित हो सकती हैं। उन्हें उस पूरी अवधि के बाद लाभ-हानि में मान्यता तभी दी जाएगी, जो उन्हें पूरा करने की लागत वहन करती है।

4.4 सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अन्य मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण लिए प्राप्त अनुदान आस्थगित आय मानी जाती है। यदि अनुदान /सब्सिडी पूर्ण हो, तो मूल्यह्रास से संबंधित राशि, संपत्ति के जीवन-काल पर आय के रूप में मानी जाती है। अनुदान / सब्सिडी यदि पुनर्भुगतान जैसी किसी शर्त के साथ हो तो आय अनुदान / सब्सिडी की शर्तों के अनुसार मानी जाती है।

5. आय कर

5.1 आय कर का खर्च या किसी अवधि के लिए जमा, चालू अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है। वह जमा-खर्च आय कर की लागू दरों पर आधारित होता है और आस्थगित कर आस्ति-देयताओं में परिवर्तनों से समायोजित हो जाता है। इन आस्ति-देयताओं के लिए अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त कर के घाटों को जिम्मेदार माना जाता है।

5.2 चालू कर :

जिन देशों में कम्पनी का परिचालन किया जा रहा है और कर योग्य आमदनी कमायी जा रही है, चालू आय कर के प्रभार का हिसाब-किताब वहाँ बने-बनाए कर के कानूनों पर या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वास्तव में बनाए जाने वाले कानूनों पर आधारित होता है। जिन परिस्थितियों के बीच लागू होने वाले कर विनियमन का निर्वचन किया जाना होता है, प्रबन्धन उनमें कर विवरणियों में अपनाए गए दृष्टिकोण का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करता है।

5.3 आस्थगित कर:

i) प्रावधान आस्थगित आय कर की सम्पूर्ण राशि के लिए किया जाता है। इसके लिए आस्ति-देयताओं और उन पर हासिल राशियों के बीच उत्पन्न अस्थायी अन्तरों पर वित्तीय विवरणों में देयता विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कर की आस्थगित देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, यदि वे सुनाम की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हों। आस्थगित आय कर भी हिसाब में नहीं लिया जाता, यदि वह किसी लेन-देन में आस्ति-देयता की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हो। इसमें व्यापार का वह संयोजन सम्मिलित नहीं है, जो लेन-देन के समय न तो लेखागत लाभ को प्रभावित करे और न कर योग्य लाभ (कर-हानि) को। आस्थगित आय कर का निर्धारण कर की तय दर या रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में वास्तव में तय की जाने वाली दर और उन दरों (और कानूनों) की सहायता से किया जाता है, जिनका लागू किया जाना सम्बन्धित आय कर से जुड़ी आस्तियाँ उगाहते समय या आस्थगित आय कर देयता के निपटारे के समय प्रत्याशित हो।

ii) सभी घटाने योग्य अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त घाटों पर आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता तभी दी जाती है, यदि यह सम्भावना हो कि उन अस्थायी अन्तरों और घाटों का उपयोग करने के लिए कर योग्य भावी राशियाँ उपलब्ध होंगी। कराधान के प्रयोजन के लिए आस्थगित कर आस्ति को मान्यता उपलब्ध भूमि पर भी दी जाती है, क्योंकि इससे अस्थायी अन्तर उत्पन्न होता है।

iii) आस्थगित आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब चालू आस्ति-देयताओं को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर की राशि एक ही कर प्राधिकारी से सम्बन्धित हो। चालू कर आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब वस्तु को उन्हें बराबर करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और उसका अभिप्राय या तो निवल आधार पर निपटारे का हो या देयता को साथ-साथ उगाह लेने का।

iv) अन्य व्यापक आमदनी या सीधे सम्पत्ति मूल्य में मान्यता प्राप्त मदों से सम्बन्धित कर की सीमा तक को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इस स्थिति में कर को मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आमदनी या सीधे ईक्विटी मूल्य में भी दी जाती है।

6. पट्टे

6.1 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में :

तीसरी पार्टी के साथ अनुबंध, जो कंपनी को एक आस्ति के संबंध में उपयोग का अधिकार देता है, को भारतीय लेखा मानक – 116 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब दिया जाता है बशर्ते कि पट्टे मानदंड मानक में निर्दिष्ट के अनुसार मिलते हैं।

अल्पावधि पट्टे (बारह महीने या उससे कम की अवधि) और कम मूल्य की आस्तियों के संबंध में पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि या अन्य व्यवस्थित आधार पर सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में लागू किया जाता है।

आरंभ तिथि पर, "उपयोग के अधिकार" का मूल्य बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अनुमानित लागत, यदि कोई हो, को नष्ट करने और अंतर्निहित आस्ति को हटाने के लिए रखा जाता है।

पट्टे के लिए देयता बकाया पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि के लिए बनाई गई है। बाद के माप, यदि कोई हो, लागत मॉडल का उपयोग करके बनाया गया है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान देयता और वित्त लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ और हानि के बयान के लिए प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

आस्ति के उपयोग का अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक है।

पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि वह दर निर्धारित की जा सकती है, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधन, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

6.2 एक पट्टाधारक के रूप में कंपनी:

भारतीय लेखा मानक 116 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड के आधार पर पट्टे को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) वित्त पट्टा :

प्रारंभ तिथि में, "पट्टे में शुद्ध निवेश" के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। "पट्टे में शुद्ध निवेश" के मूल्य को मापने के लिए निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान प्राप्त किए गए और वित्त आय के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त अवधि को पट्टा अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है ताकि पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय उपकरण के अनुसार आस्ति का परीक्षण वि-मान्यता और हानि की आवश्यकताओं के लिए किया गया है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

बी) परिचालन पट्टे :

यदि आवश्यक हो, तो कंपनी परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर या अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

किसी पट्टे को आरंभ की तिथि पर ही वित्त पट्टा या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7. सामग्री-सूची

7.1 माल-सूचियों का मूल्यांकन लागत से नीचे और निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है। कच्चे माल, पुर्ज़ों और भण्डारों की लागत वास्तविक भारित औसत लागत सूत्र की सहायता से निर्धारित की जाती है तथा पारगमन में कच्चे माल, पुर्ज़ों और भण्डारों की जब की तब। विक्रेय स्टॉक और चालू काम के मामले में लागत में सम्मिलित होते हैं सामग्री, श्रम और उत्पादन सम्बन्धी ऊपरी खर्च।

7.2 लेखन सामग्री, वर्दियाँ, कल्याणकारी कार्यों में खपने योग्य सामान, चिकित्सा और कैण्टीन भण्डार के खर्च उनकी प्राप्ति के समय ही आय में से घटा दिए जाते हैं।

7.3 बेशी/मरम्मत अयोग्य/बेकार घोषित कच्चा माल, पुरज़े, निर्माण सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार तथा फ़ालतू पुरज़े आय में प्रभारित किए जाते हैं।

7.4 कच्चे माल, पुर्जे, निर्माणाधीन कार्य, तैयार माल, भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे, कल उपकरण और पाँच वर्ष से अधिक से पड़ी हुई निर्माण सामग्री की अन्तिम सूची के बारे में निरर्थकता के लिए प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पन्न/विशिष्ट परियोजनाओं और अन्य बेशी/उबार भण्डार में स्थानान्तरण की प्रतीक्षा में पड़ी बेकार सामग्री के बारे में ऐसी सूची की निरर्थकता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

8. वित्तीय लिखतें

8.1 वित्तीय आस्तियाँ :

सभी वित्तीय आस्तियों को व्यापार की तारीख को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी वित्तीय आस्ति की खरीद ऐसी संविदा के अधीन हो जिसकी शर्त के अनुसार वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी सम्बन्धित बाज़ार से तय समय-सीमा के भीतर की जानी हो। वित्तीय आस्तियों का मापन प्रारम्भ में लेन-देन की लागत जोड़कर उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से प्रारम्भ ही में 'उचित मूल्य पर' रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियाँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों का मापन बाद में उनकी समग्रता में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर किया जाता है।

i) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण

कम्पनी अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित मापन कोटियों में करती है:

- जिनका मापन बाद में उचित मूल्य पर किया जाना है (अन्य व्यापक आमदनी या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदागत शर्तों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापित आस्तियों के लिए नफ़ा-नुकसान, लाभ या हानि में दर्ज किए जाएँगे या अन्य व्यापक आमदनी में। ऋण लिखतों में निवेश के लिए यह उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश धरा है। शेयर लिखतों में निवेश इस बात पर निर्भर होगा कि क्या कम्पनी ने अन्य व्यापक आमदनी

के माध्यम से शेयरों में निवेश के लिए प्रारम्भिक मान्यता के समय निर्विकल्पी संवरण कर लिया है। कम्पनी ऋण निवेश का वर्गीकरण केवल तब और तभी करती है, जब उन आस्तियों के प्रबन्धन के लिए उसका कारोबारी मॉडल बदलता है।

ii) मापन

प्रारम्भिक मान्यता के समय कम्पनी किसी भी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर उस वित्तीय आस्ति पर सीधे आरोप्य लेन-देन की लागत जोड़कर करती है। जो वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर न हो, उसका मापन लाभ या हानि के माध्यम से करती है। उचित मूल्य पर हासिल वित्तीय आस्ति की लेन-देन की लागतें लाभ या हानि के माध्यम से लाभ या हानि में डाली जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों सहित अंत:स्थापित व्युत्पन्नियों को उनकी सर्वांगीणता में देखते समय यह देखा जाता है कि क्या उनका नक़द-प्रवाह मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है या नहीं।

ए) ऋण लिखतें

ऋण लिखतों का बाद में मापन आस्ति के प्रबन्ध और आस्ति के नक़द प्रवाह के अभिलक्षणों के लिए कम्पनी के कारोबारी मॉडल पर निर्भर है। कम्पनी अपनी ऋण लिखतों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है :

(ए) (i) परिशोधित लागत: संविदागत नक़द प्रवाहों के संग्रहण के लिए धारित आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है, जहाँ वे नक़द प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करते हों। बाद में परिशोधित लागत पर मापित और पेशबन्दी सम्बन्ध का भाग न बनने वाले ऋण निवेश पर नफ़ा-नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता तब दी जाती है, जब उस आस्ति की मान्यता समाप्त या कम कर दी जाए। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज की आय को ब्याज की प्रभावी दर की विधि की सहायता से वित्त आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ए)(ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी ओ सी आई) : ऐसी संपत्तियाँ जो संविदात्मक नक़द-प्रवाह के लिए रोक रखी गई हों और वित्तीय संपत्ति की बिक्री की जानी हो, तथा जहाँ संपत्ति नक़द-प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज हो, ऐसी आय को व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। वाहक राशि में चलन को ओ सी आई के माध्यम से लिया जाता है। इसमें क्षति लाभ या नुकसान की राशि, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय में लाभ-हानि को शामिल नहीं किया जाता। इसे लाभ-हानि में लिया जाता है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है ('डी-रिकग्नाइज़') तो पूर्व में ओ सी आई में लिया गया संचित लाभ या हानि ईक्विटी से लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाता है और अन्य लाभ / (हानि) के रूप में इसकी पहचान की जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के प्रयोग से हुए अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(ए)(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य : परिशोधन लागत या एफ वी ओ सी आई मानदंड़ों को पूरा न करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है और बचाव व्यवस्था का हिस्सा न हो, इसकी पहचान लाभ या हानि में की जाती है और जिस कालावधि के दौरान यह आया हो उस अवधि के लिए उसमें अन्य लाभ / (हानि) के साथ लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

बी) ईक्विटी लिखतें:

(बी) (i) कम्पनी सभी ईक्विटी निवेशों का बाद में उचित मूल्य पर मापन करती है। जहाँ कम्पनी प्रबन्धन ने ईक्विटी निवेशों पर उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान को अन्य व्यापक आमदनी में दर्शाना चुन लिया हो, वहाँ उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान का बाद में लाभ या हानि में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांशों को लाभ या हानि में अन्य आमदनी के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

(बी) (ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में अन्य नफ़ा/(नुकसान) में मान्यता दी जाती है। शेयर निवेशों पर क्षतिजन्य हानियों (और क्षतिजन्य हानियों का निराकरण) का एफ़ वी ओ सी आई पर मापन उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों से अलग सूचित नहीं किया जाता।

(iii) वित्तीय आस्तियों की क्षति

परिशोधित लागत और एफ़ वी ओ सी आई ऋण लिखतों पर हासिल अपनी आस्तियों से जुड़े प्रत्याशित जमा नुकसानों का मूल्यांकन कम्पनी अग्रदर्शी आधार पर करती है। लागू किया जाने वाला क्षति रीतिविधान इस पर निर्भर है कि क्या जमा जोख़िम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

व्यापारिक धन-प्राप्तियों के लिए कम्पनी सरलीकृत रुख अपनाती है। यह भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों से अनुमत है। इसमें प्राप्य राशियों की प्रारम्भिक मान्यता से प्रत्याशित आजीवन हानियों को मान्यता देना अपेक्षित है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कम्पनियों से प्राप्य कालातीत देय राशियों को सामान्यतः ऐसी वित्तीय आस्तियों की जमा जोख़िम में बढ़ोतरी नहीं माना जाता।

(iv) वित्तीय आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है,

- जब कम्पनी ने वित्तीय आस्ति से नक़द प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तान्तरित कर दिए हों या
- जब वित्तीय आस्ति के नक़द प्रवाह प्राप्त करने के संविदागत अधिकार अपने हाथ में रखे तो हों, लेकिन नक़द प्रवाह एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को अदा करने की बाध्यता मान ली हो।

जहाँ वस्तु ने किसी आस्ति का हस्तान्तरण कर दिया हो, वहाँ कम्पनी यह आँकती है कि उसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोख़िमें और प्रतिफल पूरी तरह हस्तान्तरित कर तो दिए हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

जहाँ वस्तु ने न तो वित्तीय आस्ति हस्तान्तरित की हो न ही वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोख़िमें और प्रतिफल पूरी तरह अपने हाथ में रख रखे हों, वहाँ ऐसी वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में न रख छोड़ा हो। जहाँ कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में रख छोड़ा हो, वहाँ आस्ति की मान्यता वित्तीय आस्ति में आगे चलती रहने वाली संबद्धता की सीमा तक जारी रहती है।

v) प्राप्य व्यापारिक धनराशियाँ

व्यापारिक प्राप्तियाँ साधारण कारोबार के दौरान बेची गई वस्तुओं या निष्पादित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशियाँ हैं। यदि इन राशियों की उगाही रिपोर्टिंग की तारीख (या कारोबार के सामान्य परिचालन चक्र में, यदि अवधि लम्बी हो) से बारह मास या उससे कम में प्रत्याशित हो, तो उनका वर्गीकरण चालू आस्तियों के रूप में किया जाता है, अन्यथा चालू आस्तियों से इतर आस्तियों के रूप में।

प्राप्य व्यापारिक धनराशियों का मापन उनके लेन-देन के मूल्य पर किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 18 (या जब संस्था व्यावहारिक उपाय अपनाए) के अनुसार उसमें उल्लेखनीय वित्तीय घटक न हो या संविदा में मूल्य-समायोजन अन्तःस्थापित न हो।

प्रत्याशित जीवन-काल में जमा में हानि के लिए हानि में छूट को प्रारम्भिक मान्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

8.2 कम्पनी से जारी वित्तीय देयताएँ और ईक्विटी लिखतें

वर्गीकरण

ऋण और ईक्विटी लिखतों का वर्गीकरण संविदागत व्यवस्था की विषयवस्तु के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है या फिर ईक्विटी के रूप में।

i) ईक्विटी लिखतें

ईक्विटी लिखत ऐसी संविदा है, जो किसी संस्था की समस्त देयताएँ घटाने के बाद उसकी आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य दे। कम्पनी से जारी ईक्विटी लिखतों को प्राप्त आय-राशियों के आधार पर निर्गम की सीधी लागतें घटाकर मान्यता दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएँ

उधारियों सहित वित्तीय देयताओं का मापन प्रारम्भ में उचित मूल्य पर लेन-देन की लागतें घटाकर किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का मापन बाद में प्रभावी ब्याज की विधि की सहायता से ब्याज के व्यय को प्रभावी लब्धि के आधार पर मान्यता देकर परिशोधित लागत पर किया जाता है।

प्रभावी ब्याज की विधि वित्तीय देयता की परिशोधित लागत की गणना और सम्पूर्ण सम्बन्धित अवधि पर ब्याज-व्यय के आवंटन की विधि है। ब्याज की प्रभावी दर वह है, जो प्रारम्भिक मान्यता पर निवल हासिल राशि में से वित्तीय देयता के प्रत्याशित जीवन-काल के माध्यम से प्राक्कलित भावी नक़द भुगतानों की सटीक कटौती करे, या (जहाँ उपयुक्त हो) कमतर अवधि के लिए ऐसा करे।

iii) व्यापार और अन्य देय राशियाँ

ये राशियाँ कम्पनी को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धी देयताओं की सूचक हैं। व्यापार और अन्य देय चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, यदि भुगतान रिपोर्टिंग-अवधि के बारह मास के भीतर देय हो, अन्यथा चालू देयताओं से इतर रूप में दर्शायी जाती हैं। उन्हें प्रारम्भ में उनके अपने

उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में उनका मापन परिशोधित लागत पर ब्याज की प्रभावी दर की विधि के आधार पर किया जाता है।

iv) व्युत्पन्नियाँ

जिस तारीख को व्युत्पन्नी संविदा की जाती है, व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य पर मान्यता उसी दिन दी जाती है। उनका पुनर्मापन बाद में उनके अपने उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में किया जाता है। जिन व्युत्पन्नियों को पेशबन्दी के रूप में अभिहित नहीं किया गया है, उनका हिसाब लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया और उन्हें अन्य नफ़ों / (नुकसानों) में सम्मिलित किया जाता है।

ए) अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ

किसी परपोषी संविदा में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आस्ति हैं। उन्हें अलग नहीं किया जाता। यह निश्चय करते समय कि उनके नक़द प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज की अदायगियाँ ही हैं, अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों युक्त वित्तीय आस्तियों पर उनकी समग्रता में विचार किया जाता है।

अन्य सभी परपोषी संविदाओं में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों को अलग किया जाता है, यदि आर्थिक अभिलक्षण और अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों की जोख़िमें आर्थिक अभिलक्षणों और परपोषी संविदा की जोख़िमों से घनिष्ठता से सम्बद्ध न हों। उनका मापन लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। परपोषी संविदा से घनिष्ठता से जुड़ी व्युत्पन्नियों को अलगाया नहीं जाता।

बी) अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियाँ

अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों को परपोषी संविदा से अलगाया नहीं जाता, यदि उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ हो। यदि परपोषी संविदा को लाभ न पहुँचे, तो ऐसी अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ परपोषी संविदा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। इनमें कोई विकल्प-विशेषता नहीं होती और निम्नलिखित में से किसी मुद्रा में भुगतान अपेक्षित होता है :

- संविदा से सम्बद्ध किसी पार्टी की कामकाजी मुद्रा
- जिस मुद्रा में अधिग्रहीत वस्तु या प्रदत्त सेवा का मूल्य दुनिया भर में वाणिज्य लेन-देन में नेमी तौर पर तय हो।
- जिस आर्थिक वातावरण में लेन-देन होता हो (अर्थात्अपेक्षाकृत द्रव और स्थिर मुद्रा), उसमें वित्तीय से इतर मदों की खरीद-बिक्री के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त मुद्रा।

उपर्युक्त मानक पर खरा न उतरने वाली विदेशी मुद्रा अन्तः-स्थापित व्युत्पन्नियाँ अलगा दी जाती हैं और लाभ-हानि के माध्यम से व्युत्पन्नी का हिसाब उचित मूल्य पर कर दिया जाता है।

8.3 वित्तीय लिखतों को बराबर करना

वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ बराबर कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शायी जाती है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और निवल आधार पर निपटाने या आस्ति को उगाहकर देयता को साथ-साथ निपटाने का इरादा हो। विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भावी घटनाओं पर आकस्मिक न हो और कारोबार के सामान्य दौर में चूक, कम्पनी के दिवालियापन या प्रतिस्थानी होने की स्थिति में प्रवर्तनीय हो।

9. नक़द और नक़द सममूल्य:

नक़द प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन से नक़द और नक़द सममूल्यों में सम्मिलित होते हैं हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थाओं में माँग पर धरी जमाराशियां, मूल रूप से तीन मास या उससे कम परिपक्वता अवधि के अन्य अल्पावधि एवं अत्यधिक द्रव निवेश, जो ज्ञात नक़द राशियों में सुलभ संपरिवर्तनीय हों और जिन पर मूल्य-परिवर्तन की जोख़िम न के समान हो तथा बैंक ओवरड्राफ़्ट।

तुलन-पत्र में बैंक ओवरड्राफ़्ट चालू देयताओं में उधारियों के भीतर दर्शाए जाते हैं।

10. उचित मूल्य पर मापन

10.1 कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में कतिपय वित्तीय लिखतों, जैसे व्युत्पन्नियाँ और अन्य मदें, का मापन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर करती है।

10.2 जिन समस्त आस्ति-देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया हो या जिन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो, उनका वर्गीकरण उचित मूल्य क्रमपरम्परा के भीतर निम्नतम स्तर के निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण समग्रतः उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है:

स्तर-1 - सक्रिय बाज़ारों में समरूपी आस्ति-देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित)।

स्तर-2 - स्तर-1 के भीतर सम्मिलित कथित मूल्यों से अन्य निवेश, जो प्रत्यक्षतः (अर्थात्मूल्य रूप में) या परोक्षतः (अर्थात्मूल्यों से निकाले हुए) आस्ति या देयता के लिए संप्रेक्षणीय हों।

स्तर-3 - आस्ति-देयताओं के लिए निवेश, जो बाज़ार के संप्रेक्षणीय डाटा पर आधारित न हों (असंप्रेक्षणीय निवेश)।

10.3 उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी ने प्रकृति, अभिलक्षण, आस्ति की जोख़िमों और उचित मूल्य क्रमपरम्परा के स्तर पर आस्ति-देयताओं के वर्ग निश्चित कर दिए हैं।

11. सम्पत्ति, सयंत्र और उपस्कर

11.1 मापन

i. भूमि को कम्पनी के खर्च पर पूँजी में परिणत किया जाता है। समतल बनाने, साफ करने और श्रेणीकरण जैसे भूमि के विकास-कार्यों को भवन-निर्माण की लागत के साथ-साथ भवन-निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि के अनुपात में पूँजी में परिणत किया जाता है और विकास के शेष खर्च को पूँजी में भूमि की लागत के साथ-साथ परिणत किया जाता है। भू-दृश्य के प्रयोजन या निर्माण-कार्य से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए किए गए विकास-खर्च को भूमि की लागत माना जाता है।

ii. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर की अन्य सभी मदें परम्परागत लागत में दिखाई जाती हैं। इनमें से ह्रास घटा दिया जाता है। परम्परागत लागत में सम्मिलित होते हैं मदों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य खर्च।

iii. बाद की सभी लागतें आस्ति की हासिल रकम में सम्मिलित की जाती हैं और उसे अलग आस्ति के रूप में यथा उपयुक्त मान्यता केवल तभी दी जाती है, जब यह सम्भव हो कि मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। अलग आस्ति के रूप में हिसाब में ली गई घटक की हासिल रकम की मान्यता उसकी स्थानापन्नता की स्थिति में समाप्त कर दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मरम्मत और रख-रखाव पर किए गए अन्य सभी खर्च लाभ-हानि के हवाले किए जाते हैं।

iv. जहाँ आस्ति के किसी भाग की लागत आस्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण हो और उस भाग का उपयोगी जीवन-काल शेष आस्ति की जीवन-अवधि से भिन्न हो, उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन-काल अलग से निश्चित किया जाता है और उस महत्वपूर्ण भाग के प्राक्कलित सम्पूर्ण उपयोगी जीवन-काल पर ह्रास सरल रेखा विधि से काटा जाता है।

11.2 ह्रास की विधि, प्राक्कलित उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्य

i. अवशिष्ट मूल्य घटाकर लागत के आवंटन के लिए सम्पूर्ण प्राक्कलित जीवन-काल पर ह्रास की गणना सरल रेखा विधि से की जाती है।

ii. निश्चित किए गए जीवन-काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट जीवन-कालों के समान हों।

iii. आस्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा की जाती है। उन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में समायोजित किया जाता है, यदि उपयुक्त हो।

11.3 निपटान

निपटान पर नफ़ा-नुकसानों का निश्चय निवल विक्रय आगम राशियों की तुलना हासिल राशि से करके किया जाता है। इन्हें लाभ-हानि में सम्मिलित किया जाता है।

12. अमूर्त आस्तियाँ

12.1 लाइसेंस

अलग से लिये गये लाइन्सेस परंपरागत लागत पर दिखाये जाते हैं। इनकी उपयोगिता अवधि सीमित होती है। बाद में संचित परिशोधन और क्षतिजनित नुकसान घटा कर इन्हें लागत पर हासिल किया जाता है।

12.2 कंप्यूटर साफ्टवेयर

ए) आंतरिक प्रयोग के लिए लिये गये और भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामदायी साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा न हो) की लागत को लेखा-बही में अमूर्त हिस्से में माना जाता है, जब वह प्रयोग के लिए तैयार हो। जो अमूर्त आस्तियाँ तुलन-पत्र की तारीख को अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार न हों, उनका वर्गीकरण 'विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ' के रूप में किया जाता है।

बी) साफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव पर आने वाले खर्च को किया गया व्यय माना जाता है।

सी) कंपनी के नियंत्रणाधीन पहचाने जाने योग्य अनन्य साफ्टवेयर उत्पाद के अभिकल्प और परीक्षण पर सीधे आरोप्य विकास की लागतों को निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरने पर अमूर्त आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है :

- साफ्टवेयर को पूरा करना तकनीकी रूप से संभाव्य हो, जिससे वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।
- प्रबंधन साफ्टवेयर को पूरा करके प्रयोग करना या बेचना चाहता हो।

- o साफ्टवेयर के प्रयोग और बेचने की योग्यता हो।
- o यह दिखाया जा सके कि साफ्टवेयर भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक कैसे हो सकता है।
- o साफ्टवेयर का पूरी तरह विकास करने, प्रयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हों, और
- o साफ्टवेयर के विकास-काल में उस पर आने वाले खर्च का विश्वसनीय मापन किया जा सके।

डी) साफ्टवेयर के भाग के रूप में पूँजी के तौर पर परिणत सीधे आरोप्य लागतों में कर्मचारियों पर लागत और संबंधित ऊपरी खर्च का उपयुक्त भाग भी सम्मिलित है।

ई) पूँजी के रूप में परिणत विकासगत लागतों को अमूर्त आस्तियों के तौर पर दर्ज किया जाता है और आस्ति का परिशोधन उस बिंदु से किया जाता है, जिस पर वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

12.3 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान खर्च और विकास खर्च को किये गये खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उक्त 12.2 (ग) के मानकों पर खरे नहीं उतरते। पहले खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागत को परवर्ती अवधि में आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

कंपनी से वित्तपोषित परियोजना(ओं) के असमय समापन/ परित्याग की स्थिति में, असमय समापन / परित्याग के चरण तक किए गए खर्च को असमय समापन / परित्याग के वर्ष की आय में से प्रभारित किया जाता है।

12.4 परिशोधन की विधि और अवधियाँ

सीमित जीवन-काल युक्त अमूर्त आस्तियों का परिशोधन कंपनी सरल रेखा विधि से निम्नलिखित पूरी अवधियों के लिए करती है :

अनुज्ञप्त	उपयोगी काल
कंप्यूटर के साफ्टवेयर का उत्पादन	3 वर्ष

13. संपत्ति निवेश :

जो संपत्ति दीर्घावधि तक किराया देने के लिए या पूँजीगत वृद्धि या दोनों दृष्टियों से रखी गई हो और कंपनी जिस पर काबिज़ न हो, ऐसी संपत्ति का वर्गीकरण संपत्ति में निवेश माना जाएगा। संपत्ति में में निवेश का प्रारंभिक मापन उसकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन की लागत और उधारी की लागत, जहाँ लागू हो, सम्मिलित है। आस्ति पर हासिल राशि पर परवर्ती खर्च पूँजी के रूप में तभी परिणत किया जाता है, जब संभावना यह हो कि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ समूह का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। सभी प्रकार की मरम्मत और रखरखाव की लागत आने पर खर्च में दिखायी जाती है। जब संपत्ति में निवेश के किसी भाग का प्रतिस्थापन किया जाए, तो प्रतिस्थापित भाग पर हासिल राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

14. बिक्री के लिए रखी और परिचालन रोकी गई चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ (या निपटान समूह):

14.1 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों (या निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों के रूप में किया जाता है, यदि उन पर हासिल मूल्य प्रमुखत: बिक्री के लेन-देन से उगाहा जाए, न कि सतत उपयोग से और बिक्री की प्रबल संभावना दिखाई दे। इनका मापन इन पर हासिल मूल्य और उचित मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों, कर्मचारियों के लाभों से बनने वाली आस्तियों, वित्तीय आस्तियों और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदागत अधिकारों जैसी जिन आस्तियों को उस अपेक्षा से विशिष्ट छूट प्राप्त है, उन्हें छोड़कर इसमें से बिक्री पर आई लागत घटा दी जाती है।

14.2 किसी आस्ति (या निपटान समूह) के लिए प्रारंभिक या परवर्ती बही मूल्य, उचित मूल्य से कम हो जाने पर बिक्री की लागत घटाकर क्षतिजन्य हानि की मान्यता दी जाती है। किसी आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री पर लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में किसी भी परवर्ती बढ़ोतरी को नफ़े की मान्यता दी जाती है, लेकिन पीछे मान्य किसी संचयी क्षतिजन्य घाटे से ऊपर नहीं। चालू आस्ति से इतर आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक पीछे अमान्य नफ़ा नुकसान को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता दी जाती है।

14.3 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों पर (इनमें निपटान समूह की भाग रूप आस्तियां भी सम्मिलित हैं) ह्रास नहीं काटा जाता या उनका परिशोधन नहीं किया जाता, जबकि उनका वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी आस्तियों के रूप में किया जाए। बिक्री के लिए रखे रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं पर आरोप्य ब्याज़ और अन्य खर्च मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।

14.4 विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ और विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की आस्तियाँ तुलन-पत्र में अन्य आस्तियों से अलग दर्शायी जाती हैं। विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताएँ तुलन-पत्र में अन्य देयताओं से अलग दर्शायी जाती हैं।

14.5 बंद परिचालन किसी बिकी हुई या विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत वस्तु का घटक होता है और जो किसी अलग प्रमुख कारोबार या परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। वह ऐसे कारोबार या परिचालन-क्षेत्र के निपटारे के लिए एकमात्र समन्वित योजना का भाग होता है या अनन्यत: फिर से बेचने की दृष्टि से ली गई समानुषंगी। बंद परिचालन के परिणाम लाभ-हानि विवरण में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

15. आस्तियों की क्षति :

15.1 अमूर्त आस्तियाँ जिनके उपयोग की अवधि अनिश्चित होती है उनका परिशोधन नहीं किया जाता बल्कि इनका क्षति की दृष्टि से सालाना परीक्षण किया जाता है या क्षति की संभावना अथवा परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए साल में एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। अन्य आस्तियों का क्षति की दृष्टि से परीक्षण, परिस्थितियों में ऐसे बदलाव के संकेत या घटनाक्रम पर किया जाता है जब आस्ति का वहन मूल्य वसूल नहीं हो सकता हो। ऐसी आस्ति का वाहित मूल्य वसूली जाने वाली राशि से अधिक होने पर क्षति से हानि माना जाता है।

15.2 किसी आस्ति का वसूल किया जा सकने वाला मूल्य निपटान की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और उपयोगगत मूल्य से अधिक होता है। क्षति के मूल्यांकन के लिए आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर समूहित किया जाता है जिनकी नकदी आगत को पहचाना जा सके और जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह (नक़द उत्पन्न इकाइयाँ) से आने वाली नकदी आगत से बहुत हद तक अलग होता है। ख्याति को छोड़कर क्षति हुई गैर-वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक रिपोर्टावधि के अंत में क्षति से संभावित व्युत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती है।

16. प्रावधान, आकस्मिक आस्तियाँ और आकस्मिक देयताएँ

16.1 कंपनी पर वर्तमान में कानूनी अथवा पूर्व घटनाओं के परिणाम के तौर पर निर्माणकारी बाध्यता होने पर तथा ऐसी बाध्यता निपटान में संसाधनों के खर्च होने पर, ऐसी राशि के वास्तविकत: आकलन किये जा सकने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। भविष्य में प्रचालन से होने वाली हानि के लिए प्रावधान मान्य नहीं किये जाते हैं।

16.2 जहाँ समान प्रकार की एकाधिक बाध्यताएँ हों वहाँ भी संभावित होता है कि इनके निपटान में बहिर्वाह होगा। इस तरह की बाध्यताओं की पहचान उनकी श्रेणी अनुसार कर समायोजन एक साथ किया जाता है। इसी श्रेणी में किसी एक मद के शामिल होने, भले ही वह छोटा क्यूँ न हो, यदि बहिर्वाह की संभावना हो तो इसका भी प्रावधान किया जाता है।

16.3 वर्तमान बाध्याताओं के समायोजन के लिए प्रावधानों का मापन रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन और वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने जिस छूट की दर पर लिया जाता है वह कर-पूर्व दर होती है जो समय के महत्वानुसार पैसे और देयता संबंधी विशिष्ट देयता के बाजारी मूल्यांकन को दर्शाता है। समय बीतने की वजह से प्रावधानों में हुई वृद्धि को ब्याज खर्च के रूप में लिया जाता है।

16.4 वारंटी : जहाँ भी लागू हो बेचे गए सामान पर वारंटी बिक्री पूरी होने और तदनुरूप वारंटी का प्रावधान किये जाने पर लागू होती है। वारंटी की अवधि, शर्तें संबंधित संविदा में ऐसी बिक्री के प्रावधान करते समय तय किये जाते हैं।

16.5 दुर्वह संविदा : जब किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ संविदा को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत से भी कम हो तो ऐसी स्थिति में दुर्वह संविदाओं को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को संविदा को छोड़ देने के अनुमानित न्यूनतम लागत और संविदा को जारी करने के संभावित निवल लागत के आधार पर मापा जाता है। किसी भी प्रकार प्रावधान बनाने से पूर्व कंपनी, उस संविदा से संबद्ध आस्तियों के परिसमापन क्षति की पहचान करती है।

17. कर्मचारी लाभ

17.1 अल्प-कालीन बाध्यताएँ :

कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली संबंधित सेवाओं की मजदूरी और वेतन सहित अन्य मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक देयताएँ जिन्हें इनके द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के बाद के 12 महीनों में पूर्णत: समायोजित किया जाना अपेक्षित हो, रिपोर्टाधीन अवधि तक कर्मचारियों की सेवाओं के अंतर्गत ली जाती हैं और जिनका मापन देयताओं के समायोजन पर अपेक्षित देय राशि पर किया जाता है। ये देयताएँ तुलन-पत्र में चालू कर्मचारी लाभ देयता के रूप में दर्शाये जाते हैं।

17.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ देयताएँ

अर्जित अवकाश संबंधी देयता कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजित नहीं हो पाती है। अत: इसका मापन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति अपेक्षित भविष्य के भुगतान को वर्तमान दर पर मानकर परियोजित इकाई क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। लाभ का बट्टा रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर बाजार आधारित उपज पर किया जाता है जिसकी शर्तें संबंधित बाध्यता की शर्तों के लगभग समान होती हैं।

इन देयताओं को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है यदि संगठन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजन आस्थगन करने का बिना शर्त अधिकार न रखता हो, चाहे वास्तविक समायोजन जब भी होना अपेक्षित हो।

17.3 रोजगार-उपरांत बाध्यताएँ :

कंपनी द्वारा निम्न रोजगार-उपरान्त बाध्याताएँ चलायी जाती हैं :

(ए) परिभाषित लाभ योजना जैसे उपदान और भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि अंशदान।

(बी) परिभाषित योजना जैसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना (एं)।

ए) परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित योजनाएँ संबंधी देयता अथवा आस्ति की तुलन-पत्र में पहचान योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम रिपोर्टाधीन अवधि पर की जाती है। ऐसी परिभाषित लाभ बाध्यताएँ बीमांकिक तरीके से परियोजित इकाई उधार पद्धति का प्रयोग कर की जाती हैं।

परिभाषित लाभ की बाध्यता का वर्तमान मूल्य भारतीय रुपय के मूल्य वर्ग में किया जाता है जिसका निर्धारण रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर सरकारी बॉण्ड पर संबंधित बाध्यता की लगभग समान शर्तों पर मिलने वाले बाजार से उपज के मुताबिक प्राक्कलित भविष्य नक़द बहिर्भाव को भुनाकर किया जाता है।

निवल ब्याज की लागत की गणना परिभाषित लाभ बाध्यता और योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य के निवल शेष पर बट्टा-दर लागू कर की जाती है। यह लागत लाभ-हानि विवरणिका के अंतर्गत कर्मचारी लाभ खर्च में मिली होती है।

अनुभवी समायोजन और बीमांकिक की धारणाओं में बदलाव से प्राप्त अभिलाभ और हानि का पुन:मापन ऐसा होने की अवधि में, सीधे अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

योजना में संशोधन अथवा कटौती से जन्य परिभाषित लाभ देयता के बदलावों को तुरंत पूर्व सेवा लागत के तौर पर लाभ-हानि में लिया जाता है।

बी) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी स्थानीय विनियम द्वारा स्थापित ट्रस्ट और स्थानीय विनियमों के तहत सार्वजनिक रूप से शासित फण्ड में अशंदान देती है। यह अंशदान दे दिये जाने के बाद कंपनी की और कोई अदायगी की बाध्यता नहीं बनती। ये अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब ये देना शेष रहते हैं तो कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में लिये जाते हैं। पूर्वअदा अंशदान के उतने भाग को आस्ति माना जाता है जितने पर नक़द वापसी या जितनी भविष्य में देय राशि कम की जाती है।

कंपनी द्वारा दिया गया अंशदान / कंपनी द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना के लिए देय अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

17.4 सेवा-समापन लाभ

समाप्ति लाभ किसी कर्मचारी को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले कंपनी द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर देने पर या ऐसे मिलने वाले लाभ के बदले कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अतिरेक पर दिया जाता है। सेवा-समापन लाभ को कंपनी निम्न तिथियों के पहले लेती है : (ए) जब कंपनी ऐसे लाभ के प्रस्ताव को और अधिक वापस नहीं ले सकती; और (बी) जब संस्था ऐसी लागत को पुनर्निर्माण के लिए मानती हो और जो भारतीय लेखा मानक 37 के दायरे में आती हो तथा जिसमें सेवा-समाप्ति लाभ शामिल रहते हों। स्वेच्छा अतिरेक को बढ़ावा दिये जाने के प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में सेवा-समाप्ति लाभ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली अपेक्षित संख्या के आधार पर मापा जाता है। सेवा-समाप्ति लाभ के रिपोर्टाधीन समाप्ति की अवधि से 12 महीनों से अधिक बकाया रहने पर वर्तमान मूल्य पर बट्टागत किये जाते हैं।

स्वेच्छा सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को की गई प्रतिपूर्ति को उनके सेवा-निवृत्ति साल में लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है।

18. दी गई ईक्विटी

ईक्विटी शेयर को ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नये शेयर जारी करने की वजह से या विकल्प से हो सकने वाली वृद्धिशील लागत को ईक्विटी में घटाव के रूप में, आगम पर कर के निवल के रूप में दिखाया जाता है।

19. लाभांश

समुचित रूप से प्राधिकृत, न कि संस्था के विवेकाधिकार से की जाने वाली किसी लाभांश राशि की घोषणा का रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में परन्तु रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद न दिये जाने पर प्रावधान किया जाता है।

20. प्रति शेयर अर्जन

20.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना भाग कर की जाती है:

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के मालिकों को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से लाभांश को विभाजित करके की जाती है, वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों में बोनस तत्वों के लिए समायोजित किया जाता है और ट्रेजरी शेयरों को छोड़कर।

20.2 कम किया गया प्रति शेयर अर्जन

कम किया गया प्रति शेयर अर्जन, प्रति शेयर मूल अर्जन निर्धारित करने में प्रयुक्त आँकड़ों को निम्न का समायोजित खाते में लेने के लिए प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में प्रयुक्त आँकड़े निम्न को हिसाब में लेने समायोजित करता है :

- ब्याज पर पड़ने वाला आयकर प्रभाव और कम किये जाने वाले संभावित ईक्विटी शेयरों से जुड़ी अन्य वित्तपोषण लागत, और
- भारित औसत संख्या के अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों जिनके कम किये जाने वाले सभी संभावित ईक्विटी शेयरों के परिवर्तन से बकाया है मान लिये जाने पर।

नोट 1 से 38 और लेखा-नीति लेखाओं के अंगभूत भाग हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002424S

रंगनाथन के पी
भागीदार
(सदस्यता सं. 239498)
यू डी आई एन: 22239498AJQHQR7176

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21.06.2021

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डी आई एन 08744682

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21.06.2021

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. ए19015)

टिप्पणी
वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1 : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2021 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 तक संचित मूल्यह्रास /	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परिसमापन	31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यह्रास /	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,800.66	-	-	8,800.66	-	-	-	-	-	8,800.66
भवन	32,080.67	39.19	(38.12)	32,081.74	5,747.65	1,303.28	-	-	7,050.93	25,030.81
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,311.54	96.61	-	1,408.15	1,158.14	56.86	-	-	1,215.00	193.15
सड़कें तथा नालियाँ	1,678.83	11.57	-	1,690.40	766.70	160.49	-	140.74	1,067.93	622.47
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	187.84	0.66	-	188.50	35.55	8.63	-	-	44.18	144.32
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	52,258.54	2,501.59	(33.74)	54,726.39	17,644.27	3,808.03	(13.49)	-	21,438.81	33,287.58
फर्नीचर तथा उपकरण	4,577.13	375.28	(25.88)	4,926.53	2,868.75	624.22	(10.03)	-	3,482.94	1,443.59
परिवहन वाहन	685.01	63.28	-	748.29	435.61	70.38	-	-	505.99	242.30
विशेष औजार एवं उपकरण	5,373.47	43.37	-	5,416.84	4,023.91	731.37	-	-	4,755.28	661.56
कुल	106,953.69	3,131.55	(97.74)	109,987.50	32,680.58	6,763.26	(23.52)	140.74	39,561.06	70,426.44

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2001 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परिसमापन	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,772.47	28.19	-	8,800.66	-	-	-	-	-	8,800.66
भवन	31,395.85	684.82	-	32,080.67	4,363.03	1,384.62	-	-	5,747.65	26,333.02
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,295.81	15.73	-	1,311.54	1,114.17	43.97	-	-	1,158.14	153.40
सड़कें तथा नालियाँ	1,666.19	12.64	-	1,678.33	598.50	168.20	-	-	766.70	912.13
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	184.20	3.64	-	187.84	27.56	7.99	-	-	35.55	152.29
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	47,928.84	4,399.79	(70.09)	52,258.54	13,815.38	3,830.23	(1.34)	-	17,644.27	34,614.27
फर्नीचर तथा उपकरण	3,814.14	763.71	(0.72)	4,577.13	2,254.25	615.21	(0.71)	-	2,868.75	1,708.38
परिवहन वाहन	662.01	23.00	-	685.01	361.80	73.81	-	-	435.61	249.40
विशेष औजार एवं उपकरण	5,362.30	11.17	-	5,373.47	3,241.96	781.95	-	-	4,023.91	1,349.56
कुल	101,081.81	5,942.69	(70.81)	106,953.69	25,776.65	6,905.98	(2.05)	-	32,680.58	74,273.11

टिप्पणियाँ

पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि :

(ए) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में शामिल है :

(i) कंचनबाग स्थित 2 एकड़ 08 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2021 को 2 एकड़ 08 गुण्टा ज़मीन) शामिल है जो भारत सरकार के संगठन को अनुमत अधिग्रहण आधार पर दी हुई है जिस पर उनका स्वामित्व है।

(ii) कंचनबाग स्थित 146 एकड़ 32 गुण्टा की ज़मीन राज्य सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई (31 मार्च, 2021 तक 146 एकड़ 32 गुण्टा, मूल्य 28.42 लाख) जिसका मूल्य 28.42 लाख है। इस भूमि पर हकनामा / स्वामित्व प्राप्त होना अभी शेष है।

(बी) कंपनी के लिए राज्य सरकार से अधिगृहीत करमनघाट स्थित 82 एकड़ 31 गुण्टा ज़मीन जिसके लिए कंपनी द्वारा 21.66 लाख का (31 मार्च, 2021 तक 21.66 लाख) भुगतान किया गया है और इस राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(सी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विशाखापट्टणम स्थित 10 एकड़ 13 गुण्टा की ज़मीन का हकनामा / स्वामित्व कंपनी के नाम पर पंजीकरण कर दिया गया है।

(डी) इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी स्थित स्वामित्व में ली जा चुकी 632 एकड़ 16.50 गुण्टा ज़मीन के लिए अंतरण लिखत रसीद प्राप्ति के लेबित रहने के संबंध में इसे भुगतान की गई अनुमतानित कीमत के आधार पर पंजीकृत किया गया है।

भवन:

(ए) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की मालिकयत से संबंध नहीं रखने वाली भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्य 111.01 लाख (31 मार्च, 2021 को रु. 111.01 लाख) सम्मिलित है।

(i) विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार) की अनुमोदित प्रयोक्ता-अवधि इस प्रकार है :

आस्ति	प्रयोक्ता अवधि
भवन	30 / 60
फैंसिंग और चहारदीवारी	5
सड़कें तथा नालियाँ	10
जल-आपूर्ति संस्थापनाएँ	30
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	10/ 12/ 15
फर्नीचर तथा उपकरण	3 / 5 / 10
परिवहन वाहन	8 / 10

(ii) मूल्यह्रास की गणना-पद्धति के लिए लेखा-नीति 11 का संदर्भ लें : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण

(iii) नुकसान का जायज़ा लेखा-नीति 15 के अनुसार लिया जाता है। क्षतिजन्य निराकरण के लिए टिप्पणी सं. 38 (1) का संदर्भ लें।

(iv) अल्पावधि में बंद परियोजनाओं के विवरण के लिए टिप्पणी सं. 38 (7) का संदर्भ लें।

(v) कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं की गई अचल संपत्ति के हलकनामा / स्वामित्व के लिए टिप्पणी सं. 38 (21) ए का संदर्भ लें।

टिप्पणी 2 : पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
सिविल	2,625.56	1,390.48
सयंत्र एवं मशीनरी	1,050.44	740.70
अन्य	397.18	18.68
कुल	**4,073.18**	**2,149.86**

टिप्पणियाँ :

(i) पूँजीगत प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी सं. 38 (6) और समय तथा पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य की पूर्ति के लिए टिप्पणी सं. 38 (21) ई का संदर्भ लें।

टिप्पणी 3 : निवेश संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल वहन राशि
	1 अप्रैल 2021 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान नुकसाना	31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	**0.97**	-	-	-	-	-	**0.97**

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल वहन राशि
	1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान नुकसाना	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	**0.97**	-	-	-	-	-	**0.97**

(i) निवेशित संपत्तियों पर लाभ या हानि मानी गयी राशि

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
किराया आय	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-
मूल्यह्रास	-	-
निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-

(ii) संविदात्मक बाध्यताएँ

कंपनी को संपत्ति में निवेश, निर्माण या बेचने या इसकी किसी मरम्मत की संविदात्मक बाध्यता प्राप्त नहीं है।

(iii) पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्थाएँ

पट्टे की व्यवस्था दीर्घावधि तक चलने वाले पट्टे के अंतर्गत कंचनबाग में 5 एकड़ 1 गुण्टा भूमि सालाना किराये पर भारत सरकार को दी गई है। इस तरह के पट्टे पर किराया सालाना रु. 1 के प्रति एकड़ है। पट्टे की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2022 में भी यही रही।

(iv) **उचित मूल्य**

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
निवेशित आस्तियाँ	2967.16	1459.26

उल्लेखनीय निर्णय :

जैसे कि भूमि भारतीय नौसेना को दी गई है और यह भारत सरकार का संगठन कंपनी परिसर में ही है और कंपनी के लिए किसी अन्य को भूमि देना संभव नहीं होगा, पंजीकरण विभाग ने इस भूमि के मूल्य को उचित मूल्य माना है। इस विभाग के अनुसार इस भूमि का उचित मूल्य 0.06 लाख (31 मार्च, 2021 को 0.06 लाख) प्रति वर्ग गज है।

(v) नुकसान का जायज़ा लेखा-नीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

(vi) कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं की गई अचल संपत्ति के हलकनामा / स्वामित्व के लिए टिप्पणी सं. 38 (21) ए का संदर्भ लें।

(vi) कंपनी नियमावली (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता तथा मूल्यांकन), 2017 में निर्धारित अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन से संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणी सं. 38 (21) बी का संदर्भ लें।

टिप्पणी 4 : आस्तियों के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल वहन राशि
	1अप्रैल 2021 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान नुकसाना	31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	5,122.58	-	8,599.75	223.30	58.10	-	3,217.83	3,498.23	5,101.52
पट्टे पर प्राप्त भवन	998.91	-	-	998.91	278.74	139.37	-	-	418.11	580.80
कुल	4,476.08	5,122.58	-	9,598.66	501.04	197.47	-	3,217.83	3,916.34	5,682.32

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल वहन राशि
	1अप्रैल 2020 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान नुकसाना	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	3,477.17	185.25	37.05	-	-	222.30	3,254.87
पट्टे पर प्राप्त भवन	998.91	-	-	998.91	139.37	139.37	-	-	278.74	720.17
कुल	4,476.08	-	-	4,476.08	324.62	176.42	-	-	501.04	3,975.04

पट्टे पर भूमि :

(ए) विशाखापट्टणम में 3 एकड़ 25 गुण्टा (31 मार्च, 2021 को 3 एकड़ 25 गुण्टा) की ज़मीन भारत सरकार से प्रति एकड़ रु. 1 किराये पर ली गयी थी।

(बी) अमरावती में 553 एकड़ 34 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2021 को 553 एकड़ 34 गुण्टा) दि. 7.2.2014 को संलग्न शर्तों सहित पट्टे पर ली गयी थी जिसके लिए प्रीमियम के रूप में रु. 3922.37 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इनमें से प्रमुख शर्त थी कि आबंटन की तारीख से 60 माह के भीतर फैक्टरी भवन एवं निर्माण पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो पट्टे की अवधि नहीं बढ़ाये जाने पर यह पट्टा निरस्त किया जा सकता है और कंपनी को मुआवज़े में बिना कोई राशि दिये सभी निर्माण के साथ पट्टाधारित भूमि को अपना सकता है। वर्तमान में निवेश की यह अवधि 5.4.2019 तक बढ़ा दी गयी है। जिस परियोजना के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वह फिलहाल रक्षा मंत्रालय के साथ अंतिम चरण पर है। कंपनी, निवेश की कालावधि बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कालावधि विस्तार की लंबित रसीद के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 3217.83 लाख की राशि की क्षति दर्शायी गयी।

(सी) डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडार, झाँसी जिले में 183 हेक्टीयर की भूमि यू पी ई आई डी ए से पट्टे पर ली गयी। इसके लिए पंजीकरण शुल्क सहित रु. 5071.84 लाख की राशि का पूँजीकरण किया गया था। पट्टे की अवधि 30 वर्ष है जिसे 30-30 वर्ष के आधार पर दो बार नवीकृत किया जा सकता है। प्रति वर्ष रु. 1 की दर से पट्टे की कुल अवधि 90 वर्ष है। दि. 07 नवंबर, 2022 से निर्माण-कार्य आरंभ हो जाने की शर्त पर रु. 253.59 लाख की स्टैंप ड्यूटी से छूट मिल गयी है। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी ने सयंत्र के ले-आउट तथा डिज़ाइन को अंतिम रूप देने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया है।

पट्टे पर भवन :

53,284 वर्ग फुट का निगम कार्यालय भवन ए पी एस एफ सी से 01.06.2016 से 10 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया है। कंपनी ने इस भवन को रु. 998.91 लाख की राशि पर 'आस्ति के उपयोग अधिकार' के तहत दर्शाया है जिसमें पट्टे की देयता के रु. 972.01 लाख तथा 26.90 लाख रुपये का भारतीय लेखा मानक 116 के तहत दि. 1.4.2019 तक आस्ति निवृत्ति बाध्यता के लिए प्रावधान शामिल है। पट्टे की देयता को 8% की वृद्धिशील उधार दर पर पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर लिया गया है।

टिप्पणी 38 (1) का संदर्भ देखें। क्षतिजन्य निराकरण

(vi) कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं की गई अचल संपत्ति के हलकनामा / स्वामित्व के लिए टिप्पणी सं. 38 (21) ए का संदर्भ लें।

टिप्पणी 5 : अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल वहन राशि
	1 अप्रैल 2021 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान नुकसाना	31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.10	-	-	3,324.10	3,232.73	91.37	-	-	3,324.10	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,182.78	99.85	-	2,282.63	2,085.82	78.42	-	-	2,164.24	118.39
अनुज्ञप्ति शुल्क	19,914.69	-	-	19,914.69	6,853.23	1,904.95	-	-	8,758.18	11,156.51
कुल	**25,421.57**	**99.85**	**-**	**25,521.42**	**12,171.78**	**2,074.74**	**-**	**-**	**14,246.52**	**11,274.90**

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल वहन राशि
	1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान नुकसाना	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.10	-	-	3,324.10	3,232.73	-	-	-	3,232.73	91.37
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,156.64	26.14	-	2,182.78	1,874.69	211.13	-	-	2,085.82	96.96
अनुज्ञप्ति शुल्क	18,097.46	1,817.23	-	19,914.69	4,691.58	2,161.65	-	-	6,853.23	13,061.46
कुल	**23,578.20**	**1,843.37**	**-**	**25,421.57**	**9,799.00**	**2,372.78**	**-**	**-**	**12,171.78**	**13,249.79**

उल्लेखनीय निर्णय

कंपनी की तकनीकी दृष्टि से अप्रयुक्तता को देखते हुए मानना है कि सॉफ्टवेयर की कार्यावधि / प्रयोगावधि 3 साल हो सकती है। यद्यपि, तकनीकी नवोन्मेष को देखते हुए यह अवधि 3 साल से कम या अधिक भी हो सकती है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
6	**गैर-चालू निवेश**		
	लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर किया गया निवेश	-	452.26
	(i) ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 9,21,920 (31 मार्च, 2021 तक 9,21,920) (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर (अनकोटेड)		
		-	**452.26**
- टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय			
उल्लेखनीय निर्णय : ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किया गया निवेश लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित किया गया है। उचित मूल्य निवेश की निवल मालियत पर आधारित है क्योंकि शेयर अनकोटेड हैं और कंपनी का इस निवेशी पर कोई खास दखल नहीं चलता है। यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान ए पी जी पी सी एल ने एडवर्स आर्बिट्रेशन अवार्ड प्राप्त किया है जिसके लागू कर देने से ए पी जी पी सी एल के निवल मालियत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तदुनसार, निवेश का उचित मूल्य 'शून्य' मान लिया जाएगा।			
7	**गैर-चालू ऋण**		
	कर्मचारियों को दिये गये ऋण		
	सुरक्षित, शोध्य माल	-	-
	असुरक्षित, शोध्य माल	203.69	251.96
		203.69	**251.96**
	टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपयोग		
8	**अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	प्राप्य दावे / वापसियाँ	93.00	198.18
	आस्थगित ऋण	3,992.76	4,205.93
		4,085.76	**4,404.11**
	टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपयोग		

उल्लेखनीय निर्णय :

आस्थगित ऋण :

आस्थगित ऋण भारतीय सेना और आयुध निर्माणी से प्राप्त होने हैं। यह प्राप्ति भारतीय रुपयों में दि. 1.4.1992 से आरंभ कर समान किश्तों में 45 साल में प्राप्त होनी है। अनुबंध अनुसार, इन प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) के आधार पर समायोजित किया जाता है। ये प्राप्तियाँ इस मानक अनुसरण पूर्णत: मूल भुगतान और ब्याज के मानदण्ड (एस पी पी आई) के अनुरूप नहीं हैं। अत: प्राप्तियों को लाभ-हानि के ज़रिये उचित मूल्य पर लिया जाता है। आरंभिक पहचान कर आस्थगित ऋण को उचित मूल्य पर लाने के लिए 8% की छूट दी जाती है तथा ऐसे उचित मूल्य और आस्थगित ऋण के अंतर को आस्थगित खर्च माना जाता है। बाद में इसे लाभ-हानि के ज़रिये उचित मूल्य पर लिया जाता है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति		31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	
9	अन्य गैर-चालू आस्तियाँ				
	पूँजीगत अग्रिम		660.30		660.30
	आस्थगित व्यय*		1,946.23		2,085.25
			2,606.53		**2,745.55**
	*आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का टिप्पणी सं. 8 में संदर्भ लें।				
10	सामग्री-सूची *				
	कच्चा माल तथा घटक	119,032.58		101,909.27	
	घटाव : प्रावधान	(5,541.28)		(5,237.05)	
	मार्गस्थ कच्चा माल तथा घटक	274.02		160.84	
			113,765.32		**96,833.06**
	निर्माणाधीन कार्य #	46,766.10		40,589.45	
	घटाव : प्रावधान	(462.71)		(353.13)	
			46,303.39		**40,236.32**
	तैयार माल	2,904.80		645.87	
	घटाव : प्रावधान	(49.54)		(127.66)	
	मार्गस्थ तैयार माल	288.94		-	
			3,144.20		**518.21**
	भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	2,023.41		1,829.58	
	घटाव : प्रावधान	(246.61)		(233.98)	
	मार्गस्थ भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	20.09		-	
			1,796.89		**1,595.60**
	शिथिल औजार	994.16		1,053.63	
	घटाव : प्रावधान	(559.03)		(536.02)	
	मार्गस्थ शिथिल औजार	-		-	
			435.13		**517.61**
	निर्माण सामग्री		-		-
	भण्डार तथा उपस्कर - कल्याण	310.79		308.56	
	घटाव : परिशोधन	(310.79)		(308.56)	
			-		-
	विविध भण्डार		**0.20**		**0.20**
			165,445.13		**139,701.00**
	# ग्राहकों के पास उपलब्ध सामग्री-सूची मिलाकर		9.20		9.20
	* उप-ठेकेदार / अन्यों को जारी की गई सामग्री सहित		16,361.62		14,460.90
	रु. 16,361.62 लाख (31 मार्च, 2021 को रु14460.90 लाख) में से उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 4196.94 लाख (31 मार्च, 2021 तक 5633.25 लाख) की सामग्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और शेष की पुष्टि विक्रेताओं ने की है। उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध 497.98 लाख (31 मार्च, 2021 को 137.13 लाख) मूल्य की सामग्री के भौतिक रूप से सत्यापन के दौरान पाये गये अंतर को प्राप्य दावे के अंतर्गत दर्शाया गया और सामग्री-सूची में से इसे कम कर दिया गया।				
	- सामग्री-सूची की मूल्य-गणना कंपनी की लेखा-नीति 7 के अनुसार की गई है।				
	- टिप्पणी 38 (7) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं के विवरण।				
11	प्राप्य ट्रेड				
	सुरक्षित		-		-
	असुरक्षित, शोध्य माल		30,416.13		32,269.27
	संदिग्ध		-		-
	घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (अनुमानित जमा राशि भत्ता)		-		-
			30,416.13		**32,269.27**
	संदर्भ टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन; 38 (12) पंजीकृत प्रभार।				
	टिप्पणी 38 (20) (एफ) का संदर्भ लें : ट्रेड प्राप्यों की आवाजाही				

31 मार्च, 2022 तक प्राप्य ट्रेड के लिए समय-सारणी						
विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल	26306.78	1,052.86	2,246.39	501.66	308.44	30,416.13
(ii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(iii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
(iv) विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल						
(v) विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(vi) विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
कुल प्राप्य ट्रेड	**26306.78**	**1,052.86**	**2,246.39**	**501.66**	**308.44**	**30,416.13**

31 मार्च, 2022 तक प्राप्य ट्रेड के लिए समय-सारणी						
विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल	25,215.42	2,305.35	3,740.71	532.99	474.80	32,269.27
(ii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(iii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
(iv) विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल						
(v) विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(vi) विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
कुल प्राप्य ट्रेड	**25,215.42**	**2,305.35**	**3,740.71**	**532.99**	**474.80**	**32,269.27**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
12	नक़द एवं नक़द तुल्य		
	बैंक में शेष		
	- चालू खातों में	3,055.17	398.66
	- जमा खातों में (3 महीनों तक)	23,448.78	45,290.93
	हाथ नक़दी *	0.42	2.08
	मार्गस्थ प्रेषण व्यय	-	-
		26,504.37	**45,691.67**
	रिपोर्टाधीन अवधि और उससे पूर्वावधि के लिए नक़द तथा नक़द तुल्य के संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावर्तन के बंधन नहीं है।		
	* हाथ नक़दी में अग्रदायी धारकों के पास की नक़दी भी शामिल है।		
	टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
13	**अन्य बैंकों में शेष**		
	सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा	163,449.00	110,403.80
	(परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम)		
		163,449.00	**110,403.80**
	- कंपनी ने रु. 1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है जिसके लिए कंपनी ने रु. 1,800.00 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये थे। 31 मार्च, 2022 तक उपयोग की गयी ओवरड्राफ्ट राशि और बकाया राशि 'शून्य' है। (31 मार्च, 2021 तक 'शून्य')		
	- 12 महीने से अधिक के कोई भी परिपक्व होने वाले जमा नहीं हैं।		
	नक़द एवं बैंक शेष का समाधान		
	नक़द एवं नक़द तुल्य (उपर्युक्त अनुसार)	26,504.37	45,691.67
	बैंक में शेष (उपर्युक्त अनुसार)	163,449.00	110,403.80
	कुल नक़द एवं बैंक शेष	**189,953.37**	**156,095.47**
14	**चालू ऋण**		
	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित, शोध्य माल	-	-
	असुरक्षित, शोध्य माल	183.74	196.87
	कुल चालू ऋण	**183.74**	**196.87**
	टिप्पणी 38 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय।		
15	**अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	प्राप्य दावे / वापसी	7,384.87	3,969.40
	घटाव : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान (निम्नलिखित टिप्पणी का संदर्भ लें)	(21.47)	(21.47)
	आस्थगित ऋण *	347.85	347.85
	बिल रहित राजस्व #	119,119.48	115,251.21
	जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज	2,317.85	2,022.42
	प्रोद्भूत ब्याज - अन्य	13.45	24.62
	बिक्री के लिए रखी गयी आस्तियाँ	0.28	0.28
	कुल अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ	**129,162.31**	**121,594.31**
	टिप्पणी 38 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय।		
	# टिप्पणी 38 (20) (सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियों और ठेका देयताओं की आवाजाही		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
	टिप्पणी :		
	(i) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित रु. 17.14 लाख रुपये की अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी के नाम रु. 48.10 लाख की राशि के लिए न्यायालय द्वारा डिक्री जारी किये जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे / आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्त हुई है और आज तक यह मामला विचाराधीन है।		
	(ii) एक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में कंपनी ने ब्याज सहित 4.33 लाख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री खरीद के लिए भुगतान की गई, तदुपरांत अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया। यह मामला सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में लंबित है और यह फिलहाल अदालत में विचाराधीन है।		
16	**अन्य चालू आस्तियाँ**		
	पूँजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
	विक्रेताओं को दिये गये अग्रिम		
	- सुरक्षित, शोध्य माल	389.95	1,361.76
	- असुरक्षित, शोध्य माल	29,427.63	28,381.59
	- असुरक्षित, शोध्य संदिग्ध	1.71	1.71
	घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(1.71)	(1.71)
	प्रोद्भूत व्यय	369.60	255.28
	जमा	3,817.79	5,621.63
	आस्थगित व्यय *	139.02	139.02
	भुगतान न किये गये लाभांश के लिए बैंक में उद्दिष्ट शेष	101.05	60.25
	सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध सी एस आर व्यय #	5.75	
	कुल चालू आस्तियाँ	**34,250.79**	**35,819.53**
	टिप्पणी 38 (7) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाएँ		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
	# सी एस आर प्रावधान में आवाजाही के लिए टिप्पणी 28 का संदर्भ लें।		

17 : ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
प्राधिकृत		
प्रति शेयर रु. 10/- के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
जारी, खरीदी गई और प्रदत्त		
प्रति शियर रु. 10/- मूल्य के 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	18,328.12	18,328.12
	18,328.12	**18,328.12**

टिप्पणियाँ :
ईक्विटी शेयर का सम मूल्य रु. 10/- (वर्ष 2016-17 और उससे पहले यह रु. 1,000/- था) यह धारक को लाभांश का प्रतिभागी बनाता है तथा शेयर पर खर्च रुपय और इसकी संख्या के अनुपात में कंपनी को बंद करने का हक़दार बनाता है।

(ए) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2020 का शेष	183,281,250	18,328.12
वर्ष के दौरान वापस खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
31 मार्च, 2021 का शेष	183,281,250	18,328.12
वर्ष के दौरान वापस खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
31 मार्च, 2022 का शेष	**183,281,250**	**18,328.12**

(बी) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रति शेयरधारक के शेयरों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति		31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	
		रखे गये शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों के धारकों की संख्या	रखे गये शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों के धारकों की संख्या
	पूर्णत: प्रदत्त ईक्विटी शेयर				
1)	भारत सरकार	137,325,527	74.93%	137,325,527	74.93%
2)	भारतीय जीवन बीमा निगम	11,455,734	6.25%	18,744,839	10.23%
3)	एच डी एफ सी न्यासी कंपनी लिमिटेड	14,189,604	7.74%	10,916,175	5.96%

(सी) चालू वर्ष से तत्काल पिछले 5 वर्ष के लिए वापस-खरीद का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वापस खरीदे गये शेयरों की संख्या (संख्या)	-	-	-	-	30,546,875	-
वापस खरीदे गये शेयर का अंकित मूल्य (रुपये में)	-	-	-	-	10.00	-
वापस खरीदे गये कुल शेयरों का अंकित मूल्य	-	-	-	-	3,054.69	-
वापस खरीदे गये शेयरों पर कुल प्रदत्त प्रीमियम	-	-	-	-	41,998.90	-
वापस खरीदे गये शेयरों पर किया गया कन्सिडरेशन	-	-	-	-	45,053.59	-
शेयर पूँजी कटौती	-	-	-	-	3,054.69	-
प्रयुक्त शेयर प्रीमियम	-	-	-	-	-	-
प्रयुक्त सामान्य प्रारक्षण	-	-	-	-	45,053.59	-
पूँजी शोधन प्रारक्षण में राशि का अंतरण	-	-	-	-	3,054.69	-

रु. 1,000/- प्रति अंकित मूल्य के शेयर को रु. 10/- के अंकित मूल्य में बाँटा गया जिससे ईक्विटी शेयर दि. 08 मई, 2017 से 100 गुना बढ़ गये।

कंपनी अधिनियम की धारा 68, 69 और 70 के अनुसार वर्ष 2015-16 और वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरों की वापस खरीद प्रक्रिया आरंभ कर पूरी कर ली गयी।

(डी) चालू वर्ष के तत्काल पूर्व 5 वर्षों के लिए जारी बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
जारी बोनस शेयर की संख्या (संख्या)	-	-	-	-	91,640,625	244,375
जारी बोनस शेयर का मूल्य (रुपय लाख में)	-	-	-	-	9,164.06	2,443.75

(ई) प्रचारकों की शेयरधारिता के विवरण

	प्रचारकों द्वारा रखे गये शेयर	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति		2021-22 के दौरान परिवर्तन का %	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति		2020-21 के दौरान परिवर्तन का %
क्र.सं.	प्रचारक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
	पूर्णत: प्रदत्त ईक्विटी शेयर						
1	भारत सरकार	137,325,527	74.93%	-	137,325,527	74.93%	-12.82%

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
18	**अन्य ईक्विटी**		
	सामान्य प्रारक्षण	288,135.54	248,135.54
	सामान्य शोधन प्रारक्षण	-	-
	प्रतिधारित अर्जन	2,664.68	7,243.10
	अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	(6,072.60)	(5,232.04)
	वर्ष के अंत में शेष	**284,727.62**	**250,146.60**
	ए. सामान्य प्रारक्षण		
	वर्ष के आरंभ में शेष	248,135.54	223,135.54
	पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-
	वापस खरीदे गये प्रीमियम बट्टे खाते में डाले गये	-	-
	लाभ-हानि लेखा में से अंतरण	40,000.00	25,000.00
	जारी किये गये बोनस शेयर	-	-
	वर्ष के अंत में शेष	**288,135.54**	**248,135.54**
	सामान्य प्रारक्षण का उपयोग समय-समय पर प्रतिधारित अर्जनों के विनियोजन के उद्देश्य से अंतरित करने के लिये किया जाता है। चूँकि सामान्य प्रारक्षण ईक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण के लिए बनाया गया है और यह अन्य व्यापक आय का मद नहीं है, अत: सामान्य प्रारक्षण में शामिल मदों की क्रमश: लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
	बी. प्रारक्षित पूँजी शोधन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
	सामान्य प्रारक्षण से अंतरण	-	-
	जारी किये गये बोनस शेयरों के मुकाबले प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के अंत में शेष	-	-
	वापस खरीद के संदर्भ में शेयर पूँजी के नाममात्र मूल्यों में कमी को पूँजीगत पुन:प्राप्ति प्रारक्षण में रिकॉर्ड किया जाता है।		
	सी. प्रतिधारित अर्जन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	7,243.10	23,097.02
	वर्ष के लिए लाभ	49,992.44	25,776.52
	अंतिम लाभांश	(1,191.33)	(4,673.67)
	अंतरिम लाभांश	(13,379.53)	(12,279.84)
	सामान्य प्रारक्षण से अंतरण	(40,000.00)	(25,000.00)
	सी एस आर प्रावधान समायोजन	-	323.07
	वर्ष के अंत में शेष	**2,664.68**	**7,243.10**
	डी. अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुन:मापन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	(5,232.04)	(3,877.71)
	अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	(840.56)	(1,354.33)
	वर्ष के अंत में शेष	**(6,072.60)**	**(5,232.04)**
19	**गैर-चालू पट्टा देयताएँ**		
	पट्टा देयताएँ	520.75	652.71
		520.75	**652.71**
20	**अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ**		
	आस्थगित ऋण	1,674.19	1,731.28
	अंतर्निहित उत्पन्न देयताएँ (आस्थगित देयता)	2,431.97	2,594.11
		4,106.16	**4,325.39**
	टिप्पणी 38 (5) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य उपाय		
	उल्लेखनीय निर्णय : 1) आस्थगित ऋण : आस्थगित ऋण राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 45 वर्ष (01.04.1992 से आरंभ) के आस्थगित ऋण के मूल ऋण भाग (आधार दर पर) को दर्शाया है। आस्थगित ऋण एक वित्तीय देयता है, अत: इसे उचित मूल्य 8% की दर से अभिनिश्चित किया जाता है। कंपनी इसे 8% पूँजी लागत के रूप में मानती है। 2) अंतर्निहित व्युत्पन्न : एस डी आर में उतार-चढ़ाव के कारण देयताओं में हुई वृद्धि को अंतर्निहित व्युत्पन्न के रूप में लिया जाता है। अंतर्निहित व्युत्पन्न का लेखा-जोखा, लाभ और हानि के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्य पर किया जाता है। ऐसे उचित मूल्य के करार के अनुसार रिपोर्टिंग तारीख पर एस डी आर यूनिट का समायोजन रुपय मूल्य माना जाता है।		
21	**गैर-चालू प्रावधान**		
	परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति बाध्यता	34.16	31.54
	कर्मचारी लाभ		
	प्रोद्भूत छुट्टी	-	-
	उपदान	-	-
	भविष्य निधि	4,431.48	2,875.28
		4,465.64	**2,906.82**
	टिप्पणी 38 (3) का संदर्भ लें : कर्मचारी लाभ बाध्यता		

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
22	अन्य गैर-चालू देयताएँ		
	ग्राहकों से अग्रिम -$		
	रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी)	63,462.98	12,276.37
	अन्य	9,857.22	43,892.72
	आस्थगित आय *	2,001.51	2,144.48
	आस्थगित राजस्व #	10,812.24	9,405.30
		86,133.95	**67,718.87**
	* टिप्पणी 20 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें। # टिप्पणी 38 (19) का संदर्भ लें : सौर ऊर्जा सयंत्र के लिए अनुदान $ टिप्पणी 38 (20) (सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्ति एवं देयताओं की अवाजाही लेखा-नीति सं. 3 ए (vi) और 4.4 का भी संदर्भ लें।		
23	उधार		
	(ए) माँग पर पुनर्भुगतान किये जाने वाले ऋण		
	(i) बैंक से		
	- सुरक्षित बैंक ओवरड्रॉफ्ट	-	-
	- असुरक्षित	-	-
		-	-
	कंपनी को रु. 1,500.00 लाख की ओवरड्रॉफ्ट सुविधा मंजूर की गई है जिसके लिए कंपनी ने रु. 1,800.00 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये हैं।		
24	चालू पट्टा देयताएँ		
	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	131.96	118.48
		131.96	**118.48**
25	देय ट्रेड		
	देय ट्रेड - चालू :		
	माइक्रो एवं छोटे उद्यमों को बकाया राशि	3,996.37	2,937.69
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को छोड़ कर अन्य ऋणदाताओं को बकाया राशि	51,250.61	71,322.42
		55,246.98	**74,260.11**
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता है।		
	(i) लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूल धन एवं उस पर ब्याज		
	- मूल धन	3,958.95	2,895.16
	- ब्याज	37.42	42.53
	(ii) निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को दी गई राशि के साथ दिया गया ब्याज		
	(iii) वर्ष के लिए देय ब्याज और शेष	-	-
	(iv) लेखांकित वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और देना शेष	37.42	42.53
	(v) ऊपर की तिथि पर दिये गये ब्याज के बाद आने वाले वर्ष के लिए देय ब्याज राशि	-	-
	-माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए शेष देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा इस तरह की पार्टियों की पहचान की प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। लेखापरीक्षकों ने इस पर भरोसा दर्शाया है।		

31 मार्च, 2022 तक देय ट्रेड के लिए समय-सारणी

विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से निम्नलिखित अवधि तक बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एम एस एम ई	2,841.77	653.11	125.71	375.78	3,996.37
(ii) अन्य	34,175.60	4,726.65	7,195.96	5,152.40	51,250.61
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई					
(iv) विवादित बकाया - अन्य					
कुल देय ट्रेड	**37,017.37**	**5,379.76**	**7,321.67**	**5,528.18**	**55,246.98**

31 मार्च, 2021 तक देय ट्रेड के लिए समय-सारणी

विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से निम्नलिखित अवधि तक बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एम एस एम ई	2,188.26	241.86	280.23	227.34	2,937.69
(ii) अन्य	54,030.08	9,479.78	2,540.69	5,271.87	71,322.42
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई					
(iv) विवादित बकाया - अन्य					
कुल देय ट्रेड	**56,218.34**	**9,721.64**	**2,820.92**	**5,499.21**	**74,260.11**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
26	**अन्य चालू वित्तीय देयताएँ**		
	आस्थगित जमा की चालू परिपक्वता *	357.73	357.73
	जमा	1,413.42	1,810.04
	व्यय के लिए ऋणदाता	6,828.34	4,245.51
	देय कर्मचारी लाभ	6,388.29	6,603.49
	पूँजीगत कार्य	1,146.22	946.57
	अन्य	302.59	454.51
		16,436.59	**14,417.85**
	टिप्पणी 38 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय * टिप्पणी सं 20 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
27	**अन्य चालू देयताएँ**		
	ग्राहकों से अग्रिम :#		
	- रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी)	82,761.24	95,671.28
	- अन्य	60,115.76	37,575.06
	आस्थगित आय *	142.97	142.97
	आस्थगित राजस्व	1,456.66	1,993.93
	सांविधिक प्रेषण	10,883.02	4,919.34
		155,359.65	**140,302.58**
	टिप्पणी 38 (7) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाएँ # टिप्पणी 38 (20) (सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्ति एवं देयताओं की आवाजाही। * टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
28	**चालू प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ		
	- उपदान	-	-
	- प्रोद्भूत छुट्टी	-	-
	- भविष्य निधि	967.97	122.86
	वारंटी	10,061.84	7,322.28
	दुर्वह ठेके	785.03	789.64
	सी एस आर एवं सातत्यता विकास	-	637.06
	भविष्य प्रभार	1,870.84	4,270.63
	अन्य	17,244.92	9,855.61
		30,930.60	**22,998.08**

प्रावधानों में गति

प्रावधान	वारंटी	दुर्वह ठेके	सी एस आर एवं सातत्यता विकास	भविष्य प्रभार	अन्य
31 मार्च, 2021 तक का शेष	**7,322.28**	**789.64**	**637.06**	**4,270.63**	**9,855.61**
पहचाने गये अतिरिक्त प्रावधान	4,485.77	-	1,169.80	-	7,449.56
वर्ष के दौरान उपयोजन	(49.47)	-	(1,812.61)	(929.76)	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(1,696.74)	(4.61)	-	(1,470.03)	(60.25)
31 मार्च, 2022 तक का शेष	**10,061.84**	**785.03**	**(5.75)**	**1,870.84**	**17,244.92**

वारंटी :

वारंटी दावे की प्रकृति, बारंबारिता और औसत लागत की इतिवृत्तात्मक सूचना तथा उत्पाद असफलता पर सामान्यत: आपूर्ति की तारीख से 1 से 2 वर्ष के भीतर ग्राहकों को दी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी सेवा से होने वाले आगामी परिणाम के आधार पर वारंटी का प्राक्कलन तैयार किया जाता है।

दुर्वह ठेके :

दुर्वह ठेके का प्रावधान, अपने निष्पाद्य विक्रय संविदा पर कंपनी द्वारा प्राक्कलित हानि को सूचित करता है। ऐसे ठेके को कार्यान्वित / प्रारंभ करते समय कंपनी द्वारा जब कभी भी मूल्यांकन किया जाता है ऐसी हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान की आवधिक समीक्षा की जाती है।

सी एस आर एवं सातत्यता विकास :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जितना खर्च किया जाना है उसके आधार पर सी एस आर एवं सातत्यता विकास व्यय तय किया जाता है। उपर्युक्त अधि प्रावधान, डीपीई दिशानिर्देशों के लिए वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए बनाये गये प्रावधान से संबंधित है और यह वर्ष के दौरान खर्च भी किया गया है। 31 मार्च, 2022 तक शेष रु. 5.75 लाख की राशि आने वाले वर्षों में खर्च करने के लिए निर्धारित अतिरिक्त राशि का प्रतिनिधित्व करती है। टिप्पणी 16 : अन्य चालू आस्तियों का भी संदर्भ लें।

भविष्य प्रभार :

भविष्य प्रभार प्रावधान, पूर्व में कार्यान्वित विक्रय संबंधी संविदा शर्तों में मूलत: निर्धारित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के बदले सुपुर्दगी के लिए स्वीकृत संशोधित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के आधार पर तथा आपातकाल की स्थिति में ब्रेकडाउन से बचने के लिए प्रयोक्ता द्वारा उपयोज्यता के लिए किये गये अनुरोध पर भेजे गये पुर्जों के मूल्य के आधार पर प्राक्कलित देयता को सूचित करता है।

अन्य प्रावधान :

वर्ष के दौरान पहचाने गये अतिरिक्त प्रावधान में अपनी एक परियोजना के संबंध में एक विक्रेता से प्राप्त रु. 6554.26 लाख (वर्ष 2020-21 में शून्य) का अनुमानित परिसमापन क्षति शामिल है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
29	**आयकर**		
29ए	**आस्थगित कर शेष**		
	आस्थगित कर आस्तियाँ	10,747.46	10,387.11
	आस्थगित कर देयताएँ	5,036.75	5,613.86
	कुल	**5,710.71**	**4,773.25**
	आस्थगित कर शेष का ब्यौरा		
	आस्थगित कर आस्तियाँ		
	पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	-	1,914.72
	पट्टा देयताएँ	164.27	194.09
	प्रावधान	10,270.49	7,964.48
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	312.70	313.82
	उप-कुल	**10,747.46**	**10,387.11**
	आस्थगित कर देयताएँ		
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	3,108.28	3,537.56
	आस्तियों के उपयोग का अधिकार	146.17	181.25
	अमूर्त आस्तियाँ	1,478.23	1,522.12
	निवेश का उचित मूल्य		
	- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	-	67.77
	- म्युचुअल फण्ड	-	-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य का समायोजन	304.07	305.16
	अन्य	-	-
	उप-कुल	**5,036.75**	**5,613.86**
	निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयता)	**5,710.71**	**4,773.25**

आस्थगित कर शेष का समाधान
वर्ष 2021-22 के लिए

(₹ लाख में)

	विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
	आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
	पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,914.72	(1,914.72)		-
	पट्टा देयता	194.09	(29.82)		164.27
	प्रावधान	7,964.48	2,023.31	282.70	10,270.49
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	313.82	(1.12)		312.70
	उप-कुल	**10,387.11**	**77.65**	**282.70**	**10,747.46**
	आस्थगित कर देयताओं से संबंधित				
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	3,537.56	(429.28)	-	3,108.28
	आस्तियों के उपयोग का अधिकार	181.25	(35.08)	-	146.17
	अमूर्त अस्तियाँ	1,522.12	(43.89)	-	1,478.23
	निवेश का उचित मूल्य				
	- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	67.77	(67.77)		-
	- म्युचुअल फण्ड	-	-		-
	आस्थगित ऋण का उचित मूल्य	305.16	(1.09)	-	304.07
	अन्य	-		-	-
	उप-कुल	**5,613.86**	**(577.11)**	**-**	**5,036.75**
	कुल	**4,773.25**	**654.76**	**282.70**	**5,710.71**

आस्थगित कर शेष का समाधान
वर्ष 2021-22 के लिए

(₹ लाख में)

	विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
	आस्थगित कर अस्तियों से संबंधित :				
	पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,757.18	157.54		1,914.72
	पट्टा देयता	220.80	(26.71)		194.09
	प्रावधान	8,435.35	(926.37)	455.50	7,964.48
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	313.89	(0.07)		313.82
	उप-कुल	**10,727.22**	**(795.61)**	**455.50**	**10,387.11**
	आस्थगित कर देयताओं से संबंधित				
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	3,279.70	257.86	-	3,537.56
	आस्तियों के उपयोग का अधिकार	56.52	124.73	-	181.25
	अमूर्त अस्तियाँ	1,582.34	(60.22)	-	1,522.12
	निवेश का उचित मूल्य				
	- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	78.47	(10.70)		67.77
	- म्युचुअल फण्ड	-	-		-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	305.22	(0.06)	-	305.16
	अन्य	-		-	-
	उप-कुल	**5,302.25**	**311.61**	**-**	**5,613.86**
	कुल	**5,424.97**	**(1,107.22)**	**455.50**	**4,773.25**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
29बी	**चालू कर आस्तियाँ एवं देयताएँ**		
	चालू कर आस्तियाँ	2,912.05	4,223.26
	कुल चालू कर आस्तियाँ	**2,912.05**	**4,223.26**
	चालू कर देयताएँ	-	-
	कुल चालू कर देयताएँ	**-**	**-**
29सी	**कर व्यय**		
	i) लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये		
	चालू कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	21,498.84	7,788.37
	पूर्व वर्षों से संबंधित	154.72	(584.00)
	कुल	**21,653.56**	**7,204.37**
	आस्थगित कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	(654.75)	1,107.22
	कुल	**(654.75)**	**1,107.22**
	ii) अन्य व्यापक आय में पहचाने गये		
	कर व्यय		
	चालू वर्ष से संबंधित	282.70	455.50
	कुल	**282.70**	**455.50**

वर्ष के लिए आयकर खर्च लेखांकित लाभ का समाधान निम्न प्रकार है :

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	जारी परिचालनों से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**70,991.25**	**34,088.11**
	कर देय आय की गणना में (देय कर) राशियों पर नहीं की जाने वाली कटौती		
	25.168% पर आयकर व्यय की गणना की गई है (वित्तीय वर्ष 2021-22 : 25.168%)	17,867.08	8,579.29
	वर्ष के दौरान किये गये दान	0.22	0.13
	सी एस आर गतिविधियों से संबंधित राशि	294.42	367.06
	एम एस एम ई को बकाया ब्याज	-	1.37
	क्षतिजन्य निराकरण	845.28	
	अन्य	2,000.20	(1,159.48)
	धारा 234ए, 234बी, 234सी के तहत देय ब्याज	491.65	-
	देय कर आय की गणना में कर व्यय राशि जिस पर धारांश कटौती उपपलब्ध है।		
	धारा 80 जी के तहत वर्ष के दौरान किये गये दान	-	-
	आस्थगित कर का प्रभाव	(937.46)	651.72
	पिछले वर्षों के चालू कर के लिए समायोजन		
	पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2018-19 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	(98.58)
	पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2019-20 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	(437.31)
	पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2020-21 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	(48.11)
	पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2021-22 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	154.72	-
	लाभ / हानि का आयकर संबंधी सामग्री का पुर्नगींकरण नहीं किया गया।	282.70	455.50
	लाभ या हानि में पहचाना गया आयकर व्यय	**20,998.81**	**8,311.59**
	अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	282.70	455.50
	अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	**282.70**	**455.50**

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
30	**परिचालनों से प्राप्त राजस्व**		
	उत्पादों की बिक्री		
	तैयार माल	229,809.12	156,188.18
	पुर्जे	18,015.01	11,511.42
	विविध	2,244.27	1,237.55
	ग्राहकों द्वारा उगाही गयी परिसमापन क्षति	9,598.53	(3,585.74)
		259,666.93	**165,351.41**
	सेवाओं की बिक्री *		
	मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	3,407.14	7,154.92
	प्रशिक्षण	-	-
	जॉबवर्क	8,328.17	8,075.59
	विविध	-	293.56
	ग्राहकों द्वारा उगाही गयी परिसमापन क्षति	(176.05)	(128.69)
		11,559.26	**15,395.38**
	अन्य परिचालन राजस्व		
	विनिर्माण ठेके	-	-
	स्क्रैप की बिक्री	73.18	29.11
	ग्राहकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	2,654.32	1,344.62
	सौर ऊर्जा	772.60	1,327.51
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं को बट्टे में डाला गया	1,474.64	722.62
	अन्य दावे	5,754.19	7,205.30
	ग्राहकों द्वारा उगाही गयी परिसमापन क्षति	(214.84)	-
		10,514.09	**10,629.16**
	कुल	**281,740.28**	**191,375.95**

- टिप्पणी 38 (4) का संदर्भ लें : निर्माण अनुबंध
- टिप्पणी 38 (11) का संदर्भ लें : बिक्री का प्रतिधारण
- टिप्पणी 38 (20) : भारतीय लेखा मानक 115 के तहत प्रकटीकरण
- एल डी का अर्थ है - परिसमापन क्षतियाँ

वापस प्राप्त रु. 13,322.24 (वर्ष 20210-21 के दौरान शून्य) की परिसमापन क्षति के मुकाबले समयोजित रु. 3,723.71 लाख (वर्ष 2020-21 के दौरान 3,585.74 लाख) के उत्पाद पर उगाही गयी परिसमापन क्षति शामिल है।

*** उल्लेखनीय निर्णय :**

राजस्व :

- कंपनी द्वारा कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता पद्धति के आधार पर सेवा राजस्व की पहचान की जाती है जहाँ समानांतर रूप से ग्राहक भी सेवाओं से लाभान्वित होता है।
- कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता का निर्धारण, कुल अनुमानित लागत के मुकाबले रिपोर्टिंग तिथि तक संपन्न कार्य पर आये खर्च के अनुपात में किया जाता है।
- जब कुल लागत के कुल राजस्व से अधिक होने की संभावता बनती है तो तुरंत अनुमानित नष्ट की पहचान की जाती है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
31	**अन्य आय**		
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर ब्याज़ अय		
	बैंक जमा	5,153.01	4,091.84
	अन्य	1,222.15	1,537.02
		6,375.16	**5,628.86**
	अन्य गैर-परिचालित आय		
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं को बट्टे खाते में डालना	890.44	98.63
	आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गयी परिसमापन क्षतियाँ	4,077.57	2,669.06
	विविध आय (निवल)	373.39	586.14
		5,341.40	**3,353.83**
	अन्य लब्धि एवं क्षतियाँ		
	निवल विदेशी मुद्रा लब्धि / (हानि)	(277.04)	267.76
	लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों पर अंकित मूल्य लब्धि / (हानि)	(317.58)	200.62
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लब्धि	(0.90)	10.29
	लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री से लब्धि / प्राप्ति	-	-
		(595.52)	**478.67**
	कुल	**11,121.04**	**9,461.36**
32	**खपत सामग्री की लागत**		
	खपत सामग्री की लागत	125,961.82	96,319.42
	प्रत्यक्ष व्यय	374.73	688.89
		126,336.55	**97,008.31**
33	**तैयार माल एवं निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन**		
	अथ स्टॉक :		
	तैयार माल	645.87	515.41
	निर्माणाधीन कार्य	40,589.45	27,829.16
		41,235.32	**28,344.57**
	इति स्टॉक :		
	तैयार माल	2,904.80	645.87
	निर्माणाधीन कार्य	46,766.10	40,589.45
		49,670.90	**41,235.32**
	निवल (वृद्धि) / अपवृद्धि	**(8,435.58)**	**(12,890.75)**
34	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	बोनस सहित वेतन तथा मजदूरी	45,763.89	41,303.20
	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	8,660.68	6,398.56
	स्टॉफ कल्याण व्यय	2,641.70	2,407.10
	कुल	**57,066.27**	**50,108.86**
	टिप्पणी 38 (3) का संदर्भ लें : कर्मचारी लाभ दायित्व और 38(8) का संदर्भ लें : संबंधित पार्टी लेन-देन		
35	**वित्त लागत**		
	ब्याज़ व्यय	203.41	252.26
	अन्य वित्त लागत	139.02	139.02
	कुल	**342.43**	**391.28**
36	**मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	6,763.26	6,904.64
	आस्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	197.47	176.42
	अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	2,074.74	2,372.78
	कुल	**9,035.47**	**9,453.84**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
37	**अन्य व्यय**		
	शॉप आपूर्तियाँ	482.11	401.59
	बिजली तथा ईंधन	2,084.29	1,858.84
	पानी का प्रभार	451.98	468.67
	यात्राएँ #	1,348.13	754.01
	मरम्मत :		
	भवन	1,422.50	1,126.67
	सयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	1,122.26	1,036.60
	फर्नीचर तथा उपस्कर	144.06	163.38
	वाहन	17.49	18.63
	अन्य	26.99	22.98
	वाहन व्यय - पेट्रोल एवं डीजल	71.47	26.36
	शिथिल औजार तथा उपस्कर	100.35	305.71
	बीमा	689.88	647.32
	दरें तथा कर	207.91	220.84
	डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलीफोन	125.85	126.26
	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	62.87	45.45
	प्रचार-प्रसार	191.57	447.65
	विज्ञापन	91.41	132.62
	बैंक प्रभार	132.49	79.92
	विधि व्यय	2.90	3.71
	दान	0.89	0.50
	बट्टा खाता - अन्य	-	0.24
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक : (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें)	16.69	15.75
	सुरक्षा व्यवस्थाएँ	4,618.02	4,355.83
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा विकास	8.32	-
	मनोरंजन	1.25	1.07
	सौजन्य	-	-
	निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	5.75	3.00
	स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों का प्रतिभागिता शुल्क	3.50	0.80
	सी एस आर तथा सतत् विकास व्यय	1,169.80	1,458.43
	प्रतिस्थापन, वारंटी तथा बैच अस्वीकृतियों का प्रावधान	2,789.03	735.37
	निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	397.07	359.63
	दुर्वह ठेके के लिए प्रावधान	-	-
	अन्य प्रावधान	7,298.85	-
	विविध परिचालन व्यय :		
	सामग्री का परीक्षण	3,282.60	3,123.95
	प्रूफ फायरिंग व्यय	20.82	18.66
	मानव-शक्ति के नियोजन संबंधी प्रभार	1,141.73	1,065.40
	सामग्री वहन प्रभार	1,014.80	815.56
	किराये पर लिये गये वाहनों का प्रभार	781.25	510.55
	अन्य	2,839.48	2,325.71
	कुल	**34,166.36**	**22,677.66**
	# निदेशकों का यात्रा व्यय शामिल	67.53	29.80
	टिप्पणियाँ :		
	i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है :		
	विवरण		
	सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए	10.00	10.00
	कर लेखापरीक्षा के लिए	1.25	1.25
	अन्य सेवाओं केलिए	5.25	4.50
	व्यय के पुनर्भुगतान के लिए	0.19	-
	लेखापरीक्षकों का कुल पारिश्रमिक	**16.69**	**15.75**
	ii) टिप्पणी 28 का संदर्भ लें : चालू प्रावधान iii) टिप्पणी 38 (5) का संदर्भ लें : अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय iv) टिप्पणी 38 (8) का संदर्भ लें : संबंधित पार्टी लेन-देन		

टिप्पणी 38 : सामान्य टिप्पणियाँ

अनुपालन की विवरणिका :

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक कंपनी नियमावली (भारतीय लेखा मानक) [015 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित अनुसार] एवं अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

38(1) हानि-क्षति : असामान्य मदें

कंपनी द्वारा कम से कम साल में एक बार हानि-क्षति की जाँच की जाती है और हानि-क्षति की कोई सूचना की स्थिति में और अधिक बार इसकी जाँच की जाती है। वसूल की जाने वाली राशि के वहन राशि से कम होने की स्थिति में हानि-क्षति की जाँच की जाती है।

आपकी कंपनी ने अपनी एक परियोजना के लिए पट्टे आधार पर अमरावती में 553 एकड़ 34 गुंटा की भूमि का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण की एक मुख्य शर्त यह है कि यदि कार्य आवंटन की तिथि से 60 माह के भीतर फैक्टरी भवन एवं निर्माण पूर्ण नहीं किये जाते हैं, जब तक कि समय बढ़ाया नहीं जाता है, पट्टा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा कंपनी को बिना किसी मुआवज़े का भुगतान किये सभी निर्माण सहित पट्टेदार पट्टा भूमि पर कब्जा कर सकता है। अंतिम रूप से यह अवधि दि. 5 अप्रैल, 2019 तक बढ़ाई गई थी। चूँकि जिस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, वह परियोजना अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, आपकी कंपनी पट्टा समझौते में परिकल्पित गतिविधियों को शुरू/पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण समझौते का अनुपालन नहीं हुआ। इस बीच, आपकी कंपनी को एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें जवाब माँगा गया कि पट्टा समझौते में प्रदान की गई कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अप्रत्याशित स्थितियों का विवरण देते हुए आपकी कंपनी ने राज्य सरकार को देरी और समय के विस्तार के लिए एक अभ्यावेदन दिया है। समयावधि के विस्तार पर पावती आना अभी शेष है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 3358.57 लाख की हानि का प्रावधान किया है।

वर्ष के दौरान पहचानी गयी हानि-क्षति :

(₹ लाख में)

विवरण	संपत्ति, सयंत्र और उपकरण (टिप्पणी-1)	आस्ति के उपयोग का अधिकार (टिप्पणी-4)	कुल
दि. 31 मार्च, 2022 तक सकल वहन राशि	1,090.02	3,477.17	4,567.19
दि. 31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यह्रास / ऋणमुक्ति (हानि-क्षति से पूर्व)	949.29	259.34	1,208.63
दि. 31 मार्च, 2022 तक निवल वहन राशि (हानि-क्षति से पूर्व)	140.74	3,217.83	3,358.57
वसूल की जाने वाली राशि *	-	-	-
हानि-क्षति	**140.74**	**3,217.83**	**3,358.57**

* वसूल की जाने वाली राशि की गणना, उचित मूल्य के उच्चतम दर निपटान और उपयोग मूल्य के न्यूनतम लागत पर की जाती है। उचित मूल्य निपटान की कम लागत शून्य है चूँकि ये आस्तियाँ पट्टे पर ली गई हैं। नक़द प्रवाह में अनिश्चितताओं के चलते प्रयुक्त मूल्य 'शून्य' माना जाएगा।

38(2) प्रति शेयर अर्जन

(i) निरंतर परिचालनों के लिए :

विवरण	31 मार्च, 2022 को वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद लाभ	49,992.44	25,776.52
मूल :		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	183,281,250	183,281,250
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	183,281,250	183,281,250
प्रति शेयर अर्जन (भारतीय रुपय)	27.28	14.06
विलयित :		
कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के बकाया संभाव्य ईक्विटी शेयरों पर प्रभाव	-	-
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	183,281,250	183,281,250
प्रति शेयर अर्जन (भारतीय रुपय)	27.28	14.06

टिप्पणी : ई पी एस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की जाती है।

(ii) परिचालनों को जारी न रखने के लिए :

परिचालनों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है।

(iii) परिचालनों को जारी रखने एवं रोकने के लिए :

तालिका (i) का संदर्भ लें।

रोजगार लाभ दायित्व

(i) रोजगार उपरांत दायित्व - उपदान

कंपनी द्वारा भारत के कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान उपलब्ध कराया जाता है। लगातार 5 वर्ष तक सेवाएँ देने वाले कर्मचारी उपदान के लिए अर्ह्ह होंगे। सेवानिवृत्त / पदच्युत कर्मचारी को देय उपदान की गणना, उसकी प्रति माह के मूल वेतन के 15 दिन के समानुपातिक आधार पर उसके कुल सेवा वर्षों को गुणित कर की जाती है। यह उपदान योजना एक निधिक योजना है और कंपनी द्वारा भारत में मान्यताप्राप्त निधियों में अंशदान दिया जाता है। कंपनी के पास पूर्णत: निधिधारित देयता का प्रावधान नहीं है और अपेक्षित उपदान भुगतान के अनुमान के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए अनुरक्षित किये जाने योग्य निधि लक्ष्य का अनुरक्षण किया जाता है।

उपदान

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्ष के अरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	22,860.30	22,865.09
चालू सेवा लागत	549.23	604.72
ब्याज व्यय या लागत	1,453.41	1,444.19
पुनर्मापन		
(लब्धि)/हानि से जनांकिक अनुमान में परिवर्तन	76.59	111.04
(लब्धि)/हानि से वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	(407.33)	(109.66)
अनुभव (लब्धि)/हानि	80.15	(22.05)
लाभ भुगतान	(2,399.85)	(2,033.03)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	**22,212.50**	**22,860.30**

योजना अस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23,324.09	19,240.01
ब्याज आय	1,484.53	1,324.38
नियोक्ता अंशदान	-	3,625.08
लाभ भुगतान	(2,399.85)	(2,033.03)
पुन:मापन - आस्तियों पर प्रतिलाभ (ब्याज आय छोड़कर)	182.35	1,167.65
वर्ष की समाप्ति पर योजना अस्तियों का उचित मूल्य	**22,591.12**	**23,324.09**

अवधि के दौरान पहचाने गये कुल व्यय

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
लाभ-हानि विवरणिका में	518.11	724.53
अन्य व्यापक आय में	(432.94)	(1,188.32)
कुल	**85.17**	**(463.79)**

ऊपर प्रकटित कुल देयता निधिक तथा गैर-निधिक योजना संबंधी है जो निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	22,212.50	22,860.30
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	22,591.12	23,324.09
निधि योजनाओं का घाटा	**(378.62)**	**(463.79)**

उल्लेखनीय वास्तविक अनुमान निम्न प्रकार रहे :

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
छूट दर	7.12%	6.71%
वेतन में वृद्धि	6.00%	6.00%
संघर्षण दर	4.18%	3.62%

संविदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
निर्धारित लाभ दायित्व	22,212.50	22,860.31
छूट दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	21,283.58	21,820.74
अपवृद्धि : -1%	23,235.75	24,008.38
वेतन वृद्धि दर (संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में प्रतिशत (%) में परिवर्तन)		
वृद्धि : +1%	22,711.45	23,429.70
अपवृद्धि : -1%	21,699.76	22,280.13
संघर्षण दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलनपा में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	22,341.68	22,982.94
अपवृद्धि : -1%	22,073.42	22,728.97

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण, अन्य सभी प्राक्कलनों को स्थिर रखते हुए प्राक्कलन में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है। व्यावहारिक तौर पर, यह संभव नहीं होता है और कुछ प्राक्कलनों में परिवर्तन सहसंबंधित हैं। प्रमुख वास्तविक प्राक्कलनों के लिए निर्धारित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय (निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग समय की समाप्ति पर दर्शायी गयी इकाई ऋण पद्धति के साथ की जाती है) भी वही पद्धति अपनायी जाती है जो तुलन-पत्र में ली गई निर्धारित लाभ दायित्व की गणना के समय अपनायी जाती हो।

पूर्व अवधि की तुलना में संवेदनशील विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धति और प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं होता।

योजना अस्तियों की मुख्य श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
केंद्र सरकार प्रतिभूति	5,551.37	5,731.49
राज्य सरकार प्रतिभूति	9,594.13	9,905.41
एन सी डी / बाण्डस	5,028.41	5,191.56
ईक्विटी	1,454.72	1,501.92
मियादी जमा	76.43	78.91
सी बी एल ओ	647.05	668.05
ऋण	3.19	3.30
अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	235.80	243.45
	22,591.12	**23,324.09**

निर्धारित आस्थगित लाभ देयताएँ एवं कर्मचारी अंशदान

कंपनी ने कर्मचारियों के उपदान भुगतान के लिए बीमा पॉलसी खरीदी है। प्रति वर्ष कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डॉटा के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा निधि का मूल्य निर्धारण किया जाता है। उस प्रकार के मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप आस्तियों में आने वाली किसी भी प्रकार के घाटे का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी का मानना है कि स्वीकृत अवधि के लिए घाटा न हो, इसके लिए पिछली मूल्य निर्धारण तिथि पर निर्धारित अंशदान दर पर्याप्त है और सेवा लागत पर आधारित नियमित अंशदान में भी विशेष वृद्धि नहीं होगी।

(₹ लाख में)

विवरण	एक वर्ष से कम	2-3 वर्षों के मध्य	4-5 वर्षों के मध्य	कुल
31 मार्च, 2022				
निर्धारित लाभ दायित्व-उपदान	3,388.02	7,156.21	6,552.30	17,096.53

जोख़िम का सामना

अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने कई जोख़िमों का सामना किया है। इनमें से प्रमुख जोख़िम का विवरण इस प्रकार है :

ब्याज़ दर जोख़िम : गणित निर्धारित लाभ बाध्यताओं में सरकारी बाण्ड के आधार पर रियायती दर का उपयोग किया जाता है। यदि बाण्ड लब्धियों में क्षति होती है तो निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

वेतन-वृद्धि का जोख़िम : वेतन में अनुमानित से अधिक वृद्धि से निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

डेमोग्राफिक जोख़िम : यह जोख़िम घाटे (नुकसान) की गैर-योजनाबद्ध प्रकृति के कारण परिणामों में आने वाले परिवर्तन की वजह से है जिनमें मृत्यु दर, आहरण, अपंगता तथा सेवानिवृत्तियाँ शामिल हैं। निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर इन घाटों का सीधा प्रभाव नहीं रहता है और वेतन में वृद्धि रियायती दर तथा निहित मानदण्ड के योग पर निर्भर करता है। आहरण को अधिक महत्व देना होता है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में कम सेवा-समय वाले कर्मचारियों की तुलना में दीर्घकालीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ अधिक होते हैं।

(ii) भविष्य निधि

कंपनी के भविष्य निधि न्यास को भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित ब्याज़ दर से अधिक ब्याज़ घोषित करना होता है। यदि न्यास द्वारा ब्याज़ की देयता में कोई कमी रहती है तो कंपनी को यह कमी दूर करनी होगी। यह एक निर्धारित लाभ योजना है और कंपनी ने यह प्रोद्भूत मूल्य प्राप्त किया है।

कंपनी ने भविष्य निधि न्यास की ओर से ब्याज कमी के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में रु. 845.10 लाख (वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 122.86 लाख) रुपये की राशि उपलब्ध करायी है जो लाभ-हानि लेखा में दर्शायी गयी।

कुछ लिखतों की वसूली योग्यता के संबंध में भविष्य निधि न्यास की कुछ अनिश्चितताओं को देखते हुए कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लाभ योजनाओं के पुन:मापन के कारण परिवर्तन के लिए रु. 1556.20 लाख (वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2875.28 लाख) की राशि उपलब्ध करायी गयी है जो अन्य व्यापक अय में दर्शायी गयी।

वास्तविक प्रतिधारणा	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	(निधि प्राप्त)	(निधि प्राप्त)
छूट दर	7.12%	6.71%
वेतन में वृद्धि दर	6.00%	6.00%
भविष्य निधि पर प्रत्याभूत ब्याज़ दर	*	8.50%
बी डी एल भविष्य निधि न्यास द्वारा घोषित ब्याज़ दर	*	8.50%

* घोषित किया जाना शेष।

(iii) अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति

अवकाश संबंधी बाध्यताओं में कंपनी के अर्जित अवकाश संबंधी देयताएँ शामिल हैं।

कंपनी, क्षतिपूरक अनुपस्थिति के लिए निधिक योजना का अनुरक्षण करती है। कंपनी, वास्तविक मूल्य-निर्धारण के अनुसार योजित आस्तियों से निवल बाध्यताओं को पहचानती है। कर्मचारी लाभ बाध्यताएँ और योजित आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थिति की वास्तविक देयताएँ	13343.39	12677.66
घटाव : योजित अस्तियाँ	13561.92	12985.91
निवल दायित्व / (आस्ति)	(218.53)	(308.25)
उल्लेखनीय अनुमान :		
छूट दर	7.12% P.A.	6.71% P.A.
वेतन में वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(iv) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
ए) दि. 01 जनवरी, 2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान - पीएस एम बी - I	1,523.82	-
बी) दि. 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान - पीएस एम बी - II	328.39	322.47
सी) दि. 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान - पीएस एम बी - III	448.30	443.15

38(4) विनिर्माण ठेके :

निर्माण ठेकों की राजस्व मान्यता के संबंध में निम्न प्रकटन किया जाता है।

ठेका राजस्व की पहचान पद्धति :

अवधि के दौरान ठेका राजस्व निर्धारित करने के लिए पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है।

ठेका पूर्णता की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति :

ठेका पूर्णता के स्तर का निर्धारण कुल अनुमानित लागत के अनुपात में पूर्ण किये गये कार्य पर आयी लागत के आधार पर किया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्ष के दौरान राजस्व की पहचान	(72.58)	-
लागत खर्च की कुल जोड़ राशि	42,266.41	41,554.10
पहचाना गया लाभ	3,273.51	4,058.40
बकाया प्रतिधारण राशि	-	-
प्राप्त एवं बकाये की अग्रिम राशि	-	3,335.21

38(5) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय :

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय सामान्य लेखा शीर्ष में लेखांकित जिसमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित उत्पाद विकास शामिल है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
राजस्व व्यय में सम्मिलित होने के कारण	4706.90	4087.18
पूँजीगत व्यय में सम्मिलित होने के कारण (पूँजीगत आस्तियाँ)	107.71	207.57

38(6) आकस्मिक देयताएँ एवं ठेके में शामिल प्रतिबद्धता :

(₹ लाख में)

प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएँ :	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
जमा एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित पत्र :		
(i) साख पत्र	696.23	568.50
(ii) प्रत्याभूतियाँ एवं प्रति प्रत्याभूतियाँ	9,689.54	2,111.40
कुल	**10,385.77**	**2,679.90**
दावे / माँग जिनके प्रति ऋण मान कर कंपनी ने पावती नहीं दी :		
(i) सार्वजनिक उपक्रम	-	-
(ii) बिक्री कर	21,310.03	21,310.03
(iii) सेवा कर	4,239.31	4239.31
(iv) आय कर	95.64	95.63
(v) उत्पाद शुल्क	5,306.33	-
(vi) अन्य	1,172.29	290.90
कुल	**32,123.60**	**25,935.87**
ठेके में शामिल प्रतिबद्धताएँ :		
(ए) निवेश पूँजी पर कार्यनिष्पादन के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि और उपलब्ध नहीं करायी गयी हो		
(i) संपत्ति, सयंत्र एवं उपस्कर	4,642.48	7,112.70
(ii) संपत्ति निवेश	-	-
(iii) अमूर्त आस्तियाँ	-	50.00
(बी) वर्ष के अंत में सुपुर्दगी के लिए शेष सामग्री की परिसमापन क्षतियों के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता का हिसाब तब तक किया जाएगा जब संबंधित राजस्व लिया जाता है।	3,118.06	6,057.01
कुल	**7,760.54**	**13,219.71**

38(7) अल्पावधि में बंद की गयी परियोजनाएँ :

कंपनी ने ग्राहक से समय पूर्व समाप्त पाँच संविदाओं / माँग पत्र तथा एक एल ओ आई के लिए प्राप्त रु. 36234.42 लाख (31 मार्च, 2021 को रु. 36234.42 लाख) की अग्रिम राशि में से विशेष औजार एवं उपकरण तथा सामग्री की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया है। इन भुगतानों में आपूर्तिकर्ताओं के खाते में से विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी-1) के लिए रु. 114.05 लाख (31 मार्च, 2021 तक . 114.05 लाख), चालू आस्तिणयों (टिप्पणी 10-16) के लिए रु. 11041.65 लाख (31 मार्च, 2021 तक रु. 13084.80 लाख), जिसमें पिछले वर्ष के दौरान विक्रेताओं को दिया गया सामग्री खाते में रु. 9446.00 लाख (31 मार्च, 2021 को 7452.96 लाख) जो कुल मिलाकर रु. 20601.70 लाख (31 मार्च, 2021 तक 20651.81 लाख) है। इन आस्तियों की प्राप्ति / किया गया खर्च कंपनी ने पुख़्ता आदेशों / एल ओ आई के आधार पर किया गया तथा ग्राहक द्वारा दी गई ऐसी निधि में से कंपनी को दीर्घावधि शेष अग्रिम और रुके पड़े विशेष औजार तथा सामग्री से किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है। अत: किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गयी। आगे, इन समयपूर्व समाप्त माँग-पत्र / संविदाओं / एल ओ आई के संबंध में कंपनी ने प्राप्त अग्रिम का समायोजन कर रु. 1908.11 लाख (31 मार्च, 2021 तक 2314.70 लाख) के निवल व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहक से संपर्क किया। चूँकि सरकार / ग्राहक से इस राशि का निश्चित होना शेष है, कंपनी की लेखा-बही में किसी प्रकार का लाभ लेखांकित नहीं किया गया है।

38(8) संबंधित पार्टी से लेन-देन

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के नाम

श्री कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सी एम डी	श्री एन पी दिवाकर, निदेशक (तकनीकी)
श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन)	श्री एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त)
श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) (दि. 30 जून, 2020 तक)	श्री के एस संपत, स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)
श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति, स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)	श्री अजय नाथ, स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)
श्री सुनील चिंतामन मोने, स्वतंत्र निदेशक (दि. 24 दिसंबर, 2021 से)	श्री नंदकुमार सुब्बुराम, स्वतंत्र निदेशक (दि. 24 दिसंबर, 2021 से)
प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक (दि. 27 दिसंबर, 2021 से)	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, स्वतंत्र निदेशक (दि. 28 दिसंबर, 2021 से)
डॉ. पवन स्थापक, स्वतंत्र निदेशक (दि. 24 दिसंबर, 2021 से)	श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव

(₹ लाख में)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की प्रतिपूर्ति	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	248.47	222.96
रोजगार उपरांत लाभ	39.94	36.69
दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आसीन शुल्क	5.75	3.00
कुल प्रतिपूर्ति	**294.16**	**262.65**

38(9) पूँजीगत प्रबंधन

ए) जोख़िम प्रबंधन

कंपनी के पास ईक्विटी पूँजी तथा अन्य प्रारक्षण निधियाँ हैं जो पूँजी के एकमात्र स्रोत के रूप में शेयरधारकों से जुड़ी हैं और कंपनी पर कोई उधारी या ऋण नहीं है।

बी) लाभांश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(i) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश रु. 7.30 प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर है (31 मार्च, 2021 रु. 6.70/-)।	13,379.53	12,279.84
(ii) रिपोर्टिंग अवधिक के दौरान अप्रेक्षणीय लाभांश : निदेशकों ने दि. 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रु. 1.00 के लाभांश की सिफारिश की है (31 मार्च, 2021 को रु. 0.65/-)। प्रस्तावित लाभांश का निर्णय आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होता है।	1,832.81	1,191.33

रिपोर्टिंग अवधि के बाद सूचित की गई घटनाएँ :

निदेशकगण द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए उपर्युक्त टिप्पणी का संदर्भ लें जो आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अधीन है।

38(10) शेष की सुनिश्चितता :

देनदार / लेनदार प्राप्य दावा, ठेकेदार / उप-ठेकेदार के साथ सामग्री, अग्रिम, जमा व अन्य के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। यथा प्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यकतानुसार समाधान / प्रावधान समायोजन किये जाते हैं।

38(11) बिक्रियों की अवधारणा :

वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर में शामिल प्रतिधारित बिक्री का मूल्य (ग्राहक के अनुरोध और उनके जोख़िम पर रखा गया माल) रु. 90,187.51 लाख (31 मार्च, 2021 को रु. 30,613.32 लाख) है। इनमें से रु. 59653.86 लाख की राशि एफ ओ आर डेस्टिनेशन आधारित ठेकों से संबंधित है। इस ठेके में उल्लिखित कुछ स्थितियों में माल वापस किया जाता है। रु. 30533.65 लाख की राशि के संबंध में ठेका 'एफ ओ आर डेस्टिनेशन' आधारित होने पर भी, ग्राहक ने कंपनी को बिक्री की पहचान कर सामग्री को रखने दिया।

38(12) पंजीकृत प्रभार :

कंपनी ने स्टेस्ट बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक के साथ बही ऋण पर रु. 41,000.00 लाख के फ्लोटिंग का पंजीकरण किया है। (31 मार्च, 2021 तक रु. 41,000.00 लाख)

38(13) परिचालन चक्र :

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के आवश्यकतानुसार यथाप्रयोज्य उत्पाद के स्तर पर परिचालनीय चक्र का निर्धारण किया जाता है।

38(14) आकस्मिक आस्तियाँ :

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
आकस्मिक आस्तियाँ	-	-

38(15) उचित मूल्य माप

(₹ लाख में)

विवरण		उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति			31 मार्च, 2021 तक की स्थिति		
				लागत	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	लागत	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल
ए.	**वित्तीय आस्तियाँ**								
ए)	**परिशोधित लागत पर माप**								
	i) नक़द एवं नक़द तुल्य	3	12	26,504.37	26,504.37	-	45,691.67	45,691.67	
	ii) अन्य बैंकों में शेष	3	13	163,449.00	163,449.00	-	110,403.80	110,403.80	
	iii) ऋण	3	7, 14	387.43	387.43	-	448.83	448.83	
	iv) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	3	8, 15	128,907.46	128,907.46	-	121,444.64	121,444.64	
	v) प्राप्य ट्रेड	3	11	30,416.13	30,416.13	-	32,269.27	32,269.27	
	उप-कुल			**349,664.39**	**349,664.39**	-	**310,258.21**	**310,258.21**	-
बी)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित**								
	i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत में निवेश	3	6	53.60	-	-	53.60		452.26
	ii) आस्थगित प्राप्य	3	8, 15	2852.90	-	4,340.61	3,043.09		4,553.78
	उप-कुल			**2,906.50**	-	**4,340.61**	**3,096.69**	-	**5,006.04**
	कुल वित्तीय आस्तियाँ			**352,570.89**	**349,664.39**	**4,340.61**	**313,354.90**	**310,258.21**	**5,006.04**
बी.	**वित्तीय देयताएँ**								
ए)	**परिशोधित लागत पर माप**								
	i) पट्टा देयताएँ	3	19, 24	652.71	652.71	-	771.19	771.19	
	ii) प्राप्य ट्रेड	3	25	55,246.98	55,246.98		74,260.11	74,260.11	
	iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3	20, 26	17,753.05	17,753.05	-	15,791.40	15,791.40	
	उप-कुल			**73,652.74**	**73,652.74**	-	**90,822.70**	**90,822.70**	-
बी)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित**								
	i) एंबेडेड डेरिवेटीव वित्तीय देयता	3	20,26	-	-	2,789.70	-		2,951.84
	उप-कुल			-	-	**2,789.70**	-	-	**2,951.84**
	कुल वित्तीय देयताएँ			**73,652.74**	**73,652.74**	**2,789.70**	**90,822.70**	**90,822.70**	**2,951.84**

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नांकित तालिका आस्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य प्रस्तुत करती है :

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वित्तीय आस्तियाँ			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित			
i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के जरिये किया गया निवेश	3	-	452.26
ii) आस्थगित प्राप्त	3	4,340.61	4.553.78
वित्तीय देयताएँ:			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित			
i) एंबेडेड डेरिवेटीव वित्तीय देयता	3	2,789.70	2,951.84

उचित मूल्य का पदानुक्रम :

वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन स्तरों के आधार पर विभिन्न उचित मूल्य क्रम में वर्गीकृत किया जाता है :

स्तर 1 : समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई दर (असमायोजित)।

स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल कोट की गई दर के अतिरिक्त इनपुट, या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् दर के रूप में) या अप्रत्यक्ष (अर्थात् दर से प्राप्त) रूप से आस्तियाँ देयताओं में दर्शाये जाते हैं। सक्रिय बाजार में ट्रेड न किये गये वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण प्रेक्षणीय बाजार डॉटा के प्रयोग को बढ़ाने वाला और वस्तु-निर्दिष्ट अनुमान पर कम से कम दर्शाते हुए मूल्य-निर्धारण तकनीक के आधार पर किया जाता है। यदि उचित मूल्य के लिए प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है तो एक उपकरण की पहचान की जाती है जो स्तर-2 में शामिल है।

स्तर 3 : आस्तियाँ देयताओं के लिए आवश्यक इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा (गैर-प्रेक्षणीय इनपुट) के आधार पर नहीं है। यदि एक या अधिक प्रमुख इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा के आधार पर नहीं है तो उसे स्तर 3 में शामिल किया जाता है। ऐसा सूचित लिखत के मामलों में होता है जहाँ बाजार असूचित लिखत के लिए चल नहीं होता।

उचित मूल्य के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक :

वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन स्तरों के आधार पर विभिन्न उचित मूल्य क्रम में वर्गीकृत किया जाता है :

कोट नहीं किये गये ईक्विटी लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण कंपनी की निवल मालियत के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान ए पी जी पी सी एल अर्थात् बी डी एल ने जिस कंपनी में निवेश किया है, एडवर्स आर्बिट्रेशन अवार्ड प्राप्त किया। इसके लागू किये जाने से ए पी जी पी सीएल के निवल मालियत में नुकसान होने की संभावना है। तदनुसार, निवेश का उचित मूल्य 'शून्य' माना जाता है।

45 वर्ष आस्थगित ऋण तथा प्राप्य के उचित मूल्य का निर्धारण ठेके के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर किया जाता है प्राप्त उचित मूल्य अनुमान स्तर 3 में शामिल किये जाते हैं।

प्राप्त उचित मूल्य प्राक्कलन स्तर 3 में शामिल किए जाते हैं :

प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट (स्तर 3) का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्तर – 3 के मदों में परिवर्तन को दर्शाती है। (₹ लाख में)

विवरण	असूचित ईक्विटी शेयर	आस्थगित प्राप्य	आस्थगित प्राप्य
31 मार्च 2021 तक की स्थिति	452.26	4,553.78	2,951.84
लाभ-हानि में पहचानी गई लब्धि / हानि	(452.26)	134.68	
वित्तीय लिखत की चालू परिपक्वता		(347.85)	(162.14)
31 मार्च 2022 तक की स्थिति	-	4,340.61	2,789.70

मूल्य-निर्धारण इनपुट और उचित मूल्य के साथ इसका संबंध

निम्नलिखित तालिका में स्तर 3 उचित मूल्य मापन में प्रयुक्त प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट से संबंधित मात्रात्मक सूचना का सार प्रस्तुत है :

विवरण	उचित मूल्य की स्थिति		उल्लेखनीय अप्रेक्षणीय इनपुट	संवेदनशीलता
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		
कोट न किये गए ईक्विटी शेयर	-	452.26	कंपनी का उचित मूल्य	कंपनी के उचित मूल्य के 1% की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से गैर-चालू निवेश में 'शून्य' की वृद्धि होगी। इसी तरह कंपनी के उचित मूल्य की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर और प्रभाव से गैर-चालू निवेश में 'शून्य' की अपवृद्धि होगी।
आस्थगित प्राप्य	4,340.61	4,553.78	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर दर में एक रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु. 57.28 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में 57.28 लाख की अपवृद्धि होगी।
एंबेडेड डेरिवेटीव देयता	2,789.70	2,951.84	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर दर में एक रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में रु. 58.91 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में 58.91 लाख की अपवृद्धि होगी।

38(16) वित्तीय जोख़िम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियों से बाजार जोख़िम, परिसमापन जोख़िम और ऋण जोख़िम से जुड़े हैं। प्रत्येक जोख़िम का विश्लेषण इस प्रकार है :

ए) जमा जोख़िम

ऋण जोख़िम, नक़द एवं नक़द-तुल्य, प्रतिशोधन लागत पर लिखत का तथा बैंक में जमा व बकाया प्राप्य सहित ग्राहकों को मिलने वाले ऋण पर किया जाता है।

(i) साख जोख़िम प्रबंधन

ए. नक़द एवं नक़द-तुल्य पर ऋण जोख़िम सीमित होता है क्योंकि सामान्यतः कंपनी अपना निवेश बैंको में ही करती है जिन्हें बाह्य एजेंसियों द्वारा उच्च ऋण दर प्राप्त होती है।

बी. दावे/पुनः प्राप्य, ट्रेड प्राप्य तथा बिल न किये गये राजस्व पर ऋण जोख़िम का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है :

(i) 31 मार्च 2022 को समाप्त :

(ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य रूप लागू होता है : (₹ लाख में)

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	दावे/वापसी प्राप्य	7477.87	0.29%	(21.47)	7,456.40
- 12 महीन पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	387.43	-	-	387.43

बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीन या इसके बराबर	6 महीनों से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	145426.26	4109.35	149535.61
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	145426.26	4109.35	149535.61

(ii) 31 मार्च 2021 को समाप्त :

(ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य रूप लागू होता है :

(₹ लाख में)

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी - 12 महीन पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	दावे/वापसी प्राप्य	4167.58	0.52%	(21.47)	4,146.11
	ऋण	448.83	-	-	448.83

बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीन या इसके बराबर	6 महीनों से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	140466.64	7053.84	147520.48
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	140466.64	7053.84	147520.48

(iii) हानि भत्ते का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	ट्रेड प्राप्य एवं बिल नहीं किया गया राजस्व	दावे / प्राप्य वापसियाँ
31 मार्च, 2021 तक हानि भत्ता	-	(21.47)
जोड़ / कमी	-	-
31 मार्च, 2022 तक हानि भत्ता	-	(21.47)

(iv) उल्लेखनीय अनुमान तथा निर्णय :

वित्तीय आस्तियों का नुकसान :

ऊपर प्रकटित वितीय आस्तियों के लिए नुकसान प्रावधान, डीफाल्ट तथा अनुमानित नुकसान दर जोख़िम संबंधी प्राक्कलनों पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को और नुकसान की गणना तय करने में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाज़ार की स्थिति और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर अनुमानों की भावी दृष्टि को आधार बनाती है।

बी) क्षति संबंधी जोख़िम

विवेकपूर्ण परिसमापन जोख़िम प्रबंधन का तात्पर्य है कि बकाये की स्थिति में बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नक़द निधियों का होना। कंपनी द्वारा खज़ाना द्वारा बैंको में जमा की उपलब्धता बनाये रखते हुए निधियों में लचीलापन रखा जाता है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित नक़द-प्राप्ति के आधार पर नक़द-तुल्य का अनुवीक्षण किया जाता है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कंपनी के पास अनाहरित ऋण सुविधा उपलब्ध है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवर ड्राफ्ट व अन्य सुविधाएँ)	1500.00	1500.00

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीनों से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
पट्टा देयताएँ	131.96	146.64	374.11	-	652.71
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.10	466.73	830.76	1674.19
निक्षेप	1,413.42	-	-	-	1413.42
व्यय के लिए ऋणदाता	6,828.34	-	-	-	6828.34
देय कर्मचारी लाभ	6,388.29	-	-	-	6388.29
पूँजीगत कार्य	1,146.22	-	-	-	1146.22
अन्य	302.59	-	-	-	302.59
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटीव देयता (आस्थगित देयता)	357.73	162.14	486.42	1783.41	2789.70

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीनों से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
पट्टा देयताएँ	118.48	131.97	489.22	31.52	771.19
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.10	466.73	887.85	1,731.28
निक्षेप	1,810.04	-	-	-	1,810.04
व्यय के लिए ऋणदाता	4,245.51	-	-	-	4,245.51
देय कर्मचारी लाभ	6,603.49	-	-	-	6,603.49
पूँजीगत कार्य	946.57	-	-	-	946.57
अन्य	454.51	-	-	-	454.51
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटीव देयता (आस्थगित देयता)	357.73	162.14	486.42	1,945.68	2,951.97

सी) बाजार जोख़िम

(i) विदेशी मुद्रा जोख़िम

कंपनी एक ऐसे संव्यवहार क्षेत्र में परिचालित करती है जहाँ विदेशी मुद्रा लेन-देन से प्रमुखतः यू एस डी, यूरो, जीबीपी, सीएचएफ तथा एस ई के के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोख़िम होता है। भावी वाणिज्यिक लेन-देन तथा मानित देयताओं से जनित विदेशी विनिमय जोख़िम को कंपनी की कामकाजी मुद्रा (आई एन आर) से इतर मुद्रा मूल्य में दर्शाया जाता है। इस जोख़िम की गणना, उच्चतम संभावित विदेशी मुद्रा नकद-प्राप्ति की भविष्य दृष्टि के माध्यम से की जाती है। बिक्री ठेके के अनुसार, कंपनी, विदेशी विनिमय देयताओं के निपटान पर विनिमय दर परिवर्तन के लिए अर्ह्य है। अतः कंपनी विदेशी मुद्रा जोख़िम की दृष्टि से सुरक्षित है।

(विदेशी मुद्रा लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022				
	यू एस डी	यूरो	जी बी पी	सी एच एफ	एस ई के
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	88.91	12.56	-	-	-
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ					
- प्राप्यताएँ	73.33	-	-	-	-
निवल प्रभाव	15.58	12.56	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2021				
	यू एस डी	यूरो	जी बी पी	सी एच एफ	एस ई के
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	246.08	8.68	-	0.10	-
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ					
- प्राप्यताएँ	120.13	-	-	-	-
निवल प्रभाव	125.95	8.68	-	0.10	-

(ii) संवेदनशीलता

लाभ या हानि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता प्रमुखतः विदेशी मुद्रा अंकित वित्तीय लिखत तथा विदेशी अग्रेषण विनिमय ठेकाओं से होती है।

(₹ लाख में)

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
संवेदनशीलता		
आई एन आर / यूएसडी – 1% की बढ़ोत्तरी	12.79	93.87
आई एन आर / यूएसडी – 1% की कमी	(12.79)	(93.87)
आई एन आर / यूरो – 1% की बढ़ोत्तरी	10.70	7.53
आई एन आर / यूरो – 1% की कमी	(10.70)	(7.53)
आई एन आर / जीबीपी – 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
आई एन आर / जीबीपी – 1% की कमी	-	-
आई एन आर / सीएचएफ – 1% की बढ़ोत्तरी	-	0.08
आई एन आर / सीएचएफ – 1% की कमी	-	(0.08)
आई एन आर / एसईके – 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
आई एन आर / एसईके - 1% की कमी	-	-

38(17) खण्ड सूचना:

चूँकि कंपनी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में है, अत : निगम मामले मंत्रालय की दि.23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत भारतीय लेखामानक (सेगमेंट रिपोर्टिंग) की अनुप्रयोज्यता से कंपनी को छूट प्राप्त है।

38(18) विदेशी मुद्रा का प्रभाव :

विदेशी मुद्रा के प्रभाव के प्रकटन की आवश्यकता को देखते हुए आई सी ए आई की घोषणा के अवलोकन में 31 मार्च, 2022 तक (31 मार्च, 2021) के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाये गये) प्रमुख मुद्रावार प्रभाव निम्नवत है :

(₹ लाख में)

मुद्रा	देय		प्राप्य		आकस्मिक देयता	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि
यू एस डी	88.91	6808.83	73.33	5,529.77	91.82	6930.72
	(246.08)	(18,182.44)	(120.13)	(8,795.73)	(34.51)	(2,347.26)
यूरो	12.56	1069.97	-	-	0.99	83.96
	(8.68)	(753.39)	-	-	(3.30)	(286.14)
जी बी पी	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
सी एच एफ	-	-	-	-	-	-
	(0.10)	(7.79)	-	-	-	-
एस ई के	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
कुल (₹)		**7878.80**		**5529.77**		**7014.68**
		(18,943.62)		**(8,795.73)**		**(2,633.40)**

38(19) सोलार सयंत्र के लिए अनुदान :

कंपनी ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन (जे एन एन एस एम) योजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 मेगावाट के दो सोलार सयंत्र लगाये हैं। यह वी जी एस निधि संविदा के अनुसार परियोजना लागत पर निर्भर होती है। रु. 1545.89 लाख की राशि वी जी एफ के अंतर्गत दर्शायी गयी और इसे कंपनी लेखा-बही में इसे आस्थगित राजस्व (टिप्पंणी-22) के अंतर्गत दर्शाया गया। प्रति वर्ष 4% की दर से आस्थगित राजस्व - सोलार सयंत्र के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है जो रु. 61.83 लाख है।

38(20) भारतीय लेखामानक 115 के अंतर्गत प्रकटीकरण :

ए निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि

i. अधिकतर अनुबंधों के संबंध में निष्पादन बाध्यता एक निश्चित समय पर संतुष्ट की जाती है जो प्राथमिकत: ग्राहक द्वारा आस्ति पर नियंत्रण पाने के समय निर्धारित की जाती है। जटिल प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापन और कमिशनिंग से संबंधित अनुबंधों के संदर्भ में निष्पादन बाध्यता 'कालांतर में' पहचानी जाती है।

ii. "बिल अण्ड होल्ड" व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादन बाध्यता, ग्राहक द्वारा माल को स्वीकार कर अनुबंध के लिए माल के बेशर्त पर विनियोजन पर संतुष्ट की जाती है।

iii. सामान्यत: कंपनी के अनुबंधों में वित्तीय घटक और कोई प्राप्त अग्रिम और / या ग्राहक द्वारा दी गई राशि शामिल नहीं होती ताकि अनुबंध की दोनों पार्टियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

iv. परिवर्तनीय प्रतिफल में मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भिन्नता खंड और परिसमाप्त नुकसान के खिलाफ प्राप्य / प्रतिपूर्ति योग्य राशि शामिल होती है। उसी के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि अनुबंध में निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। राशि को अनुबंध की शर्तों के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

v. कंपनी के टर्नओवर में प्रमुखत: मिसाइल एवं संबद्ध रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।

vi. प्रदत्त वारंटी में प्रमुखत: निष्पादन संबंधी वारंटी आती है।

vii. सामान्यत: कंपनी द्वारा ऐसे अनुबंधों के मामले में राजस्व की पहचान में 'इनपुट पद्धति' का उपयोग किया जाता है जिनकी निष्पादन बाध्यताएँ कालक्रम में संतुष्ट होती हैं। मान्यता प्राप्त करने राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए पूर्णता विधि का प्रतिशत अपनाया जाता है जहाँ राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए अनुबंधित मूल्य पर कुल अनुमानित लागत के प्रतिशत को लागू किया जाता है। कंपनी के अनुबंध (ए एम सी के अतिरिक्त) को समय की अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें आम तौर पर विभिन्न प्रकार की कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं जैसे भवन-निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना इसके चलते भौतिक रूप से कार्य की मात्रा (अर्थात् आउटपुट) को निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि इनपुट पद्धति में इन विविध गतिविधियों के संबंध में होने वाली लागत का हिसाब किया जा सकता है और पूर्णतः विश्वसनीय के प्रतिशत तक पहुँचने के लिए होने वाली कुल अनुमानित लागत के साथ तुलना की जा सकती है। ए एम सी अनुबंधों के संबंध में राजस्व की मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति अपनायी जाती है जहाँ निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि के लिए कालांतर मानदण्ड होता है।

viii. निश्चित समय पर निष्पादन बाध्यता संतुष्ट होने के संदर्भ में, ग्राहक ने 'आस्ति पर नियंत्रण' प्राप्त किया कि नहीं - इसका निर्धारण करने निम्नलिखित मानदण्डों का उपयोग किया जाता है :

- अनुबंध के अनुसार सुपुर्दगी की शर्तें
- ग्राहक के पास आस्ति संबंधी वैधिक टाइटल हो
- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण कर दिया है
- ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार किया है
- कंपनी के पास आस्ति के लिए भुगतान करने का अधिकार है।

ix. लेन-देन दर का निर्धारण ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर किया जाता है। बहु-बाध्यताओं के संबंध में लेन-देन दर का आबंटन संबंधित एकमेव बिक्री मूल्य पर निर्भर होता है जो हाल ही में बेची गयी इसी प्रकृति की वस्तुओं से संबंधित अनुबंध के आधार पर है।

बी ग्राहकों के साथ अनुबंध के तहत मान्य राजस्व का ब्रेक-अप

(₹ लाख में)

विवरण	भारत सरकार	चैनल भागीदार (निर्यातों के लिए)	अन्य	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	179,206.97	298.37	80,161.59	**259,666.93**
सेवाओं की बिक्री	5,139.18	-	6,420.08	**11,559.26**
कुल	**184,346.15**	**298.37**	**86,581.67**	**271,226.19**
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	129,442.18	14,171.29	21,737.95	**165,351.41**
सेवाओं की बिक्री	9,061.20	293.56	6,040.62	**15,395.38**
कुल	**138,503.38**	**14,464.85**	**27,778.57**	**180,746.79**

सी अनुबंध आस्तियों और अनुबंध देयताओं की आवाजाही

(₹ लाख में)

विवरण	अनुबंध आस्तियाँ		अनुबंध देयताएँ	
	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
अथ शेष (ए)	**115,251.21**	**233,782.49**	**188,107.60**	**189,719.73**
जोड़				
वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त बिक्री के तहत	103,272.80	35,972.61		
वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम			178,679.34	186,165.05
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष मानी गयी लेन-देन दर में परिवर्तन			0.07	
अन्य (यदि कोई हो तो)	7,612.29	147.47		1,165.35
कुल - (बी)	**110,885.09**	**36,120.08**	**178,679.41**	**187,330.41**
कटौतियाँ				
वर्ष के दौरान अथ शेष में से मान्यताप्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			68,645.73	77,811.62
वर्ष के दौरान चालू वर्ष के शेष में से मान्यता प्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			81,904.10	111,041.73
अनुबंध आस्तियों का ट्रेड प्राप्य में बदलाव	107,016.82	148,226.06		
अनुबंध आस्तियों की हानि यदि कोई तो*				
अनुबंध देयताओं को बट्टे खाते मे डालना यदि कोई हो तो				89.19
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष मान्य लेनदेन दर में परिवर्तन				
अन्य (यदि कोई हो तो)		6,425.30	840.73	-
कुल - (सी)	**107,016.82**	**154,651.36**	**151,390.56**	**188,942.54**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी-सी)	**119,119.48**	**115,251.21**	**215,396.45**	**188,107.60**

* हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को अनुबंध देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है और क्रमानुगत रूप से निष्पादन बाध्यता की समाप्ति पर इसका समायोजन किया जाता है। अग्रिम के समायोजन के उपरांत प्राप्य शेष राशि को ट्रेड प्राप्य मे वर्गीकृत किया जाता है।

अनुबंध में पूर्ण कर दी गयी निष्पादन बाध्यता के संबंध में इसी अनुबंध की अन्य निष्पादित बाध्यता के भुगतान के साथ जोड़े रखने के चलते ग्राहक द्वारा रोक रखी गयी राशि को अनुबंध आस्ति में वर्गीकृत किया जाता है।

डी शेष निष्पादन बाध्यताओं का मूल्य

ग्राहकों के साथ अनुबंध से मान्यताप्राप्त न किया गया राजस्व जो अंशत: संतुष्ट या असंतुष्ट

(₹ लाख में)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष में	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2022 तक निष्पादित नहीं किये गये आदेशों का मूल्य *	1,017,000.00	435,100.00	350,900.00	167,400.00	63,600.00

* यह राशि रु. 3118.06 लाख की परिसमापन क्षति पर आधारित है।

ई अनुबंध मूल्य सहित लाभ-हानि लेखा में मान्य राजस्व का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
लाभ-हानि लेखा के अनुसार राजस्व				
उत्पादों की बिक्री से	259,666.93		165,351.41	
सेवाओं की बिक्री से	11,559.26		15,395.38	
कुल (ए)		**271,226.19**		**180,746.79**
अनुबंध मूल्य में जोड़ / घटाव का समायोजन				
एफ ई परिवर्तन का दावा	-		(1,824.85)	
प्राप्त प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस	-		-	
आफर किया गया भुनाना, रिबेट	-		-	
आफर की गई दर में कटौती	-		-	
ग्राहकों द्वारा उगाही परिसमापन क्षतियाँ	3,899.77		3,714.43	
ग्राहकों द्वारा वापस की गयी परिसमापन क्षतियाँ	(13,322.24)			
अन्य यदि कोई हो तो	-		7,304.86	
कुल समायोजन (बी)		**(9,422.47)**		**9,194.43**
अनुबंध मूल्य (ए+बी)		**261,803.72**		**189,941.23**

एफ वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही

(₹ लाख में)

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	**24,834.90**	**7,434.37**	**32,269.27**
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	213,059.27	9,176.14	222,235.41
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में परिवर्तन	102,766.47	4,250.35	107,016.82
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	47.06	23.42	70.48
कुल - (बी)	**315,872.80**	**13,449.91**	**329,322.71**
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	166,461.20	13,347.32	179,808.52
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	148,549.84	1,999.99	150,549.83
देनदार की हानि (प्रावधान)*	-	-	-
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	69.90	69.90
अन्य (यदि कोई हो तो)	747.60	-	747.60
कुल - (सी)	**315,758.64**	**15,417.21**	**331,175.85**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी+सी)	**24,949.06**	**5,467.07**	**30,416.13**

वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही

(₹ लाख में)

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	**27,730.13**	**6,106.67**	**33,836.80**
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	173,256.47	9,799.98	183,056.45
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में परिवर्तन	142,896.72	5,329.34	148,226.06
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	-	-	-
कुल - (बी)	**316,153.19**	**15,129.32**	**331,282.51**
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	132,112.13	11,797.41	143,909.54
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	186,884.09	1,969.26	188,853.35
देनदार की हानि (प्रावधान)*	-		-
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	34.95	34.95
अन्य (यदि कोई हो तो)	52.20	-	52.20
कुल - (सी)	**319,048.42**	**13,801.62**	**332,850.04**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी+सी)	**24,834.90**	**7,434.37**	**32,269.27**

*** हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।**

जी भुगतान संबंधी ग्राहकों की शर्तें जिसमें अग्रिम और चरणवार भुगतान शामिल है और जो एक ठेके से दूसरे ठेके के लिए अलग-अलग होते हैं।

38 (21) अतिरिक्त नियामक सूचना

ए. अमूर्त परिसंपत्तियों के ऐसे अधिकार विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं। (₹ लाख में)

तुलन-पत्र में संबंधित मद	संपत्ति का विवरण	निवल वहन मूल्य	अधिकार विलेख जिनके नाम पर है	क्या अधिकार विलेख के हकदार प्रचारक या निदेश या प्रचारक / निदेशक के संबंधित / या प्रचारक / निदेशक के कर्मचारी हैं	संपत्ति कब से कंपनी के पास है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
नि:शुल्क प्राप्त भूमि	इब्राहिमपट्टणम स्थित भूमि (632 एकड़ 15.50 गुण्टा)	7,965.16	टी एस आई आई सी	नहीं	16-02-2017	पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।
नि:शुल्क प्राप्त भूमि	कंचनबाग स्थित भूमि (146 एकड़ 32 गुण्टा)	28.42	डी एम आर एल	नहीं	19-10-1972	राजस्व के रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।
निवेश संपत्ति	कंचनबाग स्थित भूमि (5 एकड़ 1 गुण्टा)	0.97				
आस्तियों के उपयोग का अधिकार	विशाखापट्टणम स्थित भूमि (3 एकड़ 25 गुण्टा)	-	बी डी एल	नहीं	02-03-2011	अधिकार विलेख किया गया लेकिन अभी पंजीकरण होना शेष।

बी निवेश संपत्ति का उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित नहीं होता है। हालाँकि, इसकी गणना राज्य सरकार के पंजीकरण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार की जा रही है।

सी कंपनी ने चालू रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, सयंत्र और उपकरण या अमूर्त आस्तिप का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

डी कंपनी ने अपने किसी भी प्रमोटर, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और संबंधित पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अनुसार) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

ई पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य (सी डब्ल्यू आई पी)

ए. सी डब्ल्यू आई पी समय बढ़ने का क्रम

सी डब्ल्यू आई पी	अवधि के लिए सी डब्ल्यू आई पी की राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2022 तक					
(i) विकासाधीन परियोजनाएँ	2,760.67	547.32	657.60	107.59	4,073.18
(ii) अस्थायी रूप से रद्द की गयी परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
कुल	**2,760.67**	**547.32**	**657.60**	**107.59**	**4,073.18**
31 मार्च, 2021 तक					
(i) विकासाधीन परियोजनाएँ	1219.48	378.95	434.52	116.91	2,149.86
(ii) अस्थायी रूप से रद्द की गयी परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
कुल	**1219.48**	**378.95**	**434.52**	**116.91**	**2,149.86**

बी. सी डब्ल्यू आई पी पूरा होने की सारणी, जिसका पूरा होना अभी बाकी है या इसकी मूल योजना की तुलना में लागत में बढ़ोत्तरी :

सी डब्ल्यू आई पी	पूरा होने की अवधि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2022 तक	3,457.25	-	-	-
31 मार्च, 2021 तक	862.32	143.64	-	-

* परियोजनाओं की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए और खंडीय रिपोर्टिंग पर दी गई छूट के कारण, परियोजनावार विवरण का खुलासा नहीं किया जाता है।

एफ प्रमुख वित्तीय अनुपात :

अनुपात	गणक	भाजक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	विचलन का %	विचलन का कारण
(ए) वर्तमान अनुपात (गुणा में)	कुल चालू आस्तियाँ	कुल चालू देयताएँ	2.14	1.94	10.03%	-
(बी) ऋण - ईक्विटी अनुपात	कंपनी पर कोई ऋण न होने के कारण लागू नहीं।					-
(सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात						
(डी) ईक्विटी अनुपात पर वापसी (% में)	कराधान बाद निवल लाभ	औसत शेयरधारक ईक्विटी	17.49%	9.74%	80%	कम निर्धारित ओवरहेड और प्राप्त परिसमापन क्षतियों की तुलना में अधिक टर्नओवर के कारण अधिक कराधान बाद लाभ के कारण वृद्धि।
(ई) सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	परिचालनों से प्राप्त राजस्व	औसत सामग्री-सूची	1.85	1.70	9%	-
(एफ) ट्रेड प्राप्यताएँ टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	परिचालनों से प्राप्त राजस्व	औसत ट्रेड प्राप्यताएँ	8.99	5.79	55%	अधिक बिक्री और बेहतर वसूली के कारण बेहतरी
(जी) ट्रेड देयताएँ अनुपात (गुणा में)	क्रय	औसत ट्रेड देयताएँ	2.22	2.55	-13%	-
(एच) निवल पूँजी टर्नओवर प्रतिशत (गुणा में)	रिचालनों से प्राप्त राजस्व	कार्यगत पूँजीइ	0.96	0.80	20%	-
(आई) निवल लाभ अनुपात (% में)	कराधान बाद निवल लाभ	परिचालनों से प्राप्त राजस्व	18%	13%	32%	कम निर्धारित ओवरहेड और प्राप्त परिसमापन क्षतियों की तुलना में अधिक टर्नओवर के कारण अधिक कराधान बाद लाभ के कारण वृद्धि।
(जे) नियोजित पूँजी पर वापसी (% में)	ई बी अई टी अर्थात् कर पूर्व लाभ और वित्त लागत	नियोजित पूँजी अर्थात् निवल मालियत + आस्थगित कर देयता (निवल)	23.99%	13.08%	83%	अधिक टर्नओवर और उत्पादों में विविधता के कारण बेहतरी
(के) निवेश पर वापसी (% में)	निवेशक को वापस	समय भारित निवेश	67.76%	85.34%	-21%	-

जी. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बने नियमों के किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

एच. कंपनी के पास चालू आस्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है। कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित नहीं किया गया है।

आई. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत स्टक-ऑफ कंपनियों के साथ कंपनी कोई लेनदेन नहीं है।

जे. कंपनी के पास वैधानिक अवधि के बाद आर ओ सी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

38(22) ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

38(23) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि	1,169.80	1,458.43
(ii) वर्ष के दौरान किए गए व्यय की राशि		
- किसी आस्ति का निर्माण / अधिग्रहण	328.20	117.93
- उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य	1,484.41	1,422.77
(iii) वर्ष के अंत में, वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि में से कमी	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी राशि	शून्य	637.06
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	डी पी ई दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक प्रावधान बनाये गये।
(vi) कंपनी द्वारा की गयी सी एस आर गतिविधियों की प्रकृति	शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, कौशल विकास	शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, कौशल विकास
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण	शून्य	शून्य
(viii) जहाँ एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में आवाजाही को अलग से दिखाया जाएगा।	टिप्पणी सं. 28 के अनुसार	

38(24) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

38(25) कोविड-19 :

कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने इस वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन और बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। प्रतिबंधों में ढील और गतिशीलता में सुधार और टीकाकरण अभियान के गति पकड़ने के बाद आपकी कंपनी की विनिर्माण गतिविधियाँ सामान्य हो गई हैं। आपूर्ति वापस पटरी पर आ गई है और आवश्यक सामग्री भी समय पर प्राप्त हो रही है। वित्त वर्ष 2022 कोविड-19 महामारी का दूसरा वर्ष है, कंपनी ने संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों पर विचार किया है जो कि संपत्ति की वहन राशि पर कोविड-19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। कंपनी इन परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर आश्वस्त है।

38(26) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :

रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद लाभ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (कोड) को सितंबर, 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी इस कोड के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और इसके प्रभावी अवधि के वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव को बतायेगी।

38(27) जहाँ कहीं भी आवश्यरक हो पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। ऋणात्मिक आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

प्रमुख लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पिणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 002424S

के पी रंगनाथन
भागीदार
(सदस्यता सं. 239498)
यू डी आई एन : 22239498AJQHQR7176

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 26 मई, 2022

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
निगम पहचान संख्या (सी आई एन) : L2429TG1970GOI00353
निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032.
पंजीकृत कार्यालय : कंचनबाग, हैदराबाद-50058.
दूरभाष : 040-23456145, फैक्स : 040-23456107 ई-मेल : investors@bdl-india.com वेबसाइट : www.bdl-india.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड (CIN : L24292TG1970GOI001353) के सदस्यगण की 52वीं वार्षिक आम सभा (ए जी एम) **सोमवार, दि. 26 सितंबर, 2022 को 15.00 बजे** वीडियो कान्फ्रेन्सिंग (वी सी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओ ए वी एम) के ज़रिये होगी। कंपनी का निगम कार्यालय प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 पर स्थित है और जिसे बैठक का स्थान माना जाएगा और जहाँ से निम्नलिखित संव्यवहार संचालन के लिए वार्षिक आम सभा की कार्यवाही की जाएगी :

सामान्य संव्यवहार

1) दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएँ तथा इन पर निदेशक मंडल सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार कर अंगीकृत करना।

2) अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि कर दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3.) रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री पोट्लूरी राधाकृष्ण (डी आई एन : 08437975) के स्थान पर स्व-अर्हता के नाते इनको एक निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

विशेष संव्यवहार

4) **डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति, विशेष वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (एम एस एस) (डी आई एन नं. 09286096) को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्प को 'सामान्य संकल्प' के रूप में पारित करना :**

"संकल्प किया जाता है कि दि. 25 अगस्त, 2021 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम0001 (11)/3/2018-डी(बीडीएल) और कंपनी नियमावली (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएँ), 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम के लागू अन्य प्रावधान और अन्य यदि कोई लागू नियम (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) के क्रम में और सदस्यों की स्वीकृति और साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति, विशेष वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (एम एस एस) को अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

5) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक में वृद्धि और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) के क्रम में और सदस्यों की स्वीकृति से वर्ष 2021-22 से सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक को प्रति वर्ष रु. 10 लाख से बढ़ा कर रु. 12.50 लाख (आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग) करने का के लिए अनुमोदन दिया जाता है।"

6) **लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) के क्रम में और सदस्यों की स्वीकृति से वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति को देय लागू माल एवं सेवा कर सहित रु. 1,50,000/- के पारिश्रमिक का भुगतान और वास्तविक रूप से जेब खर्च की प्रतिपूर्ति का अनुसमर्थन और अनुमोदन किया जाता है।"

7) श्री सुनील चिंतामन मोने (डी आई एन : 09223235) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि दि. 3 जनवरी, 2022 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या डीडीपी-एम0001(11)/1/2018-डी(बीडीएल) के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (कुछ समय के लिए अन्य सांविधिक संशोधन या नियम सहित) और अन्य कोई लागू प्रावधान के साथ पठनीय धारा 149, 150, 152 के तहत सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर श्री सुनील चिंतामन मोने (डी आई एन : 09223235) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

8) प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा (डी आई एन : 09448680) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि दि. 3 जनवरी, 2022 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या डीडीपी-एम0001(11)/1/2018-डी(बीडीएल) के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (कुछ समय के लिए अन्य सांविधिक संशोधन या नियम सहित) और अन्य कोई लागू प्रावधान के साथ पठनीय धारा 149, 150, 152 के तहत सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा (डी आई एन : 09448680) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

9) श्री राजेंद्र सिंह शेखावत (डी आई एन : 09449860) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि दि. 3 जनवरी, 2022 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या डीडीपी-एम0001(11)/1/2018-डी(बीडीएल) के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (कुछ समय के लिए अन्य सांविधिक संशोधन या नियम सहित) और अन्य कोई लागू प्रावधान के साथ पठनीय धारा 149, 150, 152 के तहत सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर श्री राजेंद्र सिंह शेखावत (डी आई एन : 09449860) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

10) श्री नंदकुमार सुब्बुरामन (डी आई एन : 0611401) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि दि. 3 जनवरी, 2022 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या डीडीपी-एम0001(11)/1/2018-डी(बीडीएल) के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (कुछ समय के लिए अन्य सांविधिक संशोधन या नियम सहित) और अन्य कोई लागू प्रावधान के साथ पठनीय धारा 149, 150, 152 के तहत सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर श्री नंदकुमार सुब्बुरामन (डी आई एन : 0611401) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

11) डॉ. पवन स्थापक (डी आई एन : 03605320) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि दि. 3 जनवरी, 2022 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या डीडीपी-एम0001(11)/1/2018-डी(बीडीएल) के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (कुछ समय के लिए अन्य सांविधिक संशोधन या नियम सहित) और अन्य कोई लागू प्रावधान के साथ पठनीय धारा 149, 150, 152 के तहत सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर डॉ. पवन स्थापक (डी आई एन : 03605320) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A19015

स्थल : हैदराबाद
तारीख : 25 अगस्त, 2022

टिप्पणियाँ:

1. कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निगम मामले मंत्रालय (एम सी ए) ने दि. 8 अप्रैल, 2020 की सामान्य परिपत्र सं. 14/2020; दि. 13 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र सं. 17/020; दि. 05 मई, 2020 की सामान्य परिपत्र 20/2020; दि. 13 जनवरी, 2021 की सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 और दि. 02/2022 और 05 मई, 2022 के नवीनतम परिपत्र तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दि. 13 मई, 2022 की परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P / 2022/62 के तहत कंपनियों को अनुमति दी गई है कि सदस्यों को एक जगह एकत्रित न करते हुए वीडियो कान्फ्रेन्सिंग (वी सी) / अन्य ऑडिया-विजुअल माध्यम (ओ ए वी एम) के ज़रिये वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधान, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यताओं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) और निगम मामले मंत्रालय के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक आम सभा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के ज़रिये आयोजित की जा रही है।

2. अधिनियम के प्रावधानों के क्रम में वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान देने के लिए सदस्य अपनी जगह मतदान करने प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह वार्षिक आम सभा निगम मामले मंत्रालय के परिपत्रों के क्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी सी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओ ए वी एम) के ज़रिये आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति रद्द कर दी गयी है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अत: उपस्थिति स्लिप और प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न नहीं होंगे।

3. वी सी / ओ ए वीएम के ज़रिये वार्षिक आम सभा में जुड़ने की सुविधा ए जी एम के समय से 30 मिनट पहले शुरू होगी और यह सुविधा First Come – First Served आधार पर होगी।

4. वी सी / ओ ए वीएम के ज़रिये वार्षिक आम सभा में First Come – First Served आधार पर 1000 सदस्य जुड़ सकते हैं। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारण करने वाले, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। इनके लिए First come-rst-served आधार लागू नहीं होगा।)

5. वीडियो कान्फ्रेन्सिंग / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की पुन:प्राप्ति के उद्देश्य से गिना जाएगा।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के क्रम में विशेष संव्यवहार संबंधी विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

7. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम की धारा 108 और एस ई बी आई (एल ओ डी आर) प्रावधान, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में सदस्यों को एन एस डी एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान देने की सुविधा सुलभ करायी जाती है। इस संबंध में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एन एस डी एल को प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त करते हुए करार किया है। वार्षिक आम सभा के दिन एन एस डी एल द्वारा सदस्यों को इस सूचना में शामिल सभी मदों पर मतदान देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली और ई-वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

8. निगम मामले मंत्रालय तथा 'सेबी' के उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल आई डी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य नोट करें कि ए जी एम की नोटिस और वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

9. कंपनी के सदस्यों के लिए रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका मंगलवार, दि. 20 सितंबर, 2022 से सोमवार, दि. 26 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

10. चूँकि यह आम सभा वी सी / ओ ए वी एम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अत: इसके सुचारू आयोजन के लिए ए जी एम दौरान प्रश्न पूछने / अपने विचार रखने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, फोलियो नंबर / डीमैट खाता संख्या, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और समस्या / प्रश्न का उल्लेख करते हुए मंगलवार दि. 20 सितंबर, 2022 (सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय) से गुरुवार, दि. 22 सितंबर, 2022 (शाम पाँच बजे भारतीय मानक समय) के दौरान investors@bdl-india.in पर ई-मेल भेज कर अपने आपको एक वक्ता के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं। उक्त तारीख और समय के भीतर कंपनी को प्राप्त प्रश्न पर ही विचार किया जाएगा और ए जी एम के दौरान इन्हीं का उत्तर दिया जाएगा। कंपनी, ए जी एम के लिए उपलब्ध समय के आधार पर बोलने वालों की संख्या सीमित करने का अधिकार रखती है।

रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम सभा में जुड़ने वाले सदस्यों के लिए निर्देश :

यह रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, दि. 22 सितंबर, 2022 (सुबह 9 बजे) को शुरू होगी और रविवार, दि. 25 सितंबर, 2022 (शाम 5.00 बजे) बंद होगी। वोटिंग के बाद एन एस डी एल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार, 19 सितंबर, 2022 तक जिनके नाम सदस्यों की पंजी में उपलब्ध हैं या जो लाभार्थी सदस्य हैं, वे

इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान दे सकते हैं। सदस्यों का मतदान अधिकार अंतिम तिथि यानी सोमवार, दि. 19 सितंबर, 2022 तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के अंश के अनुपात में होगा।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश :

चरण-1 एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग-इन करें।

ए) डी-मैट फार्म में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग में लॉग-इन करने और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की पद्धति :

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डी-मैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाती है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डी-मैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें।

डी-मैट फार्म में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग में लॉग-इन होने की पद्धति

शेयरधारक के प्रकार	लॉग-इन पद्धति
एन एस डी एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	i. यदि आप पहले से ही एन एस डी एल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया पर्सनल कंप्यूटर / मोबाइल में एन एस डी एल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com/ खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज खुल जाने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो "आइडीएस" सेक्शन में उपलब्ध है। अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएँगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एन एस डी एल ई-वोटिंग वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा। ii. यदि आप आई डी ई ए एस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। iii. एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यू आर एल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाये गये अनुसार एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता – एन एस डी एल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा। iv. अबाध ई-वोटिंग अनुभव के लिए निम्नलिखित क्यू आर कोड स्कैन कर शेयरधारक / सदस्य एन एस डी एल मोबाइल ऐप 'एन एस डी एल स्मीडी' डाउनलोड कर सकते हैं।
सी डी एस एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	I मौजूदा प्रयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। आगे बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ ईज़ीएस्ट में लॉग-इन करने के लिए यूआरएल है https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com और न्यू सिस्टम - मायसी पर क्लिक करें। ii. ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉग-इन के बाद प्रयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एन एस डी एल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एन एस डी एल पर क्लिक करें। iii. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकते हैं। सिस्टम डी-मैट खाते में दर्ज किये गये विवरण अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओ टी पी भेजकर प्रयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, प्रयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एन एस डी एल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले)	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एन एस डी एल / सी डी एस एल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के दिये गये लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर भी लॉग-इन कर सकते हैं। लॉग-इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एन एस डी एल / सी डी एस एल डिपॉजिटरी साइट री-डायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता – एन एस डी एल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपाजिटरी अर्थात् एन एस डी एल और सी डी एस एल के माध्यम से लॉग-इन होने संबंधी किसी तकनीकी समस्या के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एन एस डी एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन संबंधी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एन एस डी एल हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं।
सी डी एस एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन संबंधी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सदस्य evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर सी डी एस एल हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022-23058738 या 022-23058542-43 पर फोन कर सकते हैं।

बी) डी-मैट में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारक और भौतिक रूप से प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने की पद्धति :

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यू आर एल - https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर ब्राउसर खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम-पेज खुल जाने के बाद लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य' सेक्शन के नीचे होगा।
3. अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। अब आपको अपना प्रयोगकर्ता आई डी, पासवर्ड और स्क्रीन में दिखायी देने वाला जाँच कोड एंटर करना होगा।

   इसके विकल्प में यदि आप एन एस डी एल की ई-सेवाएँ आई डी ई ए एस के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आई डी ई ए एस से https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन हो सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेन्शियल के साथ एन एस डी एल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने के उपरांत ई-वोटिंग पर क्लिक करें और दूसरे चरण यानी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान देने के चरण पर जा सकते हैं।
4. आपके प्रयोगकर्ता आई डी संबंधी विवरण इस प्रकार हैं :

शेयरधारिता का प्रकार डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएल) या भौतिक रूप से	आपका यूजर आईडी:
ए) एन एस डी एल के डीमैट अकाउंट में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए अगर आपकी डीपी आईडी IN300 *** है और क्लाइंट आईडी 12 ****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300 *** 12 ****** होगी।
बी) सी डी एस एल के डीमैट अकाउंट में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 डिजिट की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12**********होगी।
सी) भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ई वी ई एन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और ई वी ई एन नंबर 113082 है तो आपकी प्रयोगकर्ता आई डी 113082001*** होगी।

5. व्यक्तिगत शेयरधारक के अतिरिक्त अन्यों के लिए पासवर्ड के विवरण इस प्रकार हैं :

   ए) यदि आपने पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकरण कर लिया है, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड से लॉग-इन कर अपना वोट डाल सकते हैं।

   बी) यदि आप पहली बार एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पहले से सूचित किया गया 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन:प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अपना प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा। उसके बाद सिस्टम से अनुदेश मिलेंगे कि अपना पासवर्ड बदलें।

   सी) 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुन:प्राप्त करें?

   (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाता या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका प्रारंभिक पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। एन एस डी एल से आपके मेल पर भेजा गया ई-मेल देखें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट यानि .pdf फ़ाइल खोलें। .Pdf फ़ाइल को खोलने के लिए पासवर्ड

एन एस डी एल खाते के लिए आपकी 8 डिजिट ग्राहक आईडी है, सी डी एस एल खाते के लिए ग्राहक आई डी के अंतिम 8 अंक हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर है। .Pdf फ़ाइल में आपकी 'प्रयोगकर्ता आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' शामिल हैं।

(ii) यदि आपकी ई-मेल आई डी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे दी गयी प्रक्रिया अपनाएँ :

6. यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड पुन:प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्त न किया हो या प्रारंभिक पासवर्ड भूल गये हों तो ऐसी स्थिति में :

(ए) "Forgot User Details / Password" पर क्लिक करें। (यदि आप एन एस डी एल या सी डी एस एल के साथ डीमैट अकाउंट में शेयर रखते हैं।) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प मौजूद है।

(बी) www.evoting.nsdl.com पर 'Physical User Reset Password?' का विकल्प (यदि आप भौतिक रूप से शेयर रखते हैं।) मौजूद है।

(सी) यदि आप उक्त दोनों पद्धतियों से अपना पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाये तो अपना डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर / पी ए एन नंबर, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेजें।

(डी) सदस्य एन एस डी एल की ई-वोटिंग प्रणाली में 'ओ टी पी' आधारित लॉग-इन के माध्यम से भी अपना वोट डाल सकते हैं।

7. पासवर्ड एंटर करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए 'Terms and Conditions' के 'Agree' पर टिक करें।

8. अब आपको 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम-पेज खुलेगा।

चरण-2 एन एस डी एल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और आम सभा से जुड़ें :

एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट डालने और आम सभा में जुड़ने की पद्धति:

1. चरण 1 (एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली में आने के बाद) पर सफलतापूर्वक लॉग-इन होने के बाद, आप सभी कंपनियों के "ईवीईन" दिखेगा जिसमें आप शेयरधारण कर रहे हैं और जिनके वोटिंग साइकल की स्थिति सक्रिय है।

2. जिस कंपनी को आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान वोट डालना चाहते हैं उस कंपनी के "ई वी ई एन" चुनें। वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने के लिए आपको 'Join General Meeting' के अंतर्गत "VC / OAVM" पर क्लिक करना होगा।

3. अब जैसे ही वोटिंग पेज खुल जाए आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने वोट का चयन करें, यानी सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें, जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "SUBMIT" और "CONFIRM" पर क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, "VOTE CAST SUCCESSFULLY" संदेश आएगा।

6. पुष्टीकरण पृष्ठ के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट में संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों को निर्देश :

1. वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग की वही प्रक्रिया होगी जो ऊपर बताया गया है।

2. वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया हो और ऐसे देने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, वे सदस्य ही ए जी एम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।

3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य ए जी एम में भाग लेने के अर्ह होंगे। हालाँकि, वे ए जी एम में मतदान के लिए अर्ह नहीं होंगे।

वार्षिक आम सभा वाले दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

संकल्पों पर मतदान करने वाले सदस्यों के लिए सामान्य निर्देश / सूचना :

1. कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (व्यक्ति, एच यू एफ, एन आर आई आदि के अलावा अन्य) को वोट डालने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के नमूने हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड के संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ / जे पी जी फार्मेट) investors@bdl-india.in पर कंपनी को भेजते हुए इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in और rta@alankit.com को भी भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एच यू एफ, एन आर आई आदि) भी अपने लॉग-इन

में दिख रहे 'ई-वोटिंग' टैब पर दिख रहे "Upload Board Reso,ution / Authority Letter" पर क्लिक कर अपने बोर्ड संकल्प / पॉवर ऑफ अटॉर्नी / प्राधिकारी पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।

2. बड़ी सख़्ती से सुझाया जाता है कि आप अपना पासवर्ड किसी को न बताएँ और इसकी गोपनीयता बनाये रखें। पासवर्ड को सही करते-करते लगातार पाँच बार गलत पासवर्ड दर्ज करने पर ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन होने की सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको पासवर्ड पुन: ठीक करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details / Password?" या "Physical User Reset Password" विकल्प देखने होंगे।

3. ई-वोटिंग के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) या www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल की मदद ले सकते हैं या टॉलफ्री नं. 1800 1020 990 / 1800 224 430 पर फोन कर सकते हैं या फिर evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी समस्या या शिकायत के लिए सुश्री सोनी सिंह, एन एस डी एल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई-400013 पर या ई-मेल evoting@nsdl.co.in या 1800 1020 990 / 1800 224 430 पर संपर्क करें।

4. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों को लेता है और कंपनी द्वारा ए जी एम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि अर्थात सोमवार 19 सितंबर 2022 पर शेयर रखता है, वे evoting@nsdl.co.in पर / जारीकर्ता / आर टी ए को अनुरोध भेज कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details / Password" या "Physical User Reset Password?" का इस्तेमाल कर या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 180022 44 30 पर संपर्क कर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के संबंध में जो जो कंपनी के शेयरों को लेता है और कंपनी द्वारा ए जी एम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि अर्थात सोमवार 19 सितंबर 2022 पर शेयर रखते हैं, वे वार्षिक आम सभा की सूचना के Access to NSDL e-Voting System में उल्लिखित चरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

ऐसे शेयरधारक जिनके ई-मेल आई डी डिपाजिटरी के साथ ई-मेल आई डी और पासवर्ड लेने के लिए पंजीकृत नहीं हैं और इस सूचना में उल्लिखित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ई-मेल के पंजीकरण की प्रक्रिया :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में होते हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), 'आधार' (स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) rta@alankit.com और investors@bdl-india.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में होते हैं तो अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के सुझावानुसार ई-मेल आई डी पंजीकृत करवाएँ। यदि आप प्रतिभूतियाँ डी-मैट मोड में रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं तो अनुरोध है कि चरण 1 (ए) में उल्लिखित अनुसार लॉग-इन पद्धति यथा – अपनी प्रतिभूतियाँ डी-मैट मोड में रखने वाले शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग जुड़ने की पद्धति (ई-वोटिंग निर्देश) का संदर्भ लें।

3. वैकल्पिक रूप से सदस्य ऊपर बताए गए विवरण देते हुए प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल से अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली ई-वोटिंग पर सेबी के दि. 9 दिसंबर, 2022 के परिपत्र के संदर्भ में डी-मैट पद्धति में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डिपाजिटरी और डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से मतदान देने के लिए अनुमति दी जाएगी। इस ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डी-मैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल का सही ढंग से अद्यतन करना होगा।

5. जिन सदस्यों द्वारा अभी तक अपने ई-मेल आई डी पंजीकृत नहीं किये गये हों या जो सदस्य अपने ई-मेल आई डी अद्यतन करना चाहते हैं, वे संबंधित डी पी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वालों के लिए) या आर अण्ड टी ए / कंपनी (भौतिक रूप से शेयर रखने वालों के लिए) से संपर्क करें ताकि कंपनी द्वारा प्रेषित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, सूचना, परिपत्र, एन ई सी एस सूचनाएँ इत्यादि पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन्हें प्राप्त हो सकें। सदस्यों से अनुरोध है कि शेयर संबंधी सभी पत्राचार हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

एस ई बी आई पंजीकरण सं. INR000002532

पता : - 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

दूरभाष : +91 11 42541234, Facsimile : +91 11 41543474

ई-मेल : rta@alankit.com ; वेबसाइट : www.alankit.com

वीडियो कान्फ्रेंसिंग / ओ ए वी एम के माध्यम से ए जी एम में भाग लेने सदस्यों के लिए निर्देश :

1. सदस्य को एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली की ओर से वी सी / ओ ए वी एम के माध्यम से ए जी एम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का प्रयोग कर सकते हैं। लॉग-इन होने के बाद आप कंपनी के नाम के सामने "Join General Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC / OAVM" लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "Join General Meeting" मेनू के अंतर्गत दिए गए "VC / OAVM" लिंक पर क्लिक करें। "VC / OAVM" के लिए लिंक कंपनी का EVEN जहाँ प्रदर्शित है, वहाँ शेयरधारक / सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। कृपया नोट करें कि सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या भूल गए हैं, सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय में जल्दबाजी / हड़बड़ी से बच सके।
2. सदस्यों को सुझाया जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हों।
3. साथ ही, सदस्यों को कैमेरा का इस्तेमाल करना होगा और बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिये अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करें।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिये मोबाइल या टैबलेट्स या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागितयों को संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा आ सकती है। अत: सिफारिश की जाती है कि ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार की दिक्कतों से बचने के लिए एक सुस्थिर WIFI या LAN CONNECTION का उपयोग करें।
5. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या इसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे NSDL से 1800 1020 990 / 1800 224430 पर या फिर सुश्री सोनी सिंह से evoting@nsdl.co.in / पर संपर्क कर सकते हैं।

लाभांश संबंधी जानकारी

1. निदेशक मंडल ने रु. 10/- मूल्य के प्रत्येक शेयर पर रु. 1/- के लाभांश की सिफारिश की है। वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा लाभांश घोषित किये जाने की स्थिति में इसकी घोषणा की तिथि के 30 दिनों के भीतर ऐसे व्यक्तियों को यह देय होगा :
   - जिनके नाम सोमवार दि. 19 सितंबर, 2022 के कार्यालयीन समय की समाप्ति तक नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (सी डी एस एल) द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली शेयरधारक लाभार्थियों की सूची में इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारक के रूप में दर्ज हों।
   - सोमवार दि. 19 सितंबर, 2022 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के पास वैध रूप से शेयरों के हस्तांतरण किये जाने पर सदस्यों के रूप में नाम दर्ज होने पर।
2. कंपनी जहाँ भी संभव हो, लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से और अन्य मामलों में लाभांश वारेंट / बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद शेयर के संबंध में लाभांश का भुगतान सोमवार दि. 19 सितंबर, 2022 के संव्यवहार समय की समाप्ति तक इस उद्देश्य के लिए डिपाजिटरी (एन एस डी एल एवं सी डी एस एल) द्वारा दिये गये लाभार्थी मालिकियत की सूची के आधार पर किया जाएगा। शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखने वाले सदस्य नोट करें कि कंपनी, लाभांश का भुगतान, सदस्यों द्वारा अपने संबंधित डिपाजिटरी अकाउंट के प्रति दिये गये बैंक विवरणानुसार ही करेगी।

   इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा बैंक विवरण में परिवर्तन करने के लिए किये जाने वाले सीधे अनुरोध पर कंपनी या इसके रजिस्ट्रार इस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन संबंधी सुझाव सदस्यों के डिपाजिटरी प्रतिभागियों को ही दिये जाते हैं। डिपाजिटरी अकाउंट खोलने के बाद जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में परिवर्तन किया है और लाभांश, डिपाजिटरी अकाउंट खोलते समय निर्दिष्ट अकाउंट से अन्य अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे **सोमवार दि. 19 सितंबर, 2022** से पहले अपने डिपाजिटरी प्रतिभागी के द्वारा अपने बैंक अकाउंट विवरण में परिवर्तन / सुधार (9 डिजिट वाले बैंक कोड सहित) करवा लें।
3. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी, भुगतान न किये गये लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष तक भुगतान न की गई राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' ('निधि') में जमा कर देने के लिए बाध्य है। आगे, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 यथासंशोधित ('आई ई पी एफ नियमावली') के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार लगातार सात वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जिन शेयर के लाभांश का भुगतान / दावा नहीं किया गया हो, उन शेयरों को निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आई ई पी एफ डीमैट अकाउंट में अंतरित किया जाता है। अत: कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश ले लें / दावा करें।

4. इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता के जनादेश को अद्यतन करने की प्रक्रिया:

भौतिक रूप से शेयरधारण	शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए निम्न दस्तावेज सहित कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र भेजें : क) रद्द किए गए मूल चेक लीफ जिस पर पहले शेयरधारक का नाम स्पष्ट रूप से दिखायी दे। ख) बैंक पासबुक / विवरण के खाते के पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि और मूल रद्द किया गया चेक (मूल रद्द किए गए चेक पर नाम या इनीशियल न होने की स्थिति में।
डीमैट शेयरधारण	डीमैट होल्डिंग कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बतायी दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने बैंक खाते का विवरण अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें।

5. यदि कंपनी बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता के चलते किसी शेयरधारक को लाभांश का भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी डाक सेवाओं के सामान्य हो जाने के बाद डाक से लाभांश वारंट भेज देगी।

6. सदस्य कृपया नोट करें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा प्रदत्त या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य होगा। तदनुसार, उक्त अनुबंधों के अनुपालन में आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन पर कंपनी लाभांश का भुगतान, स्रोत पर कर की आवश्यक कटौती (टी डी एस) करने के बाद करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारकों के लिए निर्धारित दरों के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम-2020 और तत्संबंधी संशोधन देखें।

7. सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट मोड में शेयर रखने वाले) के साथ अपना 'पैन' विवरण अद्यतन करें।

8. एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास PAN है और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह फॉर्म संख्या 15जी/15एच में एक वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर, **सोमवार, दि. 19 सितंबर, 2022** तक निवेशकों को investors@bdl-india.in; bdltaxation@bdl-india.in; और rta@alankit.com पर एक ईमेल भेजकर स्रोत पर कर की गैर-कटौती का लाभ प्राप्त कर सकता है।

9. शेयरधारकों से नोट करने का अनुरोध है कि यदि उनका PAN पंजीकृत नहीं है तो आयकर की कटौती 20% के उच्च दर पर की जाएगी।

10. वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी वैध कम / शून्य दर कटौती प्रमाणपत्र में उल्लिखित दर पर टीडीएस कटौती योग्य है।

11. गैर-आवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज - कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व नहीं होने की घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म -10 एफ या आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज investors@bdl-india.in; bdltaxation@bdl-india.in और rta@alankit.com पर ई-मेल भेजकर भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत कर के लाभकारी दर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा और दस्तावेज शेयरधारक द्वारा **सोमवार, दि. 19 सितंबर 2022** तक जमा करने होंगे।

12. आगे, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवरण / दस्तावेज के प्राप्त होने की स्थिति में लाभांश पर कर अधिक दर पर काटा जाता है, तब भी अर्ह्य होने पर आय का रिटर्न दाखिल करने और दावा करने के लिए अंशधारक के पास विकल्प होगा। इस तरह के करों में कटौती के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

13. टीडीएस दर लागू करना कंपनी के देय परिश्रम और सत्यापन के अधीन है, जो बुक क्लोजर की तारीख पर सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी, आदि की जाँच के अनुसार होगी। अधूरी या अस्पष्ट जानकारी, या यदि वैध दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो कंपनी अधिकतम लागू दर पर कर घटाने की व्यवस्था करेगी।

14. किसी भी आयकर माँग, (ब्याज, जुर्माना, सहित) की स्थिति में, किसी भी गलत बयानी से उत्पन्न होने वाली, अशुद्धि या सूचना का चूक / सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने के लिए सदस्य जिम्मेदार होंगे। साथ ही, सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने और किसी भी मूल्यांकन / अपीलीय कार्यवाही में सहयोग देने के बाध्य होंगे।

15. टीडीएस के संबंध में ऊपर दी गई सूचना केवल सदस्यों की जानकारी के लिए है न कि कर कानूनों के अनुपालन पर पूर्ण या व्यापक मार्गदर्शन के लिए। शेयरधारक अपने कर सलाहकारों / सलाहकारों के साथ अपने व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू कर प्रावधानों और कर कानूनों के अनुपालन के संबंध में परामर्श करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अन्य अनुदेश

1. कंपनी ने मेसर्स पुट्टपर्ति जगन्नाथम अण्ड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने और उसकी जाँच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ये संवीक्षक, ए जी एम में मतदान-प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान डाले गए वोट और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेंगे। संवीक्षक वार्षिक आम सभा की समाप्ति से 48 घण्टे के भीतर पक्ष या विपक्ष यदि कोई हो तो, डाले गये वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को लिखित में प्रस्तुत करेंगे जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेंगे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा पैन (PAN) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने डीमैट खाता रखने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपना 'पैन' जमा करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी को अपना पैन प्रस्तुत करेंगे। सदस्य कृपया ध्यान दें कि 'सेबी' ने निम्नलिखित मामलों में भी पैन जमा करना अनिवार्य कर दिया है। (i) मृत अंशधारक (ओं) के नाम हटाने (ii) शेयरों का कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) को हस्तांरित करने और (iii) शेयरों का हस्तांतरण।

3. सूचीबद्ध विनियमों के नियमन 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के मामले में छोड़ कर 1 अप्रैल, 2019 से डीमैटेरियलाइज्ड रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने शेयरधारण को डीमैट रूप में परिवर्तित करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

4. एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत अनिवार्य नियुक्ति / पुन: नियुक्ति की माँग रखने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय इस सूचना का अंग है।

5. अध्यक्ष, वार्षिक आम सभा में जिन मदों पर मतदान किया जाना हो, उन प्रस्तावों पर चर्चा की समाप्ति पर संवीक्षकों के सहयोग से ए जी एम में उपस्थित और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान न करने वाले सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान देने की अनुमति देंगे।

<u>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के क्रम में व्याख्यात्मक विवरण / कथन</u>

मद सं. 4

डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति, विशेष वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (एम एस एस) को रक्षा मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 25 अगस्त, 2022 की पत्र सं. डीडीपी-एम0001(11)/3/2018-डी(बीडीएल) के तहत अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता आदि सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति, विशेष वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (एम एस एस) अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

मद सं. 5

सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि वर्तमान में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वर्ष 2017-18 से सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में प्रति वर्ष रु. 10.00 लाख के शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों से उनके लेखापरीक्षा शुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह अनुरोध बीडीएल के परिचालन, लेखा और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा सरकारी विनियमों में आयी जटिलताओं और सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा सिफारिश की गयी न्यूनतम स्केल के आधार पर किया गया था। तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल ने दि. 26 मई, 2022 को संपन्न अपनी बैठकों में इस अनुरोध पर विचार किया है और आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 12.50 लाख रुपये प्रति वर्ष (जेब खर्च और जीएसटी को छोड़कर) करने के लिए मंजूरी दे दी है।

निदेशक मंडल एक साधारण संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस की मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं और न ही रुचि रखते हैं।

मद सं. 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावाली, 2014 के नियम 14 के अनुसार कंपनी के लिए लागू उत्पादों की रिकॉर्ड की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। निदेशक मंडल ने दि. 26 मई, 2022 को संपन्न अपनी 270वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार कर मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन देते हुए लागू कर के साथ-साथ रु. 1,50,000/- प्रति वर्ष के पारिश्रमिक की भी सिफारिश की।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। निदेशक मंडल इस सूचना के साथ संलग्न संकल्प की मद संख्या 06 को कंपनी के सदस्यों के समक्ष साधारण संकल्प के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

मद सं. 7

श्री सुनील चिंतामन मोने को रक्षा मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के तहत दि. 24 दिसंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता आदि सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

श्री सुनील चिंतामन मोने अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 7 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

श्री सुनील चिंतामन मोने ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वे सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 149 (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल की राय में, वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम, नियम और लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। इनके पास बी डी एल का कोई शेयर नहीं है।

मद सं. 8

प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा को रक्षा मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के तहत दि. 27 दिसंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता आदि सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देती हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 8 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखती हैं।

प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वे सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 149 (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। निदेशक मंडल की राय में, वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम, नियम और लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। इनके पास बी डी एल का कोई शेयर नहीं है।

मद सं. 9

श्री राजेंद्र सिंह शेखावत को रक्षा मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के तहत दि. 28 दिसंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता आदि सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

श्री राजेंद्र सिंह शेखावत अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 9 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वे सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 149 (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल की राय में, वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम, नियम और लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। इनके पास बी डी एल का कोई शेयर नहीं है।

मद सं. 10

श्री नंदकुमार सुब्बुरामन को रक्षा मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के तहत दि. 24 दिसंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता आदि सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

श्री नंदकुमार सुब्बुरामन अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 10 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

श्री नंदकुमार सुब्बुरामन ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वे सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 149 (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल की राय में, वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम, नियम और लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। इनके पास बी डी एल का कोई शेयर नहीं है।

मद सं. 11

डॉ. पवन स्थापक को रक्षा मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के तहत दि. 24 दिसंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता आदि सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

श्री नंदकुमार सुब्बुरामन अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 11 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

डॉ. पवन स्थापक ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वे सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 149 (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल की राय में, वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम, नियम और लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। इनके पास बी डी एल का कोई शेयर नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A19015

स्थल : हैदराबाद
तारीख : 25 अगस्त, 2022

आम सभाओं पर लिस्टिंग विनियम के विनियम 36 (3) और सांचिविक मानक-2 के अनुसार वार्षिक आम सभा में पुन:नियुक्ति / नियुक्ति की माँग करने वाले निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम	श्री पी राधाकृष्ण	डॉ. बी एच वी एस नारायण मूर्ति	श्री सुनील चिंतामन मोने	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन	डॉ. पवन स्थापक
डी आई एन	08207722	09286096	09223235	09448680	09449860	0611401	03605320
जन्म-तिथि	30/06/1963	23/05/1963	05-12-1957	04-12-1970	05-02-1959	30-06-1959	25-05-1962
निदेशक मंडल में पहली नियुक्ति की तारीख	01/06/2019	25/08/2021	24-12-2021	27-12-2021	28-12-2021	24-12-2021	24-12-2021
योग्यताएँ	जे एन टी यू, हैदराबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अण्ड मेनेजमेंट में एम.टेक., और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक., की उपाधि।	आर ई सी वरंगल से इलेक्ट्रॉनिक्स अण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि। जे एन टी यू, हैदराबाद से एम टेक की उपाधि। आई आई आई टी, हैदराबाद से कंप्यूटर विज्ञान में पीएच डी की उपाधि प्राप्त।	चार्टर्ड अकाउण्टेंट	अनस्थीशियॉलॉजी में एम डी	बी.एससी. (विज्ञान स्नातक) और एल एल बी	बी ई और एम बी ए (आई आई एम – लखनऊ)	एम बी बी एस, डी ओ एम एस अण्ड एम एस
विनिर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र में विशेषज्ञता	इन्हें घटक उत्पादन, मिसाइल एकीकरण तथा परीक्षण, परियोजना योजना, गुणता नियंत्रण एवं मिसाइल प्रणालियों के देशीकरण जैसे मिसाइल उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।	एक प्रतिष्ठित रक्षा वैज्ञानिक और भारत में रक्षा और वांतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उन्नत एवियोनिक्स प्रौद्योगिकियों के देशी डिजाइन और विकास में अपने अनुसंधान एवं विकास के लिए ख्यातिप्राप्त। इन्होंने बी वी आर ए ए म अस्त्र, क्यू आर सैम, क्यू आर सैम, आकाश 1 एस, आकाश एनजी, एच एस टी डी वी, एन जी ए आर एम, लंबी दूरी की संचलित बम, ब्रह्मोस, ए टी जी एम नाग, हेलीना, एम पी ए टी जी एम, एस ए एन टी, बी एम डी, ए एन एस पी, अग्नि की श्रृंखला कर मिसाइलें व अन्य अस्त्र प्रणालियों के की एवियॉनिक प्रणालियों के सफल विकास और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।	सरकारी क्षेत्र में 22 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त। सी एस एस योजनाएँ, पी एम जी एस वाई, एम एही एन आर ई जी एस, आई डब्ल्यू एम पी, सिंचाई निगम, यू एल बी, पी एफ एम एस, पर्यटन आदि में वित्तीय सलाहकार / लेखापरीक्षक / नियंत्रक / विशेषज्ञ के रूप में बहुत सक्रिय। ये ग्रांट थॉर्नटन परियोजनाओं में वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में भी जुड़े हुए हैं।	ये सुपर स्पेशियलिटी डीएम / एमसीएच कार्यक्रम और विभाग के अतिरिक्त डीन प्रमुख के रूप में चिकित्सा विज्ञान संस्थान और सम अस्पताल, शिखा 'ओ' अनुसंधान विश्वविद्यालय में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के 'डीन' के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें निजी और सार्वजनिक/सरकारी दोनों क्षेत्रों जैसे एम के सी जी मेडिकल आदि में 22 साल का क्लिनिकल और साथ ही प्रशासनिक अनुभव प्राप्त।	इन्होंने राजस्थान पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त और एंटी करप्शन ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। इन्हें अपनी विशेष सेवाओं के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम से पुलिस विभाग में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया।	ये परफिट हेल्थ केयर (प्रा.) लिमिटेड, चेन्नई सी ई ओ भारत के संस्थापक और परफिट हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन, यू एस ए के अध्यक्ष हैं। परफिट, भारत की पहली मेडिकल रोबोटिक्स कंपनी है। परफिट पुरस्कार विजेता, पेटेंट तकनीक को यू एस एफ डी ए और सी ई द्वारा मंजूरी दी गई है और इसे दुनिया भर के 100 से अधिक शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में स्थापित भी किया गया है।	ये जनज्योति अतिविशिष्टता नेता अस्पताल और दादा वीरेंद्र पुरी जी नेत्र संस्थान के निदेशक हैं। ये कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान (सी ए एम बी ए) के राष्ट्रीय संयोजक हैं और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण (एन आई ई पी वी डी) संस्थान, भारत सरकार के कार्यकारी परिषद के भी सदस्य हैं।

नियुक्ति या पुन:नियुक्ति की निबंधन और शर्तें	27 मई, 2019 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम-0001 (11)/02/2018-डी के क्रम में दि. 01 जून, 2019 से इनकी नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दि. 25 अगस्त, 2022 की पत्र सं. डीडीपी-एम0001(11)/3/2018-डी (बीडीएल) के तहत भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में दि. 25 अगस्त, 2021 से अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के क्रम में दि. 24 दिसंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के क्रम में दि. 27 दिसंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के क्रम में दि. 28 दिसंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के क्रम में दि. 24 दिसंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	मंत्रालय द्वारा जारी दि. 03 जनवरी, 2022 की पत्र सं.डीडीपी-एम0001(11)/12018-डी(बीडीएल) के क्रम में दि. 24 दिसंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक-गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।
पिछले पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	₹ 6098542	शून्य	₹ 115000	₹ 115000	₹ 115000	₹ 115000	₹ 115000
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकत्व (विदेशी कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ और अनुसूची-8 की कंपनियाँ छोड़ कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1. पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड 2. पिक्चर हाऊस मीडिया लिमिटेड	शून्य
सभी सार्वजनिक कंपनियों की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता *	शून्य	शून्य	2	2	2	2	2
वित्तीय वर्ष 2021-21 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति	पाँच में से पाँच	तीन में से तीन	एक में से एक	एक में से एक	एक में से एक	एक में से एक	एक में से एक
कंपनी में शेयरधारिता							
(ए) स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(बी) लाभार्थी के आधार पर दूसरों के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	* यथासंशोधित 'सेबी' (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है।						

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

कंचनबाग इकाई

भानूर इकाई

विशाखापट्टणम इकाई

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय)
(A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)
सीआईएन नं.: L24292TG1970GOI001353
निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग,
आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032. तेलंगाना, भारत।
ई-मेल : investors@bdl-india.in वेबसाइट : www.bdl-india.in